BPAE-144

सामाजिक नीतियां और प्रशासन

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मैदान गढ़ी, नई दिल्ली — 110068

इकाई 1 सामाजिक नीतिः अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, लक्ष्य, सिद्धांत, मॉडल और व्यापकता/ विषय क्षेत्र

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 परिचय

1.2 सामाजिक नीति की अवधारणा

1.3 विशेषताएं

1.4 उद्देश्य

1.5 लक्ष्य

1.6 सामाजिक नीति के सिद्धांत

1.7 सामाजिक नीति के मॉडल

1.8 व्यापकता/ विषय क्षेत्र

1.9 निष्कर्ष

1.10 संदर्भ और कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम हो जाएंगेः संजोया

- सामाजिक नीति की विशेषताओं की संकल्पना और व्याख्या करने में;
- सामाजिक नीति के उद्देश्यों, लक्ष्यों और सिद्धांतों का वर्णन करने में;
- सामाजिक नीति के विभिन्न मॉडलों का उल्लेख कर सकेंगे; और
- सामाजिक नीति की व्यापकता का अन्वेषण कर सकेंगे।

1.1 परिचय

आधुनिक सरकारें नागरिकों और राज्य के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, जिसमें राष्ट्र की भलाई के लिए परस्पर नियम और शर्तें तय की गई हैं। यह सचेत प्रयास दो संस्थाओं, अर्थात् राज्य और नागरिकों के बीच दो कारणों से किया गया हैः पहला, नागरिक राज्य को या तो करों और प्रेषणों का भुगतान करने या सरकारी आदेश का पालन करने या उच्च आदर्शों जैसे समानता, बंधुत्व आदि की सदस्यता लेने के लिए राज्य का समर्थन करने के लिए सहमत हो; दूसरा, राज्य पारस्परिकता में लोगों के अधिकारों की रक्षा करके और आम संसाधनों के लिए उपयुक्त सामाजिक नीतियों को विकसित करके देश पर शासन करने के लिए वैधता सुरक्षित करता है।आधुनिक सरकारें विशेष रूप से विकासशील देशों में सामाजिक समस्याओं जैसे निरक्षरता, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अस्वस्थता, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और वंचित समुदायों के लिए सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए सामाजिक नीतियों को पर्याप्त महत्व दे रही हैं। रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन के अनुसार, "यदि राज्य और सामाजिक नीति नैतिकता पर आधारित नहीं होगी, तो मानव जाति के पास बोलने के लिए कोई भविष्य नहीं है ..." यह कथन पुष्ट करता है कि कोई भी नीति संधारणीय (निरंतर) मानव विकास के लिए विकसित की जानी चाहिए। अप्रभावी सामाजिक नीतियां के दो परिणाम होते हैंः राज्य का वैधीकरण और नागरिक उदासीनता। उपरोक्त परिणाम भविष्य में बहिष्करण, अभाव, असमानता, संघर्ष, और हिंसा की ओर ले जाते हैं।

वर्तमान में, एक अकादमिक विषय/विद्यार्जन विषय के रूप में, सामाजिक नीति के क्षेत्र ने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, लॉ आदि जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके अपनी सीमाओं में विस्तार करना **आरंभ** किया है।

इस इकाई में, हम सामाजिक नीति की अवधारणा, विशेषताओं, लक्ष्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यों, सिद्धांतों, और मॉडलों के बारे में चर्चा करेंगे।

सर्वप्रथम, हम सामाजिक नीति की अवधारणा पर चर्चा **प्रारंभ** करेंगे।

1.2 सामाजिक नीति की अवधारणा

'नीति' शब्द उन सिद्धांतों को इंगित करता हैं, जो एक इच्छित परिणाम या सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं। नीति को संक्षेप में क्रिया–उन्मुख और परिवर्तन–उन्मुख कहा जा सकता है। राजनीतिक प्रक्रिया के भाग के रूप में, सामाजिक नीति को एक महत्वपूर्ण राज्य साधन के रूप में माना जा सकता है। अकादमिक साहित्य में 'सामाजिक नीति' और 'सामाजिक कल्याण नीति' शब्दों के उपयोग के

बारे में, अरावासिक (2018) बताते हैं कि महाद्वीपीय यूरोप में इसे 'सामाजिक नीति' के रूप में संदर्भित किया गया है, जबकि उत्तरी अमेरिकी साहित्य में इसे 'सामाजिक कल्याण नीति' के रूप में संदर्भित किया गया है। हालाँकि, अध्ययन के क्षेत्र के रूप में, सामाजिक नीति 'सामाजिक प्रशासन' के क्षेत्र से विकसित हुई। 'सामाजिक प्रशासन' का फोकस सामाजिक सेवाओं में कर्मियों को तैयार करना था। सपिकर (2014) के अनुसार, सामाजिक सेवाओं में रोजगार, जेल, कानूनी सेवाओं, सामुदायिक सुरक्षा आदि के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, और शिक्षा के रूप में 'बिग फाइव' ('Big Five') सेवाएं शामिल हैं।एक विषय के रूप में, सामाजिक नीति एक व्यापक क्षेत्र बन गया है, जिसमें वंचितों की पात्रता(हक़) और अधिकारों की सुरक्षा शामिल है, और साथ ही, उनकी सामाजिक आवश्यकतों को पूरा करना है, जैसे, जीवन प्रत्याशा, कार्य स्थलों में सुरक्षा व गरिमा, संवैधानिक सुरक्षा उपाय, आवास, सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी आदि। आधुनिक सरकारों के विकास के साथ–साथ, कल्याणकारी राज्य और सामाजिक नीति में एक समान विकास हुआ है।

ब्रिटिश अर्थशास्त्री निकोलस बर्र का मानना है कि कल्याणकारी राज्य उन विविध शक्तियों का परिणाम है, जो सामाजिक नीति विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। उदाहरण के लिए, भारत में स्वतंत्रता पूर्व चरण के दौरान सभी लोगों के लिए समान व्यवहार की कमी ने हमारे संविधान के संस्थापकों को एक शासन ढांचा स्थापित करने में सक्षम बनाया, जो जन्म, स्थान, धर्म, जाति, विकलांगता, और व्यवसाय आदि के बावजूद सभी लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। एक तरह से, कोई भी सरकारी सेवा, जो वंचित समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दृढता रखती है, उसे सामाजिक नीति के अन्तर्गत रखा जा सकता है।उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में उचित व्यवहार का अनुभव नहीं होता है, उसे असुरक्षित और आत्म–सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप, भारत सरकार ने 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' को अधिनियमित किया है, जिससे सभी विकलांग व्यक्तियों के साथ सम्मान और न्याय के साथ समान व्यवहार हो सके। वास्तव में, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने 'न्याय' के आदर्श को आधुनिक सरकार के सबसे महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में रखा है, क्योंकि इसके अनुसरण से राज्य की वैधता और नागरिक कल्याण की रक्षा होती है। 'न्याय' के इस आदर्श को अमल में लाने के लिए आधुनिक सरकारों ने 'सामाजिक नीति' को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में चुना है।

सामाजिक नीति के क्षेत्र में मौलिक निबंधों में से एक रिचर्ड टिटमस द्वारा 1955 में 'सोशल डिविजन ऑफ

वेल्फेर' पर लिखा गया था। इस निबंध में, टिटमस ने सामाजिक संदर्भ में कल्याणकारी नीतियों के प्रभाव की समीक्षा करने की वकालत की। टिटमस ने यह विचार रखा कि यदि सामाजिक वास्तविकताओं का संज्ञान नहीं लिया गया, तो कल्याणकारी नीतियां विफल हो जाएंगी। अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, निरक्षरता, लिंग और जातिगत भेदभाव, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार आदि जैसी सामाजिक वास्तविकताएं सरकार को लोगों की भलाई के लिए उपयुक्त नीतियों और योजनाओं को बनाने व आगे बढाने में सक्षम बनाती हैं।

उदाहरण के लिए, सामाजिक वास्तविकताओं में से एक यह है कि अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़ दिया जाता है और वे बेघर जीवन जीने को विवश होते हैं। बेघर जीवन जीने से ट्रांसजेंडर व्यक्ति असुरक्षित और भयभीत महसूस करते हैं। इसे दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्ष्य ट्रस्ट (गुजरात में एक समुदाय–आधारित संगठन) के सहयोग से 2020 में गरिमा गृह योजना विकसित की है। इस योजना की ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सराहना की गई है। उपरोक्त उदाहरण से, हम यह मान सकते हैं कि सामाजिक नीति में, सरकार ही एकमात्र कर्ता नहीं है, बल्कि सरकार समुदाय–आधारित संगठनों, न्यायपालिका, गैर–सरकारी संगठनों, इच्छुक व्यक्तियों, सोशल मीडिया आदि जैसे कई कर्ताओं के साथ सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त, हम समझ सकते हैं कि सामाजिक नीति का फोकस लिंग, धर्म, जाति, आय, विकलांगता आदि पर होने के बावजूद लोगों की भलाई है। लोगों की भलाई को सरकार द्वारा सामाजिक नीति के मुख्य क्षेत्रों में मानते हुए बढ़ावा दिया जा रहा है।

सपिकर (2014) सामाजिक नीति के मुख्य क्षेत्रों की पहचान इस प्रकार करते हैं:

- स्वास्थ्य नीति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक देखभाल और आवास;
- अनिश्चित परिस्थितियाँ, जिनमें लोगों का कल्याण दांव पर लगा हो, जैसे विकलांगता, आपदा, बुढ़ापा, बीमारी, परिवार का टूटना;
- असामाजिक मुद्दे जैसे अपराध और नशीली दवाओं की लत;
- सामाजिक रूप से वंचित जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति, गरीबी से त्रस्त समुदाय आदि; और

उपरोक्त सामाजिक समस्याओं के लिए वित्तीय सहायता, स्वैच्छिक प्रयासों, सरकार–सामुदायिक भागीदारी (जैसे गरिमा गृह योजना) के प्रावधान जैसी सामूहिक सामाजिक अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला।

सामाजिक नीति के उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों से हम समझ सकते हैं कि 'सामाजिक नीति' शब्द का अर्थ लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा की गई सामाजिक कार्रवाई और अनुक्रियाओं से है।

इस प्रक्रिया में, सरकार सामाजिक वास्तविकताओं की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कई कर्ताओं के साथ सहयोग करती है।

1.3 विशेषताएं

(i) सामाजिक नीति को परिवर्तन के एक सकारात्मक साधन के रूप में देखा जा सकता है

सामाजिक नीति का फोकस 'बदलती परिस्थितियों, प्रणालियों, प्रथाओं, और व्यवहार' के संदर्भ में परिवर्तन को बढ़ावा देना है (टिटमस, 1974)। इसका अर्थ है कि सामाजिक नीति का उद्देश्य शिक्षा, आवास, बीमा, कौशल विकास, रोजगार आदि की तुलना में वंचित समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उदाहरण के लिए, भारत में, आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों (SC)के लिए वित्त और धन जुटाने की प्रतिबद्धता के साथ, 1989 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSCFDC) की स्थापना की गई। एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, यह वंचित समुदायों को बिना किसी परेशानी के संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है। यदि ऐसी संस्था नहीं बनाई गई होती, तो वंचित समुदायों के लिए पहुंच मुश्किल होती।

(ii) सामाजिक नीति समावेशन में निवेश करती है

सामाजिक नीति वंचितों के समावेशी विकास में निवेश करती है और संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण निवेश है, यह शहरों को समावेशी बनाती है। सुगम्य भारत ऐप, विकलांग व्यक्तियों के लिए (PwD), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 2021 में मोबाइल एप्लिकेशन क्राउड सोर्सिंग लॉन्च है। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों के साथ–साथ बुजुर्गों को इमारतों, परिवहन, या किसी भी बुनियादी ढांचे में पहुंच से संबंधित मुद्दों पर चित्र अपलोड करके वस्तुतः रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना है। विशेष रूप से, इस एप्लिकेशन का उपयोग दिव्यांगजनों द्वारा कोरोना वायरस के कारण सामना किए जा रहे संबंधित मुद्दों से भी निपटने के लिए किया गया है।

(iii) सामाजिक नीति सामूहिक हस्तक्षेप पर केंद्रित है

मकंडावायर (2001) सामाजिक नीति को सामूहिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हैं, जो सामाजिक कल्याण, सामाजिक संस्थानों, और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सीधे प्रभावित करता है। सामाजिक विकास का निर्माण करते समय, सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों, समुदाय–आधारित संगठनों, धर्मार्थ और परोपकारी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), मीडिया, इच्छुक व्यक्तियों आदि के साथ–साथ

नागरिक समाज के अभिकर्ताओं की सामूहिक भागीदारी और हस्तक्षेप के लिए मंच प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, साइट सेवर्स एक गैर सरकारी संगठन है, जो दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करता है और 2025 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को समान रूप से सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार को कॉल करने के लिए एक ऑनलाइन याचिका **प्रारंभ** की। वास्तव में, इसमें 3,114 लोगों ने भाग लिया।

1.4 उद्देश्य

टिटमस (1974) के अनुसार, सामाजिक नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) लाभकारी होना: सामाजिक नीतियां मानव कल्याण के लिए निर्देशित होती हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और सामाजिक सुरक्षा जैसी मानवीय आवश्यकतों को पूरा करती हैं।

(ii) आर्थिक और गैर–आर्थिक उद्देश्य: सामाजिक नीति में न्यूनतम मजदूरी जैसे आर्थिक उद्देश्य और आवश्यक न्यूनतम जीवन स्तर जैसे गैर–आर्थिक उद्देश्य शामिल हैं। न्यूनतम मजदूरी, नियोक्ता द्वारा शारीरिक श्रम के लिए भुगतान किए गए कानूनी पारिश्रमिक को संदर्भित करता है, जबकि जीवन का न्यूनतम आवश्यक मानक मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र और आश्रय के अतिरिक्त) को संदर्भित करता है जैसे सुरक्षा और अस्तित्व, संबंध स्थापित करना **एवम्** स्वीकृति, आत्म–सम्मान, पहचान, स्वतंत्रता, न्याय, और आत्म–पूर्ति। चाहे वह मजदूरी हो या मूलभूत मानवीय आवश्यकताए इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य किया जाना चाहिए। सरकार या स्वैच्छिक संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवा सामाजिक रूप से तब स्वीकार्य हो जाती है, जब बहुसंख्यक लोग दी गई सेवा को उचित या संतोषजनक मानते हैं।

(iii) संसाधनों का अमीर से गरीब में स्थानांतरण: जब अमीर से गरीब को संसाधनों के हस्तांतरण की बात आती है, तो सामाजिक नीति में प्रगतिशील पुनर्वितरण के कुछ उपाय शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, अमीर से गरीब को संसाधनों का सफल हस्तांतरण तब होता है, जब अमीर ग्रामीण गरीब बच्चों के लिए एक गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए अपने पैसे का योगदान करते हैं।

1.5 लक्ष्य

अरावासिक के अनुसार सामाजिक नीति के चार लक्ष्य हैं– सामाजिक न्याय, सामाजिक संतुलन, सामाजिक शांति, और सामाजिक एकीकरण।

□□□□, हम अब एकल □□□ से □□ चारों लक्ष्यों की चर्चा करें।

(i) सामाजिक न्यायः सभी लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह अवसरों के संदर्भ में हो या शासन प्रक्रिया में भागीदारी के रूप में। यह आय स्तरों के कारण होने वाली असमानताओं और अभावों को समाप्त करने के लिए है।

(ii) सामाजिक संतुलनः सामाजिक संतुलन को संभव बनाया जा सकता है, यदि मतभेदों और विषमताओं को मिटाया जा सके। उदाहरण के लिए, पूरे भारत में वंचित समुदायों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।

(iii) सामाजिक शांतिः उदाहरण के लिए, स्थानीय बाजारों पर बहु–राष्ट्रीय बाजारों का वर्चस्व न केवल अनुचित है, बल्कि यह लंबे समय में समाज के संतुलन को बिगाड़ता है। इसलिए, सामाजिक शांति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियां बना जानी ।

(iv) सामाजिक एकताः यह सामाजिक संरचना में कमजोर समूहों को शामिल करने को संदर्भित करता है। यह उन्हें समाज के कार्यात्मक सदस्यों के रूप में तैयार करने का करता है।

1.6 सामाजिक नीति के सिद्धांत

(i) एकजुटता का सिद्धांत

व्यावहारिक रूप से, एकजुटता 19वीं सदी के श्रमिक आंदोलन के दौरान उभरी, जब श्रमिकों ने सामूहिक कार्रवाई के लिए खुद को लामबंद किया। एकजुटता का तात्पर्य सामाजिक समूहों, जैसे परिवार, क्लबों, संघों आदि के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के निर्माण के उद्देश्य से आपसी अनुबंध है। धीरे–धीरे, एकजुटता के सिद्धांत ने कानूनों और विधि निर्माण में अपना स्थान पाया।

सामाजिक नीति के संदर्भ में, एकजुटता का सिद्धांत आपसी सहयोग, नेटवर्किंग, और सामूहिक कार्रवाई के आधार पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को बहाल करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम, National Rural Health Mission NRHM) को ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 में **प्रारंभ** किया गया था। एनआरएचएम में एकजुटता के सिद्धांत को लागू करने का विशिष्ट उदाहरण ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी VHSNC) है।वास्तव में, यह समिति ग्राम स्वास्थ्य के मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई करने के लिए एक मंच (प्लेटफार्म) के रूप में कार्य करती है, जैसे स्वास्थ्य जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों में सुधार के मामले। कर्नाटक में एनआरएचएम की स्थिति का अध्ययन करते हुए मैडोन (2020) ने देखा कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति कम आय वाले

समुदायों के बीच बीमारियों और महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण सामाजिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से, अध्ययन के अंतरगत विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायत, और ग्रामीण परिवारों का वीएचएसएनसी सदस्यों के साथ अंतर–क्षेत्रीय सहयोग पाया गया।

(ii) समानता का सिद्धांत

समानता का सिद्धांत इंगित करता है कि समाज का कोई भी सदस्य किसी भी अवसर से वंचित नहीं होगा। कोई भी सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा, यदि यह सामाजिक न्याय के साथ संघर्ष को बढ़ावा देता हो। इस सिद्धांत के आधार पर, समाज की संस्थाएं (सरकार या न्यायपालिका या नागरिक समाज) केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती हैं, जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त (अक्षम) हो। अक्षमता की परिस्थितियों में ही संस्थागत हस्तक्षेप सार्थक हो पाता है।

- उदाहरण के लिए, 1990 के दशक के दौरान, राजस्थान में, ग्रामीण लोग ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी के अधिकार से संबंधित मौजूदा नियमों को समझने से कानूनी रूप से वंचित थे। उन्हें अधिकारियों द्वारा कानूनों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया था। इस सामाजिक अन्याय को देखकर, एक गैर सरकारी संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस; Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, MKSS) ने लोगों में कानूनी जागरूकता पैदा की और उन्हें स्थानीय स्तर पर खर्च के रिकॉर्ड तक खुली पहुंच की मांग करने के लिए लामबंद किया। वास्तव में, एमकेएसएस ने मांगों को पूरा करने के लिए तीन साल तक संघर्ष किया। परिणामस्वरूप, 1996 तक, जन सूचना का अधिकार एक सामाजिक आंदोलन बन गया, जिसने मांग की कि सभी सरकारी निकायों को भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने और संरक्षित करने चाहिए। सामाजिक आंदोलन को वैधानिक आधार देने और राष्ट्रीय सूचना के अधिकार अभियान (एनसीपीआरआई; National Campaign for the People's Right to Information, NCPRI)) के लगातार लॉबिंग के कारण, भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। इस प्रकार, एमकेएसएस के संस्थागत हस्तक्षेप ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाया।

(iii) सहायकता का सिद्धांत

सहायकता के सिद्धांत के अनुसार, निर्णय लेने में स्थानीय लोग प्रमुख हितधारक होते हैं। जब लोग सशक्त नहीं होते हैं, तो स्थानीय सरकार और नागरिक समाज के कर्ताओं की भूमिका को उस समाज के सबसे करीब देखा गया है जहां उनका प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, यह एमकेएसएस की भूमिका थी, जिसने

ग्रामीणों को सशक्त बनाया। इसी तरह, कुछ ग्राम पंचायतों ने स्थानीय सरकार के रुप में अपने लोगों की भलाई की। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2018 में, महाराष्ट्र में जकातवाड़ी ग्राम पंचायत (सतारा जिला) ने एक विधवा के पुनर्विवाह के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक निर्णय लिया।करीब 6–7 महीने तक गांव के बुजुर्गों समेत पंचायत के लोगों से विस्तृत चर्चा के बाद महिलाओं से जुड़ी सामाजिक वर्जना को तोड़ने के लिए स्थानीय लोग एकमत से आगे आए। पंचायत ने घोषणा की कि खर्च को पूरा करने के लिए राशि ग्राम पंचायत के बजट से महिला एवं बाल कल्याण के लिए दी जाएगी। यह भी ज्ञात हुआ है कि गांव में शराब से प्रभावित युवाओं के लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है।एक ग्रामीण की राय गांव के मानस को दर्शाती हैः "हम एक अमीर गांव नहीं हैं, लेकिन सुसंस्कृत होने की इच्छा रखते हैं"। यह उदाहरण एकजुटता के सिद्धांत को भी दर्शाता है। वास्तव में, सामाजिक नीति अमीर होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोगों की भलाई को प्रमुख मिशन के रूप में पुष्ट करती है।

इस संबंध में, उपरोक्त उदाहरणों ने आपको कल्याण के विभिन्न आयामों के बारे में समझ प्रदान की होगी।

1.7 सामाजिक नीति के मॉडल

सामाजिक नीति के मॉडल (टाइटमस, 1974) हमें स्पष्ट और सटीक तरीके से तथ्यों और विकल्पों (हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन के) की जांच करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(i) सामाजिक नीति का अवशिष्ट कल्याण मॉडल

यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि निजी बाजार और परिवार की तुलना में दो संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति की जरूरतों को पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल तभी होता है जब ये दोनों संस्थाएं टूट जाती हैं, इसपर सामाजिक कल्याण संस्थानों को अस्थायी रूप से हस्तक्षेप(समय–सीमित) करना चाहिए । इस मॉडल के अनुसार, कल्याणकारी प्रावधान लंबे समय तक प्रदान नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि यह सिद्धांत मानता है कि लोगों को सामाजिक कल्याण संस्थानों से लाभ के बिना जीवित रहना सीखना चाहिए। इसका सैद्धांतिक आधार इंग्लिश पुअर लॉ (अंग्रेजी गरीब कानून) में खोजा जा सकता है।

(ii) सामाजिक नीति का औद्योगिक उपलब्धि–प्रदर्शन मॉडल

इस मॉडल को 'हैंडमेडेन मॉडल' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की सहायता करता है। यह मॉडल सामाजिक कल्याण संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखता है और मानता है कि इसे सामाजिक आवश्यकताओं, जैसे योग्यता, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता के आधार पर कार्य करना चाहिए।

यह मॉडल प्रोत्साहन, प्रयास, पुरस्कार (प्रतिफल), वर्ग के गठन और समूह वफादारी से संबंधित कई आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से अपना आधार प्राप्त करता है।

(iii) सामाजिक नीति का संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल

यह मॉडल समाज कल्याण को समाज में एक अभिन्न संस्था के रूप में मानता है, जो आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर सेवाएं प्रदान करता है। ऐसी सामाजिक कल्याण संस्थाएं बाजार के बाहर कार्य करती हैं। यह दो सिद्धांतों पर आधारित है: आंशिक रूप से सामाजिक परिवर्तन के कई प्रभावों के सिद्धांतों और आंशिक रूप से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। टिटमस (1974) के अनुसार, यह मॉडल समय के साथ संसाधनों पर नियंत्रण में पुनर्वितरण की प्रणालियों को शामिल करता है।

1.8 व्यापकता / विषय क्षेत्र

(i) सामाजिक नीति कल्याण के बारे में है: कल्याण के विचार का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है। मोटे तौर पर, 'कल्याण' शब्द राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ–साथ भलाई को भी दर्शाता है। सामाजिक नीति के संदर्भ में, 'कल्याण' अक्सर जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करने से संबंधित रहा है।

(ii) सामाजिक नीति नीतिज्ञता(नीति) के बारे में है: सामाजिक नीति वास्तविकताओं को समझने से अधिक संबंधित है। उदाहरण के लिए, सामाजिक नीति का सीधा संबंध 'भोजन' से नहीं हो सकता है, लेकिन यह 'भोजन के नियमन और वितरण' से संबंधित है। जब 'भोजन के नियमन और वितरण' की बात आती है, तो ध्यान वंचित समुदायों और भोजन तक उनकी पहुंच की क्षमता पर होता है।

(iii) सामाजिक नीति उन मुद्दों से संबंधित है जो सामाजिक हैं: सामाजिक नीति में 'सामाजिक' शब्द का तात्पर्य सामाजिक समस्याओं के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता से है। सामाजिक नीति का संबंध जमीनी स्तर पर विकास की बाधाओं को दूर करने से है। उदाहरण के लिए, 1950 के दशक में, तमिलनाडु सरकार प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लेकर आई थी। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत गरीब, भूखे बच्चों को सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि इस योजना के लिए एक विशाल बजट की आवश्यकता थी, इसके लिए जनता द्वारा उचित मात्रा में धन जुटाया गया था। इस उदाहरण में, सरकार और जनता दोनों द्वारा धन जुटाना कम स्कूल नामांकन (लो इंरोलमेंट) की समस्या के प्रति सामूहिक अनुक्रिया है।

(iv) सामाजिक नीति एक अनुप्रयुक्त विषय है: यह प्रकृति में बहु–अनुशासनात्मक और प्रासंगिक है, चूंकि सामाजिक समस्याएं जटिल हैं और सामाजिक नीति सामाजिक विज्ञान के विषयों के व्यापक **वर्णक्रम** में फैली हुई है। सामाजिक नीति का मानना है कि सामाजिक समस्या से निपटने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है और यह कई दृष्टिकोणों से समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह एक अभ्यास–उन्मुख अनुशासन है, इस अर्थ में, यह सामाजिक समस्या की पहचान करता है और उसके बाद समस्या के अनुरूप तरीके(प्रणाली) और दृष्टिकोण ढूंढता है।

गतिविधि

युवाओं और अपने समुदाय के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा समूह बनायें और सामाजिक नीति की विशेषताओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों, और सिद्धांतों पर चर्चा करें।

1.9 निष्कर्ष

सामाजिक नीति सामाजिक विज्ञान में अकादमिक विषयों में से एक है, फिर भी, यह अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों से अलग है, क्योंकि यह □□□□□□□□□□ में मजबूती से जमी हुई है। इसके कुछ सिद्धांत हैं, जो एकजुटता, समानता, और सहयोग के संबंध में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्ति की गरिमा को सार्वजनिक और कार्य स्थलों में समान व्यवहार के संदर्भ में मापा जा सकता है।तर्क की इस पंक्ति में, सामाजिक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां विकसित की गई हैं। सामाजिक मुद्दों की प्रकृति के आधार पर, सरकारें और नागरिक समाज के अभिकर्ता असमानताओं और भेदभावों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। विशेष रूप से, स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय कर्ताओं द्वारा तय किया जाता है क्योंकि समस्या पर उनका तत्काल प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, सामाजिक नीति का उद्देश्य वंचित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की पहचान करना और लोगों की भलाई को बढ़ाने के तरीके खोजने की दिशा में काम करना है।

1.10 संदर्भ और कुछ उपयोगी पुस्तकें

Alcock, Pete (Ed.) (et.al). (2012). The Student’s Companion to Social Policy. UK: Wiley-Blackwell

Aravacik, EsraDundar (2018). Social Policy and the Welfare State, Public Economics and Finance. Retrieved from: https://www.intechopen.com/chapters/64579

Blakemore, Ken and Griggs, Edwin. (2007). Social Policy: An Introduction. Open University Press: New York

Deshpande, Alok (2018, December). Breaking Taboos: This Maharashtra Village shows the way. Retrieved from:
https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/breaking-taboos-this-maharashtra-village-shows-the-way/article25792684.ece

Madon, Shirin (2020). The potential of India's Village Health Committees in containing the spread of diseases. Retrieved from:

https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2020/05/15/the-potential-of-indias-village-health-committees-in-containing-the-spread-of-diseases/

Mkandawire, Thandika. (2001). Social Policy in Development Context. Retrieved from: https://www.files.ethz.ch/isn/102709/7.pdf

Ortiz, Isabel. Social Policy. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/7189078.pdf
Pathak, Shankar. Social Policy in a Developing Society. Retrieved from: http://ijsw.tiss.edu/greenstone/collect/ijsw/index/assoc/HASHbe8d/adc5e878.dir/doc.pdf

Spicker, Paul. (2014). Social Policy – Theory and Practice. Policy Press: Bristol

Titmuss, Richard. (1974). What is Social Policy?
Retrieved from: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/welfare-state/titmuss.pdf

---

इकाई 2 सामाजिक नीति और प्रशासन

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 सामाजिक नीति और प्रशासनः भारतीय संदर्भ

2.3 सामाजिक नीति और प्रशासन में शामिल सरकारी संस्थाएं

2.4 केस उदाहरणः नशा मुक्त भारत अभियान

2.5 निष्कर्ष

2. 6 संदर्भ

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप योग्य होंगे :

- सामाजिक प्रशासन के भारतीय संदर्भ का वर्णन करने में;
- सामाजिक नीति और प्रशासन में शामिल विभिन्न सरकारी संस्थाओं का पता लगाने में; तथा
- सामाजिक नीतियों के प्रशासन में शामिल कई संस्थानों/निगमों के बारे में बताने में।

2.1 प्रस्तावना

इकाई 1 में आपने पढ़ा कि सामाजिक नीति 'कल्याण' के बारे में है और यह 'सामाजिक न्याय', 'सामाजिक संतुलन', 'सामाजिक शांति' और 'सामाजिक एकीकरण' से संबंधित मामलों से संबंधित है। इस इकाई में आप सामाजिक नीतियों को प्रशासित करने के विभिन्न तरीके के बारे में जानेंगे। आधुनिक राज्यों की स्थापना और वंचित समुदायों के हितों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ, नए सिरे से सामाजिक नीति की आवश्यकता थी। साथ ही साथ, 'कम सेवा प्राप्त करने वाले समुदायों की जरूरतों की पहचान कैसे करें?' और 'उन्हें सेवाएं कैसे प्रदान करें?' के बारे में चर्चा हुई, इसलिए, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए अलग मंत्रालयों/विभागों को स्थापित करने की आवश्यकता थी। दरअसल,

'सामाजिक नीति और प्रशासन' उन संस्थानों को संदर्भित करता है जो संगठित तरीके से कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। इसमें नेतृत्व, प्रबंधन, निर्णय लेने और संस्था–निर्माण शामिल हैं।हैनलॉन (1978) के अनुसार, "सामाजिक प्रशासन न केवल सामाजिक विज्ञान के साथ बल्कि बड़े सामाजिक संस्थानों के मूल्यों, प्राकताओं और संसाधनों के साथ भी जुड़ा हुआ है ..."

इस इकाई में आप भारत की सामाजिक नीतियों के प्रशासन में शामिल विभिन्न सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

2.2 सामाजिक नीति और प्रशासनः भारतीय संदर्भ

सामाजिक नीति के संदर्भ में, प्रशासन की मंशा दो प्रकार की होती हैः एक, लाभार्थियों को उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाना; और दूसरा, लाभार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। इसके अलावा, प्रशासन को लक्षित लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तकनीशियनों और रणनीतिकारों से अधिक, सामाजिक प्रशासकों को नैतिक अभिनेता होने की आवश्यकता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस संबंध में, 'न्यायसंगत संस्थाओं' को विकसित करने और बनाए रखने में सामाजिक प्रशासकों की भूमिका 'न्यायपूर्ण समाज' के निर्माण में महत्वपूर्ण हो जाती है।

नीति निर्माताओं द्वारा एक सामाजिक नीति की कल्पना अच्छी तरह से की जा सकती है लेकिन सुदृढ़ प्रशासन के अभाव में यह कार्यान्वयन की विफलता का कारण बन सकती है। इसलिए, सामाजिक नीति के सफल कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैंः सामाजिक प्रशासकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में स्पष्टता, नियमों के अनुपालन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश, प्रशिक्षित मानव संसाधन, संचार नेटवर्क, निगरानी और मूल्यांकन आदि। कहने की जरूरत नहीं है कि कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन सामाजिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसका कार्य विभिन्न विकास गतिविधियों की प्रगति पर नियमित रूप से नज़र रखना है। दूसरे, विकास गतिविधि/कार्यक्रम की प्रगति के आधार पर, निगरानी और मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि परियोजना के परिणाम किस हद तक प्राप्त हुए हैं।तीसरा, यह हितधारकों और लाभार्थियों के विचारों के आधार पर कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का प्रयास करता है। वास्तव में, सामाजिक नीति और प्रशासन को किसी भी विकास गतिविधि के इच्छित परिणामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की पूरक आवश्यकता होती है।

भारत में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, भिखारी, ट्रांसजेंडर, गैर–अधिसूचित जनजातियों के लक्षित दर्शकों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। यह खानाबदोश जनजातियों/अर्ध–घुमंतू जनजातियों और आर्थिक रूप

से पिछड़े वर्ग के कल्याण से जुड़ा है। मंत्रालय की प्रमुख भूमिका लक्षित समूहों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और एक 'न्यायपूर्ण समाज' का निर्माण करना है।

आइए हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उसकी संस्थाओं के साथ अपनी चर्चा शुरू करें।

2.3 सामाजिक नीति और प्रशासन में शामिल सरकारी संस्थाएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

स्वतंत्रता के बाद के चरण के दौरान, कल्याण मंत्रालय को शुरू में जनसंख्या की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। 1985–86 के दौरान, मंत्रालय को कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में विभाजित किया गया था। 1998 में, कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJ&E) कर दिया गया। अनिवार्य रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लक्षित समूहों जैसे, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, भिखारी, ट्रांसजेंडर, गैर–अधिसूचित जनजाति / खानाबदोश जनजाति / अर्ध–घुमंतू जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है । मूल रूप से, इसका उद्देश्य लक्षित समूहों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त महसूस कराना और उन्हें सक्षम बनाना है।

2022 तक, मंत्रालय का नेतृत्व एक कैबिनेट मंत्री करता है और तीन राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग; और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। प्रत्येक विभाग को अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, निदेशक और उप निदेशक के साथ एक सचिव द्वारा प्रशासित किया जाता है।

आइए हम उपर्युक्त विभागों और उनके संबद्ध संगठनों पर आगामी उप–भागों में संक्षेप में चर्चा करें। मंत्रालय के बारे में विस्तृत चर्चा इकाई 11 में अलग से की गई है।

आरंभ करने के लिए यहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर एक संक्षिप्त चर्चा की गई है।

2.3.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों, अनुसूचित जातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करता है । इस संबंध में, विभाग लक्षित समूहों के शैक्षिक, आर्थिक और

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्षेत्र–विशिष्ट योजनाओं को लागू करता है जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायत ऋण, और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि। यह वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता, हाथ से मैला ढोने वालों, भिखारियों और पीड़ितों और मादक द्रव्यों के सेवन के परिवारों के पुनर्वास से संबंधित योजनाओं का भी संचालन करता है।

इस विभाग के अन्तर्गत संबद्ध संगठनों के आयोग, राष्ट्रीय संस्थान, निगम और फाउंडेशन शामिल हैं।

2.3.1.1 आयोग

i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) की स्थापना की गई है। वास्तव में, अनुच्छेद 338 एनसीएससी से संबंधित है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। एनसीएससी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, एनसीएससी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी के लिए निर्धारित आर्थिक विकास योजनाओं को लागू किया जाए और इच्छित लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंचे। आयोग यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि हर स्तर पर आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। इस विषय पर इकाई 12 में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार किया गया था। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना चाहता है। अब तक सात आयोगों का गठन किया जा चुका है। एनसीबीसी के जनादेशों में से एक अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की केंद्रीय सूची से जातियों के समावेश और बहिष्कार की जांच करना है और तदनुसार सरकार को सलाह देना है। एनसीबीसी एक अर्ध–न्यायिक निकाय है क्योंकि इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां निहित की गई हैं। आयोग में भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतनमान में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल हैं।

iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission for Safai Karamcharis)

एनसीएसके की स्थापना वर्ष 1993 में एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। शुरुआत में, इसे 1997 तक स्थापित किया गया था। बाद में, अधिनियम की वैधता को क्रमशः 2002 और 2004 तक दो बार बढ़ाया गया। 2004 से एनसीएसके का अस्तित्व समाप्त होने के साथ एनसीएसके का कार्यकाल समय–समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर–सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया गया है। जनवरी, 2022 तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था(पीआईबी, 2022)।

आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं। आयोग के अधिदेशों में से एक सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करना और विशिष्ट शिकायतों के मामलों को उठाना।

उदाहरण के लिए, हाथ से मैला ढोने वाले रोजगार का निषिद्ध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार हाथ से मैला ढोना निषेध है। एनसीएसके को (i) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी (ii) केंद्र और राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन के लिए सलाह देने, और (iii) अधिनियम के गैर–कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। एनसीएसके का एकमात्र उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और सीवर/सेप्टिक टैंकों की सफाई के पूर्ण मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2021 तक कुल 58098 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। अंततः, एक सम्मानजनक आजीविका के साथ हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना अनिवार्य है।

iv) राष्ट्रीय गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए आयोग (DNT/NT/SNT)

गैर–अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्य–वार सूची तैयार करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने फरवरी 2014 में राष्ट्रीय गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल 1262 समुदायों की पहचान गैर–अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू समुदायों के रूप में की गई है। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

• वि–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों (DNT/NT/SNT)के लिए केंद्र में एक स्थायी आयोग की स्थापना करना;

•(DNT/NT/SNT)समुदायों के लिए राज्य स्तर पर एक अलग विभाग/निदेशालय की स्थापना करना;

• जाति आधारित जनगणना करना;

• मुख्यधारा की विकास गतिविधियों में शामिल करने के लिए समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना

• उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पारंपरिक कला और विशेषज्ञता से संबंधित विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना; तथा

• सरकारी अधिकारियों, कार्यान्वयन अधिकारियों और स्थानीय निकायों को उनके साथ समान व्यवहार करने के लिए संवेदनशील बनाना और उन्हें किसी भी विकास कार्यक्रम से बाहर नहीं करना।

2.3.1.2 राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) 2002 से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है। एनआईएसडी नोडल संस्थान है जो मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और अनुसंधान के साथ–साथ मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, जराचिकित्सा देखभाल, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की देखभाल आदि की विशेषज्ञता रखता है।

संस्थान का उद्देश्य राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानव क्षमताओं को संवेदनशील, उन्मुखी और निर्माणयुक्त बनाना है। एनआईएसडी का प्राथमिक उद्देश्य उपचारात्मक की तुलना में निवारक, पुनर्वास और सामाजिक रक्षा क्षेत्र में नीतियां विकसित करना है (राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट)।

इसकी प्रशासनिक संरचना में शीर्ष पर निदेशक और उसके बाद चार उप निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, दो परिषदें हैं, जैसे, सामान्य परिषद (जीसी) और कार्यकारी परिषद (ईसी)। सामान्य परिषद की भूमिका व्यापक नीति मापदंडों को तैयार करना है और कार्यकारी परिषद की भूमिका एनआईएसडी की गतिविधियों और कार्यक्रमों की निगरानी और निर्देशन करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दो साल की अवधि के लिए जीसी और ईसी दोनों का पुनर्गठन करता है। एनआईएसडी के बारे में इकाई 13 में विस्तार से बताया गया है।

2.3.1.3 निगम

i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation)

इसकी स्थापना 1989 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSCSTFDC) के नाम से की गई थी। कंपनी (लाभ के लिए नहीं) अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार, एनएसएफडीसी को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की तुलना में एनएससीएसटीएफडीसी के दो अलग–अलग निगमों में विभाजन के साथ, वर्तमान में एनएसएफडीसी अनुसूचित जाति की जरूरतों को पूरा करता है। निगम के अधिदेशों में से एक अनुसूचित जाति के उन परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वित्त, सुविधा और धन जुटाना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। यह राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान करता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और अन्य हितधारकों (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि) द्वारा नामित किया जाता है जिनके साथ एनएसएफडीसी ने इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ii) राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम (National Backward Castes Finance and Development Corporation)

एनबीसीएफडीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके पिछड़े वर्गों (बीसी) के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना है। लाभार्थियों द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), डीएनटी/एनटी/एसएनटी, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए उनके कौशल विकास और स्व–रोजगार उपक्रमों के लिए वित्तीय उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों, लघु व्यवसाय/कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में आय पैदा करने वाली गतिविधियाँ प्रदान करता है।

iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation)

एनएसकेएफडीसी एक शीर्ष निगम है जिसे 1997 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत 'गैर लाभकारी' संगठन के रूप में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों/मैला ढोने वालों की सामाजिक

आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना था। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला उपक्रम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसकेएफडीसी की प्राथमिक प्रतिबद्धता हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है और ऋण और कौशल विकास (जैसे तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल) की तुलना में वित्तीय सहायता के माध्यम से श्रमिकों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसका मिशन सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को गरिमा, सम्मान और गौरव का जीवन जीने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सक्षम बनाना है।

2.3.1.4 प्रतिष्ठान

i) डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन

भारत सरकार ने 1992 में डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (DAF) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रतिष्ठान के शासी निकाय में अध्यक्ष (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री), उपाध्यक्ष, सदस्य (पदेन), सदस्य सचिव और पांच सदस्य होते हैं। वर्तमान में, डीएएफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित दस योजनाओं को लागू करता है। इन योजनाओं में से एक विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में डॉ अम्बेडकर चेयर की स्थापना शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के आदर्शों पर अनुसंधान और अध्ययन करना है। अन्य योजनाओं में मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, चिकित्सा सहायता योजना, अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण की योजना और अत्याचार के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय राहत योजना आदि शामिल हैं।

ii) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन

भारत सरकार ने 2008 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं। फाउंडेशन का इरादा स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के आदर्शों, जीवन दर्शन, उनके मिशन और जातिविहीन और वर्गहीन समाज के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का है। इसके अलावा, फाउंडेशन जाति–आधारित पूर्वाग्रहों को मिटाने और इस तरह अनुसूचित जाति और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने पर जोर देता है।प्रतिष्ठान के शासी निकाय में अध्यक्ष के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, उसके बाद उपाध्यक्ष, चार पदेन सदस्य और तीन सदस्य शामिल हैं।

2.3.2 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग की स्थापना 2012 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण और समावेश को सुगम बनाना है। यह दिव्यांगजनों से जुड़ी सभी विकास योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। विभाग के अनुसार, "विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण एक अंतर–अनुशासनात्मक प्रक्रिया है जिसमें रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।" विभाग का दृष्टिकोण एक समावेशी समाज को बढ़ावा देना है जिसमें दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। विजन के अनुरूप, विभाग का मिशन एक सक्षम वातावरण बनाना है जहां दिव्यांगजन सुरक्षित, स्वतंत्र और उत्पादक महसूस करता है। विभाग का नेतृत्व एक सचिव द्वारा किया जाता है और दो संयुक्त सचिव और एक उप महानिदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

विभाग में तीन वैधानिक निकाय शामिल हैं, अर्थात्, भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, और राष्ट्रीय न्यास। इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के साथ–साथ आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें नौ राष्ट्रीय संस्थान हैं जो विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करते हैं।

विभाग ने विशिष्ट प्रकार की अक्षमताओं को पूरा करने के लिए विकलांगता डोमेन में नौ राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। मुख्य रूप से, ये संस्थान इस क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन, पुनर्वास के लिए प्रावधान करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन क्षमता विकसित कर रहे हैं। ये नौ संस्थान हैं:

i) दृश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संस्थान (National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities)

ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान

iii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

iv) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities)

v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान

vi) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

vii) राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांगता संस्थान

viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (Indian Sign Language Research and Training Centre)

ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान (National Institute of Mental Health and Rehabilitation)

2.3.2.2 राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह "राष्ट्रीय न्यास स्वलीनता (ऑटिज्म), पक्षाघात(सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए " अधिनियम (1999 के अधिनियम 44) के तहत स्थापित किया गया है। न्यास का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके परिवारों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करना है। यह एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दिव्यांगजन को सशक्त बनाकर एक समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना चाहता है। इस संबंध में, ट्रस्ट पंजीकृत संगठनों के लिए सहायता प्रदान करता है जो विकलांगता अधिकारों के लिए खड़े हैं।ट्रस्ट विभिन्न पुनर्वास और सशक्तिकरण योजनाएं प्रदान करता है, जैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना, डे केयर, राहत देखभाल (अनाथों और विकलांगों के लिए घर), स्वास्थ्य बीमा योजना, देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना, दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक सहायता, एड्स और सहायक उपकरण आदि उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए, ट्रस्ट भारत के प्रत्येक शहर में संबंधित हितधारकों को डेटा एकत्र करने, मिलान करने और प्रदान करने के लिए एक संसाधन केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना करता है।

2.3.2.3 दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त

दिव्यांगो के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय भूतपूर्व विकलांग व्यक्तियों के (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 के तहत स्थापित किया गया था।मुख्य आयुक्त का कार्य राज्य आयुक्तों के साथ समन्वय करना है कि क्या दिव्यांगजनों के लिए आवंटित धन का उपयोग किया गया है। दूसरे, यह उनके अधिकारों और

संसाधनों तक पहुंच की रक्षा के लिए काम करता है। यह दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित करने, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि को लागू न करने के संदर्भ में शिकायतों की जांच करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त को सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।

2.3.2.4 भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of Indi)

भारतीय पुनर्वास परिषद को 1986 में एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था और 1993 में एक वैधानिक निकाय के रूप में विकसित किया गया था। आरसीआई के जनादेशों में से एक दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना है। दूसरे, इसे पुनर्वास मनोविज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम के मानकीकरण का अधिकार सौंपा गया है। इस संबंध में, वे विशेष शिक्षा में योग्य पेशेवरों और पुनर्वास कर्मियों को पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास डेटाबेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा, इसे विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने में संलग्न अयोग्य कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। आरसीआई सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति द्वारा शासित है।

2.3.2.5 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम(National Handicapped Finance and Development Corporation)

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) की स्थापना 1997 में हुई थी। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत गैर–लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा शासित होती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। एनएचएफडीसी शीर्ष संस्था है जिसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से दिव्यांगजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को चैनलाइज करने का काम सौंपा गया है। एससीए (State Channelising Agencies) राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की विकास योजनाओं में से एक विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (VMY) है, जो उचित लागत पर दिव्यांगो को त्वरित और आवश्यकता आधारित सूक्ष्म वित्त प्रदान करने का इरादा रखती है।

2.3.2.6 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India)

कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे 1972 में शामिल किया गया था। 1976 से, एलिम्को विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों के निर्माण, आपूर्ति और वितरण में शामिल है। यह दिव्यांगो के लिए लागत प्रभावी उपकरणों के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। भारतीय कृत्रिम अंग

निर्माण निगम की वेबसाइट के अनुसार, दिव्यांगजनों को 42 लाख सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इसमें आर्थोपेडिक, नेत्रहीन, श्रवण और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लागत प्रभावी और गुणवत्ता सहायक के साथ–साथ एड्स और अन्य उपकरणों की कई श्रेणियां शामिल हैं। एलिम्को का एक अधिदेश गुणवत्ता से समझौता किए बिना उचित कीमत पर आपूर्ति, उपलब्धता, उपयोग को बढ़ावा देना, प्रेरित करना और विकसित करना है।

2.4 केस उदाहरणः नशा मुक्त भारत अभियान

नशीली दवाओं की लत के एक कठिन चुनौती के रूप में उभरने के साथ, विशेष रूप से युवाओं के बीच, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'नशीली दवाओं से मुक्त' भारत के लिए एक दृष्टिकोण लेकर आया है। जैसा कि सामाजिक नीति की विशेषताओं में से एक समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है, *नशा मुक्त भारत अभियान* (NMBA) 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था, ताकि मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे का सामना किया जा सके और दुरूपयोग से पीड़ितों के बीच सकारात्मक प्रभाव लाया जा सके। *अभियान* (आंदोलन) को अच्छी तरह से संरचित प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जिसमें शीर्ष पर मंत्रालय परियोजना निगरानी इकाई के संबंधित राज्य समन्वयकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय विभिन्न हस्तक्षेपों का समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी करता है, जैसे, दवा की रोकथाम, समस्या का आकलन, उपचार और पुनर्वास, अनुवर्ती गतिविधियाँ, सार्वजनिक सूचना प्रसार और जन जागरूकता पैदा करना(एनएमबीए वेबसाइट)।

दूसरा, संबंधित राज्यों के चयनित संवेदनशील जिलों की गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय अभियान समितियों का गठन किया गया है। यह जिला स्तरीय समितियों को समर्थन और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। तीसरा, जिलों में कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला स्तरीय नशा मुक्त अभियान समितियों का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल, पुलिस, फील्ड एजेंसियों जैसे विभागों के हितधारक होते हैं, जिन्हें जिले में अभियान गतिविधियों को लागू करने के लिए बनाया गया है। जिला स्तर पर अभियान समिति के कुछ कार्यों में शामिल हैंः समुदाय में स्वयंसेवकों की पहचान करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर सामुदायिक जागरूकता फैलाना, शैक्षणिक संस्थानों में क्लबों का गठन आदि।

इस प्रकार, केंद्र से लेकर जिला स्तर तक क्षेत्रीय एजेंसियों से लेकर स्थानीय युवा स्वयंसेवकों तक, सभी हितधारकों को *अभियान* को एक सफल गतिविधि बनाने के लिए सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

गतिविधि

नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट देखें और लिंक का उपयोग करके निम्नलिखित प्रतिज्ञा लें: http://nmba.dosje.gov.in/take-a-pledge.php

"हमारे पूर्वजों ने भारत माता के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। अब देश को नशामुक्त बनाकर भारत की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं यह संकल्प लेता/लेती हूं कि मैं इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी और इसके लिए अपना समय समर्पित करूंगा। मैं न तो दवा लूंगा और न ही दूसरों को दवा लेने दूंगा। मैं अपने, अपने परिवार, अपने मोहल्ले और अपने कार्यस्थल से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करूंगा। मेरा मानना है कि दुनिया के जो देश इस खतरे से मुक्त दिखाई देते हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि उनके नागरिक न तो ड्रग्स लेते हैं और न ही ऐसा होने देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को गांवों और कस्बों में प्रचारित करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, उसे लेने के लिए मैं 100 अन्य लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा। जय हिन्द!"

2.5 निष्कर्ष

इस इकाई में, आपने विभिन्न संस्थानों, निगमों आदि के माध्यम से सामाजिक नीतियों को प्रशासित करने के तरीके को समझा है।यह कहा जाता है कि नीति निर्माताओं द्वारा एक सामाजिक नीति की कल्पना अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन सुदृढ़ प्रशासन के अभाव में, यह कार्यान्वयन की विफलता का कारण बन सकता है। साथ ही साथ प्रभावी संगठन और समन्वय के माध्यम से सामाजिक प्रशासक कम सेवा वाले समुदायों की जरूरतों की पहचान करने और कुशल और प्रभावी तरीके से सेवाएं देने में सक्षम हो सकते हैं।

2.6 संदर्भ

Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities. Retrieved from: https://www.ayjnihh.nic.in/

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. Retrieved from: https://www.alimco.in/WriteReadData/UserFiles/file/CitizenCharter%20110419.pdf

Chief Commissioner for PwD. Retrieved from: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/chief-commissioner-for-persons-with-disabilities.php

Dr. B.R. Ambedkar Foundation. Retrieved from: http://ambedkarfoundation. nic.in/rti_act/FAQ.Schemes.pdf

Indian Sign Language Research & Training Centre. Retrieved from: http://www. islrtc.nic.in/history-0

Hanlon, A. (1978). From social work to social administration. In S. Slavin (Ed.), Social administration. New York: Haworth Press.

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA). Retrieved from: http://nmba.dosje.gov.in/about.php

National Commission for Backward Classes. Retrieved from: http://www.ncbc.nic.in/Writereaddata/Annual-Report-15-1663782009430177890 8.pdf

National Handicapped Finance and Development Corporation. Retrieved from: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/national-handicapped-finance-and-development-corporation.php

National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities. Retrieved from: https://www.niepmd.tn.nic.in/roles.php

National Institute for Loco motor Disabilities. Retrieved from: http://www.niohkol.nic.in/Objective.aspx

National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Retrieved from: https://www.niepid.nic.in/abtmain.php

National Institute of Mental Health and Rehabilitation. Retrieved from: https:// nimhr.ac.in/

National Institute of Visually Handicapped. Retrieved from: http://nivh.gov. in/index.php

National Scheduled Caste Finance and Development Corporation. Retrieved from: https://nsfdc.nic.in/en/incorporations

Press Information Bureau. Status of Commission for De-notified and Nomadic Tribes. Retrieved from: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID= 1790939

Rehabilitation Council of India. Retrieved from: https://disabilityaffairs.gov.in/ content/page/rehabilitation-council-of-india.php

Swami Vivekanand National Institute of the Rehabilitation Training and Research. Retrieved from: http://www.svnirtar.nic.in/?q=node/3

The National Trust. Retrieved from: https://www.thenationaltrust.gov.in/ content/innerpage/introduction.php.

इकाई 3 निर्धनता आकलन

संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 परिचय

3.2 गरीबी का आकलन

3.3 भारत में गरीबी का वर्तमान स्तर

3.4 गरीबी का मुकाबलाः आगे का रास्ता

3.5 निष्कर्ष

3.6 संदर्भ

3.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगेः

• भारत में प्रचलित गरीबी आकलन विधियों की चर्चा कर सकेंगे;

•निर्धनता के मौजूदा स्तर को स्पष्ट कर सकेंगे ;

3.1 परिचय

सीमित संसाधनों को देखते हुए, गरीबी उन्मूलन की दिशा में पहला कदम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी के बुनियादी इनपुट के रूप में गरीबी का विश्वसनीय अनुमान लगाना है। सेवा प्रदान करने, समावेशी विकास तथा निर्धनता में कमी करने तथा रणनीतियों की सफलता को मापने के लिए गरीबी का आकलन करना भी ज़रूरी है । गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी को खुशहाली का अभाव कहा जाता है और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा के

निम्न स्तर, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की खराब पहुंच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, मत की कमी, और किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपर्याप्त क्षमता और अवसर शामिल हैं।

गरीबी को मापने का पारंपरिक दृष्टिकोण बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय (या आय) को निर्दिष्ट करना है। इस खर्च को गरीबी रेखा कहते हैं।बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी गरीबी रेखा टोकरी (Poverty Line Basket) है। गरीबी को इस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को संख्या के रूप में मापा जा सकता है (गरीबी की घटनाओं के साथ, शीर्ष गणना अनुपात (Head Count Ratio) के रूप में व्यक्त किया जाता है); या गरीबी अनुपात–कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या, प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है)।

तत्कालीन योजना आयोग द्वारा समय–समय पर गठित विशेषज्ञ समूहों/समितियों द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली के आधार पर, भारत ने 1960 के दशक से गरीबी की घटनाओं का आवधिक आकलन किया है।

भारत में गरीबी(निर्धनता) अनुपात को एक महीने में प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोग व्यय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के उपभोक्ता व्यय डेटा के बड़े नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग वितरण के संदर्भ में निर्धारित एक बहिर्जात रूप से निर्धारित गरीबी रेखा से मापा गया है। गरीबी रेखा से नीचे उपभोग व्यय वाले परिवारों को 'गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)' कहा जाता है और उन्हें गरीब माना जाता है। खपत को गरीबी रेखा टोकरी (पीएलबी) के रूप में ज्ञात वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह के रूप में मापा जाता है।

3.2 गरीबी का आकलन

भारत में, राष्ट्रीय स्तर पर पहली आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा को 1979 में वाई. के. अलघ समिति द्वारा पेश किया गया था और पहली बार आधिकारिक गरीबी की गणना शुरू हुई थी। बाद में, 1993 में, डी. टी. लकड़ावाला समिति ने इन गरीबी रेखाओं को राज्यों तक विस्तारित किया और समय के साथ आधिकारिक गरीबी की गणना की अनुमति दी। 2005 में, सरकार ने यह मानते हुए कि ग्रामीण गरीबी रेखा बहुत कम थी, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की। इस खंड में, हम तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह, उपभोग व्यय सर्वेक्षण, और सामाजिक–आर्थिक आयोग और जाति जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से सभी ने भारत में गरीबी का आकलन करने के तीन अलग–अलग तरीके दिए थे।

इसका आरंभ हम तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति से करते हैं।

तेंदुलकर समिति 2009 ने गरीबी को मापने के तरीके में कई बदलावों का सुझाव दिया। सबसे पहले, इसने गरीबी रेखा को 1979 के बाद से सभी गरीबी अनुमानों में उपयोग किए जाने वाले कैलोरी मानदंडों से हटाकर इसके बजाय पोषण संबंधी परिणामों को लक्षित करने की सिफारिश की।

दूसरा, ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा के लिए दो अलग–अलग पीएलबी(Poverty Line Basket) के बजाय, इसने ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान अखिल भारतीय शहरी पीएलबी की सिफारिश की।

तीसरा, इसने मिश्रित संदर्भ अवधि (एमआरपी) आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की, जैसा कि समान संदर्भ अवधि (यूआरपी) आधारित अनुमानों के विपरीत गरीबी का अनुमान लगाने के लिए पहले के तरीकों में इस्तेमाल किया गया था।

इसने गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी खर्च को शामिल करने की सिफारिश की। इसने भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी उपभोग व्यय की पर्याप्तता की जाँच करके क्रमशः पोषण, शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के अनुरूप मानक व्यय के साथ तुलना करके गरीबी रेखा को मान्य किया।

•उपभोग व्यय सर्वेक्षण का उपयोग

भारत में गरीबी रेखा का अनुमान उपभोग व्यय पर आधारित है न कि स्वरोजगार करने वाले लोगों, दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की आय के स्तर पर, साथ ही साथ ,मौसमी कारकों के कारण आय में बड़े उतार–चढ़ाव, अतिरिक्त आय का आकलन करने में कठिनाइयों के कारण भारत में बड़े पैमाने पर ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में डेटा संग्रह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि परिवार क्रेडिट बाजारों या घरेलू बचत में सक्षम हो सकता हैं और अपनी खपत (उपभोग क्षमता) को कुछ हद तक सुचारू रख सकता हैं, इसलिए उपभोग व्यय एक परिवार के वास्तविक जीवन स्तर को निर्धारित करने के लिए एक बेहतर आधार प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।[1]

इसलिए, अधिकांश गरीबी आकलन समितियों ने प्रस्तावित किया कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय या घरेलू खर्च भारत में गरीबी की गणना के लिए सही सांख्यिकीय विकल्प हो सकता है।

[1]1999–2000 के बाद से, एनएसएसओ ने एक एमआरपी पद्धति पर बदलाव किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच कम आवृत्ति वाली वस्तुओं (कपड़े, जूते, टिकाऊ सामान, शिक्षा व्यय और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय) और पिछले 30 दिनों में अन्य सभी वस्तुओं की खपत को मापता है।

गरीबी की व्यापकता का अनुमान तत्कालीन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर लगाया गया था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पंचवर्षीय आधार पर किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाया गया था। एनएसएसओ नियमित रूप से घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षण करता है, जिसमें परिवारों से पिछले 30 दिनों की उनकी खपत के बारे में पूछा जाता है और सामान्य खपत के प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है। समय के साथ मूल्य परिवर्तनों में अंतर–राज्य और अंतर–क्षेत्रीय अंतरों को समायोजित करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए इसे एक बेहतर डेटा माना गया। इसलिए, परिवारों द्वारा उपभोग व्यय पर एनएसएसओ के नमूना सर्वेक्षणों पर निर्भरता रखी गई, समय के साथ तेजी से मूल्य परिवर्तनों में अंतर–राज्य और अंतर–क्षेत्रीय अंतरों को समायोजित करने का यह एक बेहतर तरीका है।

• डॉ. एन.सी. सक्सेना समिति–सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census-SECC) 2011

बीपीएल जनगणना के संबंध में विभिन्न चिंताओं को दूर करने और चौथे बीपीएल पहचान अभ्यास के समावेश/बहिष्करण त्रुटियों को कम करने के प्रयास में, वैकल्पिक लक्ष्यीकरण पद्धतियों को प्रस्तावित किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक नई पद्धति का प्रस्ताव रखने के लिए डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। समिति ने पिछली बीपीएल जनगणनाओं से एक आमूल–चूल विचलन का प्रस्ताव रखा और परिवारों को 'स्वचालित रूप से बहिष्कृत', 'स्वचालित रूप से सम्मिलित' और 'अन्य' में तीन गुना वर्गीकरण की सिफारिश की।

सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर, 2011 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) शुरू की – ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में घर–घर जाकर घरेलू स्तर पर सामाजिक–आर्थिक डेटा एकत्र किया गया। भारत सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक साथ जनगणना आयोजित की गई थी। देश में ग्रामीण और शहरी परिवारों का यह डोर टू डोर प्रतिवादी आधारित सर्वेक्षण जून 2011 में शुरू हुआ और मार्च 2016 में पूरा हुआ। SECC–2011 ने अपने आधार डेटा के रूप में जनगणना–2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। डेटा को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसने

घरों(कुटंब)–व्यक्तिगत विवरण, आवास, अभाव, रोजगार, आय, संपत्ति/सुविधाओं, और भू–स्वामित्व पर डेटा एकत्र किया। SECC2011 ने घरों को तीन श्रेणियों में स्थान दिया:

• **स्वचालित रूप से बहिष्कृत:** बहिष्करण मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारया 13 संपत्तियों और आय आधारित मानकों में से किसी एक को पूरा करने वाले परिवारों को कल्याण लाभों से स्वचालित रूप से बाहर रखा गया है[2];

• **स्वचालित रूप से सम्मिलित:** समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार या 5 तीव्र सामाजिक अभाव मानकों[3]में से किसी एक को पूरा करने वाले परिवारों को कल्याणकारी लाभों के लिए स्वचालित रूप से शामिल किया जाता है;

•अन्य: अन्य को वंचन(deprivation) के 7 संकेतकों[4] के आधार पर स्थान दिया गया है और उच्चतम वंचन स्कोर वाले परिवारों को पहले बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना सहित अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करते समय लाभार्थी परिवारों की पहचान के लिए एसईसीसी डेटा का उपयोग किया है ।

सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणनाडेटा का उपयोग राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए भी कर रही हैं।

सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मेंसामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणनाडेटा के उपयोग की अनुमति देता है:

•साक्ष्य आधारित विकासात्मक हस्तक्षेप।

---

[2] वाहन मालिक, 50 हजार और उससे अधिक रुपये की क्रेडिट सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड, कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी है, कोई भी सदस्य जो प्रति माह 10 हजार रुपये से अधिक कमा रहा है, आयकर का भुगतान कर रहा है, पेशेवर कर का भुगतान कर रहा है, घर में 'पक्की' (ठोस) दीवारें और छत + तीन या अधिक कमरे का मालिक है, एक रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन का मालिक है, एक सीमा से अधिक सिंचित भूमि का मालिक है।
विभिन्न पहलुओं पर 13 सामाजिक–आर्थिक मानकों के साथ ग्रामीण परिवारों की स्कोर आधारित रैंकिंग जैसे कि जोत का आकार, घर का प्रकार, कपड़ों की उपलब्धता, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का स्वामित्व, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तक पहुंच, शिक्षा प्राप्ति, आदि मौजूद हैं, प्रत्येक पैरामीटर में 0–4 के बीच का स्कोर है।

[3] आश्रय रहित परिवार, निराश्रित/भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला उठाने वाले, कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर और आदिम आदिवासी समूह।

[4] बिना ठोस दीवारों और छत वाले केवल एक कमरे वाले परिवार, 15–59 आयु वर्ग के वयस्क पुरुष वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, अलग–अलग सक्षम सदस्यों वाले परिवार और बिना सक्षम सदस्य वाले परिवार, एससी / एसटी परिवार, बिना साक्षर सदस्य वाले परिवार, 25 वर्ष से अधिक आयु के भूमिहीन परिवार, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा **अनियत मजदूर** श्रम से प्राप्त करते हैं।

• कार्यक्रम विशिष्ट प्राथमिकता सूची विशिष्ट गरीब समर्थक हस्तक्षेपों को लक्षित करने के लिए कल्याण कार्यक्रम के वित्तीय स्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है।

•लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से मान्य हो जाता है, जबकि पहचान आधार के माध्यम से स्थापित की जाती है।

•इससे सही लाभार्थियों का चयन होता है, और दोहराव और धोखाधड़ी कम से कम होती है।

इससे आय या व्यय आधारित गरीबी से परे जाकर बहुआयामी गरीबी से निपटने के सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता में अधिक वृद्धि हुई है।

3.3 भारत में गरीबी का वर्तमान स्तर

ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की 'भारत में गरीबी सांख्यिकी 2021' रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 11.5% की विकास दर से, भारत 2021 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2011–12 में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 21.92% पर जारी किया गया था, जिसका अनुमान तेंदुलकर समिति के दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया गया था। उसके बाद, आधिकारिक तौर पर कोई आकलन जारी नहीं किया गया है। नीति आयोग के संधारणीय विकास लक्ष्य, 2019 की रिपोर्ट में 2011 में अपनाई गई 21.92% की तेंदुलकर गरीबी रेखा को आधिकारिक गरीबी रेखा के रूप में भी उल्लेख किया गया है।

यह जानना दिलचस्प है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक[5] (एमपीआई) रिपोर्ट 2019 भारत की गरीबी रेखा को 21.2%(वर्ष 2011–12 के लिए) दिखाती है, जो विश्व बैंक की 1.90 डॉलर की अत्यधिक गरीबी रेखा पर आधारित है, जो तेंदुलकर समिति आधारित गरीबी रेखा के काफी करीब है। ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट, 2020 बताती है कि भारत 107 देशों में 0.123 के MPI स्कोर के साथ 62वें स्थान पर था।

2020 की शुरुआत में अचानक आए कोरोना वायरस के प्रकोप ने भारत में कई लोगों को गरीबी में धकेल दिया। यह अनुमान है कि 2021 के अंत में 150–199 मिलियन अतिरिक्त लोग गरीबी के शिकार होंगे। साथ ही महामारी के कारण, बड़े पैमाने पर नौकरियों में भी कटौती हुई थी।

[5] एमपीआई गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता है और वास्तव में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़ों को पूरा करता है। यह वैश्विक एमपीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के बड़े लक्ष्यों के साथ व्यापक कार्य योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाता है। इसके तीन समान रूप से भारित आयाम हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन तीन आयामों को 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है जैसे स्कूली शिक्षा में वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता, बैंक खाते आदि।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की नवीनतम रिपोर्ट 2020 के अनुसार, एक वर्ष में लगभग 7 मिलियन नौकरियां चली गईं। खपत व्यय में कमी आई है और विकास पर होने वाला सार्वजनिक खर्च भी सुस्त था। इसलिए आने वाले दिनों में भारत में गरीबी बढ़ने की उम्मीद है। विश्व गरीबी के रियल टाइम क्लॉक[6] के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 7% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही है।

वर्तमान में भारत के गरीबी के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में कुल 1,392,506,368 जनसंख्या में से 97,697,747, यानी 6 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। इनमें से कुल 44,806,455 पुरुष और 52,891,292 महिलाएं हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। साथ ही, 0–19 आयु वर्ग अत्यधिक गरीबी से सबसे अधिक प्रभावित है। इससे युवा कुपोषण और अशिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं।

ग्रामीण कल्याण योजनाओं पर भारत सरकार का खर्च राष्ट्रीय गरीबी को कम करने में बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। 2030 तक, सरकार का लक्ष्य हर जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करना है, वर्तमान में इसका मापन प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों से लगाया जाता है।

3.4 गरीबी का मुकाबलाः आगे का रास्ता

नए दृष्टिकोण

नीचे उल्लिखित दो नए दृष्टिकोण देश में गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

•प्रत्येक गांव में पांच सबसे गरीब परिवारों को लक्षित करना

1. गरीब परिवारों के चयन के लिए एसईसीसी आधारित बीपीएल सूची का उपयोग किया जा सकता है।
2. ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कार्यक्रम का लाभ उन तक पहुंचे।
3. पूर्व–निर्दिष्ट समय के लिए मामूली नकद हस्तांतरण इन लाभों में सबसे ऊपर हो सकता है।
4. यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना कि लक्षित परिवार 5–7 वर्षों के भीतर गरीबी से ऊपर आय अर्जित करने और उसे बनाए रखने में सक्षम हों।
5. इसी तरह के प्रयास शहरी क्षेत्रों में एक नगर पालिका में 100 परिवारों को लक्षित कर के किया जा सकता है।

[6] यह दुनिया के लगभग हर देश के लिए 2030 तक वास्तविक समय अनुमान प्रदान करता है। यह अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के खिलाफ होने वाली प्रगति की निगरानी करता है। यह दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी पर पकड़ बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित एक अवधारणा है। इसे मई 2017 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित बर्लिन में एक सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।

• **नकद हस्तांतरणः जन धन योजना, आधार, मोबाइल (जेएएम) की तिकडी**

सरकार की पहुंच को कमजोर वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैः

1. जन धन योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभों को मौजूदा बोझिल और लीक वितरण को बदलकर अंततः गरीबी विरोधी कार्यक्रमों में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करती है।
2. आधार से जुड़े खाते सूचना के एकत्रीकरण में सहायता देते हैं; प्रत्येक परिवार को मिलने वाले लाभों की कुल मात्रा का आकलन करने के लिए सरकार के पास एक उत्कृष्ट डेटाबेस होगा।
3. यह उन मामलों को छोड़कर अनगिनत योजनाओं को समेकित नकद हस्तांतरण के साथ बदलने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिनमें इन–काइंड ट्रांसफर को जारी रखने के अन्य अनिवार्य कारण हैं।

डॉ. सीमा गौर और डॉ. एन श्रीनिवास राव ने अपने शोधपत्र *'पोवर्टी मेजरमेंट इन इंडियाः अ स्टेट्स अपडेट'* में गरीबी मापन और गरीबी उन्मूलन के दो महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में अग्रिम योजनाओं पर चर्चा की है। भारत में गरीबी पर विमर्श में ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

गरीबी के माप[7] समाज में लोगों की तुलना करते हैं, ताकि मौजूद अस्वीकार्यिता की सीमा का आकलन किया जा सके। हालाँकि, कुछ खामियाँ मौजूद हैं जो मुख्य रूप से दो कारकों से उपजी हैंः डेटा सीमाएँ और मानव जीवन की विविधता का भारत जैसे विशाल देश में मूल्यांकन अधिक किया जा रहा है। इसके अलावा, बुनियादी मानवीय जरूरतों को परिभाषित करने वाली धारणाएं आय, विकास के स्तर, सामाजिक–राजनीतिक विश्वासों और अन्य कारकों के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। यही कारण है कि गरीबी रेखा को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए, इस पर विचार व्यापक रूप से भिन्न हैं। इससे गरीबी रेखा का चुनाव मुश्किल हो जाता है। आय, खपत पैटर्न और कीमतों में बदलाव के आधार पर गरीबी रेखा के पुनर्गणना की आवश्यकता उत्पन्न होती है। भारत में, गरीबी माप ने बार–बार गरीबी रेखा पर विवादास्पद बहसों को जन्म दिया है। इन कमियों के बावजूद, अवधारणात्मक रूप से गरीबी रेखा और संबंधित गरीबी अनुमान सार्वजनिक नीति के विमर्श को एक सहमत संख्या के आसपास केंद्रित करने के साथ–साथ गरीबी से निपटने में प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं।

[7]गरीबी के मौजूदा उपायों में से अधिकांश, जैसे, हेड काउंट रेशियो (HCR), पॉवर्टी गैप इंडेक्स (PGI), स्क्वेर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स (SPGI), सेन का इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी (SPI), फोस्टरग्रेर–थोरबेके इंडेक्स (FGTPI) आदि गरीबी रेखा पर निर्भर है।

समय के साथ, भारत में विकास के साथ प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आज, महत्वाकांक्षी गरीब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल और उपभोग में बेहतरी चाहते हैं, न कि केवल न्यूनतम भोजन और आश्रय। इसलिए, गरीबी अब केवल शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए बुनियादी भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन स्तर–स्वच्छता, आवास, पाइप पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों के बारे में है। गरीबी रेखा का आकलन यदि वर्तमान में किया जाना था तो वह निर्वाह टोकरी पर न्यूनतम व्यय पर आधारित नहीं हो सकता जैसा कि अतीत में किया गया था।

इसके अलावा, वर्तमान कोरोना महामारी ने कुछ "आवश्यक" गंभीरता को रेखांकित किया है – गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जागरूकता, पानी और स्वच्छता सुविधाएं, पर्याप्त पोषण, और रहने की जगहों की आवश्यकता जहां सामाजिक दूरी का अभ्यास किया जा सकता है। विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है और इसी गरीबी रेखा पीपीपी 3.2डॉलर (2011 की कीमतें) होगी, जो लगभग 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन खपत स्तर में तब्दील हो जाती है। समय के साथ, भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश में संक्रमण की नई वास्तविकता को समायोजित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें गरीबी का मतलब भूख के किनारे पर रहना नहीं है, बल्कि बढ़ती अर्थव्यवस्था से आय अवसरों का लाभ उठाने की कमी से है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में अभाव एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। यह वे लोग हो सकते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वच्छता और स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। अभाव के ये चौराहे गरीबी को समझने और सार्वजनिक नीति को इससे निपटने के निर्देश देने में महत्वपूर्ण आयाम जोड़ते हैं। भारत में, गरीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता की मान्यता भी बढ़ रही है। ग्लोबल एमपीआई पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में और अलग–अलग स्तर पर वंचन(वंचित) पर उपयोगी जानकारी प्रदान कर रहा है। नीति आयोग के नेतृत्व में बहु–आयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) विकसित करने की वर्तमान परियोजना से राष्ट्रीय, राज्यों और बहुआयामीता पर ध्यान देने के साथ–साथ निचले स्तर पर भी गरीबी सूचकांक प्रदान करने की उम्मीद की जा सकती है। जबकि गरीबी और आय के बहुआयामी उपाय कभी–कभी अलग और विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं, जिनका पूरक तरीके से उपयोग करने से गरीबी का अधिक संपूर्ण दृ ष्टिकोण और नीतिगत कार्रवाई के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि मिल सकती है।

गरीबी के अध्ययन ने आम तौर पर 'गरीबी की गतिशीलता' के बजाय गरीब होने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है–गरीबी में, आंतरिक औऱ बाह्य गतिशीलता है जिसे प्रक्रिया और कारक निर्धारित करते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से गरीब क्यों हैं? जो गरीब हैं उन्हें गरीबी से बचने में क्या सक्षम

बनाता है? बड़ी संख्या में जो लोग गरीब नहीं हैं वे गरीब क्यों हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए गरीबी की गतिशीलता का अध्ययन करने से गरीबी और कल्याण की एक नई समझ पैदा हो सकती है।

दूसरा पहलू गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। साक्ष्य से पता चलता है कि भारत विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से बहुआयामी गरीबी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। गरीबी के औसत स्तर के साथ–साथ साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संकेतकों ने काफी सुधार दिखाया है। वैश्विक एमपीआई रिपोर्टें बताती हैं कि क्या सफल हुआ है और भविष्य की नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतराल कहां हैं। हालांकि, भारत में गरीबी में कमी और सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार की प्रगति काफी असमानताओं द्वारा चिह्नित की गई है। गरीबी स्थानिक तथा सामाजिक और आर्थिक दोनों समूहों के बीच केंद्रित है, और गरीबी की चपेट में आने वालों में भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं।वैश्विक एमपीआई रिपोर्ट ने राज्यों, जिलों और सामाजिक समूहों में व्यापक असमानताओं को भी उजागर किया है। निरंतर आधार पर, अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने की दोतरफा रणनीति (उच्च रोजगार तीव्रता के साथ) तेजी से बढ़ती है और गरीबी पर हमला करती है और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से असमानताओं को दूर करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना, (पीएमएवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयूजीकेवाई) के माध्यम से परिवारों की गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के माध्यम से क्षेत्रों की गरीबी सही रास्ते पर है।

गरीबी कम करने में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की भूमिका को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। बेहतर बुनियादी ढांचा कृषि में कम उत्पादकता वाले आकस्मिक श्रम से गैर–कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादक आकस्मिक काम में बदलाव को बढ़ावा देता है। यह उच्च मजदूरी की कुंजी भी है और साक्षरता दर और स्कूल में उपस्थिति में सुधार करने में सहायता करता है। इस प्रकार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में उच्च निवेश विशेष रूप से पिछड़े गरीब राज्यों में, गरीबी की कमी के लिए अधिक संभावना रखता है। मिशन अंत्योदय[8]2020 के निष्कर्षों ने ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को

[8] भारत में, 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार 8.88 करोड़ परिवार बहुआयामी अभावों के परिप्रेक्ष्य में वंचित और गरीब परिवार पाए जाते हैं, जैसे कि आश्रयहीन, भूमिहीन, एकल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, एससी / एसटी परिवार या परिवार में विकलांग सदस्य । इन परिवारों को मजदूरी सृजन, कौशल सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, और आजीविका सृजन जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित कई सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ग्रामीण मजदूरी, ग्रामीण सड़कों, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, पर्यावरण, आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के जीवन को प्रभावित करने के लिए पहले से ही वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाते हैं। इस संदर्भ में, 'मिशन अंत्योदय' स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करते हुए मानव और वित्तीय संसाधनों को जोड़कर योजना की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ सरकारी हस्तक्षेपों का विस्तार करना चाहता है। यह ग्रामीण परिवर्तन के लिए सरकारी नेतृत्व वाली पहल है, जो 5,000 ग्रामीण

व्यापक रूप से उजागर किया है और इसका उपयोग उन ग्राम पंचायतों में हस्तक्षेपों के लिए किया जा सकता है जो विशिष्ट अंतराल को संबोधित करते हैं। उत्पादों के लिए बाजार और मूल्य श्रृंखला ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता ला सकती है और गरीबी को और भी तेजी से नीचे ला सकती है। पंचायती राज संस्थान और महिला स्वयं सहायता समूह जैसे सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से भागीदारी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण परिणामों में लाभ कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर भी, बहुआयामी गरीबी को दूर करने में भारत की सफलता महत्वाकांक्षी संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। चूंकि इसमें साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण के उपयोग की व्यापक रूप से वकालत की गई है, जोकि कल्याणकारी कार्यक्रमों के डिजाइन को चलाने के साथ–साथ उनके प्रभाव का पता लगाने तथा सटीक और प्रासंगिक अंतर्दृष्टि से जुड़े डेटा एकत्र करने और उनका उपयोग करने में भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ने कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लक्षित लाभार्थियों के लिए अपनी अपार क्षमता को पहले ही साबित कर दिया है। बहिष्करण और समावेशन त्रुटियों से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द अद्यतन(अपडेट) करने की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा अप्रचलित हो जाता है। भारत के गरीबी उन्मूलन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक गतिशील सामाजिक रजिस्ट्री अत्यधिक उपयोगी होगी। यह नीति निर्माताओं को रुझानों और हस्तक्षेप हॉटस्पॉट की पहचान करके और साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक संसाधन से जुड़े अधिकारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्देशित किया जा सकेगा। एमपीआई द्वारा प्रदान की गई अधिक संपूर्ण तस्वीर गरीबी कम करने के प्रयासों की प्रभावशीलता की निगरानी में मदद करेगी, साथ ही यह समझने में भी सहायता होगी कि बहुआयामी गरीबी के कौन से घटक सुधार कर रहे हैं, और कौन से नहीं।

गतिविधि

युवाओं और अपने समुदाय के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा समूह बनायें और गरीब लोगों के सशक्तिकरण के कुछ उपायों पर चर्चा करें।

समूहों या 50,000 ग्राम पंचायतों में 1,000 दिनों में, 1 करोड़ परिवारों के जीवन में मापन योग्य परिणामों के आधार पर वास्तविक अंतर लाने के लिए है।

3.5 निष्कर्ष

इस इकाई में, हमने भारत में प्रचलित विभिन्न गरीबी आकलन विधियों पर चर्चा की है। गरीबी का मापन समावेशी विकास और गरीबी में कमी के लिए रणनीतियों की सफलता की सीमा के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। इसलिए, जब हम गरीबी कहते हैं, तो यह विश्व बैंक के अनुसार, कल्याण में एक स्पष्ट अभाव को दर्शाता है और इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की खराब पहुंच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज की कमी, और किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपर्याप्त क्षमता और अवसर शामिल हैं।

योजना आयोग द्वारा समय–समय पर गठित विशेषज्ञ समूहों/समितियों द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली के आधार पर, भारत ने 1960 के दशक से गरीबी की घटनाओं का आवधिक आकलन किया है। जहां तक गरीबी के आकलन का संबंध है, तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (2009) ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा को सभी गरीबी अनुमानों में उपयोग किए जाने वाले कैलोरी मानदंडों से हटाकर पोषण संबंधी परिणामों को लक्षित करने की दिशा में स्थानांतरित किया जाए। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा के लिए दो अलग–अलग पीएलबी पर जोर देने के अलावा, इसने ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान अखिल भारतीय शहरी पीएलबी की सिफारिश की। इसने गरीबी के आकलन के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि (एमआरपी) आधारित अनुमानों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया।

दूसरी विधि उपभोग व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग था। ऐसे सर्वेक्षण एक परिवार के वास्तविक जीवन स्तर को निर्धारित करने के लिए एक बेहतर आधार प्रदान करने में सक्षम थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पंचवर्षीय आधार पर किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नियमित रूप से घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षण करता है, जिसमें परिवारों से पिछले 30 दिनों की खपत के बारे में पूछा जाता है और सामान्य खपत को सैंपल के रूप में लिया जाता है। समय के साथ मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को अंतर–राज्य और अंतर–क्षेत्रीय अंतरों के अनुसार समायोजित करके राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाने में इसे बेहतर डेटा माना गया।

बीपीएल जनगणना के संबंध में विभिन्न चिंताओं को दूर करने और समावेश/बहिष्करण त्रुटियों को कम करने के लिए सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 पर समिति का गठन किया गया

था। डॉ. एन. सी. सक्सेना ने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक नई पद्धति का प्रस्ताव रखा। समिति ने पिछली बीपीएल जनगणनाओं से एक आमूल–चूल प्रस्थान का प्रस्ताव रखा और परिवारों को 'स्वचालित रूप से बहिष्कृत', 'स्वचालित रूप से शामिल' और 'अन्य' में तीन गुना वर्गीकरण की सिफारिश की।

इकाई ने भारत में गरीबी के आधिकारिक अनुमान पर भी चर्चा की है। 2011–12 में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 21.92% जारी किया गया था, जिसका अनुमान तेंदुलकर समिति के दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया गया था। नीति आयोग की SDG 2019 रिपोर्ट में 2011 में अपनाई गई 21.92%की तेंदुलकर गरीबी रेखा को आधिकारिक गरीबी रेखा के रूप में भी उल्लेख किया गया है। गरीबी का मुकाबला करने अग्रिम साधन के रूप में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का उल्लेख किया गया है जो पहले से ही कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लक्षित लाभार्थियों के लिए अपनी अपार क्षमता साबित कर रहा है।

3.6 संदर्भ

Gaur, Seema and N. Srinivasa Rao, Sept.No.1/2020,Poverty Measurement in India: AStatus Update, Working Paper, Ministry of Rural Development

Poverty Estimation in India, October 2019, retrieved https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/poverty-estimation-in-india

Poverty in India Statistics 2021, retrieved https://www.theglobalstatistics.com/poverty-in-india-statistics-2021/

Recommendations of N.C. Saxena Committee, Press Information Bureau, December 06-2010, Government of India, Ministry of Rural Development, retrieved from http://pib.gov.inExpenditure Method - National Income Formula,retrieved from https://byjus.com/commerce/expenditure-method

Task Force on Elimination of Poverty in India, Presentation for regional meetings, NITI, Based on the work of the Task Force, NITI prepared a paper on 'Eliminating Poverty : Creating Jobs and Strengthening Social Programs' retrieved https://www.niti.gov.in

इकाई 4 खाद्य सुरक्षा

संरचना

4.0 उद्देश्य

4.1 परिचय

4.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

4.3 मुख्य विशेषताएं

4.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.5 मूल्यांकन

4.6 सुझाव

4.7 निष्कर्ष

4.8 संदर्भ

4.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो जाएंगेः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कर पाएंगे;
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) का मूल्यांकन कर सकेंगे; तथा
- इसकी सीमाओं को दूर करने के उपाय सुझा सकेंगे।

4.1 परिचय

भोजन का अधिकार और इसकी विविधताएं, एक मानवाधिकार है जो लोगों को सम्मानपूर्वक खाने(भोजन) के अधिकार की रक्षा करता है, जिसका अर्थ है कि उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लोगों के पास इसका उपयोग करने का साधन है, और यह व्यक्ति की आहार संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। भोजन का अधिकार सभी मनुष्यों के भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से मुक्त होने के अधिकार की रक्षा करता है। भोजन के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि सरकारों का यह दायित्व है कि वे हर उस व्यक्ति को मुफ्त भोजन दें जो इसे चाहता है, या इसे खिलाने का अधिकार है। हालांकि, अगर लोग अपने नियंत्रण

से परे अन्य कारणों से भोजन तक पहुंच से वंचित हैं, उदाहरण के लिए, क्योंकि वे हिरासत में हैं, युद्ध के समय या प्राकृतिक आपदाओं के बाद, अधिकार के रूप में सरकार को सीधे भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से लिया गया है, जिसमें अप्रैल 2020 तक 170 राज्य(राष्ट्र) पार्टियां हैं। प्रसंविदा(वाचा) पर हस्ताक्षर करने वाले देश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त भोजन के अधिकार की उत्तरोत्तर पूर्ण प्राप्ति के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए सहमत हुए हैं।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना 1965 में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत की खाद्य सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोग भूख और कुपोषण से मुक्त हों।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (छथै। 2013) भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के कानूनी अधिकारों में परिवर्तित हो गया है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं। 2017–18 में 1500 अरब रु. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए (सरकार के कुल व्यय का 7.6%) आवंटित किया गया है।

इस इकाई में, हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के साथ चर्चा शुरू करेंगे।

4.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए 2013) ('खाद्य का अधिकार अधिनियम' भी), जिसका उद्देश्य देश के 1.2 अरब लोगों (वर्तमान में 1.32 अरब) में से लगभग दो तिहाई को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, जो 5 जुलाई 2013 को पूर्वव्यापी था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आशय लोकसभा समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011, बीसवीं रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें कहा गया है, "खाद्य सुरक्षा का अर्थ घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ–साथ व्यक्तिगत स्तर पर सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में भोजन तक पहुंच है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "प्रस्तावित कानून खाद्य सुरक्षा की समस्या को दूर करने में यह एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है जो वर्तमान कल्याण दृष्टिकोण से एक अधिकार आधारित

दृष्टिकोण के लिए है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग दो तिहाई (लगभग 67%) आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार होगी। जिस देश में लगभग 40% बच्चे कुपोषित हैं, वहां इस योजना का महत्व काफी बढ़ जाता है।"

एनएफएसए 2013 भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना(मिड डे मील), एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं। मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रकृति में सार्वभौमिक हैं जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग दो–तिहाई आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) तक खाद्यान की पहुंच के लिए है।

प्रावधानों के तहत, पीडीएस(सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लाभार्थी निम्नलिखित कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज के हकदार हैं:

- चावल ₹3 प्रति किलो
- गेहूं ₹2 प्रति किग्रा
- मोटे अनाज (बाजरा) ₹ 1 प्रति किलो के हिसाब से।

इसके अलावा, एनएफएसए 2013 मातृत्व अधिकारों को मान्यता देता है। इसमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चों की कुछ श्रेणियां दैनिक मुफ्त अनाज के लिए पात्र हैं।

4.3 मुख्य विशेषताएं

एनएफएसए 2013 की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है:

• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कवरेज और पात्रता

79.56% ग्रामीण आबादी और 64.43% शहरी आबादी को टीपीडीएस के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम वस्तुओं की समान पात्रता होगी। हालांकि, चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार सबसे गरीब हैं, और वर्तमान में प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम के हकदार हैं, मौजूदा एएवाई परिवारों की पात्रता प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार पर संरक्षित की जाएगी।

• **राज्यवार कवरेज**

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75% और 50% के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप, राज्य–वार कवरेज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

• **टीपीडीएस के तहत रियायती मूल्य और उनका संशोधन**

टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न रुपये की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3/2/1 प्रति किलो। इसके बाद कीमतों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से उपयुक्त रूप से जोड़ा जाएगा।

• **परिवारों की पहचान**

प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित टीपीडीएस के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान का कार्य संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।

• **महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता**

एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजनाओं के तहत पोषण मानदंडों में निर्धारित 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां और बच्चे भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

• **मातृत्व लाभ**

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी कम से कम 6,000 प्रति माह रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी।

• **महिला सशक्तिकरण**

राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है, घर की मुखिया होगी।

• **शिकायत निवारण तंत्र**

जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, जहां राज्यों के पास मौजूदा मशीनरी का उपयोग करने या अलग तंत्र स्थापित करने का लचीलापन होगा।

• अंतर–राज्यीय परिवहन की लागत और खाद्यान्नों की हैंडलिंग तथा उचित मूल्य की दुकान और डीलरों का मार्जिन

केंद्र सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्न के परिवहन पर उनके द्वारा किए गए खर्च को पूरा करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी, इसकी हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों का मार्जिन, इस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार तय किया जायेगा।

• पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समितियों की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं।

• खाद्य सुरक्षा भत्ता

हकदारों को खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।

• दंड

राज्य खाद्य आयोग द्वारा दी जाने वाली राहत का अनुपालन न करने की स्थिति में लोक सेवक या प्राधिकरण पर जुर्माना लगाने का प्रावधान।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में भारत 113 प्रमुख देशों में से 74वें स्थान पर है। यद्यपि उपलब्ध पोषण मानक आवश्यकता का 100% है, भारत 20% पर गुणवत्ता वाले प्रोटीन के मामले में बहुत पीछे है, जिससे निपटने की आवश्यकता है, लेकिन अंडे, मांस, मछली, चिकन, आदि जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों को सब्सिडी देने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत को अतिरिक्त भूमि और पानी की आवश्यकता के बिना नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए फार्म/कृषि/फसल/घरेलू कचरे से उत्पादित बायोगैस या प्राकृतिक गैस या मीथेन का भी उपयोग किया जा

सकता है। इसके अलावा प्रोटीन से भरपूर मवेशी/मछली/मुर्गी/पालतू पशु चारा को ग्रामीण/उपभोग क्षेत्रों के पास मिथाइलोकोकस कैप्सुलेटस[1] बैक्टीरिया कल्चर की खेती आर्थिक रूप से की जा सकती है।

4.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य लोगों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना है, विशेषकर उन्हें जो बुनियादी पोषण से वंचित हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र–भारत के अनुसार, भारत में लगभग 195 लाख कुपोषित लोग हैं, जो दुनिया के भूख के बोझ का एक चौथाई है। साथ ही, भारत में लगभग 43% बच्चे लंबे समय से कुपोषित हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के मामले में भारत 113 प्रमुख देशों में से 71 वें स्थान पर है। हालांकि उपलब्ध पोषण मानक आवश्यकता का 100% है, भारत 20% पर गुणवत्ता वाले प्रोटीन सेवन के मामले में बहुत पीछे है, प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पाद जैसे सोयाबीन, दाल, मांस, अंडे, डेयरी आदि सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराकर इससे निपटने की आवश्यकता है। ह्यूमन राइट्स मेजरमेंट इनिशिएटिव में पाया गया है कि भारत भोजन के अधिकार के लिए अपनी आय के स्तर पर 56.8% काम कर रहा है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत के गरीबों को रियायती दरों पर खाद्य और गैर–खाद्य वस्तुओं को वितरित करने के लिए की गई थी। वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देश भर के कई राज्यों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के नेटवर्क के माध्यम से मुख्य खाद्यान्न, जैसे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक ईंधन शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम, एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खरीद और रखरखाव का कार्य करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, 30 जुलाई 2021 तक देश में 5.38 लाख उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) चालू थीं।

[1] मिथाइलोकोकस कैप्सूलैटस एक अनिवार्य रूप से मेथनोट्रोफिक ग्राम–निगेटिव, गैर–प्रेरक कोकॉइड जीवाणु है। एम. कैप्सूलैटस थर्मोटोलरेंट हैं; उनकी कोशिकाएँ इनकैप्सुलेटेड होती हैं और इनका आकार द्विगुणित होता है। मीथेन के अलावा, एम. कैप्सूलैटस कुछ कार्बनिक हाइड्रोजन युक्त यौगिकों जैसे मेथनॉल का ऑक्सीकरण करने में सक्षम है। प्राकृतिक गैस से पशु आहार का उत्पादन करने के लिए इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया है।

- "Natures Value Chain" (PDF). *Biiomass Production. Nonfarm. Archived from* the original (PDF) *on 2019-08-02*. Retrieved 2016-12-12 *by the retrievers.*
- *Le Page, Michael (19 November 2016).* "Food made from natural gas will soon feed farm animals – and us". *New Scientist*. Retrieved 11 December 2016.

पीडीएस योजना[2] के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं के लिए पात्र है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलो अनाज का हकदार है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को 35 किलो अनाज दिया जाना चाहिए और गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड धारक को पीडीएस के मानदंडों के अनुसार 15 किलो अनाज दिया जाना चाहिए।

केंद्र राज्य की जिम्मेदारियां

पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं। जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी रखती हैं। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पहचान और आवंटन , राशन कार्ड जारी करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी सहित परिचालन की जिम्मेदारियों के प्रति भी जबावदेह हैं।

उचित मूल्य की दुकान (Fair price shop)

एक सार्वजनिक वितरण की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान (FPS) के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की सार्वजनिक प्रणाली का एक हिस्सा है, जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती है। स्थानीय रूप से इन्हें राशन की दुकानों और सार्वजनिक वितरण की दुकानों के रूप में जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से गेहूं, चावल और चीनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता हैं जिसे 'इश्यू प्राइस' कहा जाता है। यहां अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री होती है। सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। ये दुकानें केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से पूरे देश में संचालित की जाती हैं। इन दुकानों के सामान काफी सस्ते होते हैं लेकिन औसत गुणवत्ता के होते हैं। राशन की दुकानें अब ज्यादातर इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में मौजूद हैं। भारत में 5.38 लाख से अधिक दुकानें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है।

4.5 मूल्यांकन

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके दोषों के बिना नहीं है। लगभग 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कवरेज के साथ,

एक समीक्षा ने निम्नलिखित संरचनात्मक कमियों और गड़बड़ी की खोज की:

[2] यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, और जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल से हुई थी। हरित क्रांति से पहले, 1960 के दशक की शुरुआत में तीव्र भोजन की कमी के मद्देनजर इस राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था। इसमें दो प्रकार, आरपीडीएस और टीपीडीएस शामिल हैं। 1992 में, पीडीएस गरीब परिवारों, विशेष रूप से दूर–दराज, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए आरपीडीएस (पुनर्निर्मित पीडीएस) बन गया। 1997 में त्व्वै ज्व्वै (लक्षित च्वै) बन गया, जिसने रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की गई।

1) कवरेज और सार्वजनिक व्यय में, इसे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क माना जाता है। हालांकि, राशन की दुकानों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला खाद्यान्न गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में पीडीएस की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति प्रति माह केवल 1 किलो है।

2) शहरी पूर्वाग्रह और आबादी के गरीब वर्गों की प्रभावी ढंग से सेवा करने में विफलता के लिए पीडीएस की आलोचना की गई है। लक्षित पीडीएस महंगा है और गरीबों में से कम जरूरतमंद लोगों को निकालने की प्रक्रिया में अधिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है।

3) राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाला खाद्यान्न मिलने के मामले बढ़ रहे हैं।

4) दुष्ट डीलर भारतीय खाद्य निगम (FCI) से प्राप्त अच्छी आपूर्ति को घटिया स्टॉक से बदल देते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले एफसीआई स्टॉक को निजी दुकानदारों को बेचते हैं।

5) उचित मूल्य की दुकान के मालिक खुले बाजार में खाद्यान्न बेचने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाते पाए गए हैं।

6) कई उचित मूल्य की दुकान के डीलर अपने द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेतन के कारण कदाचार, वस्तुओं के अवैध डायवर्सन, होल्डिंग और कालाबाजारी का सहारा लेते हैं।

7) कई कदाचार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को कई गरीबों के लिए पहुंच से बाहर और दुर्गम बना देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी खाद्य असुरक्षा होती है।

8) निर्दिष्ट स्थिति वाले परिवारों की पहचान और प्रदान की गई पीडीएस सेवाओं का वितरण विभिन्न राज्यों में अत्यधिक अनियमित और विविध रहा है। आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ–साथ पीडीएस सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने में सहायता की है।

9) उचित मूल्य की दुकान का क्षेत्रीय आवंटन और कवरेज असंतोषजनक है जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

10) कोई निर्धारित मानदंड नहीं है कि कौन से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे हैं। यह अस्पष्टता पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार और नतीजों के अस्पष्ट होने लिए व्यापक गुंजाइश देती है क्योंकि कुछ लोग जो लाभ के लिए इसमें होते हैं परंतु वे पात्र नहीं होते हैं।

11) कई योजनाओं ने पीडीएस द्वारा सहायता प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरूकता निराशाजनक रही है।

12) एक परिवार को दिया गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी भी रखते हैं।

13) भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड बनाए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण को बढ़ा दिया है।

14) भारत में भोजन की उपलब्धता उतनी विश्वसनीय नहीं है। बढ़ती आबादी के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने की चुनौती बढ़ती जा रही है जो सीमित आकार और आर्थिक विकास वाले देश के लिए कठिन होती जा रही है। चूंकि भारत में भूमि कृषि के लिए एक सिकुड़ता संसाधन है, जबकि, कृषि के लिए उत्पादन दर प्रति यूनिट भूमि और सिंचाई के पानी से अधिक होनी चाहिए। वहीं भारत की 60% से अधिक आबादी अपने दैनिक भोजन के लिए कृषि पर निर्भर है।

हालांकि भारत की पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सकता है परंतु भारत में कई परिवारों और विशेष रूप से बच्चों के पास वित्तीय समस्याओं के कारण भोजन तक पहुंच नहीं है। इसलिए, भारत भर में यह लाखों कुपोषित बच्चों का कारण बनता है।

4.6 सुझाव

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

1) भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जाना चाहिए।

2) विभाग के कार्मिक प्रभारी को स्थानीय स्तर पर चुना जाना चाहिए।

3) ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए।

4) एफसीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए।

5) फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए लगातार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए।

6) नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए।

7) उचित मूल्य के डीलर कभी–कभार ही दुकान के सामने ब्लैक–बोर्ड में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए।

8) कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसलिए चावल और गेहूं के अलावा, दाल और दलहन को भी पीडीएस प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए।

9) अति गरीब को वित्तीय समस्याओं के कारण अलग नहीं किया जाना चाहिए। वित्तीय समावेशन को लागू किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्यिता निर्मित हो न कि उन्हें हटाने के लिए ।

10) आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ–साथ पीडीएस सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने की चुनौती को उठाया है।

गतिविधि

उचित मूल्य की दुकान/राशन की दुकान पर जाएँ और इसके संचालन और कामकाज के बारे में जानें ।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

हाल ही में, नीति आयोग (NITI) ने राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट "एक्सेलेरेटिंग प्रोगेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडियाः व्हाट विल इट टेक" जारी की है। प्रारंभिक रिपोर्ट I और II क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मिशन की तैयारियों और कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से केंद्रित थी।

इसे 2018 में शुरू किया गया, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।

यह 2022 तक 'कुपोशन मुक्त भारत' या कुपोषण मुक्त भारत प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ छप्ज् द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि पांच साल से कम उम्र के एक तिहाई से अधिक बच्चे स्टंटिंग(अल्पवृद्धि) और वेस्टिंग(अपव्यय) से पीड़ित हैं और एक से चार वर्ष के बीच के 40% बच्चे एनीमिक हैं।

साथ ही, 2016 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 के अनुसार, 50% से अधिक गर्भवती और गैर–गर्भवती महिलाओं में एनीमिया(रक्ताल्पता) पाया गया।

रिपोर्ट के बारे में

तीसरी प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2019–अप्रैल 2020) जमीन पर रोल–आउट की स्थिति और बड़े पैमाने पर डेटासेट के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन चुनौतियों का जायजा लेती है। ये डेटासेट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सीएनएनएस) द्वारा तैयार किया गया है। मार्च 2020 में समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था और तब से गरीबी और भूख के स्तर को मजबूत करने का कारक नहीं है, जिसके कोविड–19 के कारण और नीचे जाने की उम्मीद है।

लक्ष्य

मिशन का लक्ष्य हैः

1) स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना। इसके लिए यह मिशन–मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करने पर केंद्रित है।

2) इसके लिए कुल बजट का 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से आता है और शेष 50% केंद्र के बजटीय समर्थन के माध्यम से आता है।

3) केंद्र के बजटीय समर्थन को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए 100% में विभाजित किया गया है।

चिंताओं पर प्रकाश डाला गया

• स्टंटिंग(बौनेपन या अल्पवृद्धि) पर, भारत के लक्ष्य रूढ़िवादी हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा ॅभ।) द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में, जिसमें स्टंटिंग की व्यापकता दर 5%है, जबकि भारत में, स्टंटिंग के स्तर को 2022 तक13.3% तक कम करने का लक्ष्य विपरीत है। .

• गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार के स्तर को 2016 में 50.3% से 2022 में 34.4% और किशोर लड़कियों में 2016 में 52.9% से 2022 में 39.66% तक कम करने का लक्ष्य भी रूढ़िवादी माना जाता है, जबकि WHA के लक्ष्य की तुलना में प्रसार के स्तर को आधा करना शामिल है ।

• महामारी के मद्देनजर, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गरीबी और भूख को मजबूत करने से मिशन के तहत परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

सुझाव

स्टंटिंग पर

- एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) में व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों और पूरक खाद्य दोनों का उपयोग करके पूरक आहार में सुधार करना।
- अन्य सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं (बचपन के दौरान शिक्षा, कम उम्र में शादी और कम गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान और बाद में देखभाल में सुधार) में निवेश की दिशा में काम करना।
- पानी, साफ–सफाई, साबुन से हाथ धोना और अन्य प्रभावी उपायों के साथ बच्चों के मल के स्वच्छ निस्तारण में सुधार करना।

फुप्फुसीय यक्षमा (वेस्टिंग) पर

- गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के उपचार से परे हस्तक्षेपों को शामिल करने और फुप्फुसीय यक्षमा को नियंत्रित करने के लिए, वेस्टिंग में बड़ी गिरावट हासिल करने की क्षमता निर्मित करना ।
- गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा–आधारित उपचार को उन सभी तक पहुंचाने के लिए जिन्हें इन–पेशेंट देखभाल की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर फुप्फुसीय यक्षमा की रोकथाम और एकीकृत प्रबंधन के लिए एक पूरी रणनीति तत्काल जारी करना।

रक्तअल्पता (एनीमिया) पर

- केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने वाले परिदृश्य को बढ़ावा देना, जो प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के स्तर में मामूली सुधार में सहयोग करेगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- चूंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन कुपोषण के खिलाफ भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए भारत को अब कई मोर्चों पर कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। इसके अनुमान आशावादी हैं, और स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिए कोविड –19 व्यवधानों के बाद इसे फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी।
- *पोषण–प्लस* (POSHAN-plus) रणनीति में तेजी से वृद्धि करना आवश्यक है, जो मिशन के चार स्तंभों (प्रौद्योगिकी, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण) को निरंतर मजबूत करने के अलावा अन्य सामाजिक निर्धारकों पर भी नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता को बल प्रदान करता है। इसके अतरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और आईसीडीएस वितरण तंत्र की शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी इसे एकीकृत करने की आवश्यकता है।

4.7 निष्कर्ष

इस इकाई में भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

भारत में भोजन की उपलब्धता उतनी विश्वसनीय नहीं है। राशन की दुकानों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला खाद्यान्न गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीडीएस की शहरी पूर्वाग्रह के कारण आलोचना की गई है साथ ही लक्षित पीडीएस महंगा है और गरीबों को कम जरूरतमंद लोगों से निकालने की प्रक्रिया में बहुत अधिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता का अनाज मिलने के मामले बढ़ रहे हैं। डीलर भारतीय खाद्य निगम (थ्ब्) से प्राप्त अच्छी आपूर्ति को घटिया स्टॉक से बदल देते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले एफसीआई स्टॉक को निजी दुकानदारों को बेचते हैं। खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाने वाले अवैध एफपीएस (उचित मूल्य की दुकान) मालिकों को पाया गया है। यह सब गरीबों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को पहुंच से बाहर और कठिन बना देते है जिसके परिणामस्वरूप उनको खाद्य असुरक्षा होती है। विभिन्न राज्यों में पीडीएस सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थिति और वितरण के लिए परिवारों की पहचान अत्यधिक अनियमित और विविध रही है। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरूकता निराशाजनक रही है। एक परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। बढ़ती आबादी के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने की चुनौती आर्थिक विकास वाले देश के लिए कठिन होती जा

रही है। जबकि, भारत की पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन हो सकता है परंतु भारत में कई परिवारों और विशेष रूप से बच्चों के पास वित्तीय समस्याओं के कारण भोजन तक पहुंच नहीं है। इसलिए, यह भारत भर में लाखों बच्चों के कुपोषित होने का कारण बनता है।

इकाई ने कुछ सुझावात्मक उपाय दिए हैं जो लक्ष्यों की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जा सकता है; विभाग के प्रभारी कर्मियों को स्थानीय रूप से चुना जाना चाहिए; ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए; एफसीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए; फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए लगातार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए; नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए; और उचित मूल्य के डीलर शायद ही कभी दुकान के सामने ब्लैक–बोर्ड में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं, उनपर निगरानी और अमल किया जाना चाहिए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसलिए चावल और गेहूं के अलावा, दाल और अन्य दलहन को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल किया जाना चाहिए। आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ–साथ पीडीएस सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने में सहायता की है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए ।

4.8 संदर्भ

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, retrieved from the original on 5th June 2012a Wikipedia

Ziegler, Jean (2012) What is the Right To Food, retrieved from the website of the former Special Rapporteur, archived from the originals on 5th June 2012 Wikipedia

Special Rapporteur on the Right to Food,(2012a), website of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, Oliver De Schutter, retrieved 24th May 2012 Wikipedia

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) Articles 2(1), 11(1) and 23.

Expenditure Budget, Union Budget 2017-18, Retrieved on 5 January 2018.

National Food Security Act, (NFSA) 2013, https://nfsa.gov.in › portal

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Food_Security_Act,_2013

India: Global Food Security Index, Retrieved 17 January 2018.

Bio-Protein Production, Retrieved 31 January 2018.

Food Made from Natural Gas will soon Feed Farm Animals – and Us, Retrieved 31 January 2018.

New Venture Selects Cargill's Tennessee Site to Produce Calysta Feed Kind® Protein, Retrieved 31 January 2018.

Assessment of Environmental Impact of Feed Kind Protein (PDF), Retrieved 20 June 2017.

Nutrition and Food Security - UN India, UN India, Retrieved 5 January 2018.

India: Global Food Security Index, Retrieved 11 January 2019.

Human Rights Measurement Initiative – The first global initiative to track the human rights performance of countries. humanrightsmeasurement.org., Retrieved 24 February 2022.

India - HRMI Rights Tracker. rightstracker.org, Retrieved 24 February 2022

The National Food Security Bill, 2013 receives the Assent of the President, Published in the Gazette of India as Act No. 20 of 2013, (Press release), Press Information Bureau.

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1740687, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Food Security Act to be implemented From July 5, Bloomberg TV, India.

http://wikipedia.org/wiki/Public_distribution_system.

Planning Commission 11th FYP document: Nutrition and Social Safety Net, on PDS and Defects and shortcomings

Ibid

Press Information Bureau, http://pib.nic.in

Planning Commission 9th FYP on FPS and Malpractices, http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/9th/vol.2

Public Distribution System: Evidence from Secondary Data and the Field, September 2011, http://talkative-shambhu.blogspot.in/2011/09 public_ distribution_ system_ evidence, html.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 शिक्षा

संरचना

5.0 उद्देश्य

5.1 परिचय

5.2 एसडीजी 4 के लक्ष्य

5.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

5.4 भारत की शैक्षिक पहलः कुछ उदाहरण

5.5 निष्कर्ष

5.6 संदर्भ

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम हो जाएंगेः

- एसडीजी 4 के लक्ष्यों की व्याख्या करने में;
- भारत की शिक्षा नीति और एसडीजी 4 के बीच संबंध स्थापित करने में; और
- चुनिंदा उदाहरणों का उपयोग करते हुए एसडीजी 4 को पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति के भारतीय संदर्भ का वर्णन कर सकेंगे।

5.1 परिचय

जब कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्कूल बंद हो गए और पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होने लगी, तो शिक्षकों को न केवल इस बात की चिंता थी कि वे बिना भौतिक कक्षाओं के छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, बल्कि वे इस तथ्य से भी आशंकित थे कि अधिकांश शिक्षार्थियों के पास बुनियादी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं थी। शिक्षण समुदाय और नीति निर्माताओं ने माना कि महामारी न केवल व्यापक है, बल्कि इसने गरीब और अमीर (बढ़ी हुई असमानताओं) के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। एक शोध अध्ययन के अनुसार, बिहार के एक स्कूल शिक्षक ने बताया कि केवल 40 से 50 प्रतिशत छात्रों के पास इंटरनेट और

लैपटॉप की पहुंच है और बाकी के पास डिजिटल डिवाइस/इंटरनेट तक की पहुंच नहीं है (यूनेस्को, 2021)। वास्तव में, अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल उपकरणों और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे तक पहुंच विशेष रूप से गरीब परिवारों के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। डिजिटल विभाजन के अलावा, विस्थापित माता–पिता के बच्चे, बाल श्रम, बालिकाओं के भाई–बहनों की शिक्षा का समर्थन करने की प्राथमिकता आदि को सीखने में बाधा डालने के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

अतीत में, शिक्षा पर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) ने संकेत दिया था कि 2015 तक हर बच्चा चाहे वह किसी भी लिंग का हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा। एमडीजी एजेंडे में बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, उपस्थिति प्रतिशत में वृद्धि, और मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए कार्रवाई का भी आह्वान किया गया । युवा और वृद्ध वयस्कों के लिए, रूचि वाले क्षेत्रों में आजीवन शिक्षा, वयस्क साक्षरता, लैंगिक समानता और सीखने के अवसरों के प्रावधान शामिल थे। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर एमडीजी ने 15 से 24 वर्ष के शिक्षार्थियों की साक्षरता को वर्ष 2000 में 87 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012 में 89 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करने में सक्षम हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2018 में, वैश्विक स्तर पर लगभग 258 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी स्कूल से बाहर थे।

संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) द्वारा प्रचारित नए शिक्षा लक्ष्य ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें कहा गया था कि "सभी लड़कियों और लड़कों को पूरी तरह से मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिलनी चाहिए" (संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग)। हालाँकि, महामारी के कारण स्कूलों के अस्थायी रूप से बंद होने और घर पर देखभाल पर निर्भर बच्चों के साथ ऐसा हुआ , यह कहा गया है कि इस दौरान लगभग 91 प्रतिशत गरीब बच्चे और युवा स्कूल से बाहर हो गये थे, इस प्रकार, इसने प्रगति के वर्षों को रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, महामारी ने बीस साल के शिक्षा लाभ को मिटा दिया है। इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र का इरादा दुनिया भर की सरकारों के साथ शिक्षा को नीति और व्यवहार दोनों के रूपों में प्राथमिकता देने के लिए अपने काम को तेज करना होगा है, ताकि कमजोर और हाशिए के समूहों सहित सभी को स्कूली शिक्षा तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके।

इस इकाई में, हम भारतीय शिक्षा नीति और पहल के संदर्भ में उन लक्ष्यों और अवसरों पर चर्चा करेंगे जो एसडीजी –4 द्वारा निर्धारित किए गए हैं: "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" ।

5.2 एसडीजी 4 के लक्ष्य

वैश्विक स्तर पर, एसडीजी4 के दस संबद्ध 'लक्ष्य' हैं जिन्हें किसी भी देश के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अंतिम तीन लक्ष्य 'कार्यान्वयन के साधनों' पर निर्भर करते हैं।

4.1 2030 तक, सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और उत्तम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लें जिससे उपयुक्त और लक्ष्य 4 के अनुरूप सीखने के प्रभावकारी परिणाम हासिल हो सकें।

4.2 सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों को बचपन के प्रारंभ में उत्तम विकास, देखभाल और प्राइमरी पूर्व शिक्षा सुलभ हो जिससे वे प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

4.3 सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

4.4 2030 तक ऐसे युवाओं और वयस्कों की संख्या में वृद्धि करना जिनके पास रोजगार, अच्छी नौकरी तथा उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक सहित उपयुक्त कौशल हों।

4.5 2030 तक, शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच विषमता पूरी तरह समाप्त करना और विकलांग व्यक्तियों,मूल निवासियों और संकट की परिस्थितियों में घिरे बच्चों सहित लाचार लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिशचित करना।

4.6 सुनिश्चित करना कि सभी युवा और पुरुषों तथा महिलाओं सहित काफी बड़े अनुपात में वयस्क साक्षर हो जाएं और गणना करना सीख लें।

4.7 सुनिश्चित करना कि सीखने वाले सभी लोग सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लें। इसमें अन्य बातों के अलावा सतत विकास और टिकाऊ जीवन शैली, मानव अधिकारों, जैंडर बराबरी, शांति की संस्कृति और अहिंसा को प्रोत्साहन, वैश्विक नागरिकता,सांस्कृतिक विविधता की समझ और सतत विकास में संस्कृति के योगदान के बारे में शिक्षा प्राप्त करना शामिल है।

4.ए 2030 तक, ऐसी शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन करना जो बच्चों, विकलांगता और जैंडर संवेदी हों तथा सबके लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और असरदार सीखने का माहौल प्रदान कर सकें।

4.बी 2020 तक दुनिया भर में विकासशील देशों, खासकर सबसे कम विकसित देशों, छोटे विकासशील द्वीपीय देशों और अफ्रीकी देशों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना जिससे

इन देशों के लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों में विकसित देशों तथा अन्य विकासशील देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. सी 2030 तक, दक्ष शिक्षकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करना। इसके लिए विकासशील देशों, विशेषकर सबसे कम विकसित देशों और छोटे विकासशील द्वीपीय देशों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाना शामिल है।

5.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शिक्षा पर एसडीजी 4 लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करना चाहती है। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नीति संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनः निर्मित करने पर जोर देती है। कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग की प्रत्याशा में, एनईपी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक बहु–विषयक अभिविन्यास का लक्ष्य रखता है। उदाहरण के लिए, समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, संक्रामक रोगों / महामारी आदि का अत्यधिक बहु–विषयक प्रभाव सीखने की आवश्यकता है।नीति बताती है कि बच्चों को कम सामग्री से अधिक सीखने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एनईपी एक शिक्षार्थी में महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, नवाचार आदि जैसे कुछ कौशल विकसित करना चाहता है ताकि वह रोजगार के लिए तैयार हो सके। वास्तव में, एनईपी "सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच" की कल्पना करता है ताकि कोई भी शिक्षार्थी इससे बाहर न हो (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। जब हम शिक्षा को यथासंभव समावेशी बनाते हैं, तो यह हमें एक समावेशी समाज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जहां समाज के सदस्य राष्ट्र की बढ़ती विकास चुनौतियों को स्वंय संगठित करने और उनका समाधान करने में सक्षम होंगे।इसे प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) बहु–विषयक संस्थानों की स्थापना करना चाहती है। उदाहरण के लिए, एनईपी का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस आदि में पेशेवरों को तैयार करना है। वास्तव में, एनईपी अंडर ग्रेजुएट (स्नातक) स्तर पर, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संधारणीय जीवन के क्षेत्र में उपर्युक्त उभरते क्षेत्रों को लागू करना चाहता है। ताकि शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच जैसी पिछली नीतियों के अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का एक मील का पत्थर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्कूल

में नामांकित किया जाना है। इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षा को एक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इस अधिकार से इंकार करना अपराध होगा। हाशिए पर पड़े, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थापना करते हुए, एनईपी समानता, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में शिक्षा को लागू करने का प्रयास करता है।इस मार्ग को मजबूत करने के लिए, एनईपी शिक्षकों को शिक्षा सुधारों के कोर (मूल) के रूप में देखता है जो कि अगली पीढ़ी के नागरिकों का निर्माण करेंगे। वास्तव में, एनईपी सभी स्तरों पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए "सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली" लोगों की भर्ती करने के लिए तैयार है। एनईपी के इस नीति लक्ष्य से हम समझ सकते हैं कि भारत एसडीजी4.सी हासिल करने की राह पर है।

स्कूली शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे, विशेष रूप से, निम्न–आय वाले परिवारों के बच्चे इसमें भाग लें और स्कूली शिक्षा पूरी करें। परिप्रेक्ष्य के लिए, वर्ग(कक्षा) 6 से 8 के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 91 प्रतिशत था, जबकि वर्ग 9 से 10 और 11 से 12 के लिए क्रमशः 79. 3 और 56.5 प्रतिशत था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का कहना है कि भारत में 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें वापस स्कूल लाया जाना है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों सहित सभी के लिए शिक्षा को मुफ्त और सुलभ बनाना है। इस तरह के वंचित बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा जैसी योजना की परिकल्पना की गई है। स्कूलों में पुनः प्रवेश के लिए उन छात्रों पर नज़र रखने के लिए, एनईपी स्कूलों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को समान रूप से जोड़ने का सुझाव देता है।जमीनी स्तर पर, एनईपी अच्छी तरह से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और नागरिक समाज संगठनों के योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिक्षकों, माता–पिता और समुदायों से जुड़ने का सुझाव देता है ताकि ड्रॉप आउट बच्चों को लगातार स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि उनकी सीखने की क्षमता में सुधार हो सके।

- **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning)**

सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) तक पहुंचने के लिए और जो एक भौतिक विद्यालय में भाग लेने में असमर्थ हैं, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम प्रभावी मार्ग हो सकते हैं। वास्तव में, एनईपी स्कूल ओडीएल कार्यक्रमों को मजबूत और विस्तारित करने का सुझाव देता है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

- **व्यावसायिक शिक्षा**

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में कहा गया है कि भारत में पांच प्रतिशत से भी कम युवा कार्यबल (आयु वर्ग 19–24) ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। हालांकि, विकसित देशों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा कार्यबल का प्रतिशत दक्षिण कोरिया (96 प्रतिशत), जर्मनी (75 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमेरिका (52 प्रतिशत) की तुलना में अभूतपूर्व रहा है। उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति में तेजी लाने की सख्त जरूरत है। एसडीजी 4.4 के अनुरूप, एनईपी 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना चाहता है।

- **प्रौढ़ शिक्षा**

वयस्क शिक्षा और साक्षरता में सुधार करने के उद्देश्य से, एनईपी द्वारा पांच समावेशी कार्यक्रमों के साथ वयस्क शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम रूपरेखा का सुझाव दिया गया है, जैसेः

(क) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक अभिक्षमता

(ख) वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल

(ग) व्यावसायिक कौशल

(घ) बुनियादी शिक्षा

(ड़) सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम)

उपर्युक्त चर्चा एसडीजी 4.6 के अनुरूप हैः "सुनिश्चित करना कि सभी युवा और वयस्कों का पर्याप्त अनुपात, दोनों पुरुष और महिलाएं, साक्षरता और संख्यात्मक अभिक्षमता प्राप्त करें"।

एनईपी के बारे में संक्षेप में चर्चा करने के बाद, आगामी खंड चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से भारत द्वारा की गई कुछ पहलों पर गौर करने का प्रयास करता है।

5.4 भारत की शैक्षिक पहलः कुछ उदाहरण

- **समग्र शिक्षा**

प्री–नर्सरी से कक्षा बारह तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से संभालने के उद्देश्य से, केंद्रीय बजट 2018–19 में समग्र शिक्षा 2018 नामक पहल आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने और न्यायसंगत तथा अधिगम परिणामों के मामले में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना है। समान अधिगम परिणामों से तात्पर्य है कि प्रत्येक छात्र लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, समुदाय, विकलांगता आदि के बावजूद अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित प्राप्त करे। उदाहरण के लिए, इसका एक प्रमुख क्षेत्र स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डायरेक्ट–टू–होम चैनल आदि जैसी डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। विशेष रूप से, समग्र शिक्षा ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), और शिक्षक शिक्षा (टीई) जैसी पिछली योजनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है।

यह योजना राज्य, जिला और उप–जिला स्तरों की तुलना में प्रणाली स्तर पर कार्यान्वयन रणनीतियों और संसाधनों को समक्रमिक(सिंक्रनाइज़) करने का प्रयास करती है। दरअसल, यह एसडीजी 4.1 और 4.5 के अनुरूप समावेशी और समान गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर जोर देती है। योजना के प्रमुख उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल आधारित शिक्षा का प्रोत्साहन, स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग करना है। लिंग(जेंडर) अंतर को कम करने के लिए यह योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 6–8 से कक्षा 6–12 के उन्नयन(अपग्रेड) करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) जैसे शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल एजेंसियों को सशक्त और उन्नत करने का प्रयास करता है। इन सबसे ऊपर, इसने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना का पालन करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)**

बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) योजना 2015 में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए शुरू की गई थी। बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण के अलावा, योजना का एक प्रमुख उद्देश्य उसकी शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट लड़कियों को फिर से नामांकित करने के लिए जिला स्तर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए गए हैं। एक संभावना के रूप में इसका एक लक्षित लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को संगठित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों/जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। दरअसल, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की भूमिका स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को सक्रिय करना है ताकि लड़कियों के सार्वभौमिक नामांकन, प्रतिधारण और माध्यमिक शिक्षा को पूरा किया जा सके। बीबीबीपी माध्यमिक विद्यालयों

में ड्राप आउट लड़कियों के पुनः नामांकन और बालिका हितैषी स्कूलों के लिए अभियान भी चलाती है।विभाग माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण में भी शामिल है। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए, बीबीबीपी एक बालिका के मूल्य के बारे में संवेदीकरण अभियान आयोजित करने और उसे शिक्षित करने में सक्षम बनाने के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों, जैसे जिला प्रशासन, स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों, स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय–आधारित संगठनों (सीबीओ), और अन्य नागरिक समाज समूहों के साथ जुड़ना चाहता है।

- **ओपन स्कूल**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (छप्पै) की शुरुआत 1979 में स्कूल स्तर से पूर्व–डिग्री स्तर तक सतत शिक्षा प्रदान करने के मिशन के साथ की गई थी। विशेष रूप से, यह दूरस्थ शिक्षार्थियों को ओपन बेसिक एजुकेशन (ओबीई), माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और जीवन संवर्धन कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है। शिक्षार्थियों की (दिव्यांगो सहित) व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, एनआईओएस दसवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को लगभग 103 कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जैसे, पाक कला, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बागवानी, कृषि, बढ़ईगीरी, गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, योग और कल्याण, सिलाई आदि।

उदाहरण 1: सुश्री सुधा अपने पति की मृत्यु तक एक गृहिणी थीं। आखिरकार, उसे एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दे दी गई। चूंकि उसे अपने दो बच्चों की परवरिश करनी थी, इसलिए सुधा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, एक माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वाली, सुधा के बच्चों ने उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा(NIOS) में शामिल होने के लिए जोर दिया। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और इस योग्यता ने उन्हें आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करने में सक्षम बनाया।

उपरोक्त उदाहरण से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत "शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने" की राह पर है (एसडीजी 4.5)।

उदाहरण 2: उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले मिस्टर चार्ल्स ने मानविकी में एनआईओएस में अपना वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा किया। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, वह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नामांकन कर सकते थे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते थे। अकादमिक और व्यावसायिक कौशल दोनों से लैस, चार्ल्स को एक निजी संगठन के साथ रोजगार की पेशकश की गई ।उन्होंने दृढ़ता से स्वीकारा कि एनआईओएस द्वारा प्रस्तुत किए गए लचीले कार्यक्रमों ने उनको करियर के विकास को सक्षम किया है(एनआईओएस सक्सेज स्टोरीज) ।

उपरोक्त उदाहरणों से, हम अनुमान लगा सकते हैं कि एनआईओएस के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय एसडीजी 4.3 को पूरा करने का इरादा रखता हैः "रोजगार, अच्छी नौकरियों और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित प्रासंगिक कौशल रखने वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में काफी वृद्धि करना" और एसडीजी 4.4: '... सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच...' ।

- **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति**

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति 2006 में शुरू की गई थी ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के माता–पिता को उनके बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करने में सक्षम बनाया जा सके। दरअसल इस योजना का उद्देश्य 'शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण' करना है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत हासिल किया है और जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। योजना के लिए, वर्ष 2017–20 के दौरान, लगभग 3000004 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति पूरे भारत में वितरित की गई हैं (अल्पसंख्यक मामलों की वेबसाइट)।

- **कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से नौकरी की तैयारी**

आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से, 'एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना' 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन्हें सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। उदाहरण के लिए, ग्रुप ए और बी परीक्षाओं, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), बैंक परीक्षाओं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं आदि के लिए कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

- **दिव्यांग व्यक्ति (PwD)**

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अनुसार, यह कहा गया है कि सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त वातावरण में अठारह वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके।

बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान है कि छह से अठारह वर्ष की आयु वर्ग के बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चे पड़ोस के स्कूल या विशेष स्कूल की तुलना में अपने स्कूलों

का विकल्प चुन सकते हैं। दिव्यांग स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उच्च शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, स्कॉलरशिप 'टॉप क्लास एजुकेशन' संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित उत्कृष्टता संस्थानों में इच्छुक डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों को लाभान्वित करती है।टॉप क्लास एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप 2015–16 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, कुल छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत (प्री–मैट्रिक और उच्च श्रेणी की शिक्षा श्रेणी में) विकलांग महिला छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि छात्राओं/महिला छात्रों की संख्या पर्याप्त रूप से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाती है, तो अप्रयुक्त छात्रवृत्तियों को विकलांग पुरुष छात्रों के लिए पुनः आवंटित किया जा सकता है।

उदाहरण 1:

टॉप क्लास एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के तहत विभाग 2 लाख प्रति वर्ष रुपये तक की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करता है।विकलांगता के प्रकार के आधार पर, शिक्षार्थियों द्वारा प्रति माह 2000 रुपये के विशेष भत्ते का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, विकलांग शिक्षार्थी को उसकी सहायता और सहायक उपकरण खरीदने के लिए प्रतिपूर्ति (3000 रुपये तक) की जा सकती है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए सहायक उपकरणों में ब्रेल टाइपराइटर, लैपटॉप और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन एक्सेसिबिलिटी के लिए टॉक सॉफ्टवेयर आदि शामिल हैं।

उदाहरण 2:

भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, विभाग ' दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निः शुल्क कोचिंग' प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, संघ लोक सेवा आयोग की ग्रुप ए/बी परीक्षाओं, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), बैंक भर्ती परीक्षाओं या उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हासिल करने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, कानून, प्रबंधन इत्यादि । इसके अलावा, राज्य / केंद्र सरकारों, उच्च शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत निजी संस्थानों आदि द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग लागू किया गया है। योजना के अन्तर्गत, शुल्क घटक सीधे कोचिंग संस्थान को जारी किया जाता है जहां दिव्यांग छात्र को प्रशिक्षित किया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी 4.5 के लक्ष्यः '... विकलांग व्यक्तियों सहित कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना...' को प्राप्त करने की निष्ठा रखता है।

गतिविधि

विकलांग छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चिंताओं के बारे में कुछ समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लेख पढ़ें। लेख पढ़ने के बाद, अपने परिवार और दोस्तों के साथ उनकी स्थिति पर चर्चा करें।

5.5 निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "शिक्षा असमानताओं को कम करने और लैंगिक(जेंडर) समानता तक पहुँचने में मदद करती है जो कि सहिष्णुता और अधिक शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।" शिक्षा के महत्व को हमारी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के शब्दों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता हैः "शिक्षा एक मुक्ति देने वाली शक्ति है, और हमारे युग में यह एक लोकतांत्रिक शक्ति भी है, जो जाति और वर्ग की बाधाओं को काटकर,जन्म और अन्य परिस्थितियों से जुड़ी असमानताओं को दूर करती है।" उपरोक्त से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई बच्चा शिक्षित है, तो इसका मतलब है कि वह अपने रोजगार, परिवार और जीवन के अन्य विकल्पों आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए एक सशक्त वयस्क बन जाएगा। इस तरह के सशक्तिकरण के अवसरों के अभाव में यह विकल्प बाधित होगा। जिससे सामाजिक आर्थिक गतिशीलता और असमानताओं को कम करना मुश्किल होगा। एसडीजी 4 के अनुरूप, भारत सरकार ने आबादी के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों सहित सभी के लिए शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।

5.6 संदर्भ

Beti Bachao Beti Padhao Scheme. Retrieved from: https://wcd.nic.in/sites/default/files/Guideline.pdf

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Retrieved from: https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/scholarship2(1).pdf

Department of Social Justice and Empowerment. Retrieved from: http://coaching.dosje.gov.in/(S(ire0mxm2ucuxs1ravdoqjctn))/docs/gui2023.pdf

National Education Policy (2020). Retrieved from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

National Institute of Open Schooling. Retrieved from: https://www.nios.ac.in/success-stories.aspx

Right to Education.Education 2030. Retrieved from: https://www.right-to-education.org/issue-page/education-2030

Scheme of 'Pre-Matric Scholarship' For Students Belonging to the Minority Communities for 2017-20. Retrieved from: https://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Pre-matric_5.pdf

Samagra Shiksha. Retrieved from: https://samagra.education.gov.in/features.html

Times of India, 2022. NIOS promotes 103 skill courses to help school drop outs. Retrieved from: https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/nios-promotes-103-skill-courses-to-help-school-dropouts/articleshow/89116782.cms

UN Statistics Division. Retrieved from: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=4#:~:text=Goal%204.,lifelong%20learning%20opportunities%20for%20all

UN Sustainable Development Goals Report, 2021. Retrieved from: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf

UNESCO.(2021). India Case Study. Retrieved from: https://www.unicef.org/rosa/media/16511/file/India%20Case%20Study.pdf

United Nations Statistics Division.SDG Indicators. Retrieved from: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=4

United Nations. Quality Education: Why It Matters? Retrieved from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4_Why-It-Matters-2020.pdf

---

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 स्वास्थ्य

संरचना

6.0 उद्देश्य

6.1 परिचय

6.2 स्वास्थ्य का अधिकार और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

6.3 एसडीजी 3 के लक्ष्य

6.4 भारतीय संदर्भः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

6.4.1 प्रमुख नीति सिद्धांत

6.4.2 नीति उद्देश्यों का चयन

6.5 भारत की स्वास्थ्य पहलः उदाहरण चुनें

6.5.1 मातृ मृत्यु अनुपात

6.5.2 बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज

6.5.3 क्षय रोग (टीबी) मुक्त भारत

6.5.4 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

6.5.5 मलेरिया की रोकथाम

6.6 राष्ट्रीय पोषण मिशन

6.7 निष्कर्ष

6.8 संदर्भ

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम हो जाएंगेः

- एसडीजी और स्वास्थ्य अधिकारों के बीच संबंध स्थापित करने में;
- एसडीजी 3 के लक्ष्यों को स्पष्ट करने में; और
- एसडीजी3 के संदर्भ में भारतीय संदर्भ का वर्णन कर पाएंगे।

6.1 परिचय

स्वस्थ जीवन जीने का अर्थ है जीवन शैली के विकल्प बनाना जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कल्याण का पूरक हो। वास्तव में, किसी के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस रोग से संक्रमित हो। जबकि शारीरिक स्वास्थ्य में अधिक देखभाल और सावधानी का सामना करना शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य नए सामान्य/वास्तविकताओं के अनुकूल होने का प्रयास करता है, जैसे, घर से काम करना, ऑनलाइन कक्षाएं, अस्थायी बेरोजगारी, सामाजिक दूरी आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने महामारी के बीच मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के अपने वैश्विक अभियान में संकेत दिया है कि नई वास्तविकताओं के अलावा लोगों में वायरस के संक्रमण का डर है और वे अपने परिजनों और रिश्तेदारों के बारे में चिंतित रहते हैं जो विशेष रूप से वायरस की चपेट में हैं। चूंकि महामारी से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए सामाजिक नीति निर्माताओं और समुदाय के सदस्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य–3 के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक जन–केंद्रित, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सह–निर्माण में दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहना अनिवार्य हो जाता है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) के माध्यम से उल्लेखनीय मील के पत्थर बनाए जाने के बावजूदः स्वास्थ्य प्रगति सभी क्षेत्रों और देशों में एक समान नहीं रही है। उदाहरण के लिए, एमडीजी 5 का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना था जोकि 1990 की मातृ मृत्यु की संख्या 523,000 को 2013 में 289,000 तक की गिरावट की दर को कम करने में सफल रहा। वास्तव में, विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 45 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 2000 के बाद से अधिकांश मामलों में गिरावट आई है। हालांकि, गरीबी, जेंडर , विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और जातीयता के कारण महत्वपूर्ण अंतराल हुआ है।विशेष रूप से, गरीब और कमजोर आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का न होना और इसे वहन न कर पाना अभी भी जारी है। जबकि एमडीजी ने 2015 में अपनी समय सीमा पूरी कर ली है, इसने सफलता के लिए प्रेरित किया और साथ ही इसने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए एक मंच तैयार किया है। वास्तव में, एसडीजी एक स्थायी और सम्मानजनक जीवन के लिए अधिक अवसरों और आकांक्षाओं को समाहित करता है। हालांकि, इस एजेंडे को हासिल करने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में कई चुनौतियां हैं। चुनौतियों में संचारी और गैर–संचारी रोग, कुशल मानव संसाधन, और किफायती स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय निवेश का लाभ उठाना शामिल है।

इस इकाई में, हम भारतीय स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में एसडीजी–3 के 'अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण' द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और अवसरों पर चर्चा करेंगे।

6.2 स्वास्थ्य का अधिकार और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एक मौलिक मानव अधिकार के साथ–साथ स्वास्थ्य का अधिकार सतत विकास को मापने का एक प्रमुख मानक है, एसडीजी 3 का व्यापक लक्ष्य : 'स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना' है। एसडीजी 3 की प्रबल प्रतिबद्धताओं में से एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), तपेदिक, मलेरिया और ऐसी अन्य बीमारियों को समाप्त करना है। इन लक्ष्यों को वैश्विक संदर्भ में निर्धारित किया गया था जिसमें खराब और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के कारण महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के अधिकारों को खतरा है, विशेष रूप से गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों से। दूसरे शब्दों में, किसी का स्वास्थ्य गरीबी के कारण प्रभावित होता है और सतत विकास के अन्य पहलुओं जैसे पानी और स्वच्छता, जेंडर समानता, जलवायु परिवर्तन और शांति और स्थिरता को प्रभावित करता है। "लगभग सभी अन्य 16 एसडीजी स्वास्थ्य से संबंधित हैं और उनकी उपलब्धि अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान देगी।" (विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट)।

यद्यपि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य(एमडीजी) बाल मृत्यु दर को आधा करने, मातृ–मृत्युदर, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने आदि के मामले में उल्लेखनीय विकास करने में सक्षम थे। फिर भी, सभी मोर्चों पर अधिक प्रगति की आवश्यकता है (सर्वेस, 2017)। वास्तव में, आगामी वर्षों में लाखों बच्चों और वयस्कों के बीच कुपोषण, गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल पर महिलाओं तक पहुंच की कमी, प्रत्येक दिन होने वाले एड्स के मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी आदि महत्वपूर्ण चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा, कोविड–19 से उत्पन्न नई स्वास्थ्य चुनौतियां और जोखिम जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि पर दीर्घकालिक प्रभाव, विकसित और विकासशील दोनों देशों में आजीविका के लिए खतरा हैं। इस संबंध में, एक प्रासंगिक प्रश्न उठता हैः 2030 तक स्वास्थ्य पर एसडीजी वंचित वर्गों के लिए क्या करेगा?

सतत विकास लक्ष्य–3 (SDG) वंचित वर्गों के मानवाधिकारों से जुड़ा है। और एसडीजी–3 को प्राप्त करना अन्य एसडीजी लक्ष्यों के साथ इसके जुड़ाव पर निर्भर करता है। आइए तालिका 1 में एसडीजी 3 और अन्य एसडीजी के बीच अंतर्संबंध देखें।

तालिका 6.1: सतत विकास लक्ष्य और संबंधित स्वास्थ्य अधिकार

सतत विकास लक्ष्य	संबंधित स्वास्थ्य अधिकार
एसडीजी 1 शून्य निर्धनता	जीवन स्तर का अधिकार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

एसडीजी 2 शून्य भूख	पर्याप्त भोजन का अधिकार
एसडीजी 3 उत्तम स्वास्थय और खुशहाली	जीवन का अधिकार विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का अधिकार वैज्ञानिक प्रगति और उसके अनुप्रयोग के लाभों का आनंद लेने का अधिकार
एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता	सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार ग्रामीण महिलाओं के लिए पानी और स्वच्छता की समान पहुंच
एसडीजी 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन	सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार सहित स्वास्थ्य का अधिकार पर्याप्त भोजन का अधिकार और सुरक्षित पेयजल का अधिकार
एसडीजी 13 जलवायु कार्यवाई	सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार सहित स्वास्थ्य का अधिकार पर्याप्त भोजन का अधिकार और सुरक्षित पेयजल का अधिकार
एसडीजी 14 जलीय जीवों की सुरक्षा	सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार सहित स्वास्थ्य का अधिकार पर्याप्त भोजन का अधिकार और सुरक्षित पेयजल का अधिकार
एसडीजी 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा	सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार सहित स्वास्थ्य का अधिकार पर्याप्त भोजन का अधिकार और सुरक्षित पेयजल का अधिकार

स्रोतः उच्चायोग कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

यह समझने के बाद कि स्वास्थ्य का अधिकार वास्तव में एक मौलिक अधिकार है; आगामी भाग में आइए हम सतत विकास लक्ष्य 3 के विभिन्न स्वास्थ्य लक्ष्यों को समझने का प्रयास करें।

6.3 एसडीजी-3 के लक्ष्य

स्वास्थ्य के लिए वैश्विक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि निवारक उपाय स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें, और लिंग, जातीयता, धर्म, आय स्तर आदि के बावजूद सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दें। 13 एसडीजी स्वास्थ्य लक्ष्य इस प्रकार हैं (वैश्विक लक्ष्य वेबसाइट):

लक्ष्य 3.1: 2030 तक दुनिया में मातृ मृत्यु अनुपात घटाकर प्रति एक लाख जीवित शिशु प्रसव पर 70 से भी कम करना।

लक्ष्य 3.2: 2030 तक नवजात शिशुओं और पांच साल कम उम्र में बच्चों में निरोध्य मौतें कम करना। सभी देशों का उद्देश्य नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हज़ार जीवित जन्म पर घटाकर कम से कम 12 करना और पांच साल से कम उम्र में बच्चों में मृत्यु दर प्रति एक हज़ार जीवित जन्म पर घटाकर कम से कम 25 करना है।

लक्ष्य 3.3: 2030 तक एड्स, टीबी, मलेरिया और उपेक्षित कटिबंधीय बीमारियों को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल जन्य रोगों तथा अन्य संचारी रोगों का सामना करना ।

लक्ष्य 3.4: 2030 तक, रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर–संचारी रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण(खुशहाली) को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 3.5: मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ बनाना।

लक्ष्य 3.6: 2020 तक, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना।

लक्ष्य 3.7: 2030 तक, परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना तथा राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 3.8: वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, उत्तम आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना तथा सभी के लिए निरापद, असरदार, उत्तम और किफायती ज़रूरी दवाएं और टीके सुलभ कराना।

लक्ष्य 3.9: 2030 तक, खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और मलिनता से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 3.a: सभी देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के कार्यान्वयन को, जैसा उपयुक्त हो, सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 3.b: संचारी और गैर–संचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना जो मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करते हैं, सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान करना।

लक्ष्य 3.c: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन की व्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और उन्हें इस काम से जोड़े रखने के उपाय करना।

लक्ष्य 3.d: राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की पूर्व चेतावनी, जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना।

अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण(खुशहाली) के साथ–साथ एसडीजी लक्ष्यों को समझने के बाद, हम निम्नलिखित भाग में भारतीय संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे।

6.4 भारतीय संदर्भः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

1983 और 2002 में भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को काफी प्रोत्साहन दिया था। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद,1947 से, सरकारों द्वारा विकसित •प्रयासों ने मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्यु दर को कम कर दिया है। फिर भी, गैर–संचारी और संक्रामक रोगों की दर अधिक बढ़ रही है, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे और कार्यबल पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। पिछली नीतियों 1983 और 2002 के आधार पर, वर्तमान में, हमारे पास 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) है जिसे एसडीजी की तर्ज पर संरेखित किया गया है। नीति में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से सभी उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

6.4.1 प्रमुख नीति सिद्धांत

नीति सिद्धांत सामाजिक नीति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जैसा कि इकाई 1 में चर्चा की गई है। आइए इस पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा करें:

1. व्यावसायिकता, अखंडता और नैतिकता

राष्ट्रीय स्वास्थय नीति(एनएचपी) ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए उच्च पेशेवर मानकों, अखंडता और नैतिकता को बनाए रखने का संकल्प लिया है।

2. निश्पक्षता

इसका तात्पर्य वंचित और हाशिए के समुदायों तक पहुंचने से है। एनएचपी "गरीबों के लिए अधिक निवेश और वित्तीय सुरक्षा" का आश्वासन देता है जो खराब स्वास्थ्य से अत्यधिक प्रभावित हैं (एनएचपी वेबसाइट)।

3. वहनीयता

सेवाओं की उच्च लागत के कारण, सामर्थ्य को झटका लगा है, इसलिए, एनएचपी सामर्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

4. सार्वभौमिकता

नीति सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के बहिष्करण(अपवर्जन) की कड़ी निंदा करती है और इसलिए इसका उद्देश्य वंचित समुदायों सहित सभी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

5. रोगी केंद्रित और देखभाल की गुणवत्ता

नीति का उद्देश्य रोगियों के साथ गरिमापूर्ण और गोपनीयता के साथ व्यवहार करके सभी स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। यह सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मानकों और परिचालन दिशानिर्देशों को विकसित करने का भी प्रयास करता है।

6. जवाबदेही

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति(एनएचपी) का इरादा वित्तीय और प्रदर्शन जवाबदेही को बढ़ावा देना और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्ट प्रथाओं को खत्म करना है।

7. समावेशी भागीदारी

यह नीति बहु–हितधारक दृष्टिकोण और गैर–स्वास्थ्य मंत्रालयों और संस्थाओं की भागीदारी की वकालत करती है। स्थानीय स्तर पर, एनएचपी उच्च शिक्षा संस्थानों, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहता है, न कि लाभ संगठनों के साथ ।

8. विकेंद्रीकरण

यह विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने, स्वास्थ्य योजना प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करती है।

9. गतिशीलता और अनुकूलनशीलता

नीति स्थानीय समुदायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की भागीदारी द्वारा साक्ष्य आधारित शिक्षा के आधार पर गतिशील और अनुकूली बनाए रखने का प्रयास करती है।

आइए,अब आगामी उपखंड में एनएचपी 2017 के कुछ उद्देश्यों पर गौर करें:

6.4.2 नीति उद्देश्यों का चयन

1. प्रजनन, मातृत्व, बच्चे और किशोर स्वास्थ्य देखभाल (सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज) के संदर्भ में स्वास्थ्य और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक मुफ्त पहुंच बनाना। उदाहरण के लिए, 2025 तक, इसका उद्देश्य "सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तरों से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना" है।
2. नीति मौजूदा स्वास्थ्य कार्यबल और बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग पर जोर देती है। इस प्रक्रिया में यह गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ प्रो–बोनो (बिना भुगतान मांगे) आधार पर सहयोग करने का इरादा रखती है। प्रत्येक परिवार (अंडरसर्व्ड समुदाय से) एक स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करेगा और अपनी पसंद के डॉक्टरों तक पहुंच प्राप्त करेगा, जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वयंसेवा करते हैं।
3. 2025 तक, सरकार का इरादा स्वास्थ्य व्यय (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) को 1.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने का है।
4. 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विश्वसनीय, कुशल, रोगी–केंद्रित, वहनीय और प्रभावी बनाकर नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना।

6.5 भारत की स्वास्थ्य पहल: कुछउदाहरण

आइए हम मातृ मृत्यु अनुपात, बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज, क्षय रोग (टीबी) मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत अभियान और मलेरिया की रोकथाम के साथ–साथ भारत की स्वास्थ्य पहलों को आगामी पैराग्राफों में देखें।

6.5.1 मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Rate)

मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य बच्चे के जन्म के समय जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों से है। 2030 तक वैश्विक लक्ष्य का उद्देश्य एमएमआर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 करना है, लेकिन, 2017–19 के दौरान भारत का औसत प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 103 है (सेन गुप्ता, 2022)। वास्तव में एमएमआर

की दर 2016–18 में 113 से बढ़कर 2017–18 में 103 हो गयी है। हालांकि, भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, कुछ भारतीय राज्यों में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 या अधिक मातृ मृत्यु के साथ बहुत अधिक मातृ मृत्यु अनुपात है। भारतीय राज्यों में असम (205), उत्तर प्रदेश (167), मध्य प्रदेश (163), छत्तीसगढ़ (160), राजस्थान (141), ओडिशा (136) और बिहार (130) शामिल हैं। दूसरी ओर, केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), और आंध्र प्रदेश (58) जैसे राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात कम है।

उदाहरण : जननी सुरक्षा योजना (JSY)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना और मातृ और नवजात (नवजात) मृत्यु दर को कम करना है। पूरे भारत में 2005 में लॉन्च होने के बाद, यह गरीब गर्भवती महिलाओं को (विशेष रूप से कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में) संस्थागत प्रसव के प्रावधान प्रदान करता है। इसके अलावा, यह गरीब महिलाओं को नकद सहायता भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण मां जो कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों (जैसे असम, उत्तर प्रदेश आदि) में से एक है, को 1400 रुपये की नकद सहायता मिलती है (एनएचएम वेबसाइट)।

6.5.2 बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज

टीकाकरण से तात्पर्य बच्चे के जीवित रहने और सुरक्षित मातृत्व से है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नौ बीमारियों से लड़ने का इरादा है – डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस और निमोनिया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम डैशबोर्ड ने खुलासा किया कि 2019–2020 के दौरान 9–11 महीने के आयु वर्ग के लगभग 91 प्रतिशत भारतीय बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य और उच्च टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है, जबकि नागालैंड और पुडुचेरी में 54 प्रतिशत के साथ सबसे कम टीकाकरण कवरेज है। उदाहरण के लिए, भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है जो सालाना 2.67 करोड़ नवजात और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है।

उदाहरणः मिशन इंद्रधनुष

भारत सरकार ने 2014 में दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया में, सरकार 201 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान करने में

सक्षम हुई थी, जिनमें आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और अप्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक है। सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 के अन्तर्गत, सरकार का लक्ष्य 272 जिलों में फैली हुई वंचित और आदिवासी आबादी को कवर करना है। यह मिशन एसडीजी लक्ष्य के अनुरूप है जिसका लक्ष्य 2030 तक रोके जा सकने वाली बाल मृत्यु को समाप्त करना है। इस संबंध में, विभिन्न मंत्रालय इस एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं, जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज संस्थान विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम मंत्रालय।

6.5.3 क्षय रोग (टीबी) मुक्त भारत

2016 में, भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया ताकि 2025 तक देश को टीबी मुक्त किया जा सके। वास्तव में, देश का लक्ष्य एसडीजी 3 से पांच साल आगे है। यह पहल शुरू की गई है, क्योंकि भारत में इसका प्रतिशत सबसे अधिक है। वैश्विक स्तर पर टीबी के मरीज ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के अनुसार, टीबी एक चिकित्सा बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित समुदाय वंचित समुदायों से हैं, जो पहले से ही गरीबी, कुपोषण, खराब स्वच्छता, कलंक, आजीविका की हानि, अपर्याप्त जीवन स्तर, खराब स्वास्थ्य देखभाल आदि से जूझ रहे हैं। चूंकि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं, इसलिए महामारी को व्यापक रूप से तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब सरकार गैर–राज्य कर्ताओं के साथ भागीदारी करे। इन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी स्थापित करना सतत विकास लक्ष्य–17 के अंतर्गत आता है।

पहल का मुख्य उद्देश्य उप–राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के साथ साझेदारी करके, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के टीबी हॉटस्पॉट से टीबी को समाप्त करना है। उदाहरण के लिए, जनजातीय आबादी के बीच क्षयरोग की देखभाल और सहायता सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से, जनजातीय क्षेत्रों में इस पहल को चार साल तक यानि 2025 तक के सहयोग के रूप में स्थापित किया गया है। इस साझेदारी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID, तकनीकी भागीदार के रूप में) हैं। यह अपनी तरह की पहली पहल है जो टीबी को दूर करने के लिए शासन, स्वास्थ्य कार्यबल और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है।

6.5.4 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि मादक द्रव्यों के सेवन से आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे चिंता और अवसाद का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने मादक द्रव्यों के

सेवन से निपटने और स्वस्थ जीवन शैली और सहायक आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) शुरू किया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का होना एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है जो अंततः राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में योगदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों, युवा क्लबों और महिला समूहों को शामिल करना है ताकि किशोरों और उन लोगों के लिए मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके जो जोखिम में हैं।इस पहल के अन्तर्गत मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील 272 जिलों को नशीले पदार्थों और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। NMBA की एक टोल फ्री नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 है जो संकट में फंसे लोगों की सेवा करती है। मिथकों और व्यसन के तथ्यों से संबंधित संदेशों को फैलाने के लिए एनएमबीए का अपना ट्विटर हैंडल भी है। उदाहरण के लिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में मिथकों (झूठी धारणा) में से एक है 'दवाएं किसी की सोच को तेज करती हैं और अधिक एकाग्रता की ओर ले जाती हैं'। हालांकि, तथ्य यह है कि 'दवाएं सुस्ती पैदा करती हैं और शरीर और दिमाग के सामान्य कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।' (एनएमबीए ट्विटर पेज)।

वास्तव में, सतत विकास लक्ष्य के स्वास्थ्य लक्ष्यों में से एक मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के सेवन की रोकथाम और उपचार को मजबूत करना है और भारत सरकार ने 2020 में अपना प्रमुख अभियान छडठ। शुरू किया है। आइए इसे एक केस उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं।

केस उदाहरणः

किम मणिपुर के एक गरीब परिवार से हैं। असंबद्ध पालन–पोषण के कारण, किम बहुत कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अजनबियों से शरण लेना शुरू कर दिया जो बाद में मादक द्रव्यों के सेवन जैसी अनुपयोगी आदतों में बदल गया। एक अवधि में उन्होंने खुद को परिवार और दोस्तों से सामाजिक रूप से अलग कर लिया। हालाँकि, उन्हें एक आउटरीच कार्यकर्ता मिला, जिसने उन्हें आउट रीच एंड ड्रॉप इन सेंटर (ODIC) में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ओडीआईसी संयुक्त स्वैच्छिक युवा परिषद, चुराचांदपुर, (मणिपुर) द्वारा चलाया जाता है जो व्यसन मुक्ति के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप प्रदान करता है। हालाँकि, किम शुरू में वापसी के लक्षणों के बारे में आशंकित थे, जैसे–जैसे दिन बीतते गए वह परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से आत्मविश्वास हासिल कर सकते थे। उदाहरण के लिए, केंद्र ने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध फिर से स्थापित करने में सक्षम बनाया। किम अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने के बाद मादक द्रव्यों के सेवन के विकार से उबरने में सक्षम हुए है और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद करते हैं (NMBA, न्यूज़लेटर)।

नशा मुक्त भारत अभियान(छडठ।) और स्थानीय स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच साझेदारी के कारण, भारत सरकार मादक द्रव्यों के सेवन के उपचार को मजबूत करने में सक्षम है, जैसा कि सतत विकास लक्ष्य 3.5 द्वारा लक्षित है।

6.5.5 मलेरिया की रोकथाम

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत ने इस बीमारी पर काबू पाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने 2018 में 27.6 प्रतिशत से 2018 में 17.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। इसके अलावा, क्षेत्र–व्यापी मामलों में 20 मिलियन से 6 मिलियन तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2001 से 2016 के बीच मलेरिया से बीमार होने वालों की संख्या कम थी। मलेरिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है, इसलिए सरकार ने 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (NFME) शुरू की है। इसने चरणबद्ध तरीके से इस बीमारी को रोकने के लिए वर्ष 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

मलेरिया की रिपोर्ट करने वाले अधिकांश राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। चूंकि इनमें से अधिकांश राज्य पहाड़ी, आदिवासी और वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए ये क्षेत्र उच्च मलेरिया संचरण के हॉटस्पॉट बन गए हैं। मलेरिया के लिए डब्ल्यूएचओ की वैश्विक तकनीकी रणनीति के आधार पर, भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मच्छरदानी/जालियों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने, तेजी से नैदानिक परीक्षणों का विस्तार करने और बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र उपचार के लिए तैयारी की है। उदाहरण के लिए, लगभग 900,000 प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता –या आशा जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय को निवारक उपायों (डब्ल्यूएचओ, 2018) के बारे में शिक्षित करने के लिए फैले हुए हैं। 2017 में, एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड से वित्तीय सहायता के साथ, आशा वर्करो ने ओडिशा के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लगभग 11 मिलियन बेड नेट(मच्छरदानी) वितरित किए हैं।इन जनजातीय लोगों के पास न तो नेट(मच्छरदानी) तक पहुंच है और न ही वे इसके लिए खर्च करने में सक्षम हैं और जब आशा कार्यकर्ता ऐसी जनजातीय आबादी के सामने जाती हैं, तो वे उन्हें मलेरिया नियंत्रण की बुनियादी बातों के बारे में शिक्षित करती हैं। निरक्षर आबादी के लिए, आशा अपनी स्थानीय भाषाओं में स्वास्थ्य अलर्ट को जोर से पढ़ती हैं और अंततः समुदाय के साथ बातचीत में संलग्न होती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने स्वास्थ्य संदेश को समझा है। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ता दर्शकों को अपने परिवार और दोस्तों को संदेश फैलाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं।

उपरोक्त चर्चा से, आप समझ गए होंगे कि भारत ने एसडीजी 3.3 के संबंध में एक मुखर रुख अपनाया है जिसमें कहा गया हैः "2030 तक, एड्स, तपेदिक, मलेरिया, और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करें; और हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों, और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करें।"

अब, हम राष्ट्रीय पोषण मिशन पर चर्चा करेंगे।

6.6 राष्ट्रीय पोषण मिशन

हाल ही में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट "ऐक्सेलरैटिंग प्रोगेस ऑन नूट्रिशन इन इंडियाः व्हाट विल इट टेक?" (भारत में पोषण पर प्रगति की गतिः क्या होगा) जारी की है। प्रारंभिक रिपोर्ट I और II क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मिशन की तैयारियों और कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से केंद्रित थे।

इसे 2018 में शुरू किया गया, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थितकार्यक्रम है जिसमें 2022 तक 'कुपोशन मुक्त भारत' या कुपोषण मुक्त भारत प्राप्त करने का लक्ष्य है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि पांच साल से कम उम्र के एक तिहाई से अधिक बच्चे स्टंटिंग(वृद्धि की कमी) और वेस्टिंग (फुप्फुसीय यक्षमा) से पीड़ित हैं और एक से चार के बीच के 40% बच्चे एनीमिक(रक्तअल्पता) हैं।

साथ ही, 2016 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –4 के अनुसार, 50% से अधिक गर्भवती और गैर–गर्भवती महिलाओं को एनीमिक(रक्त की कमी) पाया गया।

रिपोर्ट के बारे में

तीसरी प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2019–अप्रैल 2020) जमीन पर रोल–आउट की स्थिति और बड़े पैमाने पर डेटासेट के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर आने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों का जायजा लेती है। ये डेटासेट एनएफएचएस–4 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सीएनएनएस) हैं। मार्च 2020 में समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था और तबतक गरीबी और भूख के स्तर को गहरा करने का कोई कारक नहीं है, जिसके कोविड–19 के कारण और नीचे जाने की उम्मीद है।

लक्ष्य

मिशन का लक्ष्य हैः

1. स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं, और किशोर लड़कियों में) और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करें। इसके लिए यह मिशन–मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करने पर केंद्रित है।

2. इसके लिए कुल बजट का 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से आता है और शेष 50% केंद्र के बजटीय समर्थन के माध्यम से आता है।

3. केंद्रिकृत बजटीय समर्थन को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए 100% में विभाजित किया गया है।

संबंधित मुख्य कार्यक्रम

1. स्टंटिंग(बौनेपन) पर, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में भारत के लक्ष्य रूढ़िवादी हैं, जहां बौनेपन की व्यापकता दर 5% है, जबकि भारत के बौनेपन के स्तर के लक्ष्य इसके विपरीत है, जिसे वर्ष 2022 तक 13.3% कम करने का लक्ष्य है।
2. गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार के स्तर को 2016 के 50.3% से 2022 तक 34.4% और किशोर लड़कियों में 2016 के 52.9% से 2022 तक 39.66% तक कम करने का लक्ष्य भी रूढ़िवादी माना जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थय सभा (WHA) के लक्ष्य के अनुरूप इसे आधा करने का लक्ष्य तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।
3. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महामारी के मद्देनजर, मिशन के परिभाषित लक्ष्य गरीबी और भूख की कमी को प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

सुझाव

स्टंटिंग पर

- एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) में व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों और पूरक खाद्य दोनों का उपयोग करके पूरक आहार में सुधार करना।
- अन्य सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं (बचपन के दौरान शिक्षा, कम उम्र में शादी और कम गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान और बाद में देखभाल में सुधार) में निवेश की दिशा में काम करना।

- पानी, साफ–सफाई, साबुन से हाथ धोना और अन्य प्रभावी उपायों के साथ बच्चों के मल के स्वच्छ निस्तारण में सुधार करना।

फुप्फुसीय यक्षमा (वेस्टिंग) पर

- गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के उपचार से परे हस्तक्षेपों को शामिल करने और फुप्फुसीय यक्षमा को नियंत्रित करने के लिए, वेस्टिंग में बड़ी गिरावट हासिल करने की क्षमता निर्मित करना ।
- गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा–आधारित उपचार को उन सभी तक पहुंचाने के लिए जिन्हें इन–पेशेंट देखभाल की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर फुप्फुसीय यक्षमा की रोकथाम और एकीकृत प्रबंधन के लिए एक पूरी रणनीति तत्काल जारी करना।

रक्तअल्पता (एनीमिया) पर

- केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने वाले परिदृश्य को बढ़ावा देना, जो प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के स्तर में मामूली सुधार में सहयोग करेगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- चूंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन कुपोषण के खिलाफ भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए भारत को अब कई मोर्चों पर कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। इसके अनुमान आशावादी हैं, और स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिए कोविड –19 व्यवधानों के बाद इसे फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी।
- पोषण–प्लस (POSHAN-plus) रणनीति में तेजी से वृद्धि करना आवश्यक है, जो मिशन के चार स्तंभों (प्रौद्योगिकी, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण) को निरंतर मजबूत करने के अलावा अन्य सामाजिक निर्धारकों पर भी नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता को बल प्रदान करता है। इसके अतरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और आईसीडीएस वितरण तंत्र की शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी इसे एकीकृत करने की आवश्यकता है।

गतिविधि

1. निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं में से किसी एक के बारे में समाचार लेख देखें व पढ़ें: मलेरिया/क्षय रोग/नशीली दवाओं की लत/कोई अन्य संक्रामक रोग।
2. अपने राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन के क्रियान्वयन के बारे में बताएं।

6.7 निष्कर्ष

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के साथ, दोनों कर्ता राज्य और गैर–राज्य (जैसे गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक एजेंसियां) सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक साथ आए हैं। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों(एमडीजी) ने दुनिया भर में उपचार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, यह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्यबल आदि के मामले में देश–विशिष्ट चुनौतियों के कारण व्यापक रूप से स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। इस संबंध में, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने स्वास्थ्य के संदर्भ में अपने वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इस प्रकार, प्रत्येक सरकार अपनी आबादी के अनुरूप नीतियां तैयार करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2017) के अनुसार, समग्र स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) स्थापित करने और एक मिशन के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की आवश्यकता है, जिसमें कोई भी शामिल नहीं है। हालांकि, रोड मैप तैयार कर लिया गया है और अब विभिन्न हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकारों पर है।

जब हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रहे कि हमें पोषण–प्लस रणनीति में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जो मिशन के चार स्तंभों (प्रौद्योगिकी, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण) की निरंतर मजबूत करने की आवश्यकता पर टिकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और आईसीडीएस वितरण तंत्र की शासन चुनौतियों के अलावा, अन्य सामाजिक निर्धारकों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना भी इसकी एक प्रमुख आवश्यकता है।

6.8 संदर्भ

Global goals Website. Good health and well-being. Retrieved from: https://www.globalgoals.org/goals/3-good-health-and-well-being/

Maternal mortality in India: What do the recent figures tell us. Retrieved from: https://www.downtoearth.org.in/news/health/maternal-mortality-in-india-what-do-the-recent-figures-tell-us

81935#:~:text=India's%20maternal%20mortality%20ratio%20(MMR,have%20very%20high%20maternal%20mortality.

Ministry of Health and Family Welfare. Retrieved from: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1677601

Ministry of Health and Family Welfare. Retrieved from: https://www.who.int/docs/default-source/searo/india/health-topic-pdf/national-framework-malaria-elimination-india-2016-2030.pdf?sfvrsn=606b352a_2

Ministry of Health and Family Welfare. Retrieved from: https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national_health_policy_2017.pdf

National Health Mission. Retrieved from: https://www.nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=3&sublinkid=841&lid=309

National Health Mission.Immunisation. Retrieved from: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=824&lid=220

NMBA twitter page. Retrieved from: https://twitter.com/NMBA_MSJE?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

NMBA Newsletter (September, 2021). Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/10TH.pdf

Sarvaes, Jan (Ed.) (2017). Sustainable Development Goals in the Asian Context. Springer Nature: Singapore

SDG Human Rights Table. Retrieved from: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf

Tribal TB Initiative. Retrieved from: https://tbcindia.gov.in/showfile.php?lid=3595

World Health Organisation (WHO) (2017).https://www.who.int/docs/default-source/searo/hsd/hwf/01-monitoring-the-health-related-sdgs-background-paper.pdf?sfvrsn=3417607a_4#:~:text=Health%20is%20well%20placed%20in,one%20must%20be%20left%20behind'.

World Health Organisation Website. Retrieved from: https://www.who.int/health-topics/sustainable-development-goals#tab=tab_1

WHO,2018.https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/in-its-quest-to-eliminate-malaria-india-focuses-on-odisha-and-the-tribal-states

https://www.niti.gov.in/poshan-abhiyaan

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 सांविधानिक ढ़ाँचा

7.3 विकास

7.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मुख्य प्रावधान

7.5 कानून का कार्यान्वयनः एक मूल्यांकन

7.6 सारांश

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

7.8 परिशिष्ट

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- भारत सरकार की बड़े पैमाने पर आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम जिसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की शर्तों में रोजगार को समझ सकेंगे;

- मनरेगा, 2005 (एम एन आर ई जी ए, 2005) के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- सामाजिक लेखा परीक्षा का वर्णन कर सकेंगे;
- जब कानून को लागू किया जाता है, उस समय आने वाली समस्याओं का सामना करने की स्थिति को विस्तार से जान सकेंगे; और
- कुछ उपायों के सुझाव जो कि कानून के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयोगी हो सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (अथवा इसका नया नाम नरेगा, एन आर ई जी ए) अर्थात 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मगनरेगा एम जी एन आर ई जी ए रखा गया है)। यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य 'काम का अधिकार' को गारंटी देना है। यह अधिनियम यू पी ए सरकार के दौरान अगस्त 23, 2005 को पारित किया गया था।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा में वृद्धि करना है, जिसमें कम से कम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जोकि प्रौढ़ सदस्य स्वयंसेवा के माध्यम से अकुशल शारीरिक कार्य करने को सहमत हो और यह सुविधा एक वित्तीय वर्ष में मजदूरी रोजगार के रूप में प्रत्येक परिवार को 120 दिन का काम (अब 100 दिन के

स्थान पर 120 दिन है) उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को उपलब्ध कुल जॉब का तीसरा हिस्सा दिए जाने की गारन्टी दी गई है। इसके अतिरिक्त शायद यह विश्व का सबसे बड़ा और महत्वांकाक्षी सामाजिक सुरक्षा तथा लोक निर्माण कार्य का कार्यक्रम है।

मगनेराग (एम जी एन आर ई जी ए) आरम्भ इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाए जिसमें कम से कम एक परिवार के एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी गई थी तथा परिवार का सदस्य प्रौढ़ और स्वयं सेवक के रूप में अकुशल कार्य करने को सहमत हो। अन्य उद्देश्य एम जी एन आर ई जी ए का यह .... स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाए (जैसे कि रोड या सड़कें, नहरे, तालाब और कुंआ इत्यादि) यह रोजगार प्रार्थी के आवास से 5 कि. मी. की दूरी के अन्दर उपलब्ध किया जाएगा और उनको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना था। यदि प्रार्थी के आवेदन करने के पश्चात उसे 15 दिन के अन्दर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह बेरोज़गार भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा यानि की उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार लोगों को रोजगार देने में असफल रहती है तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अतः एम पी एन आर ई जी ए के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना एक कानूनी हक है।

एम जी एन आर ई जी ए का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा (जी पी एस)। इसमें किसी ठेकेदार की भागीदारी पर प्रतिबंध है।

इसके साथ ही आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण संपत्तियों की भी रचना करना है, उनका निर्माण करना है। मनरेगा एम जी एन आई जी ए अन्य कई चीजों को उन्नत करती है जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करती है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में सहयोग देता है तथा ग्रामीण शहरों में होने वाले प्रवजन को रोकती है तथा सामाजिक समानता को पुष्ट करती है साथ ही अनेक कार्यों में भागीदारी करके ग्रामीणों का जीवन सुगम बनाती है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है जिसके अनुसार इसके प्रबंधन और कार्यान्वयन के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अनेक सुरक्षात्मक उपायों और उनको उन्नत करने के प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। अधिनियम में इसके नियम विनियमों और कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसके साथ ही इसमें अनुमोदित कार्यों की सूची, वित्तीय ढ़ाँचा, निगरानी तथा मूल्यांकन और पारदर्शित एवं उत्तरदायित्वों के उपायों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

7.2 सांविधानिक ढ़ाँचा

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के प्रावधानों का पालन कराना है। कानून द्वारा 'काम का अधिकार' उपलब्ध कराया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुरूप है जिसमें

राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सभी नागरिकों के लिए काम के अधिकार को संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करे। कानून यह भी कहता है कि ग्रामीण कार्यों के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करें जोकि अनुच्छेद 48क में निश्चित किया गया है जो राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्देशित करता हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार की गारंटी दी गई है। इस एम जी एन आर ई जी अधिनियम जीवनयापन सुरक्षा के आश्वासन के माध्यम से ग्रामीण लोगों को प्रतिष्ठा को बनाए रखने की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 प्रतिष्ठापित किया गया है जो मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसरों को उपलब्ध कराता है इसके साथ है यह अनुच्छेद राज्य के बाधित करता है कि ..... भी नागरिक को उसके धर्य, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, रहने का स्थान अथवा इनमें से कोई भी एक के आधार पर रोजगार के मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। एम जी एन आर ई जी ए अनुच्छेद 46 का भी पालन करता है कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को संवृद्ध करे और उनकी आर्थिक हितों एवं उनकी स्थिति को उन्नत करने का प्रयास करे। इसके साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव और शोषण से बचाव एवं उनको समुचित सुरक्षा प्रदान करे।

अनुच्छेद 40 राज्य को आदेश देता है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करें तथा उनको उपर्युक्त दी गई शक्तियों और प्राधिकारिता के प्रदान करने के साथ धन से संपन्न करे ताकि वे अर्ध सरकार की एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम और भागीदारी के लिए समर्थ बन सके। उनको ग्राम पंचायत के कार्यों के कार्यान्वयन में सम्मिलित होने के लिए प्राथमिकता के रूप में जिम्मेदारियों विनियमों के पालन कराने में दृढ़ता को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों के सांविधानिक स्थित व स्तर को प्रदत्त किया गया है जिसे एम जी एन आर ई जी ए के माध्यम से पुनः शक्तिशाली बनाया गया है तथा प्राधिकारिता के साथ कानून के कार्यान्वयन करने या उसको लागू करने के लिए इन ग्रामीण अर्ध सरकारी संस्थानों को धन संपन्न और मजबूत बनाने का राज्य कार्य करें।

7.3 विकास

वर्ष 1960 से भारत के व्यापक ग्रामीण के भीतरी भागों में उपयुक्त रोजगार योजना का पता लगाने में 30 वर्ष का संघर्ष सम्मिलित है। इन दशकों के अनुभवों ने सरकार को महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। इसमें ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए जिसमें वित्तीय प्रबंधन के संकटों के स्पष्ट किया गया है, इसमें परिणामों को प्राप्त करने के लिए योजना पर ग्रामीण रोजगार के लिए क्रेस स्कीम, श्रमिक गहन कार्य के पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्मिक, एकीकृत ग्राम विकास का क्षेत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण आर्थिक विकास की सीमांत किसान एवं कृषि मजदूर योजना, कार्य कार्यक्रम के लिए खाद्य (एफ डब्ल्यू पी)। यह हालिस्टिक विकास के लिए है तथा राज्यों के साथ

बेहतर संयोजन करना, सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई वी) तथा भूमि है। परिवारों पर केंद्रित करते हुए भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इनको बाद में योजना आयोग ने अनुमोदित किया है और ये उपर्युक्त योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है अथवा लागू किया गया है।

अप्रैल, 1989 को रोजगार पैदा करना, संरचना विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा देने की दिशा में अभिमुख होना, सरकार ने एकीकृत (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एस ई जी पी) कार्यक्रम आरंभ किए थे जिनके नए नाम से स्कीम जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) आरम्भ की गई थी। इसमें सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि पी आर आई के माध्यम से स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण किया गया था। इस नई रचना में नौकरशाही की भूमिका को सीमित किया गया है।

अप्रैल, 1999 में जे. आर. वाई. में फिर से सुधार किया गया और समान उद्देश्यों के सहित इसका नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) रखा गया। इसके साथ ही पी आर आई एस की भूमिका को ग्राम स्तर पर स्थानीय अर्ध–सरकारी स्कीम को फिर से मजबूत बनाया गया इसको 'ग्राम पंचायत का नाम देकर' योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए मुख्य प्राधिकारिता का अधिकार प्रदान किया गया था।

सितम्बर 25, 2001 के रोजगार पैदा करना, संरचना विकास, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा देने की दिशा में अभिमुख होना, सरकार ने एकीकृत रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) तथा जे जी एस वाई के जगह नई स्कीम (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (एस जी आर वाई) को आरम्भ किया गया है। पी आर आई एस की भूमिका को ग्रामीण पंचायत के साथ कार्यान्वयन प्राधिकारी के रूप में पहले की तरह से बनाए रखा गया था। यहां तक कि फिर से कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में वर्ष 2006 में सम्मिलित कर लिया गया था।

7.4 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमः मुख्य प्रावधान

राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत को दी जाने वाले आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है और इसमें जॉब कार्ड का मुद्दा सम्मिलित किया गया है। प्रार्थी के आवदेन देने की तारीख से 15 दिन के अन्दर वेतन रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 120 दिन का काम (अब 100 दिन के स्थान पर 120 दिन किया गया है) दिया जाना है और यह उसी एक परिवार के विभिन्न प्रौढ़ सदस्यों में भागीदारी की जा सकती है।

कानून के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची निश्चित की गई है जैसे जल संरक्षण तथा फसल के लिए जल सूखा ग्रस्त प्रूफिंग में उपर्युक्त स्थानों को सम्मिलित किया गया है, सिंचाई कार्यों, परम्परागत जल निकायों का जीर्णोद्वार करना, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण संबद्धता या गांवों को जोड़ना तथा सरकार द्वारा कार्यों को अधिसूचित

सम्मिलित किया गया है। अधिनियम में वेतन सामग्री का अनुपात 60:40 न्यूनतम सीमा में स्थापित किया गया है। प्रत्याचित इंजीनियरों के प्रावधान, कार्यस्थल पर सुविधाएं तथा कार्यस्थल की साप्ताहिक रिपोर्ट करना भी अधिनियम में अनिवार्य सुनिश्चित की गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में न्यूनतम वेतन देने की सीमा निर्धारित की है, जोकि लिंग का भेद नहीं होगा चाहे वह समय दर[1] पर आधारित हो अथवा नग–दर[2] पर आधारित हो, राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्यों का मापन करने के लिए मानकों को विकसित करें और दरों की सूची का निर्माण करें। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना अनिवार्य है यदि कानून के तहत 15 दिन की अवधि के अन्दर कार्य उपलब्ध न कराया गया हो।

कानून में ग्राम पंचायत के साथ अनुबंध है कि वे एम पी एन आर ई जी ए के कार्यों के लिए एक ही बैंक खाता खोलना अनिवार्य है जिसकी संवीक्षा सार्वजनिक रूप से की जाएगी। इसके साथ ही पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित करने में बढ़ोतरी करना, अधिनियम लेखा को प्रतिमास सुव्यवस्थित करने के कार्यों को अनिवार्य करता है[3]। सार्वजनिक सतर्कता के माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सुनिश्चित करता है और

[1] निर्गत की एक इकाई प्रस्तुत करने के लिए आबंटित समय सीमा अथवा एक कामगार या कामगारों का समूह द्वारा किए गए कार्य मात्रा को पूरा करना।

[2] कार्य की मजूदरी करने का एक तरीका, जोकि कार्य की एक विशिष्ट राशि जो पहले से निश्चित की गई है, इसमें जॉब कितने समय में पूरा किया गया है, विशेष महत्व नहीं रखता है, इस में नगों के हिसाब से भुगतान किया जाता है जो पहले से ही निश्चित किया गया है।

[3] यह सुनिश्चित करना कि आपने मजदूरी का भुगतान कर दिया है और मजदूर ने पूरी राशि प्राप्त कर ली है, यह धन राशि आपकी थी अथवा किसी अन्य की।

एम पी एन आर ई जी ए ने सामाजिक ''लेखा परीक्षा'' को मनोनीत किया हुआ है जो कार्यान्वयन करने के समय अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है।

परिणामों के मूल्यांकन के लिए आंकड़ों का प्रबंधन करना, रिकार्डों के सुव्यवस्थित रखना जैसे कि ग्राम, प्रखण्ड, तथा राज्य स्तर पर कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के द्वारा रोजगार, जॉब कार्ड, संपत्तियाँ, मस्टर रोल तथा शिकायतों का रिकार्ड और उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।

विधायिका राज्य की भूमिका के सूचना का अधिकार, तथा सूचना को सक्रीयता बताएं, संसद के लिए केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे और संसद के समक्ष रखे और राज्य रोजगार गारंटी परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करे, प्रत्येक जिले द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है और वहीं पर प्रत्यक्ष लेखा परीक्षा कराना और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य है, नागरिकों के चार्टर को विकसित करना, सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करना तथा शिकायत समाधान व्यवस्था को विकसित करना अनिवार्य है।

अधिनियम जिला, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर ''तकनीकी संसाधन सहयोग समूहों''[4] की स्थापना करने की सिफारिश करता है और सूचना प्रौद्योगिकी के सक्रीयता

[4] पिछले कुछ दशकों से संगठन के संसाधनों के प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यनीति के रूप में व्यापकता से बाह्य साधनों को अपना गया है, उनको स्वीकार किया गया है। भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय निधियन फंड एजेंसियों के प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए तकनीकी संसाधन सहयोग समूह सफलतापूर्वक संभार तंत्र उपलब्ध कराकर के सहयोग प्रदान कर रहा है। इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए समूह कार्यनीतक भागीदार परामर्श संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रमुख सक्षम सहयोग प्रदान कर रहा है।

से प्रयोग करने जैसे कि निगरानी एवं सूचना व्यवस्था (एम आई एस) तथा एम जी एन आर ई जी ए वेबसाइट ताकि तकनीकी सहयोग के माध्यम एम जी एन आर ई जी ए के कार्यान्वयन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

कानून अन्य कार्यक्रमों के साथ एम पी एन आर ई जी ए के अभिमुख होने या करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे कि एम जी एन आर ई जी ए अपेक्षा करता है कि वह अतिरिक्त रोजगार का सृजन करे और अपने आकांक्षाओं को सुनिश्चित कर सके तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार को प्रभावित न करने के लिए भी सतर्कता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन ने 14 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में एम जी एन ई जी ए पर अनुसंधान अध्ययन के संग्रह नामक 'एम जी एन आर ई जी ए समीक्षा[5] पुस्तक को जारी की, इसके पश्चात लगभग एक वर्ष सी ए जी की रिपोर्ट आई थी। अरूणा राय और निखिल डे ने उल्लेख किया है कि ''एम जी एन आर ई जी ए समीक्षा नीति मूल्यांकन और आपूर्ति पर महत्वपूर्ण और नवीनीकरण संग्रह है''। इस संग्रह में एम जी एन आर ई जी एक का स्वतंत्र रूप मूल्यांकन किया गया है जिसका संचालन भारतीय प्रबर्धन संस्थान (आई आई एच), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) और अन्य के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के संयोजन या सहयोग से वर्ष 2008 से 2012 में प्रकाशित हुई। प्रधान मंत्री ने कहाः

[5] एम जी एन आर ई जी ए समीक्षा यह एम जी एन आर ई जी अधिनियम 2005, 2006–2012 पर अनुसंधान अध्ययन का एक संग्रह, ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ओरियन्ट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद।

''महात्वा गांधी नरेगा (ए आर ई जी ए) की असंख्य कहानी है, यह कहानी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करती है ..... यह सम्मिलन पर स्कीम ने उच्च स्कोर प्राप्त किया है ..... हाल ही कि मेरी याद में लोगों के लिंग यह कल्पना शक्ति से बाहर की बात है, जितनी भी अधिक से अधिक हो सकती है, वह एच जी एन आर ई जी एन आर ई जी ए है ..... इसके अन्तर्गत जिसमें 1,10,000 करोड़ रूपये 1,200 करोड़ लोगों को वेतन भुगतान के रूप में खर्च किए जा चुके हैं''।

समाज लेखा परीक्षा

सिविल सोसाइटी संगठन (सी एस ओ एस) गैर सरकारी संगठन, (एन जी ओ) राजनीतिक प्रतिनिधि सिविल सर्वेंह और राजस्थान और आन्ध्रा प्रदेश के कामगारों ने मिलकर सामूहिक रूप से अयोजित किया जिसका मुख्य उद्देश्य एम जी एन आर ई जी ए में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना था। शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने अथवा आश्रय देने का कार्य गोपनीयता कारण होता है, इस गोपनीयता से लड़ने के लिए''जनसुनवाई'' या पब्लिक ह्विरींग' का आयोजन किया जाता है और इसका साधन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था जिसके माध्यम से गोपनीयता को सामने लाया जाता है। आर टी आई के द्वारा सरकारी रिकार्ड को प्राप्त किया जाता है और सार्वजनिक सुनवाई के द्वारा वास्तविकता की पहचान की जाती है तथा अनियामिताओं में सुधार और संशोधन किया जाता है। यह सरकारी रिकार्ड की समीक्षा

और परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और यह निश्चित भी करती है। क्या राज्य द्वारा रिपोर्ट की गई खर्च की धनराशि वास्तव में क्या खर्च भी गई है अथवा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, यह सब सोशल आडिट को दी गई है। इस सूचना के अधिकार में भागीदारी करने से सामूहिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहन मिलता है और अपनी हकदारी और अधिकारी की जानकारी प्राप्त होती है।

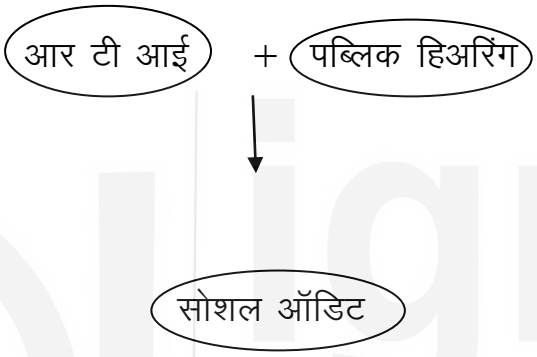

नरेगा (एन आर ई जी ए) के कार्यों पर समाज लेखा परीक्षा की सतत् प्रक्रिया है। इसमें सार्वजनिक सर्तकता और इसके कार्यान्वयन के 11 स्तरों पर अनुबन्धित सप्तापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता हैः जॉब कार्ड कर वितरण, कार्य के आवेदन की रसीद, उपर्युक्त लोक निर्माण का चयन, तकनीकि निर्धारण की तैयारी करना; कार्य आंबटन, कार्यान्वियन और पर्वेक्षण, वेतन का भुगतान करना, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, परिणामों का मूल्यांकन, और ग्राम सभा में समाज लेखा परीक्षा अनिवार्य अथवा समाज लेखा परीक्षा मंच द्वारा लेखा परीक्षा करना सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत सचिव को प्राधिकृत के रूप में मनोनीत किया गया है, यह सभी स्तरों पर कार्यक्रम अधिकारी और कनिष्ठ इंजीनियर को भी सरपंच के साथ लेखा परीक्षा कराने की जिम्मेदारी प्रदत्त की गई है।

कानून के द्वारा 'समाज लेखा परीक्षा मंचों की तरह ही ग्राम सभा को समाज लेखा परीक्षा करने के लिए बैठकें आयोजन करने के लिए नामित किया गया है तथा इनको प्रभावी बनाने के हेतु तीन चरणों में परिणाम निकालना, दस्तावेजों का प्रचार और उनको तैयार करना, संगठनात्मक तथा प्रक्रियात्मक पक्षों, और कार्यान्वयन[6] प्रत्येक 11 स्तरों पर विशिष्ट मानकों के साथ प्रश्नों की जाँच का पालन करना एजेंडे में अनिवार्य रूप से सम्मिलित है।

समाज लेखा परीक्षा में प्रथम चरण प्रासंगिक सरकारी दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए आरटीआई के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना इसके पश्चात समाज लेखा परीक्षा के प्रबंधन कार्मिक या अधिकारी द्वारा इन सरकारी रिकार्डस की जाँच परख करना, इसके लिए उनको क्षेत्र दौरा करके, कार्य निस्पादन करना होता है। इसके बाद अन्त में, दो स्तरों पर 'जन सुनवाई' अथवा पब्लिक हियरिंग करावनी होती है। यह पंचायत या ग्राम स्तर और मण्डल अथवा ब्लॉक स्तर पर होगी। प्रत्यक्ष सार्वजनिक वाद–विवाद में लाभकारी लोग, राजनीतिक प्रतिनिधि सिविल सर्वेंट, तथा उपर्युक्त सभी लोग इस परिचर्चा में शामिल होंगे, नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को प्रकाश में लाना (जैसे कि मस्टर रोल्स उपस्थिति रजिस्ट्ररों के साजों–सामान का व्यवहार) और स्कीमों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना भी उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

[6] परिवारों का पंजीकरण करना, जॉब कार्डस का वितरण, कार्य आवेदन की रसीद, उपर्युक्त लोक निर्माण कायों का चयन, तकनीकी अनुमान की तैयारी, कार्य आवंटन, कार्यान्वयन और पर्वेक्षण वेतन का भुगतान बेरोजगारी मंत्रों का भुगतान, परिणामों का मूल्यांकन और ग्राम सभा या समाज लेखा परीक्षा मंच में समाज लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है।

राजस्थान में नरेगा (एन आर ई पी ए) कार्यों पर इन समान लेखा परीक्षा की गई जिसकी रिपोर्ट में कुछ मुद्दे उठाए गएः स्कीम के लिए महत्वपूर्ण मांग की गई, मस्टर रोल्स के संचालन में दो प्रतिशत से कम भ्रष्टाचार का पता लगा, इसमें झूठे नाम आदि से अनिमितता देखी गई, जल संचय संरचना का निर्माण करना, सूखा ग्रस्त जिलों में जल व्यवस्था को प्राथमिकता दे देना, ... को कम करना, और उपर्युक्त सभी के साथ महिलाओं को रोजगार गारंटी स्कीम में 80 प्रतिशत से अधिक भागीदारी देना। कार्यों ये प्रभावी प्रबंधन की नितांत आवश्यकता स्वीकार की गई, मजदूरी का भुगतान ठीक समय पर करना और कार्य स्थल पर सहायता व सुविधाओं के प्रावधानों को बनाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएँ बताई गई हैं।

आंध्र प्रदेश में एम जी एन आर ई जी ए कार्यों पर व्यापक समाज लेखा परीक्षा का व्यापकता से प्रभावी पूर्ण आंकलन किया गया, विश्व बैंक अध्ययन के द्वारा सार्वजनिक जागरूकता के स्तर पर समाज लेख परीक्षा के प्रभाव पर अनुसंधान किया गया विशेषकर एम जी एन आर ई जी ए के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव, जैसे कि कामगारों की शिकायतों के समाधान की क्रियाविधियों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। अध्ययन की रिपोर्ट से पता चलता है कि एम जी एन आर ई जी ए के बारे में समाज लेखा परीक्षा से पहले तीस प्रतिशत थी और इसके पश्चात यह लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त एम जी एन आर ई जी ए के कार्यान्वयन में औसत वृद्धि 60 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई थी। यह सब समाज लेखा परीक्षा के कारणों संभव हो पाया था।

अब हम, आगे आने वाले भागों में अधिनियम के मूल्यांकन पर खोज करेंगे।

7.5 कानून का कार्यान्वयनः एक मूल्यांकन

अकादमिक अनुसंधान ने एम जी एन आर ई जी ए के बहु आयामी कार्यों पर प्रकाश डाला है जैसे कि आर्थिक सुरक्षा, स्वयं लक्षित, महिलाओं का सशक्तीकरण, संपत्ति पैदा करना या उत्पन्न करना, भ्रष्टाचार और किस प्रकार से यह कृषि मजूदरी वेतन को प्रभावित करती है। उत्तर भारतीय राज्यों में इस पहले किए गए मूल्यांकनों के परिणामों पर दिए गए सुझावों में यह कहा गया है कि एम जी एन आर ई जी ए ''ग्रामीण गरीब लोगों के जीवन परिवर्तन लाता है, बेसक धीर' ही सही किन्तु निश्चित रूप में लाता है''।

एम जी एन आर ई जी ए की अन्य मूल आधारिक उद्देश्य जिसने श्रमिकों के सौदेबाज करने की शक्ति में सुधार किया है जो कि प्रायः बाजार की स्थिति के शोषण का सामना करते थे। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जब से यह स्कीम आरंभ हुई हैं, कृषि मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है विशेषकर महिलाओं में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस अधिनियम के कारण संपूर्ण मजदूरी वेतन के स्तरों में वृद्धि हुई है। हालांकि इसके बाद के अनुसंधान यह बताते है कि इस योजना का प्रमुख लाभ वेतन में जो बार–बार घटा बढ़ोतरी होती थी उसमें विशेष रूप से कमी आई है। यह भी प्रकट होता है कि एम जी एन आर ई जी ए एक प्रभावी बीमा स्कीम हो सकती है। वर्तमान में चल रहे अनुसंधान यह प्रयास करते हैं कि

स्कीम का संपूर्ण कल्याण प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं विशेषकर वे जोर देते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या इस स्कीम ने दिहाड़ी मजदूरी के लिए आने मजदूरों के शहरों के केंद्रों में आव्रजन को कम किया है।

एम जी एन आर ई पी ए का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है यह है कि भुगतान कार्य के अवसरों की उपलब्धता के द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है और इसका क्रियाविधि समान कार्य के लिए समान भुगतान की व्यवस्था निश्चित करता है। सभी रोजगारों में एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है और यह प्रावधान हैं कि महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से वेतन भुगतान किया जाएगा, इसके साथ ही कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं – इस अधिनियम में महिलाओं के लिए तीन महत्वपूर्ण, प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अभी हाल ही में पूरे किए गए अनुसंधान सुझाव देते हैं कि महिलाओं की भागीदारी अभी तक उच्च स्तर की बनी हुई है, यद्यपि अन्तर राज्यों में इसमें कुछ भिन्नताएँ अवश्य देखी गई हैं। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के गांवों में अध्ययन किया गया जिसकी रिपोर्ट बताती है कि थोड़े समय के लिए आव्रजन में प्रभावपूर्ण परिवर्तन हुआ है बाल कल्याण के कार्यों को भी प्रभावित किया है, तथा पता लगा है कि बच्चों का आव्रजन नहीं हुआ है तथा स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा को पूरा करने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए है। अध्ययन की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि एम जी एन आर ई जी ए

की माँग बहुत अधिक है फिर भी यह कह सकते हैं कि शहरों में आव्रजन के मजूदरी दर भी बहुत अधिक है।

पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि एम जी आर ई जी ए की निर्धारित निधि में से आधे से अधिक धन राशि जल से संबंधित परियोजनाओं में खर्च की गई है। यह वास्तव में बहुत ही आवश्यक भी हो गया है क्योंकि जल निकाय विशेषकर ग्रामीण भारत में संकुचित होती चली गई हैं। भारत 5 वर्ष पहले जल की कमी वाला राष्ट्र बन गया है और प्रतिवर्ष तब ही से जल गिरता ही जा रहा है। एम जी एन आर ई जी ए की योजना के अन्तर्गत सन् 2001–2010 के दशकों में प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रूपये ग्रामीण निकायों के विकास जैसे कि कुओं, रेतीले[7] या चट्टानों वाले क्षेत्रों[8] तथा जल संचय करने के क्षेत्र इत्यादि में खर्च किए जा चुके हैं।

अभी तक परिसंपत्तियों के निर्माण या बनाने के संबंध में अधिक विवरणात्मक अध्ययन नहीं हुए हैं। कुछ थोड़े से अध्ययन किए गए हैं जो एम जी एन आर ई जी ए के अन्तर्गत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुझाव प्रस्तुत करते हैं जैसे कि (क) संभात्य ही सारवान है; (ख) कुछ स्थानों में इसको महसूस किया गया, और (ग) स्टॉफ की कमी विशेषकर तकनीकी स्टॉफ, इस संभाव्यता की घटिया अनुभव के लिए सामग्रियों को दोष दिया जाता है। कुछ अन्य लोग संकेत देते है कि एम जी एन आर ई जी ए के माध्यम से जल संचयन तथा मिट्टी संरक्षण

[7] चट्टाने बालू–रेत या कंकड़–बजरी जिसके माध्यम से भू–जल धारा फैलती है या उसका संचालन होता है उस परत के जल के कुओं अत्यधिक निकालने के कारण भू–जल का स्तर गिर गया है।
[8] भूमि का वह क्षेत्र जहां जल धारा व वर्षा का पानी नदियों और झीलों में एकत्रित होता है।

के कार्य को उन्नत किया गया है ''पर्यावरण सुरक्षा और जैविक विविधताओं, और पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे''। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगालूरू और अन्य सहयोगियों के अनुसंधान अध्ययन के द्वारा ज्ञात हुआ कि एम जी एन आर ई जी ए के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ में कहा गया है वर्ष 2030 तक 249 मिटरीक टॉनस कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्त की जा सकती है। भारत इस विषय पर जोर दे रहा है कि एम जी एन आर ई जी ए को कार्बन प्रदाता के रूप में स्थापित करने के संबंध में तृतीय द्विवार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जिस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्रों के ढाँचा के सम्मेलन में प्रस्तुत किया था।

सरकार के कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार बना हुआ है एक चिन्ता का विषय है और एम जी एन आर ई जी ए इन से अलग नहीं है। अभी हाल के अनुमानों के अनुसार एम जी एन आर ई जी ए में वेतन भ्रष्टाचार में 50 प्रतिशत कमी आई है। यह रिपोर्ट 2007–2008 की है, और वर्ष 2009–10 में भ्रष्टाचार 30 प्रतिशत के स्तर पर आकर रूक गया है। इस श्रेय के कारण एम जी एन आर ई जी ए का वेतन भुगतान अब सीधे न होकर कामगार के बैंक खाते, पोस्ट आफिस के खाते में जमा होता है, जो सीधा मजदूर को प्राप्त होता है। इस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ने में जो सफलता प्राप्त हो रही है उसका एक श्रेय सामुदायिक निगरानी के लिए दृढ़ और व्यवस्थित प्रावधानों को भी दिया जा सकता है।

हालांकि भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 2013 पर निष्पादन का कार्य करते है तो अधिनियम के कार्यान्वयन अनेक सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2013 के निष्पादन पर निम्नलिखित व्यापक विवरणात्मक चर्चा की गई है:

लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2013 का निष्पादन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा द्वितीय निस्पादन लेखा परीक्षा अप्रैल, 2007 से मार्च, 2012 में थी इसमें 28 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के 3,848 ग्राम पंचायतों (जी पी एस) को सम्मिलित किया गया। यह एक व्यापक सर्वेक्षण या जिसे सी ए जी द्वारा किए गए निस्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2013 के नाम से जाना जाता है। इसके दस्तावेजों में कहा गया है कि अधिनियम के निस्पादन गलती हुई हैं।

लेखा परीक्षा में पहचान की गई मुख्य समस्याओं में सम्मिलित हैं: कार्यों के पूरा होने की दर बहुत कम रही, (केवल नियोजित कार्यों का 30.3 प्रतिशत ही पूरा किया गया था) घटिया योजना (एक तिहाई पंचायतों में अधिनियम द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया), सार्वजनिक जागरूकता की कमी जिसमें कुछ हिस्सा सूचना के शिक्षा और संचार का निम्न कार्यान्वयन के कारण रहा (आई ई सी), राज्य सरकार द्वारा

कार्य न करना, स्टॉफ की कमी रही (अर्थात ग्राम रोजगार सेवकों[9] की भर्ती कुछ राज्यों में नहीं की गई) तथा इसी तरह की अन्य कमियाँ रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं।

कैग द्वारा कानून के निस्पादन के संबंध में व्यापक आंकलन किया गया है जिसमें प्रकट किया है कि सार्वजनिक जागरूकता, कुप्रबंधन और संस्थागत अक्षमताओं के मुख्य कारणों के कारण गंभीर कमियां और गलतियां रिपोर्ट में सामने आई हैं। यद्यपि एम जी एन आर ई जी ए, प्रचालन मार्गदर्शन के चैपटर 11 में उल्लेखित धारा 17 के अन्तर्गत व्यापक समाज लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है, केवल 7 राज्य ही ऐसे हैं जो निर्धारित मानकों के अनुसार समाज लेखा परीक्षा की संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय परिषद केंद्रीय मूल्यांकन एवं निगरानी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसकी अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह सब एम जी एन आर ई जी ए प्रचालन मार्गदर्शन के अनुसार ही पालन करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के अन्तराल में अभी भी एम जी एन आर ई जी ए के निर्देशों को पूरा किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त लगभग आधी से अधिक ग्राम पंचायतों (जीपीएस) में निर्धारित आधारिक रिकॉर्डों में कैग की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में विसंगतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें एम जी एन आर ई जी ए के परिणामों के गंभीर मूल्यांकन का विरोध किया है। एम आई एस में आंकड़ों और वास्तविक कार्यलियी

[9] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रधान के साथ अनुबंधित एक ग्राम रोजगार सेवक (जी आर एस) प्रत्येक ग्राम पंचायत नियुक्ति करेगी जो संविदा के आधार पर होगी। इसका मुख्य कार्य तकनीकी व्यक्ति की सहायता करना होगा (निर्माण सेवक, टीए इत्यादि), इसका कार्य एम पी एन आर ई जी ए को मजबूत बनाना और इसके अन्य अधिकारियों की सहायता करना होगा।

दस्तावेजों में बीच अन्तर पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन सूचना व्यवस्था (एम आई एस) की अविश्वसनीय को रिपोर्ट में स्पष्ट भय से दिखाया गया हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कैग) द्वारा द्वितीय निस्पादन लेखा परीक्षा वर्ष अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक में की गई इसमें 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 3848 ग्राम पंचायत (जीपीएस) को सम्मिलित किया गया। लेखा परीक्षा में पहचान की गई मुख्य समस्याओं में सम्मिलित हैं। कार्यों को पूरा होने की दर बहुत कम रही (केवल नियोजित कार्यों का 30.3 प्रतिशत ही पूरा किया गया था) घटिया योजना (एक तिहाई पंचायतों में अधिनियम द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया), सार्वजनिक जागरूकता की कमी जिसमें कुछ हिस्सा सूचना के शिक्षा और संचार का निम्न कार्यान्वयन के कारण रहा (आई ई सी), राज्य सरकार द्वारा कार्य न करना, स्टॉफ की कमी रही (अर्थात ग्राम रोजगार सेवकों की भर्ती कुछ राज्यों में नहीं की गई) तथा इसी तरह की अन्य कमियाँ रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। यह ध्यान में रहे कि कार्य की अधिसूचना जारी करने सांविधिक आवश्यकता है किन्तु अभी तक कुछ राज्यों स्कीमों के अधिसूचित नहीं किया गया था जो एक बहुत बड़ी गलती है।

यद्यपि एम जी एन आर ई जी ए, प्रचालन मार्गदर्शन के चैपटर 11 में उल्लेखित धारा 17 के अन्तर्गत व्यापक समाज लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है, केवल 7 राज्य ही ऐसे हैं जो निर्धारित मानकों के अनुसार समाज लेखा परीक्षा की संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय परिषद केंद्रीय मूल्यांकन एवं निगरानी

व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसकी अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह सब एम जी एन आर ई जी ए प्रचालन मार्गदर्शन के अनुसार ही पालन करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के अन्तराल में अभी भी एम जी एन आर ई जी ए के निर्देशों को पूरा किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त लगभग आधे से अधिक ग्राम पंचायतों (जीपीएस) में निर्धारित आधारिक रिकॉर्डों में कैग की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में विसंगतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें एम जी एन आर ई जी ए के परिणामों के गंभीर मूल्यांकन का विरोध किया है। एम आई एस में आंकड़ों और वास्तविक कार्यलियी दस्तावेजों में बीच अन्तर पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन सूचना व्यवस्था (एम आई एस) की अविश्वसनीय को रिपोर्ट में स्पष्ट भय से दिखाया गया हैं।

सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) की तीव्रता से गतिविधियों का संचालित करने की सिफारिश की गई हैं। परिणामों के प्रबंधन के सुधार के लिए ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर रिकॉर्डों के रख रखाव की उपयुक्त व्यवस्था की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय परिषद ने एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी व्यवस्था की भी सिफारिश की गई है, यह स्कीम के व्यापक और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्य करेगी। कैग ने ग्रामीण गरीबों को बेरोजगार भत्ते का भुगतान समय पर करने और नरेगा कार्यों में 60:40 के अनुपात से मजदूरी सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए लेखों का समुचित रख–रखाव मासिक

आधार पर समान फार्मेट के लिए कहा गया है तथा निधियों के भुगतान या निबटान में पारदर्शिता को निश्चित करने के कार्यों में कानून निर्देशों को लागू करने के लिए भी जोर दिया गया है। इसके साथ क्षमता निर्माण के लिए कैग ने सिफारिश की है अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दी जाए तथा खाली पदों को तुरन्त भरने की व्यवस्था की जाए।

पहली बार कैग ने एम जी एन आर ई जी ए के 38,000 से अधिक लाभधारियों को सर्वेक्षण में सम्मिलित किया है।

एम जी एन आर ई जी ए की सब से अधिक आलोचना यह की जाती है कि इस योजना में सरकार काफी धनराशि खर्च करती है किन्तु इसका अधिकतर धन बिचौलियों की जेब में चला जाता है, इसके परिणामस्वरूप एम जी एन आर ई जी ए के कामगारों को निर्धारित राशि से कम का भुगतान होता है अथवा फिर उनकी मजदूरी नहीं मिलती है। महुआडाण्ड, झारखंड में जो लोग एम जी एन आर ई जी ए में काम करते है उनको वेतन नहीं मिलता है, यदि किसी को मिलता है तो वेतन दर से कम मिलता है या फिर निजी ठेकेदारों के द्वारा 5 किलो चावल देकर डाल दिया जाता है।

एम जी एन आर ई जी ए की दूसरी आलोचना यह की जाती है कि कृषि से संबंधित कम है और लाभ कमाने से अधिक है। जमींदार प्रायः एम जी एन आर ई जी ए की निम्न आधार पर आलोचना करते हैं कि बड़े किसान निम्नांकित बिन्दुओं पर इसकी कड़ी आलोचना करते रहते हैं कि ''भूमिहीन मजदूर आलसी हो गए हैं और वे खेतों में

काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे एम जी एन आर ई जी ए स्थल पर बिना कुछ काम किए बिना उनको धन प्राप्त हो जाता है। किसान अपनी भूमि को निगमितों को बेच देते हैं और निगमित वाले लोग उस भूमि पर खेती करने लगते हैं उसको संवृद्ध कर देते हैं[10]।

नरेगा के संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह गरीब की आमदनी में वृद्धि का एक अक्षम साधन है, यह भी धारणा है कि एम जी एन आर ई जी ए 5 रूपये लेता है और मजदूरों को केवल 1 रूपया देता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि असफल सुझाव है जोकि स्कीम जैसे कि एम जी एन आर ई जी ए को बन्द कर देने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि कोई भी स्कीम हो उसमें 85 प्रतिशत लीकेज होता है और यह दावा नहीं किया जा सकता है कि ''इसका कार्य सफलतापूर्व संचालन हुआ है''।

मजदूरों के संबंध में यह विचार प्रस्तुत किया जा सकता हैः मजदूर निजी कृषि श्रम बाजार में एक दिन में 80 रूपये से अधिक की मजदूरी प्राप्त नहीं कर सकता है। उनको कई महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती है। कुछ वृद्ध लोग जोकि बेरोजगार होते इन लोगों के वर्ष में लगभग 8 महीने बेकार रहना पड़ता है और ये लोग खेतों में काम करने के लिए भटकते रहते हैं जहाँ इनको काम मिलने की संभावना होती है। किसान लोग उन्हीं लोगों को काम देते है जो जवान हैं अथवा हष्ट–पुष्ट शरीर से हैं अन्य

[10] निगमित कृषि कार्य अपना निजी हो या बड़ी कंपनी जिसका अत्यधिक प्रभाव हो। इसमें कृषि कार्य व्यापक स्तर किया जाता है। इसमें निगमित कृषि का मालिक होता है तथा कृषि को और कृषि उत्पादों को बेचने का अधिकारी होता है इस तरह से ये कम्पनियां कृषि संबंधी शिक्षा, अनुसंधानों और सार्वजनिक नीतियों को निधि या धन का प्रबंध और संबंधित लोगों को पक्ष में करके प्रभावित करती है।

लोगों को वे बिल्कुल भी काम पर नहीं रखते हैं। इसलिए यह देखा गया है कि अधिकतर समय में सबसे अधिक बेरोजगार यहीं लोग होते हैं।

एम जी एन आर ई जी ए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक है प्रत्येक वर्ष 100 दिन का वेतन रोजगार देने की गारंटी देता है। निष्पादन लेखा परीक्षा 2013 में उल्लेखित है कि इच्छुक लाभार्थी अपने अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त करने में असमर्थ है। ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षित से ज्ञात हुआ है कि कार्यों का पंजीकरण और विलम्ब या जॉब कार्डों को जारी न करना आदि ध्यान में लाए गए थे। यह भी देखा गया है कि जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद भी अपने आप रोजगार प्राप्त नहीं हुआ जब तक लाभार्थी ने इसके लिए माँग ने की गई हो। रिपोर्ट में सम्मिलित की गई ग्राम पंचायतों में 47,687 केस ऐसे सामने आए हैं कि लाभर्थियों को माँग करने के बावजूद रोजगार नहीं दिया गया और न ही उनको बेरोजगारी का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, हालांकि रोजगार मिल गया किन्तु 23 राज्यों में गैर–भुगतान और मजदूरी का विलम्ब से भुगतान करने के व्यापक उदाहरण रिपोर्ट में अंकित किए गए था। इन उदाहरणों से यह प्रदर्शित होता है कि समुचित जीवन यापन सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्णायक प्रयास करने की आवश्यकता आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपर्याप्तता के स्तर का व्यापकता से पता नहीं लगा सके तथा सभी स्तरों पर रिकार्डों को व्यवस्थित करने और उनको विस्तृत करने में असमर्थ रहे। इसके साथ ग्राम पंचायतों के 54 मूल रिकार्डों में खोजने से पता लगा है कि रिकार्ड को व्यवस्थित किया ही नहीं और यदि कहीं पर किया भी गया है तो वह आधा अधूरा

पाया गया था। इस प्रकार की स्थिति में, माँगे जाने पर रोजगार के 100 दिन की कानूनी गारंटी तथा अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन के अन्य पक्षों पूरा नहीं किया गया और न ही उनको सत्यापित किया जा सका था।

एम जी एन आर ई जी ए द्वारा अपने हाथ में लिए गए कार्यों में अनियमिता का भी पता लगा था उदाहरण के लिए कार्यों को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया अथवा उसके महत्वपूर्ण निर्धारित अवधि में पूरा ही नहीं किया जा सका था। स्कीम के अन्तर्गत 2,252.43 करोड़ रूपये का कार्य करने की जिम्मेदारी ली जो वास्तव में अनुमति योग्य ही नहीं था। यह भी देखा गया था कि 7,69,575 करोड़ रूपये के कार्यों में से 4,070.76 करोड़ रूपये का कार्य पूरा ही नहीं किया गया जिसकी अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष की हो गई थी। यह भी ध्यान में लाया गया कि 6,547.35 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई किन्तु टिकाऊ परिसंपतियों का निर्माण नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर अधिकतर राज्यों में निर्धारित राशि को कार्यों में खर्च न करके उस राशि को अन्य कार्यों में खर्च कर दिया गया था। यानि कि धनराशि को अवैध रूप से अन्य कार्यों में खर्च कर दिया गया, इस प्रकार की घटनाएं लगभग सभी राज्यों में की गई थी। कार्यों के संबंध में सब से बड़ा मुद्दा यह था कि जो कानूनी तौर पर निर्धारित 60.40 वेतन सामग्री अनुपात था उसका पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया था। मंत्रालय ने अधिनियम के विपरीत कार्य किया जिसमें यह उल्लेखित है कि प्रत्येक कार्य के लिए निश्चित अनुपात है उसका दृढ़ता से पालन किया जाना अनिवार्य था। इस प्रावधान को अवैध रूप से शिथिल बना दिया गया। मंत्रालय द्वारा प्रचालन मार्गदर्शन जारी करते

हुए कहा है कि इस अनुपात को लागू करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करने की मात्रा को सीमित कर दिया गया था तथा लेखा परीक्षा की अवधि में 15.03 करोड़ व्यक्ति दिनों को भी सीमित कर दिया गया था।

लेखा परीक्षा निस्पादन में साफ तौर पर लिखा है कि मंत्रालय की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह स्कीम की निगरानी करे और राज्यों समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दे। वास्तव में अधिनियम के आवश्यक दिशा निर्देश है कि मंत्रालय केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना करे ताकि वह स्कीम की स्वयं निगरानी और उसमें से क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके लिए सलाह देने की जिम्मेदारी निश्चित की गई है। परिषद ग्राम विकास मंत्री के चेयरमैनशिफ में काम करेगी और इसमें अन्य पणधारी शामिल किए जाएंगे। हालांकि, यह देखा गया है कि परिषद स्कीम की निगरानी के क्षेत्र में बहुत ही कम काम किए है। इसने अपने कार्यकाल के वर्षों की अवधि में परिषद के सदस्यों ने कुल 13 ही क्षेत्र के दौरे किए किन्तु अधिनियम की शर्तों के अनुसार निगरानी और मूल्यांकन करने की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की परिषद ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। मंत्रालय का निगरानी रचनातंत्र जोकि प्रचालन मार्गदर्शन में अंकित है और राष्ट्रीय गुणवत्ता जांच निगरानी की व्यवस्था तथा गुणवत्ता लेखा परीक्षा एवं एम जी एन आर ई जी ए साफ्ट ऑनलाइन में भी आवश्यक निर्देशों को समुचित रूप से सम्मिलित किया हुआ है। यह भी देखा गया था कि

मंत्रालय राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था का प्रचालन को लागू करना चाहती है। इसके साथ ही घटिया आंतरिक नियंत्रण और पुनः सत्यापन न करने के कारण एम आई एस में अंकित आंकड़ों की विश्वसनियता और भरोसे की गंभीर सीमाएं समाप्त हो गई थी। लेखा परीक्षा में आंकड़ों के साथ गलत छेड़–छाड़ की गई इसके उदाहरण स्पष्ट से दिखाये गए थे। अधिनियम तथा प्रचालन मार्गदर्शन के प्राचधन है कि राज्य और पंचायती राज संस्थाएँ विभिन्न तरीकों से स्कीमों की निगरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी उनका पालन करेंगी। अधिकतर राज्यों में स्कीम की निगरानी रचनातंत्र एवं अन्तर का सामन करना पड़ा है। राज्य के कार्मिकों और अधिकारियों के द्वारा कार्यों की जाँच करने अत्यंत कमी देखी गई थी। अनेक राज्यों में गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं एवं सर्तकता और निगरानी समितियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। समाज लेखा परीक्षा व्यापक रूप से अप्रभावी बना रहा था, साथ ही समाज लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना न करना इत्यादि की कमी अधिकतर राज्यों में देखी गई थी जिसके कारण समाज लेखा परीक्षा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका था।

मंत्रालय द्वारा निधियों के अनुमोदन और उनको जारी करने में अत्यंत विलम्ब और कमियाँ पाई गई थी। अनेकों उदाहरणों में मंत्रालय ने मांग अधिकता में अनुदानों को स्वीकृति प्रदान की जो उसकी अपनी ही शर्तों का उल्लंघन स्पष्ट होता है। वास्तव में वर्ष 2010–11 में मंत्रालय ने फंड जारी करने की शर्तों में शिथिलता कर दी गई जिसमें कार्य पूरा होने और फंड का उचित प्रयोग करने के प्रमाण पत्र में छूट देने के कारण निधियों के दुरुपयोग का अवसर प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने इस निर्णय का कोई

आधार प्रकट नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप केवल मार्च, 2011 में किसी वित्तीय नियंत्रण की शर्तों को अपनाए ही 1,960.45 करोड़ रूपये प्रदत्त करा दिए गए थे। यहां पर मंत्रालय के लिए यह आवश्यक था कि वह स्कीम की समुचित निगरानी करती किन्तु उसने ऐसा न कर के आपराधिक कदम उठाया था। गहन निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना या पैसा कि अधिनियम में उल्लेखित है किन्तु ऐसा नहीं किया जो कि एक घोर अपराध की श्रेणी में आता है। यह एक भंयकर उपेक्षा है।

केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा विश्लेषण कुछ विपरीत प्रवृत्तियों को प्रकट करता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया व्यय, उसे पिछले तीन वर्षों से ठप्प या बन्द किया हुआ है और वास्तविक दिखाया गया है कि वर्ष 2011–12 में सीमांत स्तर गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि खर्च में कमी आने का प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। रोजगार सृजन में वर्ष 2009–10 में 283.53 करोड़ व्यक्ति दिनों से वर्ष 2011–12 में जो गिरावट आई वह 216.34 करोड़ व्यक्ति दिनों की रही थी। कार्यों को पूरा करने में गिरावट वर्ष 2011–12 में अत्यंत भयानक देखी गई थी।

निस्पादन लेखा परीक्षा ने अपनी एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की जोकि समीक्षा की अवधि के लिए राज्यों से संबंधित है। इसमें तीन राज्यों जिनके नाम है बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं, इनके गरीबी के आंकड़ों को दिखाया गया था जो भारत में ग्रामीण

गरीबों की जनसंख्या 46 प्रतिशत था परन्तु स्कीम के अन्तर्गत जब फंड जारी करने का समय आया केवल 20 प्रतिशत गरीबी के आंकड़े दिखाए गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब से अत्यंत गरीब व्यक्ति एम जी एन आर ई जी ए के अन्तंर्गत अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता था।

निस्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2013 के अतिरिक्त एम जी एन आर ई जी ए के कुल कामगारों में से युवा कामगारों का अनुपात 2013–14 में 13.64 प्रतिशत पाया गया था जो वर्ष 2017–18 में यह गिरकर 7.73 प्रतिशत हो गया था। यह स्थिति 2018–19 में 9.1 प्रतिशत और वर्ष 2019–20 में 10.06 प्रतिशत की वृद्धि होने से पहले की है। यह प्रवृत्ति बताती है कि जो युवा लोग कामगार थे और उनकी आयु 18 वर्ष तथा 30 वर्ष के बीच में थी उनके युवा कामगारों का समानुपात गहन गिरावट देखी गई थी। इस तरह से अधिनियम के अन्तर्गत असंख्य युवा कामगारों की संख्या कम हो गई थी किन्तु विमुद्रिकरण तथा जीएसटी का लागू होने के बाद इनकी संख्या वृद्धि होना आरम्भ हुआ था। इस विश्लेषणों के एक वर्ग द्वारा प्रायोजित किया तथा इसका प्रमाण ग्रामीण लोगों पर गहरा संकट पड़ा उसका प्रभाव था।

कैग (सी ए जी) के द्वारा कानून के निस्पादन के व्यापक विश्लेषण में गंभीर गलतियों को प्रकट किया गया जो मुख्य रूप से सार्वजनिक जागरूकता की कमी, कुप्रबंधन और संस्थागत अक्षमताओं के कारण पैदा हुई थी। कैग ने कुछ सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव दिया है।

सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करना, सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) की गतिविधियों को और अधिक गहरी करने के सुझाव दिए हैं। परिणामों के प्रबंधन के सुधार करना, रिपोर्ट में सलाह दी है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्डों की समुचित से व्यवस्थित किया जाए उनके रख–रखाव दुरूस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय परिषद ने स्कीम के राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मूल्यांकन के लिए केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी व्यवस्था की भी स्थापित करने के लिए सुझाव दिए है। कैग ने बेरोजगार भत्तों का समय पर ग्रामीण गरीबों को भुगतान करने और नरेगा कार्यों में 60:40 का वेतन सामग्री अनुपात का पालन करने के लिए विशेष जोर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए कैग ने कहा है कि मासिक आधार पर, एकरूप ढांचे में लेखा का समुचित रख–रखाव किया जाए तथा निधियों या फंड के निबटान में सुनिश्चित पारदर्शिता को सांविधानिक मार्गदर्शों या निर्देशों को भी दृढ़ता से लागू किया जाए। क्षमता निर्माण के लिए रिक्त स्थानों व पदों को भरने के लिए स्टॉफ की संख्या को सुनिश्चित किया जाए। कैग ने पहली बार एम जी एन आर ई जी ए के 38,000 से अधिक लाभधारियों को सर्वेक्षण में शामिल करने का सुझाव दिया है। हाल ही में वित्त मंत्री ने भारत के संघीय बजट 2017 में एम जी एन आर ई जी ए के लिए 48,000 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया है।

गतिविधियां

अपने राज्य में कुछ जिलों की पहचान कीजिए जहाँ पर एम जी एन आर ई जी ए के कार्यों का प्रचालन किया जा रहा है तथा यह देखिए कि किस प्रकार से कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

7.6 सारांश

फिर भी एम जी एन आर ई जी ए का आरम्भ 2006 से हुआ है, इसने मात्रात्मक उपलब्धि प्राप्त की है, लगभग 1,10,000 करोड़ रूपये सीधे ही ग्रामीण परिवारों को भुगतान किया है और 1200 करोड़ व्यक्ति–दिन के लिए रोजगार सृजित किया है। वर्ष 2008 से लगातार प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदत्त कर रहा है। इसके साथ ही 80 प्रतिशत परिवारों को बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से सीधे मजूदरी वेतन भुगतान किया जा रहा है और 10 करोड़ नए बैंक/पोस्ट आफिस में खाते खोले गए हैं। स्कीम के आरंभ होने की अवधि से औसत वेतन प्रति व्यक्ति दिन की वृद्धि का आंकड़ा 81 प्रतिशत तक पहुंच गया है, इसकी राज्य स्तर पर कुछ कम अधिक हो सकती है। अधिसूचित वेतन के भुगतान में भी कुछ भिन्नताएँ हैं जैसे कि न्यूनतम वेतन भुगतान 122 रूपये हैं, बिहार और झारखंड में किया जाता है किन्तु हरियाणा में यह 191 रूपये का भुगतान किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को कुल व्यक्ति दिन सृजित वेतन का 51 प्रतिशत भुगतान किया जाता है और महिलाओं को 47 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है जबकि अधिनियम के अनुसार इन वर्गों को 33 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य है।

इस कार्यक्रम के आरंभ से लेकर अब तक 146 लाख कार्यों को निस्पादन के लिए अपने हाथ में लिया था, इसमें से लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसी तरह से 12 करोड़ जॉब कार्डस (जे सी एस) दिए गए और साथ ही 9 करोड़ मस्टर रोल की मांग को प्रबंधन सूचना व्यवस्था (एम आई एस) में अपलोडिड किया गया है जिसको सार्वजनिक संवीक्षा या छानबीन के उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010–11 से सभी विवरणों को जो एम जी एन आर ई जी ए के खर्च या भुगतान से संबंधित हैं। एम आई एस की साइट में ऊपलोडिड किया गया है जिसे सार्वजनिक रूप से सबको देखने का अवसर उपलब्ध है।

सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा, और संचार (आई ई सी) की गतिविधियों की गहन तीव्रता से लागू करने की सिफारिशें की गई हैं। परिणामों या प्रतिफल के प्रबंधन में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायत (जी पी) स्तर पर रिकार्डों का समुचित रख रखाव या व्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया है।

कैग ने कहा है कि ग्रामीण गरीबों को बेरोजगार भत्ता का भुगतान ठीक समय पर किया जाए और साथ में एम जी एन आर ई जी ए के कार्यों में वेतन सामग्री का निर्धारित अनुपात 60:40 के अनुसार किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रभावी वित्तीय प्रबंधन

के संदर्भ में लेखों या खातों का समुचित रूप रख–रखाव किया जाना आवश्यक है इसमें एक रूपता होता था मासिक आधार का पालन किया जाना और फंडों के निबटान में कानूनी बाध्यताओं व मार्ग निर्देशन को लागू करते समय पारदर्शिता का समुचित ध्यान रखने की सिफारिशें की गई है।

एम जी एन आर ई जी ए पर कैग की प्रमुख सिफारिशें।

क्षमता निर्माण **सार्वजनिक जागरूकता**

प्रभावी प्रबंधन

यह शायद विश्व में सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम हैं ..... एम जी एन आर ई जी ए का एक उद्घघोषित एवं संभाव्य सुव्यवस्थित स्थापित ..... यह एम जी एन आर ई जी ए की पुनउद्घोघोषित प्रसिद्धि से एक उच्च संदेश उच्च एवं स्पष्ट आता है ..... आज प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीब परिवारों का एक चौथाई हिस्सा इसमें अपनी भागीदारी कर रहा है।

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

गौड़ सीमा एंड श्रीनिवास राव वर्किंग पेपन न. 1/2020, पावर्टी मैनेजमेंट इन इण्डियाः ए स्टेटस अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ इनरल डेवलपमेंट।

नेशनल रूरल इम्पलोयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 रिट्राईवेड फ्राम https://en.wikipedia.org

ऑडिट रिपोर्टस्। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटोर जनरल ऑफ इण्डिया रिट्राइवेड फ्राम https://cag.gov.in

7.8 परिशिष्ट

इकाई 8 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका

रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का विकास

8.3 सांविधानिक प्रावधानः राज्य की नीति **निर्देशक** तत्व

8.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

8.5 विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों के सशक्तिकरण का विभाग

8.6 सारांश

8.7 संदर्भ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के बाद आपः

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- राज्य के नीति **निर्देशक** तत्वों में रखे गए सामाजिक न्याय के प्रासंगिक तत्वों का वर्णन कर सकेंगे; और
- मंत्रालय की संरचना, कार्यों और भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

एक सुसंगत और ठोस सामाजिक नीति हाशिये पर पेड़ लोग और अति संवेदनशील जनसंख्या के द्वारा असमानता, तथा भेदभावपूर्ण व पक्षपात की स्थिति के व्यवहार के कार्य करने में सहायक होती है। यह सामाजिक न्याय को उन्नत करने का कार्य भी करती है। जब सामाजिक न्याय के लागू किया जाता है, उसके व्यवहार में न्यायसंगत कार्यों के कार्योन्वयन किया जाता है। वास्तव में, सामाजिक न्याय के माध्यम से लक्ष्य जनसंख्या को संसाधनों का वितरण निष्पक्ष व समानतापूर्ण किया जाता है ताकि वे लोग भयरहित और अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सकें। इस इकाई में सम्मिलित लक्ष्य जनसंख्या के नाम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग करने वालों, नशा पीड़ित लोगों, भिखारियों या अति निर्धनों को, ट्रांसजेंडर, रद्ध की गई अधिसूचित जाति–जनजाति/यायावरी या घुमन्तु जातियाँ/अर्ध घुमन्तु जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाहित किया गया है। उदाहरण के रूप में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अनुसूचित जाति के लोगों के सार्वजनिक पूजा स्थलों, दुकानों, रेस्तराओं, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों, आमोद–प्रमोद के स्थानों, शमशान भूमि पर दाह संस्कार इत्यादि करने या उपर्युक्त किसी भी स्थान पर पाबन्दी लगाने या उनको रोकने के प्रयासों को अपराध माना जाएगा और उनके अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस संबंध में समाज को आगाह किया गया है कि वे सबके साथ न्यायसंगत समानता का पालन करें उन कि ''सभी लोग समानता'' का अधिकार रखते

हैं तथा कोई भी नागरिक या व्यक्ति पक्षपात पूर्ण या अन्याय करने का आचरण व व्यवहार करने का अधिकारी नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से कानून का पालन करना चाहिए।

लक्ष्य जनसंख्या के द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों के सभी तरह के प्रकारों पर जिनका वे सामना करते हैं, उनको सम्मिलित करते हुए सामाजिक न्याय उन्नत और उसका संवर्धन करना है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सभी आधुनिक राज्य सरकारों ने अपने लोगों विशेषकर जो असुविधा भोगी है या उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनको सशक्त करने के लिए पूरे उत्तरदायित्व तथा आकांक्षाओं के कल्याणकारी संस्थानों की स्थापना की है।

इसके साथ ही कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करते हुए, अपनी प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण किया है ताकि सभी नागरिकों के समान जीवन जीने के अवसर संभावनाएं मिले तथा उनके समुचित अधिकार प्राप्त हों जिसमें समान रूप से सामाजिक उत्थान के समाज कल्याण प्रावधानों की प्राप्ति हो और वे यानि की लक्ष्य जनसंख्या या समूह प्राधिकृत लाभों को प्राप्त कर सकें तथा अपनी उन्नति को सुनिश्चित कर सकें। सरकार के कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण के प्रावधानों की रचना की गई है ताकि लक्ष्य जनसंख्या अपने वित्तीय जोखिमों तथा जीवन की अनिश्चितता पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कल्याण के कार्यों की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण प्रावधानों में छात्रवृत्तियाँ, निशुल्क कोचिंग, हॉस्टल्स उन

लोगों के लिए हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से असुविधा भोगी है, और इसमें आर्थिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण की योजनाओं को शामिल किया गया जिससे लक्ष्य समूहों को लाभ प्राप्त हो।

उदाहरण के लिए, भारत में अनुजाति और ओबीसी के विधार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की समाज कल्याण योजना मौजूद है, इस का अर्थ यह है कि अनुसूचित जातियों (एससीएस) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के उम्मीदों और आर्थिक रूप असुविधाभोगी वर्गों के लिए उत्तम श्रेणी की कोचिंग उपलब्ध कराई गई है (वार्षिक रिपोर्ट 2020–21), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यह सुविधा उनको प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए दी गई है (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र) और वे अपना रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके विपरीत आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं जो अपने लिए कोचिंग कलासेस ले सकने में समर्थ हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की कल्याण योजनाओं के द्वारा सरकार ने लाभ पहुँचाने के लिए प्रयास किया है, ताकि वे भी असुविधाभोगी लक्ष्य जनसंख्या और समाज के बीच जो अन्तर रहेगा, उसका कम किया जा सकें।

इस इकाई में, हम एक ओर सार्वजनिक संस्थानों तथा इसके ही समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा करेंगे जिसमें कि अल्प सेवा प्राप्त समुदायों के लिए श्रेष्ठ ''सामाजिक न्याय एवं निष्पक्षताके साथ कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास किया गया है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य लक्षित जनसंख्या के लिए मंत्रालय

के संरचना और कार्यों उसके दूरदर्शता व क्षमता निर्माण योजना के साथ समझना व परिवर्तन लाने के उसके निरंतर सतत प्रयासों से है।

8.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का विकास

स्वतंत्रता से पूर्व के चरणों के दौरान भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने स्वयं ही घोषणा कि थी कि वह सार्वजनिक हितों और सामाजिक न्याय की बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा । अन्ततोगत्वा भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण की दिशा में निर्णायक प्रयास किए गए। इस संबंध में, कल्याण मंत्रालय को प्रारम्भ से ही विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **स्थापित** किया गया था।

वर्ष 1985–86 के दौरान कल्याण मंत्रालय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था: कल्याण विभाग और महिला और बाल विभाग। इस समवर्ती सूची में अनुसूची जाति विकास प्रभाग, जनजाति विकास प्रभाग, अल्प संख्यक कल्याण प्रभाग, पिछड़ी जाति कल्याण प्रभाग, वक्फ प्रभाग को कल्याण मंत्रालय के साथ संयोजित कर दिया गया था। इसके पश्चात् सन् 1998 में कल्याण मंत्रालय का नाम बदल दिया गया था। इसका नया नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रखा गया (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वेबसाइट)। हालांकि इसके साथ ही जनजाति विकास प्रभाग मंत्रालय से अलग करके जनजाति कार्य मंत्रालय बना दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण

प्रभाग तथा वक्फ प्रभाग को मिलाकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बना दिया गया और महिला और बाल विकास विभाग को मिलाकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में अलग से स्थापित कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त अल्प सेवा प्राप्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्यों से सरकार की अत्यधिक प्रतिबद्धता के साथ असक्तता के प्रकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ विकलांग असशक्त व्यक्तियों के लिए कार्य विभाग की स्थापना की है (अब इसका क्या नाम विकलांग (असशक्त) व्यक्तियों के सशक्तिकरण का विभाग है), यह वर्ष 2012 में एमओएसजे एंड ई के अंतर्गत है। वास्तव में, यह इसी मंत्रालय के अन्तर्गत अशक्त विकलांग) विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि 11वीं पंच–वर्षीय योजना **ने इसे** संभाग **से** विभाग **बनाने के लये अनुशंसा** की थी। इस योजना का परामर्श देने का उद्देश्य ''अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सीधा संबंध बना सके ताकि विकलांग (असशक्त) व्यक्तियों के उत्थान की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर सके, उनको लाभ पहुंचा सके'' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट)।

इस इकाई में, आप (Ministry of Social Justice and Empowerment एमओएसजे एंड ई) के दो विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे, पहला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment (DoSJ&E) डीओएसजे एंड ई) तथा **दूसरा,** विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DoEPwD) डीओईपीडब्ल्यूडी)। दोनों को एक साथ मिला दिया गया, जिसमें लक्षित जनसंख्या के कल्याण के लिए एमओएसजे एंड ई को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, **साथ ही,** अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्तियों, भिखारी, ट्रांसजेंडर, **वमुक्त, घुमन्तू / अर्द्ध घुमन्तू जनजाति और** आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण के लिए मंत्रालय से संबहद किया गया है। इस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका लक्षित जनसंख्या को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से इनके पिछड़ेपन को दूर करना है, इनको उन्नत व विकसित करने का कार्य करना है। वर्तमान समय में, एमओएसजे एंड ई के संचालन में एक केबिनेट मंत्री और तीन राज्य मंत्रियों के सहित प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, **निर्देशक** तथा उप **निर्देशक** स्तर के पदाधिकारी कार्यरत हैं।

उपर्युक्त विभागों की कार्य प्रणाली के जानने से पहले हम को राज्य नीति **निर्देशक** तत्वों (डीपीएसपी) के संबंध में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इसमें लोगों की मूल आवश्यकताओं तथा इसके साथ ही विकास और अशक्तता के संबंध में व्यापक रूप से नीतियों की रचना की है, जो इसमें सम्मिलित हैं।

8.3 सांविधानिक प्रावधानः राज्य नीति **निर्देशक** तत्व (डीपीएसपी) (Directive Principles of State Policy, DPSP)

राज्य की नीति के **निर्देशक** तत्व हमारे देश के शासन तंत्र को संचालित करने के लिए मूल आधार हैं। इसमें हमारी नैतिक दायित्व है कि जब भी हम नीतियों का निर्माण करें तो हमकों इसके तत्वों की पहचान करके उसके ही अन्तर्गत निर्मित करेंगे। वास्तव में ये सब मार्गदर्शन जिनको हमारे देश की सामाजिक–आर्थिक न्याय को बनाए रखने के लिए इन तत्वों को निर्धारित किया गया है। इन आदर्शों को हमारे संविधान में गहराई से स्थापित किए गए हैं तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के शासन संचालन करने वालों को इसमें समाहित नीतियों को निर्मित करते समय इस आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। वास्तव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डीपीएसपी के ढ़ाचें में इन संस्थानों के मिशन के सम्मिलित करते हुए घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए मंत्रालय ने लक्ष्य समूहों के समक्ष जैसे कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों, वरिष्ठ नागरिक, शराब तथा मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों, भिखारियों, ट्रांजेंडर, अधिसूचित जन जाति/यायावरी जनजाति, सम–यायावरी जन जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के उत्पादकता, सुरक्षित और प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन जीने के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उनका कल्याण करने के लिए अपनी प्रतिवहदत को स्पष्ट करते हुए प्रदर्शित किया गयाा है। इसलिए डीपीएसपी के अंतर्गत जब भी लक्ष्य समूहों के लिए नीतियों को बनाया जाएगा। उस समय संविधान के निम्नलिखित संबहद व प्रासंगिक अनुच्छेदों के आधार पर ही निश्चित होगी।

अनुच्छेद 38: लोगों की यानि कि लोग कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा

डीपीएसपी यानि संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उन्नत करने का प्रयास करेगा विशेषकर आर्थिक असमानता तथा अपवर्जन को चाहे वह व्यावसायिक हो या भौगोलिक है। उस के व्यक्तिगत और समूहों के स्तर समाप्त करेगा।

अनुच्छेद 41: कुछ अवस्थाओं में काम या रोजगार, शिक्षा और लोक–सहायता प्राप्त करने का अधिकार

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम या रोजगार पाने के, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य वजह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कराने कार्यसाधक उपबंद कराएगा।

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का उन्नत करना

राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नत करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रसार के शोषणों से उनका संरक्षण करेगा।

अनुच्छेद 47: पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है

राज्य अपने लोगों के लिए पौष्टिक आहार और जीवन स्तर को उन्नत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषकर मादक पदार्थोंक एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधिय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपयोग व उपभोग पर प्रति लगाने का प्रयास करेगा।

हम भाग 11.4 और 11.5 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अशक्त व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग के संबंध में चर्चा करेंगे।

8.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मंत्रालय के कार्य आबंटन के अनुसार, यह विभाग लक्षित जनसंख्या जैसे कि अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति, अधिसूचित जन जाति, यायवर तथा प्रवासी जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति और वरिष्ठ नागरिक से संबंधित मामलों के लिए यह नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह नोडल विभाग कल्याण कार्यक्रमों की संपूर्ण नीतियाँ, योजना तथा संयोजन करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करता है अर्थात जो भी कार्यक्रलक्षित जनसंख्या के लिए किए जाते हैं, उनको पूरा करता है। उदाहरण के लिए जो युवक मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित हैं, उनमें जागरूकता पैदा करने का प्रमुख उद्देश्य है, वर्ष 2020 में मंत्रालय ने नशा मुक्ति भारत अभियान आरम्भ किया है जो कि युवाओं से संबंधित है। इस कार्यक्रम के अनुसार

संपूर्ण भारत में 272 अतिसंवेदनशील जिलों की पहचान की गई है जिसमें सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस संकट को नष्ट करने के लिए भागीदारी निश्चित की गई है (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021)।

यद्यपि मंत्रालय विभिन्न विभागों, मंत्रालयों तथा गैर सरकारी संगठनों के संयोजन के लिए जिम्मेदार है और लक्षित विशिष्ट कार्यक्रमों के संपूर्ण पर्यवेक्षण और निगरानी मंत्रालय ही करेगा परंतु इसकी देखभाल संबंधित केंदीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रशासनिक कार्यों की सम्पन्न किया जाएगा।

विभाग निम्नलिखित संगठनों के साथ सहयोग करता है:

(क) **आयोग** – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (इसका अध्ययन इकाई 12 में किया जाएगा); राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अधिसूचित, यायावर तथा सम यायावर जनजाति–आयोग सम्मिलित हैं।

(ख) **राष्ट्रीय संस्थान** – राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (इसका अध्ययन इकाई 13 में किया जाएगा)।

(ग) **निगमें** – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित और विकास निगम, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम।

(घ) **स्मारक** – डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक।

इसके अतिरिक्त, विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाग भी सम्मिलित हैः अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग, अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण प्रभाग, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, योजना प्रभाग, तथा सांख्यिकी प्रभाग हैं। इनके संबंध में आगे के पैराग्राफस में अध्ययन किया जाएगा।

8.4.1 अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग

इस संबंध में अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग एक ब्यूरो है जो विभाग के अन्तर्गत आता है जो कि छात्रवृत्तियां, हॉस्टलस, आवासीय विद्यालय, कोचिंग कक्षायें, रियायती ऋण और इसी प्रकार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ तालमेल व संयोजन का कार्य करता है।

(क) शैक्षिक सशक्तीकरण

अनुसूचित जाति के शैक्षिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अनुसूचित जाति के शिक्षार्थियों के दसवीं के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों उपलब्ध कराई हैं। इस छात्रवृत्ति देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी गरीबी के कारण अपना अध्ययन आगे नहीं कर सकते हैं कि सब को वित्तीय सहायता के रूप में यह राशि दी जाती है ताकि वे विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक के पश्चात अपना अध्ययन जारी रख सकें। इस संबंध में मंत्रालय की यह भूमिका होती है कि वह ऐसे संस्थानों की अधिसूचना जारी करती है जो छात्रवृत्ति की इस योजना के लागू करने में समर्थ हो और वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर सकें। वास्तव में इस छात्रवृत्ति की

योजना के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की नामांकन संख्या के अनुपात में बेहतर रूप से वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में,वर्ष 2002–03 में 18.34 लाख अनूसूचित जाति के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिए नामांकन हुआ जबकि वर्ष 2018–19 यह संख्या बढ़कर 60.29 लाख नामांकन हो गए थे। अतः केवल दो दशकों में नामांकन की संख्या तीगुनी हो गई। वर्ष 2019–20 में सरकार ने 2926 करोड़ रूपये की धनराशि का आबंटन किया जिससे लगभग 53 प्रतिशत विद्यार्थियों के इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021)। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के अन्तर्गत उच्च शिक्षा (एम. फिल, पीएचडी) के विद्यार्थियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त देश के दूर दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण करने के हेतु बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना आरम्भ की गई है। वास्तव में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए 1960 के दशक में बालिका छात्रावास व्यापक रूप से निर्मित जो एक उदम्हर के रूप में देखा जा सकता है, इस योजना में निर्धारित मानकों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालयों/संस्थानों को छात्रावास बनाने के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(ख) आर्थिक सशक्तीकरण

अनूसूचित जाति की जनसंख्या को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उसका संवर्धन करने के लिए विभिन्न आय पैदा करने की योजनाएं बनाई गई है जिसके कौशल विकास कार्यक्रम को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) में अनुसूचित जाति के लिए सम्मिलित किया गया है। इसे अनुसूचित जाति की उप योजना (एससीएसपी) के नाम से स्थापित किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश से प्रत्याशा की जाती है कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजना में एसीएसपी को सम्मिलित करें। इसके एक हिस्से के रूप में जोकि महिलाओं की जनसंख्या के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध, इसलिए कुल एससीए का 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं और विकलांग महिलाओं सहित उनकी कल्याण के राज्य के लिए सरकारों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के द्वारा खर्च किया जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य समूह का आर्थिक सशक्तीकरण के संवर्धन करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफटीडीसी) का 1989 में गठन किया गया है, यह एक सरकारी कंपनी है (यह लाभ कमाने के लिए नहीं है)। इस संस्थान या कंपनी का मुख्य मिशन अनुसूचित के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वित्त, सुविधाएँ और उनकी सक्रीयता पर गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है।

(ग) सामुदायिक सशक्तीकरण

सामुदायिक स्तर पर, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएहीवाई) ग्राम विकास के उद्देश्य से आरम्भ की गई है, यह विशेष कर उन ग्रामों के लिए निर्धारित है जिन गाँवों

में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत अधिक निवास करती है। समाज कल्याण कार्यक्रम के साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और आवास, विद्युत तथा साफ ईंधन की आपूर्ति, कृषि कार्याविन्त का संचालन, जैसे कार्यक्रमों के सम्मिलित किया गया है। साथ ही डिजीटाइजेशन तथा आजीविका एवं कौशल विकास के भी इस में शामिल किया गया है।

(घ) सामाजिक सशक्तीकरण

सबसे प्रथम विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाते हुए समितियों का गठन करें जैसे कि अनुसूचित जातियों विरूद्ध की जाने वाली अस्पृश्यता और अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। अतः लक्षित समुदाय के लिए किए जाने वाले सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा को बनाया रखा जा सके। सांविधानिक अधिनियमों को पारित किया गया जिनका उद्देश्य सामाजिक सशक्तीकरण का संवर्धन करना है जो निम्न प्रसार हैं:

(i) सिविल अधिकार संरक्षण, अधिनियम, 1995 – इस अधिनियम के द्वारा जो लोग अस्पृश्यता को मानते हैं या भेदभाव करते हैं उनके दण्डित करने का प्रावधान हैं।

(ii) अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जन जातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – इस अधिनियम को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रीय

शासित प्रदेशों को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अन्तर्गत पीड़ित लोगों को कुछ राहत देने के लिए उपाय निर्धारित किए गए हैंः पीड़ित को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, अन्तर्राजातीय विवााह सम्पन्न कराने के लिए प्रोत्साहित करना, अत्याचारों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, अन्याय और अत्याचार से पीड़ित लोगों को समुचित न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों को स्थापित करना, उनका गठन करना ताकि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों को उचित दण्ड प्राप्त हो।

(iii) शारीरिक रूप से सफाई रोज़गार करने का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 – शारीरिक रूप से सफाई करना तथा सीवर और सेटटीक टेंकों की संकरमय या खतरनाक शारीरिक रूप से सफाई करने के रोज़गार पर पाबन्दी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से सफाई कर्मियों की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना इस अधिनियम में प्रावधान निश्चित किए गए हैं।

8.4.2 अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण प्रभाग

यह प्रभाग अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसीएस) के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित मामलों की नीतियों, योजनाऐं और उनके कार्यान्वयन के कार्यों की देखरेख करता है। ओबीसीएस के कल्याण के लिए दो संस्थानों की स्थापना की गई है जिनके नाम हैं राष्ट्रीय पिछड़ी जातियां वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) एवं राष्ट्रीय

पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) हैं। यह प्रभाग उल्लेखित संस्थानों के क्रियाकलापों की निगरानी करती है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग ओबीसी की आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हुए अधिसूचित जनजातियों, यायावर और सम यायावर जनजातियों (डीएनटीएस) वरिष्ठ नागरिकों, भिखारियों तथा ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों की भी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। उदाहरण के लिए अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसीएस)/अधिसूचित जनजातियों, यायावर और यम यायावरों के कौशल विकास के लिए केंद्रीय सहायता योजना आरंभ की गई हैं। इसके साथ ही इन आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों (ईबीसीएस) की सहायता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक क्षेत्रों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की सहायता प्राप्त करने के लिए इनको इस कार्य में शामिल किया गया है (एनबीसीएफडीसी)। एनबीसीएफडीसी एक सरकार का उपक्रम है तथा इसका मूल उद्देश्य है (i) कौशल विकास और (ii) स्वरोज़गार उद्यमों की स्थापना करना है।

(क) शैक्षिक सशक्तीकरण

अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग की तरह से ही यह प्रभाग लक्षित समूहों के लिए शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसके साथ ही डीएलटीएस ईवीसीएस के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है जैसेकि प्रि मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओबीसीएस के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध कराता है। इनमें पोस्ट

मैट्रिक छात्रवृत्ति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रि मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक महत्व कार्यक्रम है जोकि अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराती है। इसका नाम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर केंद्र क्षेत्र योजना है, इसका आरंभ वर्ष 2014–15 में किया गया था। इसका उद्देश्य बेहतर उच्च शिक्षा तथा रोज़गार की संभावनाओं की प्राप्त करने के लिए जो ओबीसी और ईवीमी के योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों की सहायता प्रदत्त करने के लिए योजना का आरम्भ किया गया है। इस पत्र अध्ययन कर्त्ताओं के लिए ऋण में ब्याज की इमदाय के रूप में दी जाती है। वर्ष 2019–20 में 15 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई थी जिसके अन्तर्गत लगभग 3290 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ था (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021)।

(ख) आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण

एनबीसीएफडीसी संस्थान असंख्य क्षेत्रों में विकास कार्यों में अपना योगदान देती है जैसे कि कृषि और सहायक गतिविधियाँ लघु व्यापार/कारीगर तथा परम्परागत धन्धों, परिवहन तथा सेवा क्षेत्र, तकनीकी, व्यावसायिक और प्रोफेसनल व्यापार इत्यादि। यह निगम ऋण के दो प्रकारों के द्वारा सहायताओं उसका वितरण करती है अर्थात अवधि ऋण और सूक्ष्म वित्त ऋण। उदाहरण के लिए अवधि ऋण इसको ''महिलाओं के लिए नई स्वीर्णमा'' कहते हैं यह पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए है, इसमें 2 लाख

रूपये का ऋण लिए जा सकता है जिस की ब्याज दर पाँच प्रतिशत वार्षिक दर है। इसी प्रकार से सूक्ष्म वित्त योजना के तहत वैयक्तिक लाभार्थियों को 1,25,000 रूपये का ऋण दिया जाता है तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) को रूपये 15 लाख का ऋण दिया जा सकता है (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 2020–21)।

एनबीसीएफडीसी बीसी को परम्परागत कारीगरों को भी सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं (i) उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने और (ii) बाज़ार से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भरपूर सहयोग और सहायता देती है। उदाहरण के लिए कारीगरों को उनके उत्पादों की विक्री करने और प्रदर्शित करने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, शिल्पोल्स/दिल्ली हॉट तथा सूरज कुंड अन्तर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला इत्यादि को सभी राज्यों में आयोजित किए जाते हैं ताकि कारीगरों के भरपूर लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त ई–मार्किंटिंग वर्कशाप तथा गुड्स एवं सर्विस सेवा (जीएसटी) के संबंध में लाभार्थियों और कारीगरों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

8.4.3 सामाजिक सुरक्षा प्रभाग

यह प्रभाग वरिष्ठ नागरिकों, शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पीड़ित लोग, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों/निराश्रित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने उनके सहायता करने का कार्य करती है।

(क) वरिष्ठ नागरिक

अनेक नीतियाँ, अधिनियम और कार्यक्रम वंचित वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके लिए सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से निर्मित किए हैं और उनको लागू किया गया है। वृद्धों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने, उनको त्वरित न्याय दिलाने के लिए अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पारित किया गया है, यह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक पुलिस थाने को उनके लिए नोडल आफिसर उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ 1999 में वृहद व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सहयोग और सहायता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य वृद्धावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उनके साथ होने वाले अन्याय और शोषण होने पर उनकी सुरक्षा की जाए और उनके जीवन की गुणवत्ता व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से भरपूर सहायता की प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यश्रम (आईपीओपी) पर केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धन वृद्ध जनसंख्या के कल्याण के हेतु सरकार/गैर सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये लोग संबंधित परियोजनाओं का लाभ उठा सके। विभाग द्वारा सभी कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करके उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करती है जैसे कि ओल्ड एज़ हाउस की स्थापना करना, समुचित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों उपलब्ध हो सके, इन सबका कार्यभार

यह प्रभाग संभालता है। इसके अतिरिक्त जो लोग वरिष्ठ नागरिकों की सेवा कार्यों में संलग्न है उन लोगों की अनुसंधान और प्रशिक्षण देने तथा वृद्धों के उपयोग आने वाले उपकरणों को भी उपलब्ध कराता है।

(ख) शराब एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित लोग

यह प्रभाग मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व इसके बुरे प्रभावों के संबंध में उनको जागरूक करने के लिए जिम्मेदार है या उस का यह दायित्व है। इसके साथ है समुदाय आधारित रोकथाम की जाती है जैसे कि नशा मुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्श देना तथा उनका पुनर्वास करना, मानव संसाधनों की क्षमता का निर्माण करना और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के केसों की देखभाल व उनका निपटान करना है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ित कुल 93,364 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषध माँग निजीकरण करने के लिए कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय सहायता और सहयोग देने के लिए निर्णय लिया है जिसमें रोकथाम के संबंध में शिक्षित करना, जागरूकता पैदा करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पूर्व के मादक पदार्थों से पीड़ित लोगों के आजीविका उपलब्ध कराने के अवसरों में वृद्धि करना इत्यादि शामिल हैं। इस पहल के अन्तर्गत वयसनी या पीड़ित लोगों, सामुदायिक आधारित समकक्ष व्यक्तियों द्वारा रोकथाम इत्यादि के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने के लिए गैर–सरकारी

संगठनों को सहायता कराने की भी पहल की गई है। इस संबंध में दिसम्बर 2020 तक 105 करोड़ धनराशि सहायता के उद्देश्य से खर्च की गई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21)।

ग) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (लोग)

मंत्रालय जुलाई 2012 से ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए जिम्मेदारी ली है जबकि मई, 2016 से विभाग को कार्य आबंटन का भार सौंपा है। उसी समय से मंत्रालय ने सक्रियता से विभिन्न कार्यक्रमों और अधिनियमों को पारित किया है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। इस अधिनियम के विनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी लिंग पहचान की घोषणा कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, ट्रॉसजेंडर किसी मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार इत्यादि। वर्ष 2019–20 में, मंत्रालय ने इन लोगों के कल्याण के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ओ बी सी विद्यार्थियों को दी गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में से 17 व्यक्ति ट्रांसजेंडर के थे जिन्होंने दिसम्बर 2020 में इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाया था। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कुल 75 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की भी स्थापना की है जो मात्र इन्हीं लोगों के लिए है इस

तरह से अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए डिजीटल, इलेक्ट्रांनिक रूप से आवेदन कर सकते हैं, इस तरह से इन लोगों ने सीधे ही जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित पहचान पत्र प्राप्त किए हैं। यह सेवा इनको बिना प्रत्यक्ष उपस्थिति हुए ही या उनके समक्ष गए बिना ही सारी सेवाऐं उपलब्ध कराई गई हैं। ताकि इनके अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह अधिकार उपलब्ध कराया गया है (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020–21)।

घ) गरीबी/वंचित (निस्सहाय) लोग

बेसहारा और वंचित लोगों के लिए केंद्रीय विधान न होने की स्थिति में भारत सरकार ने बेसहारा और वंचित (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) बिल 2020 को पारित किया था। इस बिल का आशय दण्डात्मक व्यवहार के स्थान पर और अधिक पुनर्वास की आवश्यकता महसूस की गई है। वास्तव में, लक्षित समूह के पुनर्वास करने के लिए मंत्रालय ने प्रमुख परियोजना आरम्भ की है। इसमें वंचित लोगों के लिए, उनकी पहचान करना, स्वास्थ्य देखभाल परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यों को आरंभ किया गया है। यह ..... यानि प्रमुख परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाएगा।

8.4.4 योजना प्रभाग

यह प्रभाग लक्षित समूह या लोगों के लिए संचालित कौशल विकास कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन करता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएमडीएकेएसएच) योजना है, यह एक राष्ट्रीय कार्ययोजना है जिसको हाशिय पर पड़े वर्गों या श्रेणी के कौशल प्रशिक्षण के लिए आरम्भ की गई है, अर्थात एससीएस, ओबीसीज, ईबीसीज, डीएनटीज, सफाई कर्मचारी, इसमें रद्दी बीनने वाले सहित सम्मिलित हैं। द्वितीय, यह शारीरिक या हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास करने के लिए कार्य कार्योन्वित करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए विमुक्ति और शारीरिक सफाई करने वालों का पुनर्वास की स्व रोजगार योजना के तहत किया जाता है और इसके साथ ही किसी भी परिवार शारीरिक रूप से सफाई करने वाले की पहचान होने पर एक बार एक समय में 40,000 रूपये की नगद सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह सतत् विकास के लक्ष्यों तथा सभी कल्याण के मामलों की निगरानी और देखभाल करता है जो कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेवसाइट)।

8.4.5 सांख्यिकी प्रभाग

सांख्यिकीय प्रभाग प्रमुख जिम्मेदारी लक्षित समूहों पर उनके मूल्यांकन/अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करने का कार्य है। लक्ष्य समूह से संबंधित विषयों पर सेमीनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, व्यक्तिगत विद्वानों के लिए

अनुदान देने की व्यवस्था है वहीं पर प्रशासन करने के लिए भी अनुदान देने की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं की कार्यशालाएँ, सेमीनार्स आयोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य स्तर के सेमीनार का आयोजन करने पर एक लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन करने पर दो लाख तथा 5 लाख रूपये तक की अलग–अलग अनुदान राशि प्रदत्त कराने के प्रावधान हैं (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट)

8.5 विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों का सशक्तीकरण विभाग

यह विभाग विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह अनेक पणधारियों के साथ समन्वय करता है जैसे कि राज्य सरकारें, केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों जैसे कि विकलांगों (अशक्त) लोगों के राष्ट्रीय संस्थान, अन्य एजेंसियाँ जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी), उच्च शैक्षिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विकलांग कार्य विभाग का नाम बदल कर विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों का सशक्तीकरण विभाग कर दिया गया है। इस विभाग के गठन में तीन सांविधिक निकाय बनाए गए हैं, जिनके नाम भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांग (असशक्त) व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, तथा राष्ट्रीय न्यास सम्मिलित हैं। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के भी सम्मिलित किया गया है, जैसे कि भारतीय कृतिमांग उत्पादन निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम सम्मिलित हैं। इसके

अतिरिक्त नौ राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो कि अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

8.5.1 विभाग का मिशन एवं प्रतिबद्धता

इस विभाग का मिशन (क) विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों को पुनर्वास, (ख) विकलांग अधिकारों को उपलब्ध कराते हुए समान अवसर और उनका संरक्षण करना तथा (ग) समाज में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उनके मूल्य व प्रतिष्ठा स्थापित करना। यह विभाग विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(क) गरिमापूर्ण, समानता और सम्मानित जीवन जीने के लिए विकलांग अधिकार

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विषय और सतत् विकास लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दस्तावेजों में (यूएनसीआरपीडी) हस्ताक्षर करने के कारण भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित किया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में कृपया बॉक्स 11.5.1 का अवलोकन कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों के समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी ताकि ये व्यक्ति अपना जीवन समानता, गरिमापूर्ण और सम्मानित स्तर पर अपना जीवन यापन कर सकेगा। इसी तरह से समवर्ती रूप से विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर भी अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। जिसका

सूत्रबद्ध वर्ष 2006 में हुआ है। इस नीति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित बॉक्स 8.5.2 का अवलोकन करें।

बाक्स 8.5.1

विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016

अधिनियम में विकलांग के पाँच प्रकारों के रूप में व्यापक वर्गीकरण किया हैः

1) शारीरिक विकलांगता

क) गति विषयक विकलांगता – इसमें कुष्ठ रोग से **स्वस्थ** हुए व्यक्ति, मस्तिष्क

ह्न ह्य भ्र / Cerebral Palsy से पी ड़त

, ड्वॉ फज़म थ स्र ह्र बौनापन, मांसपेशीय दु र्वकास या फ्ई ऱ ु ँ , एसीड एटैक विकटिम्स इत्यादि इत्यादि सम्मिलित हैं।

ख) दृष्टि क्षति (केवल अन्धेपन और न्यून दृष्टि)।

ग) श्रवण (सुनना) क्षति (केवल बहरा और सुनने में कठिनाई)।

घ) बोलने (वाणी) और भाषा की अक्षमता।

2) बौद्धिक अशक्तता

क) विशिष्ट अध्ययन की अशक्तता

ख) **आटिज्म स्पेक्ट्रम वकार**[1]

3) मानसिक व्यवहार (मानसिक बीमारी)

4) निम्नलिखित के कारण अशक्तता

क) चिरकालिक तंत्रिका विज्ञान संबंधी स्थिति जैसे कि पारकिनसनस रोग और बहु वध ऊतक दृढ़न[2] (**मल्टीपल स्क्लेरोसिस**)

ख) रक्त विकृति जैसे कि अधरक्तस्त्राव (ई ट)थैलासीमया थलसमिया ओर सिकल क्षेत्र रोग।

5) बहु पक्षीय अशक्तता

स्रोतः अशक्तता प्राप्त व्यक्तियों का सशक्तीकरण का विभाग

---

[1] स्वलीनता (ऑटिज़्म) मस्तिष्क के वकास के दौरान होने वाला वकार है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभा वत करता है। में इसे 'आत्म वमोह' और 'स्वपरायणता' भी कहते हैं। इससे प्रभा वत व्यक्ति, सी मत और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार-बार दोहराना।

[2] मस्तिष्क और मेरुरज्जु की वकृति है जिसमें तंत्रिका को शका प्रणाली पर धब्बा पड़ने के कारण तंत्रिकाओं के क्रया-कलापों में कमी आ जाती है। बहुत-से मरीजों में लकवे के व भन्न चरणों के लक्षण दिखाई देते हैं।

ख) बाधा मुक्त वातावरण

अशक्त व्यक्तियों के समक्ष सार्वजनिक स्थानों में निर्बाध पहुंच और गतिविधियाँ या सक्रियता (पीडब्ल्यूडी) एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके समक्ष निर्बाध वातावरण बनाने के लिए विभाग ने दो प्रकार से ठोस कदम उठाएं हैं (i) सहायक उपकरणों का वितरण तथा (ii) सार्वजनिक स्थानों पर सरलता से पहुंचने के लिए विशिष्ट नीतियों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए, कोरोनावायर्स महामारी (कोविड), 19 के संबंध में विभाग ने, मार्च 2020 में अशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक मार्गदर्शन आदेश जारी किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यह था कि कोराना राइनिंग के समय इनके आवश्यक वस्तुएँ तुरन्त उपलब्ध कटाई जाएं जैसे कि खाद्य, पेयजल, दवाइयाँ और प्राथमिकता के आधार पर इनके सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जाए। (अशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण का विभाग)।

ग) प्रारंभिक पहचान केंद्र

अशक्त की प्रारंभिक पहचान या जाँच कराने से उनकी समय रोग की रोकथाम तथा इसके प्रयास से उनकी गम्भीरता कम होती है इसलिए विभाग ने सात राष्ट्रीय संस्थानों तथा सम्पूर्ण देश में सात संगठन क्षेत्रीय केंद्रों में प्रारंभिक रोकथाम के केंद्रों की स्थापना की गई थी।

घ) विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

विभाग बौद्धिक विकासात्मक और मानसिक अशक्ता के अन्तर्गत 21 श्रेणियों में वर्गीकरण के अनुसार इन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की (एनआईएमएचआर) सेहोर मध्य प्रदेश में स्थापना की है, यह सामुदायिक आधारित पुनर्वास व्यवहार या अभ्यास के अनुसार विकसित की गई है। इस मुख्य उद्देश्य मानसिक अक्षमताओं व अशक्ताओं से पीड़ित लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके (अशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण का विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21)।

ड़) क्रीड़ा और मनोरंजन

सरकार ने पी. डब्ल्यू डी के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं ताकि वे लोग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा या खेल–कूद की गतिविधियों मं भाग ले सकेंगे। इस संबंध में, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अशक्त क्रीड़ा के लिए एक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 300 पी डब्ल्यू डी के प्रशिक्षित करने की योजना को निश्चित किया गया है (अशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण का विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21)।

8.5.2 अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 21.68 करोड़ व्यक्ति विकलांग यानि की अशक्त व्यक्ति हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारी कुल जनसंख्या 2.21 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हैं। इनकी बहुआयामी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से

सरकार ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय नीति आरम्भ की गई थी। इस नीति का आरम्भ करने का उद्देश्य (i) इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए समान अवसरों की उपलब्धि कराना, तथा (ii) बिना किसी बाधा के समाज में पूरी तरह से इनकी भागीदारी कराना ।

बॉक्स 8.5.2 विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

(i) अशक्तता की रोकथाम

(ii) पुनर्वास की कार्यनीतियाँ

(क) शारीरिक पुनर्वास की कार्यनीतियाँः प्रारम्भिक जाँच या पता लगाना, परामर्श तथा चिकित्सा संबंधी पुनर्वास सहायक साधन या युक्तियाँ, व्यावसायिक पुनर्वास को विकसित करना।

(ख) अशक्त (विकलांग) व्यक्तियों के लिए शिक्षा।

(ग) अशक्त विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास सरकार की संस्थानों में रोजगार का नियोजन करना, निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार, स्व रोजगार।

(iii) अशक्त (विकलांग) महिलाओं के लिए प्रावधान।

(iv) अशक्त (विकलांग) बच्चों के लिए प्रावधान।

(v) सामाजिक सुरक्षा।

(vi) अशक्त जनों पर नियमित रूप से सूचनाओं को एकत्रित करना।

(vii) क्रीड़ा, मनोरंजन, और सांस्कृतिक गतिविधियां या क्रिया कलाप कराना।

देश में अशक्तता की नीति को कार्यान्वित करने और इससे संबंधित सभी मामलों को निपटाने के लिए यह विभाग नोडल एजेंसी है। इस संबंध में अशक्तता पर एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड केंद्र और राज्यों के साथ तालमेल या संयोजन का कार्य करेगा कि अशक्त नीति किस प्रकार से **क्रयान्वित** की जा रही हैं। कुछ राज्य के कार्यकर्ताओं जैसे कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास, शहरी विकास, युवा कार्य और क्रीड़ा मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, सेकेण्डरी और उच्च शिक्षा विभाग इत्यादि को नीतियों के क्रियान्वयन के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों को जो कि जिला अशक्तता पुनर्वास केंद्रों में कार्य करती है उनकों भी इसमें शामिल किया गया है। यह सब स्थानीय स्तर विभिन्न उठने वाले मुद्दों का निपटान कर सकेंगे। इस नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारी लोग शामिल होंगे जैसे कि मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त दोनों केंद्र और राज्य स्तर पर अलग–अलग नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करते हुए कार्य सम्पन्न करेंगे। मुख्य आयुक्त की प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि (i) वह निरोधी कारकों की समीक्षा करेगा कि पीडब्ल्यूडी को उनके अधिकारों को जो उन्हें मिले हैं उपयोग करने

में कौन बाधा डाल रहा है और (ii) इस संबंध में वह समुचित उपाय और समाधान करने के लिए कार्रवाई करेगा (अशक्त व्यक्तियों का सशक्तीकरण का विभाग)।

8.5.3 विभाग की योजना

इस भाग में हम विभाग की कुछ योजनाओं को समझने का प्रयास करेंगे।

(क) दीनदयाल विकलांग (अशक्त) पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, (डीडीआरएस) एक केंद्रीय योजना है, यह उन गैर–सरकारी संगठनों के सहायता अनुदान देती है जो (एनजीओ) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पुनर्वास परियोजनाओं पर काम करने के इच्छुक हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 562 एनजीओएज को सहायता अनुदान दिया गया। यह वित्तीय सहायता उनके पुनर्वास खर्चें में से की गई थी।

- **विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय**

डीडीआरएस के अन्तर्गत एक आदर्श परियोजना है जिसमें 'विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय'' इसमें बौद्धिक अक्षमता या अशक्तता, श्रवण तथा बोलने में अक्षमता और दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन कौशलों को विकसित करना और विशिष्ट विद्यार्थियों के नियमित संस्थानों में एकीकृत करना या उनके उसमें

सम्मिलित करना है और इसी तरह से इनके समुदायों में भी समाहित करने का उद्देश्य है।

- **मानव संसाधन विकास के लिए परियोजना**

इसके अतिरिक्त परियोजना भी है जैसे कि ''मानव संसाधन विकास परियोजना'' इसका विशिष्ट उद्देश्य (i) विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्रशिक्षत करना है, (ii) अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संसाधन विकास केंद्रों को विकसित करना और (iii) संसाधनों के संजाल को स्थापित करना है।

- **गृह आधारित एवं समुदाय आधारित पुनर्वास**

गृह आधारित पुर्नवास कार्यक्रम प्रशिक्षण देने तथा परिवारों देखभाल करने वालों को पीडब्ल्यूडी के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य करता है और समुदाय आधारित पुनर्वास पीडब्ल्यूडी, परिवार और समुदाय आधारित पुनर्वास पीडब्ल्यूडी, परिवार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों के बीच एक ठोस संबंधों को स्थापित करता है।

(ख) जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) District Disability Rehabilitation Centre (DDRC)

डीडीआरसी सेवाएं उपलब्ध कराती है जैसेकि प्रारंभिक पहचान और उसकी रोकथाम, सामुदायिक जागरूकता पैदा करना, सहायक साधनों या उपकरणों की आवश्यकता का ऑकलन तथा उनकी आपूर्ति करना है और चिकित्सात्मक सेवाओं की आपूर्ति करना है

जैसे कि बोलने संबंधी चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, स्व रोजगार ऋण, छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में सहायता करना इत्यादि। वार्षिक रिपोर्ट (2020–21) के अनुसार पूरे भारत के जिलों में डीडीआरसी के 264 केंद्रों में केवल 55–60 जिला केंद्र ही प्रभावी रूप से अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं।

(ग) सहायता/साधनों की खरीददारी/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना (एडीआईपी) योजना

इस योजना का आशय कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना है जैसेकि राष्ट्रीय संस्थान, डीडीआरसी, स्थानीय निकायों इत्यादि थे ताकि पीडब्ल्यूडी के लिए उनको उपकरणों से सज्जित किया जा सके। जैसे कि मोटाराइज ट्राइसाइकल व्हील चेयर, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक सहायता और साधनों व उपकरणों की आपूर्ति की जा सके। इसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि विकलांगता की कम किया जाए बल्कि उनकी नैतिक मनोबल को तीव्र गति प्रदान करती है ताकि वे इसके परिणामस्वरूप स्वयं स्वतंत्रता से अपने कार्यों का निष्पादन करने में समर्थ हो जाएं। इस तरह से पिछले 6 वर्षों के दौरान लगभग 19443 मोटोराइजड् ट्राइसाइकिल लाभार्थियों का उपलब्ध कराई गई हैं।

गतिविधि

आप अपनी मातृभाषा में प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र (पूर्व या वर्तमान का समाचार पत्र) के नाम का उल्लेख करें, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली

कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है।**साथ ही इन मुद्दों पर अपने साथियों से चर्चा भी** करें,।

8.6 सारांश

आधुनिक सरकारों की ठोस स्थापना के नुसार वंचित लोगों या अल्प सुविधाभोगी समुदायों के लिए कल्याणकारी कार्यों को निश्चित किया गया है, ये हमेशा ही जहां पर लक्षित समूह का संरक्षण और उनके सामाजिक न्याय को उन्नत करना उनका संवर्धन करना एक प्रतिवर्ति है ताकि वे लोग अपने आप को सुरक्ष्ज्ञित तथा संरचित महसूस कर सकेंगे। जब हम समानपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं, उस समय हम समाज को उनकी निष्पक्षता को याद दिलाते हुए कहते हैं कि –''सभी समान हैं'' अतः हमें सबके साथ निष्पक्षताका व्यवहार करना चाएि। न तो किसी का पक्ष लेना चाहिये और न ही किसी अनेक प्रकार के विरूद्ध होना चाहिए। भारत में अनेक प्रकार के समाज कल्याण के लिए प्रावधानों को बनाया गया है किन्तु फिर सरकार ने लक्षित समूहों के कल्याण के लिए विशिष्ट प्रावधानों के सूत्रबद्ध किया है। इन में से कुछ प्रावधान समाज कल्याण से संबंधित है जिनमें छात्रवृत्तियों, निशुल्क कोचिंग, हॉस्ट्लस की वयस्क सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, यह सादी योजनाएं आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तीकरण से संबंधित हैं।

इस इकाई के अध्ययन के द्वारा आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य संचालन के दो विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं प्रथम सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग और दूसरा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण का विभाग। इन दोनों विभागों के साथ ही अनेक प्रभाग भी कार्य कर रहे हैं जो वंचित व अल्प सुविधाभोगी समुदायों के लिए ''सामाजिक न्याय और निष्पक्षता पूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं।

8.7 संदर्भ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

Annual Report (2020-2021). Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Retrieved from http://disabilityaffairs.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/MinistrySocialJusticeARENGLISH2020-21Final.pdf

Annual Report (2020-2021). Department of Social Justice and Empowerment. Retrieved from: https://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ANNUAL_REPORT_2021_ENG.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Retrieved from: http://disabilityaffairs.gov.in/content/

Department of Social Justice and Empowerment. Retrieved from: https://socialjustice.nic.in/

Press Information Bureau (2021). Rehabilitation of Manual Scavengers Retrieved from: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1776848

Report of Protection of Civil Rights Act, 1955 for the year 2015. Retrieved from: https://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/arpcr15.pdf

Twelfth Five Year Plan (2012–2017) - Ministry of Tribal Affairs https://tribal.nic.in › Statistics

---

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 9 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9,2 सांविधानिक सुरक्षा

9.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

9.3.1 आयोग के कार्य (कर्त्तव्य)

9.3.2 एनसीएससी द्वारा संपूर्ण भारत से प्राप्त की गई शिकायतें

9.3.3 आयोग के राज्य कार्यालयों के प्रकार्य

9.3.4 आयोग द्वारा अपनाएं गए दृष्टिकोण और कार्यनीतियाँ

9.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

9.4.1 आयोग के कार्य (कर्त्तव्य)

9.4.2 आयोग की शक्तियाँ

9.4.3 एनसीएसटी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें

9.4.4 क्षेत्रीय कार्यालय

9.5 सारांश

9.6 संदर्भ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित की गई सुरक्षा का वर्णन कर सकेंगे;
- अनुसूचित जातियों के कल्याण के कार्यों को संरक्षण और समवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे; और
- अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण और संवर्धन में अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के जनक के इस तथ्य का स्वयं ही संज्ञान लिया कि यहां की जनसंख्या का एक भाग अत्यकिधक पिछड़ेपन जी रहा है जोकि भयावह है अर्थात सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रसित हैं जोकि उन्होंने महसूस किया कि इनके मूल हितों को तुरंत संरक्षण और संवर्धन की नितान्त आवश्यकता है ताकि ये लोग भी शेष जनसंख्या के समान अपने हित लाभ प्राप्त कर सकें। मूल रचनाकारों ने यह स्वीकार किया कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इनके अन्दर पिछड़ापन व्याप्त है जैसे कि अस्पृश्यता का पालन किया जाना, घटिया किस्म के कृषि कार्य, और संसाधनों तक पहुँचने की कमी इत्यादि इसके जिम्मेदार कारक हैं। इसके परिणामस्वरूप इनकी गतिविधियों को सामाजिक स्तर पर पाबन्दी लगाई हुई है और

इसी के प्रभाव के कारण सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों पर रोक लगाई हुई है। इसका उद्देश्य इनके नैतिक आदर्श को वर्धन करना तथा बिना किसी बाधों के संसाधनों तक समान रूप से पहुंच बनाई जाए, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के उपबंध के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में इनको क्रमांक अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक सांविधानिक निकाय के रूप में अपने कार्यों का संचालन कर रहा था (अनुच्छेद 338)। यद्यपि आरम्भ में एक विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे थे, अब वर्तमान आयोग बहु–सदस्य प्राधिकारियों के साथ कार्य निस्पादन करते हैं। इसका कारण लक्षित समूह या समुदाय द्वारा जटिलताओं का सामना करने के कारण, इनको सुलझाने के लिए तीव्र मालिक प्राधिकारियों की आवश्यकता थी साथ ही प्रतिनिधियों की संख्या तथा प्रभावी निकाय बनाना आवश्यक हो गया था। लोक सभा सदस्यों द्वारा राजनीतिक दबाव बनाने के कारण और माँग की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक सुरक्षा को लागू करने उनके अधिकारों को बनाए रखने तथा निगरानी कर दे एक आयोग समुचित नहीं है और संविधान (आठवीं–नौंवी संशोधन) अधिनियम, 2003 को संसद में पारित किया गया और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए जैसेकिः

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी),

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह वंचित तथा अल्पसोवित लोगों पर होने वाले भेदभाव एवं अत्याचारों से उनकी सुरक्षा करे। एक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक संस्थान/प्राधिकारी या प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वे वंचित लोगों के कल्याण के कार्यों को उन्नत करें उनके सुरक्षा प्रदान करे तथा उनको केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के भरोसे ही नहीं बैठना है, उनको स्वयं भी देखभाल और निगरानी का कार्य को देखना है। यद्यपि ये दोनों ही आयोग सांविधानिक शक्तियों को धारण करते हुए भी ये केवल सिफारिशें कर सकते हैं जिनको मानना अनिवार्य नहीं हैं, यह तो केवल सलाह मात्र मानी जाती है अन्य प्राधिकरण इन को स्वीकार करे या न करें यह उनके निर्णय पर निर्भर करता है।

इस इकाई में आप सांविधानिक निकायों के संबंध में अध्ययन करेंगे जैसेकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) जोकि लक्षित समुदाय व वर्गों की सुरक्षा तथा संरक्षण का कार्य निस्पादन करेंगे। दो आयोगों के संवर्धन में चर्चा करने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सांविधानिक सुरक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे।

9.2 सांविधानिक सुरक्षा

सांविधानिक सुरक्षाओं को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि (i) विकास तथा संरक्षणात्मक सुरक्षा, (ii) सामाजिक सुरक्षा, (iii) आर्थिक सुरक्षा, (iv) शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा, (v) राजनीतिक सुरक्षा, (vi) सेवा सुरक्षा हैं उपर्युक्त सभी सुरक्षाएं सभी लोगों के लिए आवश्यक हैं और सभी पर लागू होती हैं किन्तु यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं (हैण्डबुक, 2016)।

(i) विकास और संरक्षणात्मक सुरक्षा

यह सभी सुरक्षाएं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में उपलब्ध है, विशेष कर अनुच्छेद 46 निम्न प्रकार के प्रावधान लागू करता है:

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को उन्नत करना (विकास सुरक्षा),

(ख) सामाजिक रूप से होने वाले अन्यायों और सभी प्रकार के भेदभावों से बचाने के लिए संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना है (संरक्षणात्मक सुरक्षा)।

(ii) सामाजिक सुरक्षा

अनुच्छेद 17: इसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता को सुरक्षा देना और अस्पृश्यता के कलंक का उन्मूलन करना इस अनुच्छेद 17 के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए और

अपराधियों को दण्डित करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण (सीसीआर) अधिनियम को पारित किया गया था।

अनुच्छेद 23, के अनुसार मानव अवैध व्यापार, भीख मांगना और इसी प्रकार के जबरन श्रम करना आदि का निषेध किया गया है। यह तथ्य है कि अधिकतर बंधुआ मजूदरों की संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की ही होती है। इसलिए यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 24 कहता है कि 14वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी फैक्टरी या खानों में काम करने के लिए प्रतिबंध है, यह कार्य जीवन के लिए खतरनाक हैं। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के संबंध में बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि इनके बच्चे ही यानि इस श्रेणियों के बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है।

अनुच्छेद 25 (2) इस अनुच्छेद में प्रावधान रखे गए हैं कि सभी हिन्दू धर्म के संस्थानों में संपूर्ण जनसंख्या की सभी श्रेणियाँ और उसके भाग को निर्बाध रूप से प्रवेश कर सकेंगे। यह कानून कहता है कि किसी भी जाति को व्यक्तियों के सभी धार्मिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया है।

(iii) आर्थिक सुरक्षा

आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है कि लक्षित समूहों या समुदायों को आर्थिक रूप से होने वाले आक्रमणों आधिपात्य से सुरक्षा प्रदान करना है। उनके लिए प्रावधान किया गया है कि

बिना किसी जोर जबरजस्ती के अपने हितों के साधने को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 23, 24 और 46 को अनुसूचित जातियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।

(v) शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा

अनुच्छेद 15 (4) राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनके कल्याण के लिए विकासात्मक उपायों को लागू करेगे और उनके हितों को पूरा करने के लिए संरक्षण देंगे। उदाहरण के लिए लक्षित समूहों व समुदायों के लिए तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में उनकी सीटों को आरक्षित किया जाए।

(vi) राजनीतिक सुरक्षा

अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोग सभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 332 के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं में अनु. जा. और अनु. जाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है।

(vii) सेवा सुरक्षा

अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत लक्षित समुदाय व समूहों के लिए राज्य के सेवाओं में आरक्षण देने का प्रावधान का अधिकार दिया गया है और पात्र समूहों के व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है।

9.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का गठन अनुसूचित जातियों के कल्याण के संविधान में दी गई सुरक्षाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। वास्तव में, अनुच्छेद 338 में यह अनुदेश है कि आयोग सामाजिक असमानताओं से संबंधित सभी मामलों की जाँच और उनके पालन के लिए निगरानी करनी होगी जब एनसीएससी का संस्थागत अभिविन्यास होगा तब यह बिना किसी शंका के रक्षात्मक, संस्थान होगी। जब हम अनुच्छेद 46 के संदर्भ में देखते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि समाज के कमजोर वर्णों के लोगों शैक्षिक और आर्थिक हितों को उन्नत करेगा अर्थात विशेष कर अनुसूचित जातियों का हित साधन का कार्य करेगा। इस प्रक्रिया में राज्य सभी सामाजिक अन्याय और शोषण से लक्षित समुदाय की रक्षा करेगा। कानून के आधार पर बने प्रावधानों के अनुसार एनसीएससी के गठन में एक अध्यक्ष, उपाध्याक्ष तथा तीन अन्य सदस्य पदाधिकारी होंगे। नियुक्ति की जाने के पश्चात आयोग की सेवा शर्तें; कार्यकाल की अवधि तथा लाभों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे। वर्ष 2004 में प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया था। इसके प्रशासनिक कार्यों की देखभाल और प्रमुख का कार्य भारत सरकार का सचिव होता है और इसकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव पद के

अधिकारी तथा निदेशक और उप–सचिव होते हैं इस के 12 राज्यों में अपने कार्य संचालन करते हैं। राज्य कार्यालयों के मुख्य अधिकारी जो निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक पद के अधिकारी कार्यभार को संभालते हैं (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट)।

9.3.1 आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत आयोग के कार्यों, कर्तव्य या काम और शक्तियाँ दी गई हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 338 के उपखण्ड 4 के अनुसार आयोग, शक्तियाँ दी गई है कि वह अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यालय के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित कर संचालित करेगा। आयोग के कार्य निम्न प्रकार से हैं:

(क) संविधान में अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करेगा अथवा किसी भी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और इस प्रकार की सुरक्षाओं के कार्यों का मूल्यांकन करेगा।

(ख) अनुसूचित जाति को दिए गए अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित करने के संबंध में दी गई विशिष्ट शिकायतों की जाँच करेगा।

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी और सरकार के अपनी सलाह और सुझाव देगा। इसके

साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अग्रणी किए गए उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा।

(घ) सुरक्षाओं के संबंध में किए गए कार्यों की वार्णिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए तथा सुरक्षाओं और किए गए अन्य उपायों को प्रभावी रूप से कायोन्वित करने के लिए केंद्र सरकार या किसी भी राज्य को अपनी सिफारिशें देगा (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट)।

सिविल कोर्ट की तरह ही कार्य करने की शक्तियाँ

अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित मामलों में आयोग की शक्तियाँ सिविल कोर्ट के समान ही हैं। उदाहरण के लिए संपूर्ण भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को समान योजना या जारी करना तथा आयोग के समक्ष उपस्थिति होने के लिए प्रवर्तन करना, कराने की शक्तियाँ दी गई हैं और उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र की समीक्षा व जाँच परख करने की शक्तियाँ हैं। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या कापी के लिए किसी भी न्यायालय या कार्यालय से माँगने पर आयोग को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

परामर्श देना

केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी प्रमुख नीतियों पर आयोग से परामर्श करना अथवा सलाह लेना अनिवार्य है।

समीक्षा बैठकें

वर्ष 2016–17 में एनसीएससी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीतियों के क्रियान्वयन के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।

9.3.2 संपूर्ण भारत से एनसीएससी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें

एनसीएससी के पास समर्पित विंगस मौजूद हैं जैसे कि सेवा सुरक्षा विंग, आर्थिक और सामाजिक विकास विंग, तथा अत्याचार एवं सिविल अधिकार संरक्षण विंग ये सब विभिन्न प्रकार के केसों पर कार्रवाई करते हैं उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में कुल 38669 केसों का निपटान किया गया जिसमें 13540 केस मुख्यालय में निपटाने और 25,129 केस राज्यों में स्थापित कार्यालयों में हल किए गए (एनसीएससी) की वार्षिक रिपोर्ट, 2016)। एनसीएससी ने मुख्यालय और राज्य के कार्योलयों में दोनों शिकायतों/प्रतिवेदन प्राप्त किए गए, उनके व्यापक रूप से तीन श्रेणियों विभाजित कर सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं:

(i) सेवा सुरक्षा से संबंधित शिकायतें सेवा सुरक्षा विंग के द्वारा निपटाई गई या निपटाई जाती हैं।

(ii) आर्थिक–सामाजिक विकास से जुड़ी–हुई शिकायतें आर्थिक और सामाजिक विकास विंग से निपटाई गई।

(iii) अत्याचारों संबंधित शिकायतें सिविल अधिकार अत्याचार और सुरक्षा विंग के द्वारा मामलों को हल किया गया। इसके साथ ही उत्पीड़न, भूमि विवाद, मन्दिर में प्रवेश/सामाजिक बहिष्कार इत्यादि सहित अत्याचारों के संबंध में कार्रवाई की गई।

बॉक्स 12.3.1 एनसीएससी द्वारा सुलझाई गई शिकायतों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

बॉक्स 9.3.1 शिकायतों से संबंधित केसों के उदाहरण

केस उदाहरण 1: उत्पीड़न और अत्याचार संबंधी मामले या केस

चेन्नई के एक हायर सेकेण्डरी स्कूल टीचर ने आपने हैडमास्टर इंचार्ज के द्वारा किए गए उत्पीड़न और अत्याचार करने के संबंध में शिकायत/प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किया। आयोग ने कार्रवाई करते हुए उस मुख्य अध्यापक इंचार्ज की वहाँ से किसी दूसरे स्कूल में बदली कर दी गई थी।

केस उदाहरण 2: अत्याचार से संबंधित मामले

एक ग्रामीण (याचिका दाता) जो छापोली (महाराष्ट्र) के निवासी के उसने पुलिस के विरूद्ध शिकायत की कि पुलिस ने उसके विरूद्ध लूटपाट करने और आग लगाने के झूठा केस दर्ज किया है। वास्तव में पुलिस ने याचिकाकर्ता तथा अनय 4 के विरूद्ध कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। एनसीएससी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया जिसमें कोर्ट की सहमति थी।

(लगातार)

(लगातार)

इस केस की जाँच की गई। इस प्रक्रिया में पता लगा कि ग्रामीण (याचिकाकर्ता) और अन्य व्यक्तियों किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया था। तथा यह सिद्ध हो गया कि पुलिस झूठा केस बनाकर याचिकाकर्ता व अन्य को फंसाया गया था।

अनु. जाति की महिलाओं के विरूद्ध अपराध

पिछले कुछ वर्षों से अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 सबसे अधिक अपराधों के लिए घटनाओं के लिए बदनाम रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश (2316 अपराध), मध्यप्रदेश (1574), अपराध और महाराष्ट में (808) अपराधों की उच्च संख्या देखी गई है। यह संपूर्ण भारत में आप दंडपूर्ण संकेतों का परिदृश्य है, राज्य जैसे कि कर्नाटक, छतीसगढ़, तमिलनाडु

और बिहार की घटनाओं के आँकड़े अनुसूचित जातियों की महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों में अत्यंत वृद्धि हुई जो एक शर्मनाम घटनाऐं हैं।

स्रोतः एनसीएससी की वार्षिक रिपोर्ट 2016–2017)

9.3.3 आयोग के राज्य कार्यालयों के कार्य

(i) एनसीएससी के राज्य कार्यालय आयोग की आँखें और कान हैं, ये नीतियाँ कोई सूत्रबद्ध करने और मार्गदर्शी नियमों को उन्नत करने में एक रखवाले के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कार्यों की वास्तविकता स्थितियों से एनसीएससी के मुख्यालय में समय–समय पर यह सांवधिक रूप कार्य निष्पादन की स्थितियों से अवगत कराते रहते हैं। अलग–अलग राज्य सरकारें जब नीतियों को विकसित करती है वे राज्य के कार्यालय में इसकी अधिकार सूचक जारी करते हैं कि क्या कुछ नई नीतियों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के लिए दी जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं का आकलन किया जाता है तथा राज्य के अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से सीधा सम्पर्क बनाए रखते हैं। मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर लक्षित समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास को उन्नत करके उसमें सुधार करने के लिए समुचित उपयोगी सुधारों व उपायों को लागू करने में सहयोग देना और निगरानी करना है।

(ii) द्वितीय, आयोग के अधिकारी लगातार राज्य के प्रशासकों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं और विशेष कार्यों के लिए चिहिंनित विधियों की निगरानी के लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं ताकि अनुसूचित जातियों के प्रयोग के लिए निर्धारित राशि को उनके लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं ताकि अनुसूचित जातियों के प्रयोग के लिए निर्धारित राशि को उनके लिए खर्च किया जा सके और उनके सामाजिक–आर्थिक हितों को संरक्षण तथा उसका संवर्धन करना, विशेष कर्तव्य के अन्तर्गत आता है।

(iii) तृतीय, प्रत्येक राज्य कार्यालय अपने अलग–अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हाथ में लिए गए कार्यों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट तैयार करते हैं और यह रिपोर्ट एनसीएससी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह अनु. जाति के कल्याण की स्थिति के संबंध में सामान्य विचार आयोग को उपलब्ध कराते हैं ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट)।

बॉक्स 9.3.2 अपने आप से उठाए गए केस

एनसीएससी राज्य कार्यालयः बेंग्लोर (बेंगलुरू)

वर्ष 2016 में एनसीएससी के बेंगलुरू के राज्य कार्यालय ने प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वयं सज्ञेय अपराध के लिए कार्यवाही थी। इसमें हसन जिले के अनुसूचित जाति के लोगों ने रिपोर्ट की थी उन लोगों के हिन्दू मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया

जा रहा है। घटना बसवेश्वर मंदिर महोत्सव मनाया जा रहा था। इसमें का बहिस्कार भी किया गया था। राज्य कार्यालय के सदस्य तुरन्त घटना स्थल पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रशासन से चर्चा की इसके पश्चात् अनुसूचित के लोगों को मंदिर में पूजा करने के लिए अनुमति दी गई।

स्रोतः एनसीएससी की वार्षिक रिपोर्ट (2016–17)।

9.3.4 आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और कार्यनीति

विकास योजनाओं के परिणामों की निगरानी और उनके मूल्यांकन के लिए एनसीएससी ने राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ राज्य स्तर पर लगातार संवाद स्थापित करना, पुनरीक्षण के लिए बैंठकें तथा क्षेत्र दौरों करने का निर्णय लिया। राज्य के मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर पुनरीक्षण बैठकें की गई ताकि जो चल रही विकास योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त करने उनकी प्रगति रिपोर्ट लेने और समुचित कार्यनीतियों की रूपरेखा बनाने के कार्यों की समीक्षा की।

भविष्य की कार्यनीति

(i) एनसीएससी ने अनु. जाति के अधिकारों और ऐसे अधिकारों से वंचित करने के संदर्भ के साथ उनकी गतिविधियों पर अनुसंधान कार्य करने का काम अपने हाथ में लिया है। इस प्रकार के अध्ययनों के माध्यम से एनसीएससी की योजना

है कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों को प्रचारित और प्रसारित किया जाए।

(ii) एनसीएससी की योजना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अथवा सशक्तीकरण से संबंधित गतिविधियों को उन्नत करने के लिए एनजीओ एवं अन्य पण धारियों से परस्पर संवाद और सहयोग प्राप्त किया जाए।

9.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की वर्ष 2004 में स्थापना की गई। इस अनुच्छेद के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कार्यों की प्रभावी क्रियान्वयन की देखरेख करें। एससी के लिए गठित एनसीएससी के सामन ही एनसीएसटी की भूमिका भी अनुसूचित जनजाति के सामाजिक–आर्थिक विकास को संरक्षित और संवर्धन का कार्य सम्पादन करेगा। इसके अतिरिक्त, एनसीएसटी संपूर्ण देश के अनुसूचित जनजाति के सामाजिक–आर्थिक स्तर व स्थिति के संबंध में सभी दस्तावेजों को वार्षिक रिपोर्ट के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

एनसीएससी की तरह ही एनसीएसटी का गठन किया गया है, इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य नियुक्ति किए गए है। आयोग की सेवा अवधि जिस

दिन से पदभार संभालेंगे तीन वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इसका अध्यक्ष काबिन मंत्री के स्तर का और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के स्तर के होंगे। अन्य जो तीन सदस्य हैं वें भारत सरकार के सचिव पद के सम्मान होंगे। वर्ष 2004 में प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई (एनसीएसटी)। इसके साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय एनसीएसटी का नोडल मंत्रालय होगा। एनसीएसटी की सेवा शर्तों और कार्याल की अवधि को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। एनसीएसटी का मुख्यालय के साथ ही 6 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त इसमें मुख्यालय के साथ 6 यूनिट्स शासित होंगी तथा इनके प्रशासन संयोजन तथा 4 अनुसंधान यूनिट भी होंगी जो सब मिलकर आयोग के दिशा निर्देशों पर अपना कार्य सम्पादन करेंगे (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वेबसाइट)।

9.4.1 आयोग के कर्त्तव्य

(i) अनुसूचित जनजाति को संविधान अथवा अन्य किसी विधि या सरकार के आदेश या नीति के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी का कार्य निस्पादन करना है। एनसीएसटी का कार्य सुरक्षाओं के प्रचालन के तकनीकों का मूल्यांकन करना है।

(ii) अनुसूचित जनजाति के अधिकारों तथा सुरक्षाओं से वंचित करने से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करेगा।

(iii) अनुसूचित जाति के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सरकार के साथ भागीदारी देंगे और अपना परामर्श प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्तर्गत विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा।

(iv) सुरक्षा से संबंधित कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

(v) अनुसूचित जनजाति के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा और अन्य किए गए उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों अपने सिफारिशें भेजेगा।

(vi) राष्ट्रपति अथवा अन्य विधि या नियम के द्वारा विशेष कार्यों को करने के आदेशों के अनुसार उनको क्रियात्वित करना उनका निष्पादन करना। कार्यों में नीतियां और कार्यक्रम सम्मिलित हैं जैसेकि संरक्षण, कल्याणकारी कार्य, विकास तथा अनुसूचित जनजाति का उत्थान करना है (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वेबसाइट)।

9.4.2 आयोग की शक्तियाँ

कार्यविधि से संबंधित स्वायत्ता

किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी कार्यविधि से आयोग के कार्यों को नियंत्रित और संचालित करने की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 4 आयोग को

शक्तियाँ प्रदत्त करता है कि वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी क्रियाविधि से कार्यों को संचालित करने में सक्षम है। कार्यविधि की स्वायत्ता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया हैः

(क) सुरक्षा के कार्यों में अन्वेषण और की प्रक्रिया या क्रियाविधि।

(ख) लगातार बैठकों का संचालन करना।

(ग) आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्तव्यों या कार्यों की रूपरेखा तैयार करना।

(घ) अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण के कार्यों में केंद्र सरकार/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की नीति निर्माण और क्रियान्वयन में आयोग परामर्श देने की भूमिका निभाना।

(ङ) आयोग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों की निगरानी करना (एनसीएसटी की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16)।

सिविल कोर्ट के समान कार्य करने की शक्तियाँ

सुरक्षा अथवा अधिकारों के वंचित करने से संबंधित किसी भी केस का अन्वेषण करने शक्ति है तथा आयोग किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन की जाँच करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह सिविल कोर्ट की जो उसका शक्तियाँ प्राप्त है, उनका प्रयोग कर सकता है। यहाँ तक कि भारत का उच्चतम न्यायालय भी यह घोषणा कर चुका है

कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में आयोग के पास यह शक्तियाँ है कि वह सिविल कोर्ट के समान ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है हालांकि यह शक्तियाँ आयोग को एक सिविल कोर्ट के रूप में परिवर्तित नहीं करती हैं। इन शक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) भारत के संपूर्ण हिस्सों में दिए गए शपथ पत्र की जाँच–परख कर सकता और संबंधित अपराधी को सम्मान दे सकता है अपने बल का प्रयोग कर सकता है;

(ख) अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी दस्तावेजों को प्राप्त कर सकता है, खोज कर सकता है और प्रस्तुत कर सकता या प्राप्त कर सकता है;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार या शक्ति;

(घ) किसी भी कोर्ट या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रतियाँ मांग सकता है; और

(ड़) राष्ट्रपति या किसी भी संसद द्वारा संदर्भित नियम के रूप में किसी भी मामले में कार्रवाई करने में आयोग सक्षम है (एनसीएसटी वार्षिक रिपोर्ट 2015–16)।

9.4.3 एनसीएसटी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें

संपूर्ण भारत से आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायत याचिकाएँ जिनमें निम्नलिखित की गई हैं:

(i) सेवा सुरक्षा,

(ii) भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामले, उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश अवति चिकित्सा, इंजीनियरिंग इत्यादि,

(iii) कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों अत्याचार इत्यादि।

जनजाति के याचिका कर्ताओं को एनसीएसटी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यालयों में सूचना एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। द्वितीय एनसीएसटी के कार्यालयों में गरीब जनजाति के लोगों को सम्पर्क साधने या बनाने के लिए टोल फ्री नम्बर अर्थात निशुल्क टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तृतीय वर्ष 2007 में जनजाति के कार्यों और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए वेब पोर्टल बनाया गया यानि कि स्थापित किया गया है।

9.4.4 क्षेत्रीय कार्यालय

एनसीएसटी ने अलग–अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में सूत्रबद्ध नीतियों और मुद्दों के बार मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही राज्य कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्रों में जनजाति से संबंधित नीति निर्णयों के कार्यों के संबंध में मुख्यालय को समय–समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट देते रहते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकार्य

(i) क्षेत्रीय कार्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे राज्य के प्राधिकारियों सहित संवाद सम्पर्क बनाए रखें ताकि अनुसूचिज जनजाति के हितों के सहित नीतियों को अक्षुण्ण या अखण्ड बनाए रख सके। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत निधि की निगरानी करना भी राज्य कार्यालयों की जिम्मेदारी में सम्मिलित है और निधि के समुचित उपयोग की निगरानी करना भी शामिल है।

(ii) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसूचित जनजाति के कल्याण के कार्यों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को जो उन्होंने अपने हाथ में पालन करने के लिया है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र से निपटा गए कार्यों की रिपोर्ट सार्वधिक सीमा ही रिपोर्ट एनसीएसटी को भेजेंगे। इससे आयेग एसटी के कल्याण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आकलन करेगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उन पर समुचित कार्रवाई करने में निर्णय ले सकेगा।

(iii) क्षेत्रीय अधिकारी एनसीएसटी के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दौरों के समय वे साक्ष्य रहेंगे। एसटी के विरूद्ध अत्याचारों के मामलों में एनसीएसटी दया की जाने वाले जाँच के समय घटना स्थल पर क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य और जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों के समुचित संस्थागत के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ नेटवर्क स्थापित करेंगे (राष्ट्रीय जनजाति आयोग की

वेबसाइट)। आइए अब हम बॉक्स 12.4.1 में एनसीएसटी द्वारा कुछ शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं।

बॉक्स 9.4.1 शिकायतों से संबंधित केस उदाहरण

(i) विकास के मामले

केस उदाहरण 1

मार्च 2013 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण के डीन (मध्य प्रदेश) ने जनजाति विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विधार्थियों को पोस्ट मैंट्रिक स्कॉलरशिप का भुगतान न होने पर आयोग को पत्र लिखा। इसमें सूचित किया गया था कि जिला जनजाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाना था। यह तक कि अप्रैल 2013 में आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था और इसके बाद वर्ष 2014 से अगस्त 2015 तक लगातार स्मर्णपत्र प्रेषित किए जाते रहे थे किन्तु कोलेक्टर कार्यालय से कोई भी उत्तर नहीं दिया गया था। अन्त में सितम्बर, 2015 में जिला कोलेक्टर ने आयोग को रिपोर्ट की कि उसने विश्वविद्यालय के 2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विधार्थियों की छात्रवृत्ति को भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय ने छात्रवृत्ति प्राप्ति की और मामला बन्द कर दिया गया।

केस उदाहरण 2

वर्ष 2014 में कलकता के एक याचिकादाता ने एनसीएससी को प्रतिवेदन दिया कि कुछ जनजाति के लोगों ने सब–डिविजन आफिसर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था किन्तु उनको अभी तक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पश्चात एनसीएससी ने जिला मजिस्ट्रेट के साथ हस्तक्षेप करने के बाद अगस्त 2015 में जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

(लगातार)

(ii) सेवा संबंधी मामले

केस उदाहरण 3

हुगली के एक याचिका कर्ता द्वारा एनसीएससी को प्रतिवेदन दिया उसके पेंसर को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा फरवरी 2014 से सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है। आयोग ने महाप्रबंधक कलकता को लिखा और जुलाई 2015 में इस मामले को निपटा दिया गया था।

(iii) अत्याचार संबंधी मामले

केस उदाहरण 4

सितम्बर, 2014 में 'पत्रिका' मैगजीन के भोपाल अंक ''आदिवासी सरपंच को दबंग द्वारा पीटा गया ''शीर्षक से समाचार लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख के अनुसार, सरपंच

ने उस दबंग (बदमास) के मांगने पर अपनी ..... को नहीं दिया। इसके पश्चात् उस बदमास ने कई बार उस सरपंच को पीटा था। इस भयानक आंतकित स्थिति उसके परिवार को डराया धमकाया गया और वे भयभीत होकर उन्होंने गाँव छोड़ दिया था। एनसीएसटी ने इस मामले में स्वयं है कार्रवाई की जिसका आधार पत्रिका में प्रकाशित लेख था जिला कोलेक्टर और सुपरिटेंडेट ऑफ पुलिस (एसपी) को लिखा गया और उन्होंने इस मामले की पुष्टि की थी। इसके अनुसार केस रजिस्टर्ड हुआ और उसकी जाँच की गई। इसके पश्चात् अपराधी को गिरफ्तार किया गया और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई, यह धन राशि रूपये 1,80,000 थी जिसको आदिवासी सरपंच के बैंक खाते में जमा कराया गया था।

केस उदाहरण 5

वर्ष 2015 में, ''दैनिक भास्कर'' के भोपाल अंक में एक समाचार लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक 'टीटीई ने जबलपुर में चलती रेल में से एक आदिवासी महिला को नीचे फेंक दिया जिसमें उस महिला की एक टांग कर गई (यह टांग रेल के पहिए से कटी थी)। कारण यह था कि उस महिला ने सामान्य किराया का टिकट लिया था और आरक्षित डिब्बे में बैठी थी। आयोन ने स्वयं ही इस दर्दनाक घटना का संज्ञान लिया और आयोग ने तुरन्त ही जिला केलेक्टर और जबलपुर के एसपी से इस घटना का रिपोर्ट तलब की। एनसीएससी ने जनजाति कल्याण विभाग को कार्रवाई के लिए कहा। इससे जानकारी मिली की पीड़िता को नगद रूपये 90,000/– की प्रथम किस्त का

भुगतान कर दिया गया है और शेष धनराशि कोर्ट के द्वारा निर्णय देने और निश्चित करने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा तथा कोर्ट ने टिकट चेकर को समुचित दण्ड के आदेश दे दिए थे।

उपर्युक्त केस उदाहरण में से आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक मुद्दे और चुनौतियों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होने के कारण उनका सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से एनसीएसटी इन केसों में अपना हस्तक्षेप करके पीड़ितों को इष्टतम न्याय दिलाने में कार्रवाई करता है।

स्रोतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2015–16)

गतिविधि

कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों–आलेखों का अध्ययन कीजिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध किए जाने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट छपी हो और उनका संकलन भी कीजिए।

9.5 सारांश

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका आरम्भ एकल विशेष अधिकारी के रूप में की गई थी। तथापि लक्षित समूहों द्वारा अत्यंत जटिल समस्याओं का सामना करने के कारण एक

शक्तिशाली, प्रतिनिधित्व और प्रभावी निकाय की आवश्यकता महसूस की गई थी। दूसरी ओर राजनीतिक दबाव के परिणामस्वरूप लोक सभा सदस्यों ने संसद में कहा कि एक आयोग इन समस्याओं के समाधान के समुचित नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग–अलग आयोगों का गठन किया गया, ये दोनों स्वतंत्र सांविधानिक निकाय हैं।

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

एनसीएससी और एनसीएसटी दोनों निकाय लक्षित समुदायों के सांविधानिक सुरक्षाओं के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं अर्थात (i) विकास और संरक्षणात्मक सुरक्षा, (ii) सामाजिक सुरक्षा, (iii) आर्थिक सुरक्षा, (iv) शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा, (v) राजनीतिक सुरक्षा, (vi) सेवा संबंधी सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित की गई हैं। जब कभी भी प्राप्त समय यह सांविधानिक निकाय स्वयं ही अपने आप उनकी सुरक्षाओं को संरक्षण प्रदान करने की कार्रवाई करते हैं अथवा यह निकाय स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं का निदान करते हैं और समुचित उपायों के साथ संरक्षणात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों एनसीएससी और एनसीएसटी के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और उनको उन्नत करने के लिए कार्रवाई की शक्तियाँ और अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। यद्यपि इस इकाई के माध्यम से आप इन आयोगों की भूमिका कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं

और केस उदाहरणों के द्वारा असुविधा भोगी और वंचित समुदायों के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो गए है तथा आप यह भी जान गए हैं कि किस प्रकार आयोग इनके हितों को संरक्षण हो, सुरक्षा देने में सहायता करते हुए कार्रवाई करते हैं

9.6 संदर्भ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

Annual Report (2015-16). National Commission for Scheduled Tribes. Retrieved from: https://164.100.94.154/sites/default/files/2019/Annual_Report/11.pdf

Annual Report (2016-17). National Commission for Scheduled Castes. Retrieved from: http://ncsc.nic.in/files/AR16_17.pdf

Centre for Policy Research (n.d). Social Inequality and Institutional Remedies: A Study of the National Commission for Scheduled Castes. Retrieved from: https://www.cprindia.org/sites/default/files/policy-briefs/NCSC-CPR.pdf

Handbook (2016). National Commission for Scheduled Castes. Retrieved from: http://ncsc.nic.in/files/HANDBOOK-2016.pdf

National Commission for Scheduled Castes. Retrieved from: http://ncsc.nic.in/

इकाई 10 राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान

संरचना

10.0 उद्देश्य

10.1 परिचय

10.2 राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का उद्भव

10.3 संगठन और प्रबंधन

10.4 प्रशासन और योजना

10.5 राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग निवारण केंद्र

10.6 वरिष्ठ नागरिक

10.7 सामाजिक सुरक्षा

10.8 अनुसंधान और प्रलेखन

10.9 सारांश

10.10 संदर्भ

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम हो सकेंगेः

- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की भूमिका पर प्रकाश डालने में;
- एनआईएसडी के प्रमुख उपक्रमों का वर्णन कर सकेंगे; और
- बुजुर्गों, शराब, और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर आदि के प्रति समानुभूति विकसित कर सकेंगे।

10.1 परिचय

जब सामाजिक रक्षा की बात आती है, तो इसका अर्थ है एक ऐसी मजबूत सामाजिक नीति जो कमजोर आबादी के साथ हो रहे अन्याय का सामना करती हो। इसका उद्देश्य जनसंख्या की

परवाह किए बिना सामाजिक न्याय को बनाए रखना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य लक्षित समूहों के लिए संसाधनों का उचित वितरण करने से है, □□□□□ वे सकुशल और सुरक्षित महसूस करें। सामाजिक रक्षा के दृष्टिकोण से, संबंधित हितधारकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नीति और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, यह प्रक्रिया लिंग, आयु, आय के स्तर, विभिन्न प्रकार के अपराध के शिकार आदि की वास्तविकताओं के बावजूद मानव गरिमा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। विद्वान, आधुनिक सरकारों के प्रति मुखर रहे हैं और उनका यह मानना है कि भेदभाव, पूर्वाग्रहों और समाज के विखंडन से उत्पन्न होने वाली असंगतियों को ठीक करना उनका मौलिक कर्तव्य है। सिंह (तिथि निर्धारित नहीं) के अनुसार, सामाजिक रक्षा एक व्यवस्थित संगठन है जो राज्य और नागरिक समाज दोनों अभिकर्ताओं की सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से समाज को अपराध से बचा रही है। जब 'समाज को अपराध से बचाने' की बात आती है तो यह सार्वजनिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है जो समाज के हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के साथ–साथ बुजुर्गों, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोग, भिखारी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आदि से संबंधित हैं।

इस इकाई में, हम राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के प्रमुख क्षेत्रों और प्रयोजन के बारे में चर्चा करेंगे।

10.2 राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का विकास /उद्भव

आरम्भ में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) 1961 में गृह मंत्रालय के अन्तर्गत था। मूल रूप से, इसे केंद्रीय सुधार सेवा ब्यूरो कहा जाता था। 1964 में केंद्रीय ब्यूरो सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन आ गया। 1975 में, केंद्रीय ब्यूरो ने कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य आरम्भ किया। 2002 के बाद से, यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय बन गया। जब सामाजिक रक्षा के क्षेत्र की बात आती है, तो एनआईएसडी एक नोडल संस्थान के रूप में जाना जाता है जो मानव संसाधन विकास,

प्रशिक्षण और अनुसंधान के साथ–साथ मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में माहिर है। जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था देखभाल, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर इत्यादि जैसे क्षेत्र आते हैं। सामाजिक रक्षा के इस क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने के उद्देश्य से, संस्थान राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षमता को संवेदनशील बनाने, उन्मुख करने और क्षमताओं का निर्माण करने से जुड़ा है। एनआईएसडी विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। एनआईएसडी के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक निवारक, पुनर्वास और उपचार की तुलना में सामाजिक रक्षा क्षेत्र में नीतियां विकसित करना है। दूसरा, देश की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का अनुमान लगाना और उनकी पहचान करना। तीसरा, सामाजिक रक्षा नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों का विकास करना। चौथा, सामाजिक रक्षा डोमेन में स्वैच्छिक प्रयास को विकसित करना और बढ़ावा देना (राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट) ।

एनआईएसडी के विभिन्न प्रभागों के बारे में चर्चा करने से पहले, आइए हम संस्थान के संगठन और प्रबंधन के बारे में चर्चा करें।

10.3संगठन और प्रबंधन

संस्थान के लक्ष्यों के कुशल कामकाज के लिए एनआईएसडी के पास बहु–स्तरीय समर्थित संरचना है। निदेशक, एनआईएसडी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। निदेशक को संबंधित प्रभागों का नेतृत्व करने के लिए चार उप निदेशकों द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दो परिषदें हैं, अर्थात् सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल जीसी) और कार्यकारी परिषद (एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ईसी)। सामान्य परिषद (जीसी) की भूमिका व्यापक नीति मानकों को तैयार करना है तथा कार्यकारी परिषद (ईसी) की भूमिका एनआईएसडी की गतिविधियों और कार्यक्रमों की निगरानी और निर्देशन करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जीसी और ईसी दोनों को दो साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाता है।

सामान्य परिषदः जनरल काउंसिल (जीसी)

जीसी के सदस्य इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के सचिव के साथ एनआईएसडी के शीर्ष शासी निकाय का गठन करते हैं । इसमें कुल मिलाकर, 12 सदस्य (8 आधिकारिक सदस्य और 4 गैर–सरकारी सदस्य) हैं। आधिकारिक सदस्यों में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, गैर–आधिकारिक सदस्यों में सामाजिक रक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।

कार्यकारी परिषदः कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य (3 आधिकारिक सदस्य और 2 गैर–सरकारी सदस्य) होते हैं। इसकी अध्यक्षता सामाजिक रक्षा के संयुक्त सचिव (MoSJE) करते हैं

आइए, आगामी अनुभागों में हम प्रशासनिक योजना, राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक रक्षा, अनुसंधान और प्रलेखन से जुड़े प्रभागों के बारे में चर्चा करें।

10.4 प्रशासन और योजना

प्रशासन और योजना प्रभाग का नेतृत्व एक उप निदेशक द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग सामान्य प्रशासन, वित्त और लेखा से संबंधित कार्य करता है। एनआईएसडी के वित्तीय पहलुओं के संबंध में, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रायल (डवैश्रम) की अनुदान सहायता के माध्यम से समर्थित है। उदाहरण के लिए, 2017–18 के दौरान, एनआईएसडी को कुल 4.10 करोड़ रु. अनुदान सहायता के अन्तर्गत इन निधियों को हितधारकों से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया था।

10.5 राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग निवारण केंद्र

2018 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) के सहयोग से पदार्थ उपयोग के विस्तार और पैटर्न पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम साइकोएक्टिव पदार्थ एल्कोहल (16

करोड़) है, उसके बाद कैनबिस (3.1 करोड़) और ओपियोइड्स (2.26 करोड़) हैं। नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन वास्तव में एक सामाजिक खतरा है जो न केवल पीड़ित के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है बल्कि यह उनके परिवार और समाज को भी परेशान करता है।

मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे को ध्यान में रखते हुए, एनआईएसडी के पूर्व मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम ब्यूरो ने वर्ष 1998 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीएपी) की स्थापना की। इस केंद्र का अधिदेश सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करना है, इसमें (i) निवारक नीतियां बनाना (ii) पदार्थ की मांग में कमी के लिए देशव्यापी सेवाओं का बेहतर कवरेज निर्मित करना। वर्ष1998 से, एनसीडीएपी (NCDAP) अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इस संबंध में, इसका मिशन जमीनी स्तर पर सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का निर्माण करना है। यह केंद्र वास्तव में, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी (एसएलसीए), पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), युवा एजेंसियों आदि के साथ सहयोग करता है।

इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य परियोजना के साथ क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करना है जिसमें समन्वयकों, परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आउट–रीच कार्यकर्ताओं, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों, समाजकार्य के परास्नातक छात्र, नर्स और अस्पताल के वार्ड बॉय शामिल हैं। इसके अतरिक्त, यह नियमित रूप से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017–18 में, एनसीडीएपी ने क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) और विश्वविद्यालयों के सहयोग से 333 क्षमता निर्माण कार्यक्रम (कैपसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम) आयोजित किए गए। इसमें कुल 26,249 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया। विशेष रूप से, नशामुक्ति उपचार–सह–पुनर्वास केंद्रों में काम करने वाले संभावित प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों के लिए विशेष रूप से "ड्रग डी–एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन" पर तीन महीने का

सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के प्रारूप में व्यसन की मूल बातें, परामर्श उपचार प्रोटोकॉल, जागरूकता निर्माण, और पुनर्वास शामिल हैं।

केस उदाहरण 1: शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के बाद का जीवन

2018 में, कटक (ओडिशा) के श्री रे का शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी (SLCA) में इलाज किया गया था। आशावादी दृष्टिकोण और अपनी अनुपयोगी आदतों पर काम करने की तत्परता के साथ, रे राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी में 15 दिनों तक रहे। अपने प्रवास के दौरान, वे विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और अधिकारियों की दृष्टि में विश्वसनीय बन गए। उदाहरण के लिए, उन्हें गतिविधि (एक्टिविटी) हॉल, एसएलसीए में निगरानी विभाग का प्रभारी बनाया गया था। छुट्टी के बाद, उन्होंने एसएलसीए का नियमित दौरा किया और अनुवर्ती स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध रहें। एक यात्रा के दौरान, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए, जिन्होंने रे के बारे में एक अच्छे स्वभाव वाले और एक देखभाल करने वाले व्यक्तित्व के रूप में इस बात की गवाही दी। एक पूर्व ड्रग एडिक्ट से, वर्तमान में, रे खेती से जुड़ गए हैं और 15,000/– रुपये से अधिक की मासिक आय के साथ जीवन गुजार रहें हैं। सबसे बढ़कर, वह सफलतापूर्वक शराब और अन्य पदार्थों से दूर रह सके जो वास्तव में नशामुक्ति कथाओं के लिए एक प्रेरणा है। (स्रोतः न्यूजलेटर, जनवरी, 2021)

10.6 वरिष्ठ नागरिक

10.6.1 जराचिकित्सा देखभाल

बुजुर्गों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करना भी शामिल है। बुजुर्ग आबादी के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में जीवन में उद्देश्य की भावना का खोना, वित्तीय असुरक्षा, रोजमर्रा की गतिशीलता में कठिनाई, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच आदि शामिल हैं। दूसरा, इन जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देशों को संसाधनों का दोहन करने के लिए भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक हो या मानवीय।

2011 की जनगणना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों का कुल प्रतिशत 8.6 प्रतिशत (10.38 करोड़) है जिसमें वर्ष 2026 तक अनुमानित वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत 12.4 प्रतिशत तक जाने की संभावना है। इसका अर्थ है सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना लक्षित समूह को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना (वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18)।

वरिष्ठ नागरिक प्रभाग बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे एकीकृत वृद्धावस्था देखभाल में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वृद्धावस्था देखभाल पर तीन महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित करना। उदाहरण के लिए, तीन महीने के प्रमाणपत्र कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में से एक है, कर्मचारियों के लिए संसाधन प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए कौशल का निर्माण करके बुजुर्ग देखभाल केंद्रों / घरों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। आगामी परिच्छेदों में हम जराचिकित्सा देखभाल से संबंधित दो मामलों के उदाहरण देखेंगे।

केस उदाहरण 1

23 वर्षीय युवती, सुश्री पूजा की प्रेरणायुक्त कहानी है। अपनी मां और भाई से बचकर एक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने वाली, पूजा का सपना एक नर्स बनना था। विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों में आवेदन करने के बावजूद पूजा आर्थिक तंगी के कारण प्रवेश लेने में असमर्थ थी। चूंकि उसका भाई एकमात्र कमानेवाला था, इसलिए उसे नर्स बनने के अपने जुनून को लगभग छोड़ना पड़ा। पूजा अपने जुनून को हासिल करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रही थी और आखिरकार एनआईएसडी द्वारा पेश किए गए 'जेरियाट्रिक केयर फॉर बेडसाइड असिस्टेंस/केयरगिवर्स' पर तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया। चूंकि कोर्स मुफ्त था, उसने आवेदन किया और कोर्स के सफल समापन पर, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में नौकरी पाने में सफळ हुई (न्यूजलेटर, सितंबर 2021)।

केस उदाहरण 2

बिहार के एक सुदूर गांव के 24 वर्षीय युवक श्री दीपक ने दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया। 2013 में, उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जो परिवार के

एकमात्र कमाने वाले थे। अपनी सीमित शैक्षणिक योग्यता के कारण, दीपक को अच्छी नौकरी नहीं मिली और इसलिए उसने एक जूता बनाने की फैक्ट्री में काम किया। हालाँकि दीपक को उसका काम पसंद नहीं था, लेकिन दीपक को संतोष था कि वह अपनी माँ की आर्थिक मदद कर सकता है। हालांकि, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की इच्छा के साथ, दीपक एक अच्छी शुरुआत की तलाश में थे। उन्हें साल 2018 में तीन महीने के 'जरियाट्रिक केयरगिविंग पर सर्टिफिकेट कोर्स' के बारे में पता चला। जराचिकित्सा देखभाल में पर्याप्त जोखिम के साथ–साथ अपने दृढ़ संकल्प और एक बेहतर करियर में स्विच करने के लिए, दीपक को बचत के साथ,30,000/– रुपये की मासिक आय के साथ प्लेसमेंट मिला। वह एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता था और एक बाइक का मालिक होने में भी कामयाब रहा। तीन महीने के पाठ्यक्रम के कारण, दीपक आगे वृद्धावस्था देखभाल के बारे में अपने वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ा सकता है और बुजुर्गों की भलाई के लिए काम करने की इच्छा रखता है।

उपरोक्त दो उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि कैसे सर्टिफिकेट कोर्स ने पूजा और दीपक की वित्तीय सुरक्षा में सुधार किया है।

10.6.2 वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण

बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संसद के 2021–22 के शीतकालीन सत्र में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन प्रस्तुत किया है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण (संशोधित) विधेयक, 2019 के अनुसार, बुजुर्गों के बच्चों और दूर के रिश्तेदारों को उनके देखभाल और कल्याण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बुजुर्गों को छोड़ने या परेशान करने के मामले में, उनके रिश्तेदारों को दंडित किया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, विधेयक में प्रावधान है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को तीन से छह महीने की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या अपराधी को

जुर्माना और कारावास दोनों भुगतना पड़ सकता है। विशेष रूप से, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में ऐसा प्रावधान मौजूद नहीं था।

विधेयक में शामिल किए जाने वाले एक अन्य प्रावधान में बुजुर्गों के कल्याण के साथ–साथ आवास, कपड़े, सुरक्षा और शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए सुविधाएं शामिल हैं। संस्था स्तर पर, विधेयक वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों को स्थापित करने का प्रयास करता है जो सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा सकते हैं। हालांकि बिल में कहा गया है कि ऐसे देखभाल गृहों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। केंद्र सरकार की भूमिका इन देखभाल गृहों के भौतिक बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसे न्यूनतम मानकों को विकसित करना है (पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, 2019)। इस प्रभाग की भूमिका क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों को ऐसे प्रावधानों के बारे में कानूनी जागरूकता पैदा करना है जो बुजुर्गों की गरिमा को बनाए रखने के लिए उपलब्ध है (वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18)।

आइए, आगे के परिच्छेदों (पैराग्राफों) में हम दो बुजुर्ग लोगों के जीवन पर गौर करें जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था और कैसे संस्थागत समर्थन ने उनके जीवन को बदला है।

केस उदाहरण 3

श्रीमति एन. रुक्मणी, नीलगिरि जिले की एक वयो–वृद्ध महिला को उनकी बेटियों और बेटों ने छोड़ दिया था और उन्हें भोजन और आश्रय के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। धीरे–धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी जिसके कारण उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने भौतिक और नैतिक समर्थन की कमी के कारण उन्हें श्री रामकृष्ण ओल्ड ऐज होम के साथ संबद्ध कर दिया, यह एक वृद्धाश्रम था जिसे एनआईएसडी द्वारा समर्थित एक किया गया था। अस्पताल से उन्हें अपने लाभार्थी के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया गया था। 2016 में, जब उसे घर लाया गया तो वह अपने आप चलने में असमर्थ थी, हालाँकि, होम स्टाफ के सहयोग से, वह शारीरिक और मानसिक रूप से

ठीक हो गई थी। उदाहरण के लिए, वह बिना किसी सहारे के चल सकती थी और धीरे–धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वह वृद्धाश्रम की सक्रिय सदस्य बन गई (न्यूज़लेटर, जून 2021)

केस उदाहरण 4

श्रीमति चंद्रराजिनी, मणिपुर की एक सौ साल की उम्र की विधवा हैं, उनके साथ उनके बेटे और बहू ने दुर्व्यवहार किया। वह आर्थिक रूप से तब मजबूत थी जब उनके पति जीवित थे क्योंकि वे एक किराने की दुकान चलाते थे। जब उनके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गये, तो उन्होंने दवा खरीदने के लिए कई छोटे–मोटे काम किए। दो बेटे होने के बावजूद, उनमें से किसी ने भी आर्थिक या नैतिक समर्थन नहीं दिया। पति की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने उन्हें त्याग दिया। डायबिटिक होने के बावजूद वह अपने घर में अकेली रह गई थी। धीरे–धीरे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति और किसी भी रूप में उसे सहायता प्रदान नहीं करने के कारण, उन्होंने अकेलेपन का अनुभव करना शुरू कर दिया जो अंततः अवसाद का कारण बना। उसकी दुर्दशा को देखते हुए, उसके एक रिश्तेदार ने उसे एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन (Integrated Rural Development and Educational Organisation, IRDEO), वांगबल द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक गृह में शरण लेने की सिफारिश की। यह गृह मणिपुर में एनआईएसडी का हितधारक (स्टेकहोल्डर) है। जैसे–जैसे दिन बीतते गए वह अपनी निजी कहानी साझा करते हुए अपने साथी अंतःवासियों के साथ दोस्ती कर सकती थी। देखभाल और साझापने के साथ, वह अपने दुख और उदासी को दूर कर सकती थी और उन्होंने अपने शौक जैसे बागवानी, सब्जियां उगाना आदि को आगे बढ़ाना □□□□ कर दिया।

10.7 सामाजिक रक्षा

कलंक(स्टिग्मा) और हाशिए पर रहना लक्षित समूहों के दैनिक जीवन में सामना करने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में लक्षित समूह बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार, भिखारी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंसी (एचआईवी) / एक्वायर्ड

इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), मानव तस्करी, जेल, परिवीक्षा सेवाओं आदि को संदर्भित करता है। उपर्युक्त लक्षित समूह जिन्हें कलंकित और हाशिए पर रखा गया है यह उनके मनोसामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए, उनके मनोसामाजिक कल्याण के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से, उचित हस्तक्षेप किए गए हैं। हस्तक्षेपों में से एक को इस खंड के अंत में पढ़ा जा सकता है।

सामाजिक रक्षा प्रभाग का उद्देश्य पुलिस विभागों, क्षेत्रीय सुधार प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), समाज कल्याण विभागों और सामाजिक कार्य संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाना है ताकि संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त पदाधिकारियों के अलावा, यह प्रभाग पीआरआई और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जेल अधिकारियों, स्कूल शिक्षकों और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस प्रभाग का संपूर्ण उद्देश्य लक्षित समूहों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। 2017–18 में, इस प्रभाग ने राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर 131 प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए, इस प्रकार इसमें 9,339 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए, 2017–18 में 242 प्रशिक्षुओं के लिए 'नशीली दवाओं से प्रभावित बच्चों की विशेष देखभाल' पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लाभार्थियों में संबंधित सरकार और गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी, स्कूल शिक्षक और परामर्शदाता शामिल थे। इसके अलावा, यह प्रभाग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि वे एक सभ्य जीवन स्तर का नेतृत्व करने के लिए कौशल हासिल कर सकें।

केस उदाहरण 5

लॉकडाउन के दौरान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित कई वंचित समुदायों ने अपनी आजीविका खो दी और उनके पास समर्थन का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं था। इसे दूर करने के लिए, एनआईएसडी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (National Backward Classes

Finance and Development Corporation) के सहयोग से इन वंचित समुदायों के लिए कोविड–19 राहत कोष प्रदान करने का इरादा दिखाया। तदनुसार, कोविड–19 राहत कोष सीधे पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खातों में जमा किया जाएगा। लाभार्थियों में से एक मध्य प्रदेश की सुश्री मुक्ति लॉकडाउन के कारण जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रही थीं और अपने घर का किराया देने में असमर्थ थीं। इस आर्थिक बाधा के कारण, उसके मकान मालिक ने या तो किराए का भुगतान करने या घर खाली करने की मांग की। संघर्ष के दौरान, वह एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता सुश्री रेशमा प्रसाद से मिलीं, जिन्होंने उन्हें राहत कोष के बारे में जानकारी दी। समय पर धनराशि जारी करने के कारण, सुश्री मुक्ति अपने किराये की बकाया राशि का निपटान करने में सक्षम हुई थी (न्यूज़लेटर, जनवरी 2021)

10.8 अनुसंधान और प्रलेखन

अनुसंधान और प्रलेखन प्रभाग एनआईएसडी के सभी संबंधित क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि नशीली दवाओं/शराब का दुरुपयोग, अंतर–पीढ़ी के बंधन, बुजुर्गों की देखभाल आदि। एनआईएसडी ने जिन महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया था, उनमें से एक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित 'शिल्पोत्सव' कार्यक्रम था, जिसमें शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों में सार्वजनिक दृश्य(पब्लिक व्यू), ऑन–द–स्पॉट परामर्श, फिल्म शो आदि के लिए सूचनात्मक और परस्पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) स्टॉल शामिल हैं। (वार्षिक रिपोर्ट 2017–18)।

10.9 सारांश

आधुनिक सरकारों के विकास के समय से ही सामाजिक सुरक्षा प्रचलन में रही है। आधुनिक सरकारों की मुख्य भूमिका लिंग, आयु, आर्थिक और सामाजिक स्थिति आदि के बावजूद अपने सभी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। हालांकि, संसाधनों की कमी के साथ–साथ संसाधनों के कम उपयोग के कारण भी चुनौतियां कई गुना ज्यादा हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए विकासशील देशों ने ऐसी संस्थाएं विकसित की हैं जो कलंकित(स्टिग्मा) और

हाशिए की आबादी(मार्जिलाइज) की जरूरतों को पूरा करती हैं। भारत ने भी जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करने का संकल्प लिया है और इस संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) की स्थापना की गई थी।

एनआईएसडी का अंतिम उद्देश्य वंचित समुदायों के मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अपने विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों जैसे राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग निवारण केंद्र(National Centre for Drug Abuse Prevention), वरिष्ठ नागरिकों आदि के माध्यम से एनआईएसडी लोगों के जीवन में, विशेष रूप से, वंचित समुदायों में प्रभाव पैदा करने में सक्षम है। जबकि व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं राहत कोष प्रदान करने से लेकर कौशल विकास तक होती हैं, संस्थागत स्तर पर सेवाओं में कार्यकर्ताओं की पहचान करना और उनमें कौशल क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है।

गतिविधि

आप बुजुर्ग रिश्तेदारों से **अवश्य** मिले होंगे। उनके साथ वृद्धावस्था की चुनौतियों के बारे में चर्चा करें।

10.10 संदर्भ

Annual Report (2017-18). National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/index.html

National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/

Newsletter (January, 2021). National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/NEWSLETTER_NISD.pdf

Newsletter (June 2021). Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/NEWSLETTER_NISD_june.pdf

Newsletter (July, 2021). National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/NEWSLETTER_NISD_july.pdf

Newsletter (August, 2021). National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/NEWSLETTER_NISD_august.pdf

Newsletter (September, 2021). National Institute of Social Defence. Retrieved from: http://www.nisd.gov.in/newsletter/NEWSLETTER_NISD_september.pdf

PRS Legislative Research.The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. Retrieved from: https://prsindia.org/billtrack/the-maintenance-and-welfare-of-parents-and-senior-citizens-amendment-bill-2019

Singh, Hira. (n.d). Social Defence (Vision 2020). Retrieved from: https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/reports/genrep/bkpap2020/21_bg2020.pdf

---

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 11 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड*

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 विकास और संरचना

11.3 साधारण सभा

11.4 राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एस एस डब्ल्यू बी)

11.5 परिवार परामर्श सेवा केंद्र

11.6 राष्ट्रीय शिशु सदन योजना

11.7 अल्पावधि वास गृह

11.8 सारांश

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विकास को स्पष्ट कर सकेंगे;

* ??

- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे; और
- बोर्ड की प्रमुख योजना जैसे कि परिवार परामर्श सेवा केंद्र राष्ट्रीय शिशु सदन और अल्पावधि वास गृह के कार्यों पर प्रकाश डाल सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

समाज कल्याण की अवधारणा आधुनिक सरकारों की सोच विचार का परिणाम है। इसको व्यापक अर्थ में इस प्रकार ले सकते है कि समुदाय को सुखी बनाने या उसके कल्याण करने का नाम समाज कल्याण है, विशेषकर अतिसंवेदनशील या दुर्बल वर्ग और वंचित वर्गों के कल्याण करने का कार्य है। अभी तक इन समुदायों को गुणवतापूर्ण सेवाएँ प्राप्त नहीं हुई है यानि कि इनकी वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है। जैसे कि आश्रय या आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा इत्यादि इसमें सम्मिलित है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वे वंचित लोगों को संसाधनों का समानतापूर्ण वितरण करना सुनिश्चित करे उन लोगों तक संसाधनों को पहुंचाए। जहां तक सीमित संसाधनों को मुद्दा हो चाहे यह मानवी हो, या वित्तीय अथवा संरचना से संबंधित हो राज्य इन समुदायों को सीधे ही सेवाएं उपलब्ध कराने में चुनौतियों का सामना करता है या ये कह सकते हैं कि यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इन आवश्यकताओं तथा महिलाओं और बच्चों के द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तथा संगठित कार्य करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को इन कार्यों में शामिल करने के लिए

योजनाएं बनाई गई हैं। वास्तव में महिलाओं और बच्चों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये लोग राष्ट्र की प्रगति में व्यापक तत्वों का निर्माण करते हैं।

इस इकाई में, हम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) की भूमिका के संबंध में चर्चा करेंगे और इसके कार्यों तथा स्कीमों के संबंध में जानकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सी एस डब्ल्यू बी जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है यानि कि यह सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अतः इसकी भूमिका का विकास एक सेवाएं उपलब्ध कराने से लेकर सुविधा प्रदत्त कराने तक की वृद्धि हुई है।

11.2 विकास और संरचना

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प आधार पर वर्ष 1953 में की गई थी। यह एक संपूर्ण निधियन स्वायत्त संगठन है जोकि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। सी एस डब्ल्यू बी का अधिदेश है कि वह समाज कल्याण क्रिया विधियों को उन्नत करेगा और लक्षित लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा जैसे कि महिलाएं, बच्चे तथा शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसमें सम्मिलित किए गए है। जब सी एस डब्ल्यू बी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है उस समय सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच जो दूरी है उसको पाटने का काम करता है और लोगों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। इसी तरह से समाज कल्याण योजना के महत्व को ध्यान में

रखते हुए वर्ष 1954 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एस एस डब्ल्यू सी) की स्थापना की गई थी। एस एस डब्ल्यू बी का मुख्य उद्देश्य (अ) राज्य के विभागों की कल्याण और विकास के साथ संयोजन करना, (ब) विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसियों को उन्नत करना या उनको विकसित करना। सी एस डब्ल्यू बी को सन् 1969 में कानूनी स्थिति या स्तर प्राप्त हुआ और भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था।

1950 के दशक के दौरान डॉ. दुरगाबाई देशमुख सी एस डब्ल्यू बी की संस्थापक चेयरपर्सन थी इन्होंने अनेक कल्याण योजनाओं का आरम्भ किया था। जब डॉ. देशमुख योजना आयोग में समाज सेवाओं की प्रभारी थी इन्होंने येाजना में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) के लिए समाज कल्याण कार्यों को सम्मिलित कर लिया था। उदाहरण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया कि महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं और चुनौतियों इसलिए प्राथमिकता दी जाए कि ये लोग निर्बल और संवेदनशील स्थिति में हैं, बल्कि ये लोग समाज व समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है (भारत सरकार, 1951)। इस कार्य सूची के अनुसार सी एस डब्ल्यू बी ने विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जिसके माध्यम से अभावग्रस्त, निराश्रित और वंचित महिलाओं तथा बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र स्तर पर सतत् सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक स्वैच्छिक एजेंसियों की टीम राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एस एस डब्ल्यू बी) के साथ संबंद्ध हो गई। वास्तव में एस एस डब्ल्यू बी, सी एस डब्ल्यू बी की सिफारिशों के

आधार पर उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी जोकि अग्रिम या उच्च सामाजिक न्याय के सिद्धांत और कार्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। एस एस डब्ल्यू बी ने सूचनाओं का प्रसारित करने और पोस्टरों तथा सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दें के संबंध में जागरूकता पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था।

सी एस डब्ल्यू बी ने अनेक विकास परियोजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वित किया है जैसे कि ग्रांट इन एड्स, कल्याण विस्तार परियोजना, महिला मण्डल, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, दुग्ध योजना, सघन शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम जो किशोर लड़किया और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिशु सदन योजना, लघु वास गृह कार्यक्रम, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महिला सशक्ति कार्यक्रम, नवीनीकरण परियोजनाएं और परिवार परामर्श कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इनमें से एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका नाम परिवार परामर्श सेवा केंद्र है। यह वैवाहिक झगड़ों या अनबन, दहेज, परिवार, सुसंयोजन, घरेलू हिंसा, मोलस्टेशन, साइबर क्राइम इत्यादि के मामलों में पीड़ित महिलाओं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही परिवार परामर्श सेवा केंद्र स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से संपूर्ण देश में सेवाएं प्रदत्त की जाती है।

प्रशासनिक दक्षता के ध्यान में रखते हुए सी एस डब्ल्यू बी ने निगरानी आकलन या निर्धारण और क्षमता निर्माण प्रभाग (एम ए सी) की स्थापना की है। प्रभाग का मुख्य

उद्देश्य 33 एस एस डब्ल्यू बी की निगरानी करना तथा इसमें काम करने वालों के लिए और महिलाओं तथा बच्चों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन करना है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि वे निगरानी स्कीम पर अपने कौशल के माध्यम से उनको तैयार कर सकें। ये लोग अनेक विकास परियोजनाओं तक स्कीमों में समन्वय कर सकें। इसके साथ ही सी एस डब्ल्यू बी समन्वय प्रभाग की स्थापना की है। इस प्रभाग की मुख्य भूमिका सी एस डब्ल्यू बी तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय रूपान्तरण भारत के लिए संस्थान, नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करना है।

अनेक दसाब्दियों से सी एस डब्ल्यू बी विभिन्न विकास परियोजनाओं के द्वारा असमानताओं और अनुचित व्यवहारों के साथ संघर्ष करता आ रहा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब सामाजिक न्याय ठीक समय पर उपलब्ध हो जाए तो निर्बल और संवेदनशील वर्ग अपने आपको संरक्षित और सुरक्षित महसूस करते हैं। आरम्भ में सी एस डब्ल्यू बी केवल कल्याण करने की दिशा में ही काम कर रही थी और इसका मुख्य लक्ष्य मात्र महिलाओं और बच्चों के विकास पर ही केंद्रित था। वर्तमान में इसका लक्ष्य में परिवर्तन आया है जोकि सशक्तीकरण की दिशा में अपना कार्य कर रहा है। जब यह सशक्तीकरण की स्थिति में स्थापित हो गई तो समावेशी स्थिति को दृढ़ किया, इसको अपनी पहचान मिली, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं तथा अवसरों की

उपलब्धि हुई, तथा उपर्युक्त सभी शंकाओं एवं अनिश्चिताओं पर अपनी सफलता को हासिल किया (केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड वेबसाइट)।

11.3 साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति

सी एस डब्ल्यू बी के कार्य संचालन के लिए साधारण सभा और कार्यकारिणीय समिति का गठन किया गया। साथ ही साधारण सभा का प्रमुख सी एस डब्ल्यू बी का चेयरपर्सन होता है। विभिन्न एस एस डब्ल्यू बी के चेयरपर्सनस को सम्मिलित करते हुए इसमें कुछ पेशेवरों को भी शामिल किया गया है जैसे कि विधि, औषधि या चिकित्सा, पोषण, समाज कार्यकर्ता, शिक्षा और समाज विकास तीन विशिष्ट समाज कार्यकर्ता, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्राम विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण भारत संस्थान नीति आयोग इत्यादि के प्रतिनिधियों द्वारा गठन किया गया है। इसमें दो सांसद भी सम्मिलित किए गए है, एक लोक सभा और दूसरा राज्य सभा के सदस्य होते हैं। इसमें सी एस डब्ल्यू बी का एक कार्यकारी निदेशक भी होता है। कार्यकारी समिति का प्रमुख भी सी एस डब्ल्यू बी का चेयरपर्सन ही होता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सदस्य एस एस डब्ल्यू बी से पांच सदस्य, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि, एक–एक महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्राम विकास विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग से और दो पेशेवर साधारण सभा से लिए जाते है। कार्यकारिणी समिति का प्रशासन संबंधी कार्य सी एस डब्ल्यू बी का प्रशासनिक विभाग देखता है।

केंद्र सरकार समय–समय पर सी एस डब्ल्यू बी का मुखिया चेयरपर्सन नियुक्त करती है। इस पद पर नियुक्त करने के लिए उसकी योग्यता प्रशासनिक एवं संगठनात्मक विशेषता के साथ एक प्रमुख समाज कार्यकर्ता की योग्यता का होना आवश्यक है। सरकार जब कार्यकारी निदेशक तथा आन्तरिक्त वित्तीय, सलाहकार व चीफ लेखा अधिकारी नियुक्ति करते समय चेयरपर्सन से सलाह ले सकती है। दूसरी ओर अन्य अधिकारियों को बदलते समय और उनकी जगह दूसरा को पद देने के लिए भी चेयरपर्सन से सलाह परामर्श किया जा सकता है।

सी एस डब्ल्यू बी के कार्यों में सम्मिलित हैं जैसे कि (क) समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताएँ और उनकी मांगों का सर्वेक्षण करना, (ख) दूर दराज के क्षेत्रों में समाज कल्याण संस्थानों की स्थापना करना, (ग) उन स्वैच्छिक संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) जो कमजोर वर्गों एवं संवेदनशील समूहों की सहायता और कल्याणकारी करते हैं, उनको सहायता अनुदान स्वीकृत करते है, (घ) सरकारी विभागों तथा संगठनों के साथ विकास कार्यक्रमों और स्त्रियों के संबंध उनके साथ संयोजन और समन्वय का कार्य करते हैं।

11.4 राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एस एस डब्ल्यू बी)

एस एस डब्ल्यू बी का गठन 50 प्रतिशत सदस्य सी एस डब्ल्यू बी से लिए जाते हैं और एस एस डब्ल्यू बी के सदस्य और क्षेत्र अधिकारियों तथा स्टाफ में से मनोनीत किए जाते हैं इसका प्रमुख एक चेयरपर्सन और एक सचिव होता है। इसके अतिरिक्त

ये क्षेत्र अधिकारियों और स्टॉफ की भी नियुक्ति करते हैं। बोर्ड का गठन प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात किया जाता है।

एस एस डब्ल्यू बी के नियमों के अनुसार शासन एवं कार्यों का निस्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य स्तर पर चेयरपर्सन की नियुक्ति किसी एक प्रतिष्ठित समाज कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक प्रतिष्ठित समाज कार्यकर्ता होने के साथ चेयरपर्सन को नियुक्त करने के लिए अन्य शर्तों का भी पालन किया जाता है जैसे कि वह चूना हुआ प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए और न ही किसी लाभ के पद पर काम करता हुआ होना चाहिए। एस एस डब्ल्यू बी का चेयरपर्सन नियुक्त करते समय सी एस डब्ल्यू बी राज्य सरकार से भी अनुमति प्राप्त करेगा। एस एस डब्ल्यू बी की नियुक्ति सी एस डब्ल्यू बी के अनुमोदन के सहित अलग–अलग राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त करेगा। जैसे कि वर्ष 2020 में एस एस डब्ल्यू बी के 33 चेयरपर्सन मौजूद थे। एस एस डब्ल्यू बी के सदस्यों का चयन सी एस डब्ल्यू बी के द्वारा निश्चित किया जाता है।

एस एस डब्ल्यू बी के शासन के नियमानुसार उसका गठन एवं कार्यों को निश्चित किया जाता है, इस से इसका चेयरपर्सन महिला समाज कार्यकर्ता का होना नितांत अनिवार्य है और वे प्रत्येक राज्य की प्रत्येक जिले से समाज कार्यकर्ता के रूप में सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, समाज कार्य विभाग, अधिकारी जोकि विभागों से प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा, समाज कार्य

कल्याण, महिला कल्याण, सामुदायिक विकास इत्यादि से प्रतिनिधि सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही एक महिला प्रतिनिधियों जो प्रत्येक राज्य सरकार विधान मण्डलों से चयन करेगी। इसके साथ ही गैर–सरकारी सदस्यों की कितनी संख्या, इसका निर्णय सी एस डब्ल्यू बी स्वयं ही करेगा। सदस्यता और चेयरपर्सन की कार्यविधि तीन वर्ष की होगी और अधिकतम अवधि सदस्य और चेयरपर्सन दो बार ही चयन किए जा सकेंगे। इसी तरह से बोर्ड के सदस्य केवल दो बार से अधिक की अवधि में पद पर नहीं चुने जा सकेंगे अर्थात तीन वर्ष की दो अवधि या बादी तक ही अपने पदों पर बने रह सकते हैं। बोर्ड की बैठकें या मीटिंग एक वर्ष में चार होना अत्यावश्यक हैं। सभी बैठकों की अध्यक्षता चेयरपर्सन के द्वारा ही की जाएगी। चेयरपर्सन के अनुपस्थिति में अध्यक्ष का चयन मौजूद सदस्यों में से किसी एक सदस्य का चयन किया जाएगा।

एस एस डब्ल्यू बी कभी भी भंग की जा सकती है अथवा चेयरपर्सन, या किसी सदस्य के उसके पद से सी एस डब्ल्यू बी की सामुहित सहमति से हराया जा सकता है, इसमें क्रमश राज्य सरकारों की अनुमति भी आवश्यक है। चेयरपर्सन या सदस्यों की पदावधि के समय पहले निम्नलिखित कारणों के आधार पर सेवा समाप्त की जा सकती हैः (क) विकृति चित्त, (ख) सिद्ध दोष या दण्डादेस के कारण कारावास की सजा, (ग) दिवालिया घोषित होना, (घ) व्यक्ति जो काम करने से मना करना अथवा वह अपने कार्यों को निष्पादन करने के योग्य न होना, (ड़) बोर्ड की बैठकों में लगातार तीन बार

तक की अवधि में उपस्थिति न होना या हाजिर न होना। उपर्युक्त कारणों से सदस्यों के उनके पदों से क्यूट किया जा सकता है।

बोर्ड के कुछ कार्य है जिनमें सम्मिलित हैंः (क) क्षेत्र और सी एस डब्ल्यू बी के बीच सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, (ख) स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य संस्थानों से सहायता अनुदान देने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना, अर्थात उनको आमत्रिंत करना, स्वीकार करना, संवीक्षा और सी एस डब्ल्यू बी को अपनी सिफारिश के साथ प्रस्तुत करना, (ग) स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों/परियोजनाओं को सी एस डब्ल्यू बी अथवा अन्य सरकार के विभागों को उनके कार्यों को पर्वेक्षण करना उनके कार्यों के संबंध में रिपोर्ट तैयार के भेजना, (घ) राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित प्रायोजित नए कल्याण कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के संबंध में सी एस डब्ल्यू बी को परामर्श और सहायता प्रदत्त करना, (ड़) राज्य के विभागों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों की जो कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित हैं उन सब का समन्वयन करना या संयोजन करना, (च) जो अभी तक जिन क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है, उनमें काम करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, (छ) सहायता प्राप्त एजेंसियों के लिए क्षेत्र परामर्श सेवाएँ देने में सी एस डब्ल्यू की सहायता करना।

हम आगामी अनुभागों में सी एस डब्ल्यू बी की अग्रणी योजनाओं और इसी के समान परिवार परामर्श केंद्र, राष्ट्रीय शिशु देखभाल स्कीम तथा लघु वास गृहों के संबंध में चर्चा करेंगे।

11.5 परिवार परामर्श केंद्र

सी एस डब्ल्यू बी ने वर्ष 1983 में परिवार परामर्श केंद्र (एफ सी सी) का आरम्भ किया था। यह सी एस डब्ल्यू बी की एक अग्रणी स्कीम है जिसका विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एफ सी सी की भूमिका लक्षित समूह को परामर्श देना सिफारिश करना पुनर्वास की व्यवस्था करना है। लक्षित समूह में महिलाएँ और बच्चे जो शराब/अत्याचारों परिवार कुसमायोजन और सामाजिक[1] रूप से बहिष्कृत या निर्वासित पीड़िता/से पीड़ित लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के मामलों में भी सहायता के साथ उसकी रोकथाम और आघात को कम करने के लिए परामर्श प्रदत्त किया जाता है[2]। इसके अतिरिक्त, जागरूकतरा को सृजित करना और लोक मत या जनमत तैयार करने के लिए कार्यकलाप एवं सामाजिक मुद्दों का समर्थन करना जो कि महिलाओं की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं अथवा उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में सहयोग देते हैं। महिलाओं और बच्चों के विपत्ति में घिर जाने के बाद क्षेत्र स्तर पर भी कार्य करते हैं और इनकी सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस न्यायालय, निशुल्क कानूनी सहायता केंद्रों, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक संस्थान,

[1] सामाजिक बहिस्कार का सामान्य अर्थ वैयक्तिक या सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या समूह को निकाल देना होता है, इसे निर्वासन भी कह सकते हैं।

[2] आघात चिकित्सा एक चिकित्सा का ही रूप है, आघात की घटना जैसे कि व्यक्तिगत ही हानि, या वित्तीय हानि अथवा किसी भंयकर घटना के घटित होने पर भावनात्मक प्रति उत्तर या सहयोग के रूप में सहायता की जाती है, आजकल दुघर्टना के समय जख्मी होने पर भी ट्रामा में इलाज की व्यवस्था है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों इत्यादि के साथ समायोजन और सहयोग से सहायता प्रदत्त करते हैं।

एफ. सी. सी. के कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार हैं : (क) संकटकालीन स्थिति में रोकथाम सेवाएँ जैसे कि दहेज हत्या के मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करवाना, (ख) वैवाहिक संबंध विच्छेद के मामलों में पुनःसमझौता कराने का प्रयास करना तथा वैवाहिक विवादों को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति के आधार पर फिर से झगड़ों का निपटारा कराना, (ग) रेफेरल सेवाएँ देना जैसे कि स्वाधर गृह[3], निशुल्क कासी सहायता, पुलिस सहायता इत्यादि की व्यवस्था करना, (घ) संकटग्रस्त महिलाओं/बच्चों और उन पर आश्रित लोगों के लिए समुचित पुनर्वास करने की व्यवस्था करना इत्यादि इसमें शामिल हैं (केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड वेबसाइट)।

11.5.1 उपलब्ध सहायता के लिए पात्रता की शर्तें

एफ सी सी के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में सम्मिलित हैं: (क) संगठन को एक समुचित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, (ख) सभी स्वैच्छिक संगठनों को नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रासफोरमेशन

---

[3] महिलाएँ और बाल विभाग मंत्रालय **स्वाधर गृह** की स्कीम को कार्यान्वित कर रही है जिसमें महिलाओं को लक्षित किया जो विमिन्य स्थितियों में पीड़ित होने पर उनके पुनर्वास की आवश्यकता होती है, उनको संस्थागत सहायता प्रदत्त की जाती है ताकि वे प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकें। इस स्कीम में आश्रय, भोजन, वस्त्र स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था करती है, इसके साथ ही महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है।

इण्डिया (NITI) आयोग में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) स्थायी लेखा नम्बर (पैन) के साथ उसका पोर्टल एवं उनके पदाधिकारियों के नाम और उनकी संख्या पंजीकृत करना आवश्यक है, (ग) अनुदान प्राप्त कने के लिए एनजीओ को पिछले तीन वर्षों से समाज कार्यों में कार्य करना आवश्यक है तब ही अनुदान के लिए आवेदन देने का पात्र होगा, (घ) स्टॉफ, सुविधाएँ, संसाधन, प्रबंधकीय कौशल और एफ सी सी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित अनुभवों का होना नितांत आवश्यक है, (ड़) संगठन की वित्तीय स्थिति अच्छी व ठोस होनी चाहिए ताकि वे अतिरिक्त कार्यों के निस्पादन के लिए निकियों की व्यवस्था करने में सक्षम होना चाहिए, (च) एफ सी सी स्कीम सभी भारतीय नागरिकों के लिए बिना किसी धर्म, जाति, नस्ल, वंश या भाषा का भेदभाव किए बिना को संपन्न रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

11.5.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रत्येक एफ सी सी के लिए समाज कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशासन पुलिस, राज्य निशुल्क विधि सहायता प्रकोष्ठ और अन्य स्वैच्छिक संगठनों से प्रतिनिधियों, जिसमें स्वधार गृह सुविधाएं उपलब्ध कराते है से प्रतिनिधियों की एक उप सीमति का गठन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोई भी ऐसा संगठन जो कि परिव्यक्त महिलाओं के पुनर्वास के कार्यों में संलिप्त है। उप समिति एफ सी सी के उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए कार्य योजना को विकसित कर सकती है। एफ सी सी के प्रभावी कार्य

निस्पादन के लिए उप–समिति के लिए अनिवार्य है कि तीन महीने के अन्दर कम से कम एक अपनी बैठकों का आयोजन करे।

इसके अतिरिक्त, एफ सी सी के लिए यह आवश्यक है वह ऐसे क्षेत्र में स्थापित हो जहां पर पीड़ित लोगों के लिए वहां पहुंचने में आसानी रहे। और जहां पर इसका कार्यालय है वहां का आसपास का वातावरण रमणीय और सुखद हो तथा परामर्श सेवाओं के लिए मूल सुख–सुविधाओं से भरपूर अलग कक्ष हो। एफ सी सी का कार्यालय का पता सी एस डब्ल्यू बी की अनुमति के बदला नहीं जा सकेगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एफ सी सी के कार्यालय का पता और परामर्श सेवाओं के संबंध में जिला केलेक्टर और जिला पुलिस आयुक्त को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के बीच सक्रीय सहयोग कर सकेंगे। खर्चे की 90 प्रतिशत राशि सी एस डब्ल्यू बी वहन करेगी और 10 प्रतिशत संबंधित है। स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा खर्च किया जाएगा। उदाहरण के लिए, कुछ वार्षिक बजट 3,2000 रूपये है, इसमें से 2,88,000 रूपये सी एस डब्ल्यू बी के द्वारा योगदान प्रदत्त किया जाएगा (90 प्रतिशत) और 32,000 रूपये स्वैच्छिक संगठनों द्वारा खर्च किया जाएगा (10 प्रतिशत) जोकि एफ सी सी इसको कार्यान्वित करती है। एफ सी सी की आरम्भ से ही प्राथमिक जिम्मेदारी है वह परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएं। दो परामर्श दाताओं को प्रत्येक एफ सी सी को अपनी सेवाएँ प्रदत्त करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक परामर्शक को प्रति महीने 10,000 रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।

पिछले पांच वर्षों में एफ सी सी की उन्नति के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया था। जैसे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, भोपाल में परिवार परामर्श केंद्र (एफ सी सी) के परामर्श दाताओं के लिए दो दिन का 'अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, (ख) राष्ट्रीय लोग सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई सी सी डी), बैंगालुरू ने आन्ध्र प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत एफ सी सी परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया था, (ग) कर्नाटक राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग से (एन आई एम एच ए एन एस) एफ सी सी के परामर्शदाताओं के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।

केस उदाहरण 1

अभिनास, एक अंतर्मुखी और परिश्रमी ग्रेड आठ का विद्यार्थी था जो सेम्बुकुडी पट्टी, तमिलनाडु में अध्ययन कर रहा था। एक दिन वह अचानक गुम हो गया और इसके बाद पता लगा कि उसका अपहरण कर लिया गया है, यह सूचना उसके माता–पिता को दिनांक अक्तूबर 13, 2016 में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में समुदाय के लोगों उनका मार्गदर्शन करते हुए सलाह दी कि वे एफ सी सी के ग्रामीण शिक्षा विकास केंद्र (सी आर ई डी) के पास जाकर उनसे सहायता प्राप्त करें। घोर संकटग्रस्त संरक्षण एफ सी सी में मौजूदा परामर्शदाता के पास गए और उन्होंने अपनी सारी घटना की सूचना दी

तथा अभिनास को खोजने के लिए प्रार्थना की। जैसे कि एफ सी सी का उद्देश्य है कि वे कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराएं और अभिनास के माता–पिता द्वारा दी गई इमोशन फोकसड थेरापी की व्यवस्था की। उसके संरक्षकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर मि. अलैजेसन, सचिव, सी आर ई डी ने दिनांक अक्तूबर 14, 2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज (एफ आर आर) कराई। पुलिस के प्रयासों के बावजूद अभिनास का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला था। इसके पश्चात मित्र अलामेसन ने चाइल्ड लाइन 1098 में केस रिपोर्टिड किया गया था। चाइल्ड लाइन टीम (एक हेल्पलाइन जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए कार्य करती है) और सी आर ई डी को पता लगा कि अभिनास का अपहरण एक मरुधु नामक व्यक्ति ने किया था। चस्मदीद गवाह और अन्य स्रोतों से पता लगा कि अभिनास को अंतिम बार बस स्टैंड के निकट एक अजनबी के साथ देखा गया था, और इस अपहरण का उद्देश्य बाल श्रम कराना सम्मिलित था। सी आर ई डी ने तुरंत अपहरणकर्ता के संरक्षकों से सम्पर्क करके, उसके छिपे रहने के स्थान के संबंध में पता बताने को कहा था। इसके बाद अभिनास को उसके अपहरणकर्ता से सुरक्षित रूप से छुड़ा लिया गया और अभिनास को उसके माता–पिता को सौंप दिया गया था।

11.6 राष्ट्रीय शिशु सदन योजना (नेशनल क्रेच स्कीम)

सी एस डब्ल्यू बी की नेशनल क्रेच स्कीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका क्रियान्वयन एस एस डब्ल्यू बी तथा एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। क्रेच और दिवस देखभाल सेवा की आवश्यकता केवल काम करने वाली माताओं को ही नहीं है

अपितु गरीब महिलाओं का भी उतनी ही है जितनी अन्य कोहे वो अपने बच्चों की समुचित रूप से देखभाल, सहायता तथा राहत देने में सक्षम नहीं होती हैं। सी एस डब्ल्यू बी की क्रेच का फ्रेच प्रभाग महिला और बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत प्रचालित स्कीम है। इसका प्रचालन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाता है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं : (क) यह 6 मास से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराती है, (ख) अनुपूरक पोषण तत्वों और समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के द्वारा बच्चों के पोषण शक्ति और उनके स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करते है, (ग) बच्चों को स्कूल से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं, (घ) बच्चों के उत्तम विकास के सुनिश्चित करते हैं (शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना, (ड़) बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही उनकी गतिविधियों को संचालित करते हैं, (च) महिलाओं को शिक्षित और उनका सशक्तीकरण करना ताकि वे अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकें। वर्ष 2016–17 से प्रत्येक क्रेच केंद्र को प्रतिवर्ष रूपये 1,26,440 उपलब्ध कराये जाती है।

आवश्यकता आधारित

नए क्रेच खोलने के लिए प्रार्थना पत्र देने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापकता से प्रचारित किया जाता है और सी एस डब्ल्यू बी की वेब पोर्टल में सार्वजनिक जानकारी के लिए जारी की जाती है। संसाधनों की बरबादी से बचने के लिए एन जी ओ और एस एस डब्ल्यू बी के क्षेत्र अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे सम्पर्क

आधारित लाइन सर्वेक्षण करके जांच करेंगे कि क्या कोई क्रेच स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ग्राम स्तर पर काम करने वाली महिलाओं आंकड़े रखने की आवश्यकता होगी, इसके साथ ही जिन क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन स्तर पर स्थिति की जांच–परख करना उनकी समीक्षा करने की दिशा क्रेच की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाएगा, इस कार्य के लिए जिला प्रशासन विधिवत कार्य करते हुए आवश्यकताओं का निश्चित करता है। एक बार जब कोई स्वैच्छिक एजेंसी क्रेच स्थापित करने के लिए आवदेन करती है, एस एस डब्ल्यू बी उसकी संवीक्षा करके उपयुक्त होने पर स्वीकृति का पत्र भेज देगी और एजेंसी क्रेच स्थापित करने की अधिकारी हो जाएगी।

प्रस्तावित सेवाएं

डे केयर फेसिलिटी, एक दिन में 8 घंटे के लिए दी जाती है अथवा स्कीम द्वारा कम अधिक सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल से पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषण तत्व या पदार्थ, बच्चों के लिए स्वास्थ्य की समय–समय पर जांच करना और उनको प्रतिरक्षा देना, शारीरिक विकास की निगरानी करना तथा स्वास्थ्य पोषण से संबंधित पक्षों इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक केंद्र के अन्दर 25 बच्चों को नामांकित किया जा सकता है। एक दिन में बच्चों को तीन बार स्थान को दिया जाता है, प्रातः काल स्नेक/ब्रेकफास्ट, एक दोपहर का भोजन, तथा इसके बाद रात में स्नेक दिया जाता है। छोटे बच्चों को आवश्यकता होने पर दूध भी दिया जाता है।

निगरानी

क्रेच के कार्यों की सतत् निगरानी की जाती है, सी एस डब्ल्यू बी के पास 15 परियोजना अधिकारी, 49 सहायक परियोजना अधिकारी, और 55 कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कुल 119 क्षेत्र अधिकारी विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। अधिकारियों की पात्रता समाज समाज विज्ञान में स्नातोक्तर उपाधि का होना आवश्यक है और सी एस डब्ल्यू बी इन अधिकारियों निगरानी के लिए क्षेत्र या मण्डल और जिलों की आबंटित करती या नियुक्ति निर्धारित करती है। इन सब अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। ये सी एस डब्ल्यू बी और एस एस डब्ल्यू बी को सर्वाधिक अवधि में अपनी–अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेंगे।

वर्ष 2016–17 में कुल 11,451 संस्वीकृत क्रेच थे जिनमें 2,92,990 बच्चे नामांकित थे। वर्तमान में राज्य सरकारों में राष्ट्रीय स्कीम स्वीकृत हो चुकी है।

केस उदाहरण 1

क्रेच कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः चयनित उदाहरण

(क) क्रेच कार्मिकों के लिए दो दिन का कार्यक्रम वर्ष 2016 में मेघालय राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने आयोजित किया था। प्रशिक्षण के विषयों में सम्मिलित शिशु देखभाल, बच्चों को आयु उपयुक्त पोषणात्मक पदार्थों की आवश्यकता और

स्कूल पूर्व शिक्षा के संचालन के साथ उपयुक्त कौशलों की विशेष जानकारी थी।

(ख) कर्नाटक समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 2017 में दो द्विसीय क्रेच कार्मिक प्रशिक्षण देने का आयोजन किया था। इसके साथ प्रशिक्षण के विषयों में संकल्पना सम्मिलित है जैसे कि संक्रामक रोग जो 0 आयु से 6 वर्ष तक के बच्चों प्रभावित करती है, स्वास्थ्य और साफ–सफाई का केंद्रों में विशेष ध्यान रखना, मातृ और बाल देखभाल, मनोवैज्ञानिक समाज देखभाल तथा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको भोजन बना कर देना है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने सन् 2016 में दो दिवसीय क्रेच कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने स्वास्थ्य वर्धक पाकशास्त्र कौशलों को प्रदर्शन किया और भोजन के संबंध में आदतों तथा भोजन के पोषणात्मक ..... और उसको सुरक्षित रखने के तरीकों का प्रदर्शन किया उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी।

केस उदाहरण 2

सीमा की माँ एक पेशेवर वेश्या थी। जब सीमा मात्र 6 मास की थी सीमा का पालन–पोषण क्रेच में हुआ था। सीमा अपनी भाई–बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण जब वह तीन वर्ष की थी अब अपने छोटे भाइयों की देखभाल करनी पड़ती थी। क्रेच के स्टाफ ने देखा कि यह बालिका बहुत ही जिम्मेदार है और छोटी सी आयु में भी यह

एक प्रौढ़ की तरह काम करती है, इसके साथ ही इतना काम करने के पश्चात भी अपने को प्रसन्न रखने के लिए सभी साधनों और गतिविधियों के खोज लेती थी, अर्थात जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकारी इत्यादि में भाग लेना उनको सीखना आदि में व्यस्त रहती थी। जैसे कि क्रेच संरक्षित और सुरक्षित होने के नाते सीमा का क्रेच के स्टॉफ के साथ लगातार सम्पर्क बना रहा था जब वह किशोर अवस्था तक पहुंच चुकी थी। क्रेच का स्टॉफ सीमा का अत्यधिक ध्यान रखता था। सीमा अपने पूरे दिन के कार्यों को करना निश्चित कर लेती थी जैसेकि प्रातःकाल में स्कूल में अध्ययन करना और दो पहर में क्रेच में कार्य करना, इत्यादि सम्मिलित था। सीमा की पढ़ने–पढ़ाने में अत्यधिक रुचि थी (यह उसने क्रेच में रहते हुए प्राप्त की थी)। उसने अपने भाइयों को पढ़ाना आरम्भ कर दिया और इसके साथ ही पड़ोस की बस्ती, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी पढ़ाना आरम्भ कर दिया था। जब क्रेच के स्टाफ ने उसकी अकादमिक योग्यता को देखा तो उन्होंने उस की मां से संपर्क किया और उसको इस बात के लिए राजी कर लिया या उसको सहमत कर लिया सीमा को आगे और अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए।

यह केस उदाहरण सिद्ध करता है कि क्रेच के स्टॉफ कितने संवेदनशील होते हैं कि वे शिक्षा के लिए बच्चों की इच्छा को समझते हैं और बच्चों की उन्नति के लिए किस प्रकार से योगदान और सहयोग करते हैं।

11.7 अल्पावधि वास गृह

शार्ट स्टे होम स्कीम (अल्पावधि वास गृह) का आरंभ महिला एवं बाल विकास विभाग ने सन् 1969 में किया था, हालांकि इसको वर्ष 1999–2000 में सी एस डब्ल्यू बी को सौंप दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनाथ और निरक्षित महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आश्रय और पुनर्वास सेवाएं प्रदत्त करना था। इस स्कीम का कार्यान्वयन केवल पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता था जो कि दुखी और परिपक्वय महिलाओं तथा लड़कियों से संबंधित मुद्दों के साथ समाधान और उन्हें सुविधा देने के संबंध में अनुभव रखते थे। इन स्वैच्छिक संगठनों को राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति की सहमति और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इन गृह में रहने के लिए 6 मास से लेकर तीन वर्ष तक ही रह सकते है। इसके अतिरिक्त अनाथ महिलाओं और लड़कियों के आश्रय प्रदत्त कराने के साथ इस स्कीम के कुछ घटक हैं जिसमें चिकित्सा देखभाल, परामर्श देना, व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक सुविधाएं देना ताकि उनकी समायोजित किया जा सके। शिक्षा/मनोरंजनात्मक सुविधाएं, कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदत्त कराना, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करना सम्मिलित है। यह होम बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं जैसेकि पोकेट मनी यानि की जेब खर्च तथा शैक्षिक फीस देने की व्यवस्था करना इनके कार्यों में शामिल है।

11.8 सारांश

भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा वर्ष 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) की स्थापना की थी यह एक पूर्ण निधि प्रदत्त संगठन है। सी एस डब्ल्यू

बी का अनिवार्य उद्देश्य समाज कल्याण क्रियाकलापों को उन्नत करना तथा लक्षित समूहों जैसे कि महिलाएं, बच्चे और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य स्तर पर विकास परियोजनाओं की व्यवस्था करने के लिए एस एस डब्ल्यू बी की स्थापना की गई है। एस एस डब्ल्यू बी का मुख्य उद्देश्य सुविधादाता के रूप में कार्य करना है, इसका कार्य क्षेत्र, क्षेत्र, राज्य और सी एस डब्ल्यू बी के बीच है। सी एस डब्ल्यू बी ने अनेक विकास परियोजनाओं और स्कीमों जैसे कि परिवार परामर्श केंद्र, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम और शार्ट स्टे होम इत्यादि को कार्यान्वित किया है।

गतिविधि या कार्याकलाप

आपके निवास के निकट स्थान/जिला की पहचान कीजिए जहां पर परिवार परामर्श केंद्र संचालित होते हैं और उनसे निवेदन करें कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक अभियानों को हाथ में लिया है उनके संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं।

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

इकाई 12 सिविल सोसाइटी की भूमिकाः केस अध्ययन

इकाई की रूपरेपखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 समुदाय सशक्तीकरणः विकास विकल्प (सामाजिक उद्यम)

12.3 वित्तीय सशक्तीकरणः बेयरफुट कॉलेज (समुदाय–आधारित संगठन)

12.4 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र

12.5 लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्यायः समुदाय–आधारित संगठनों की भूमिका

12.6 जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्षः साक्ष्य (गैर–सरकारी संगठन)

12.7 सारांश

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें (संदर्भ)

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का पता लगा सकेंगे;
- सामाजिक न्याय और अन्याय के विभिन्न अनुभवजन्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर सकेंगे;

- शासन में सिविल सोसाइटी कर्त्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे; और
- हाशिये पर पड़ी महिलाएँ, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग करने वाले पीड़ितों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं अत्याचारों से पीड़ित/उत्तरजीवियों की दुदर्शा को समझ सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

जब से 'शासन' शब्द सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का यह कहावत बन गई है तब से ही विशेषज्ञ तथा पेशेवर लोग राज्य और बाजार के साथ विकास के प्रमुख भागीदार के रूप में एक सिविल सोसाइटी की भूमिका को संभाव्य के साथ देख रहे हैं। वास्तव में सिविल सोसाइटी का कर्ता जैसे कि मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम के एस एस) ने सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम को पारित करने में मुख्या भूमिका निभाई थी। सिविल सोसाइटी की भूमिका को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के द्वारा व्यापकता से ज्ञापित किया गया था जब सिविल सोसाइटी के कर्ता भारत में शासन की चुनौतियों की पहचान करने में व्यस्त थे। सिविल सोसाइटी कर्ताओं में परम्परागत संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, गैर–सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, समुदाय आधारित संगठन और सामाजिक उद्यम[1] इत्यादि इसमें सम्मिलित थे। इस इकाई में हम सिविल सोसाइटी, कर्ताओं के संबंध में चर्चा करेंगे जिन्होंने सामाजिक न्याय को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

[1] सामाजिक उद्यम का अर्थ कुछ सामाजिक उद्देश्यों के साथ व्यापार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है जबकि वाणिज्यिक संरचना का प्रयोग के लिए संगठन का संचालन करना होता है।

12.2 समुदाय सशक्तीकरणः विकास विकल्प (सामाजिक उद्यम)

विकास विकल्प एक सामाजिक उद्यम हैं जिसका अधिदेश समुदायों को सशक्तीकरण करना है जिसमें विशेषकर महिलाएँ और हाशिये पड़े समूह हैं। वास्तव में विकास विकल्प ने टेकनालॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल एडवांस मेंट (टीएआरए) अकसर+ का विकास किया है जो महिलाएं बेसिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रही हैं, उनको कार्यात्मक साक्षरता से सम्पन्न कारना है, यानि उनको साक्षर बनाना है। इनका केंद्र बिन्दु ग्रामीण और सम–शहरी क्षेत्रों का रहा है अर्थात टी ए आर ए (तारा अकसर+) अक्सर के यह मुख्य उद्देश्य है जैसे कि (क) महिलाओं के पढ़ने तथा लिखने योग्य बनाना, (ख) बेसिक स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी अधिकारों के संबंध में उनमें जागरूकता पैदा करना, (ग) आय सृजित करने के अवसरों की खोज करना, उनका पता लगाना (टी ए आर ए अक्सर वेबसाइट)।

आइए अब हम अगले पैराग्राफों में टी ए आर ए अक्सर+ की एक सफल कहानी की चर्चा करते हैं।

उत्तर प्रदेश के एक गांव चाकजुदावानविल्लेइ की पाँच बच्चों की माँ कलुई देवी की अभिलाषा थी कि गांव में बेटों और बेटियों के साथ समान रूप से व्यवहार कर उनकी देखभाल की जाएगी। परन्तु निरक्षता, गरीबी, और पितृ सत्तात्मकता के कारण कलुई देवी जैसी अनेक महिलाएं, जो यह महसूस करती थी कि उनका जीवन व्यर्थ ही रहा था तथा उनको शैक्षिक, वित्तीय और नेतृत्व की भूमिका से बाहर कर दिया गया था।

हालांकि, कलुई देवी ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के निर्णय उस समय ले लिया था जब टी ए आर ए अक्सर+ का केंद्र उसके गांव में स्थापित हो गया था। असंख्य कारणों से साक्षर बनने की आकांक्षा के साथ उसने केंद्र में सम्मिलित हो गई थीः (क) वह दस्तावेजों पर अंगूठा लगाने के स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना चाहती थी, (ख) साइन बोर्डों को स्वयं पढ़ना चाहती थी, (ग) वह स्वतंत्र रूप से यात्रा करना चाहती थी, (घ) अपने परिवार की दुकान का खाता या लेखा–जेखा स्वयं करना चाहती थी ताकि उसके परिवार के सदस्यों कुछ सहायता या राहत मिल सके। उपर्युक्त सभी को इसलिए चाहती थी कि वह अपने बच्चों के समक्ष एक अच्छी आदर्श भूमिका प्रदर्शित कर सके अथवा प्रस्तुत कर सकें।

टी ए आर ए अक्सर+ के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की (आई सी टी) कार्यक्रम के अन्तर्गत वह पढ़ने और लिखने के योग्य बन गई थी। इस शिक्षा के कारण उसको जान चौपाली में नामांकन कराने का साहस और उत्साह मिला था। इस ज्ञान चौपाली में उसको पोषणात्मक तत्वों पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय, साक्षरता, महिलाओं के अधिकार, ठेकेदारी आदि कौशलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला था। आत्म विश्वास के साथ और केंद्र के माध्यम से वह अपने पर्यावरण चेतना के दृष्टिकोण को विकसित करने में सफल हो गई थी। विशेषकर कलुई देवी के पंसारी वाली दुकान के पैकड करने के तरीके को प्रभावित किया उसने उसे त्याग दिया तथा इसके स्थान पर कागज, कपड़ा और शीशे का प्रयोग करने लगी थी और किस प्रकार से वर्तमान में प्लास्टिक के प्रयोग सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सके। वह अत्यंत

ही यह देखकर कि गांव के चारों और प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ था, विशेषकर जो प्लास्टिक एक बार ही प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है।

उसने नई–नई उद्यम कौशलों की शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए वह एक उद्यम आरम्भ करने का निश्चय किया, इसमें वह कागज की कुप्पी या कप जैसे नग का उत्पादन करना चाहती थी। कलुई देवी ने अपना उद्यम स्थापित कर दिया। इसकी पृष्ठभूमि में यह उद्देश्य रहा था कि प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का निर्माण करना और दूसरा महिलाओं को इस कार्य के लिए स्टॉफ के रूप नियुक्ति करना था। उसका मिशन टिकाउ, लागत–प्रभावी तथा रिसाइकलेबल पेपर कप बनाना था। क्रमांक रूप से उद्यम चलने लगा और प्रतिमास 5000/– रूपये की आय होने लगी थी। वास्तम में ग्राम स्तर पर सरकार की एजेंसियों ने जो सरकारी काम में लगी थी उनको इस पर्यावरण के दृष्टिकोण की संज्ञान में लाना पड़ा, उन्होंने कलुई देवी को देखा कि वह ही चेंजमेकर है, तथा उन्होंने क्षेष्ठतम कार्य को सम्मान देने के लिए प्रयासरत हो गए थे। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कलुई देवी को स्वच्छता और जल संरक्षण के अभिप्रेरक में जिला पंचायत राज अधिकारी (डी पी आर ओ) के द्वारा विधिवृत सम्मानित किया गया था। उसकी भूमिका ग्रामीणों तथा इस कार्य में भागीदारों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर सम्पर्क और साफ–स्वच्छ एवं हरा–भरा गांव का निर्माण करने में कलुई देवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।

एक बार अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (सितम्बर 8) के अवसर पर कलुई देवी को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसमें उनसे साक्षर बनने के बाद अपने जीवन में किस प्रकर से परिवर्तन किया इन सबका अनुभव सभा में उपस्थित लोगों में सामना करने का आग्रह किया गया था। उसने इस मंच पर कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण करने के लिए विशेषकर निरक्षर महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन कार्य है, उन्होंने अपना ही उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि एक व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कितना महत्व होता है, इसको स्पष्ट करते हुए इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की थी। सरकार के कर्मचारी व अधिकारी बहुत ही प्रभावित थे वे लोगों की समस्याओं के समाधान करना में सरकार को सहयोग में उसका समर्थन वह भागीदारी करने की आकांक्षा रखते थे। इसके पश्चात कलुई देवी ने सरकार के आग्रह पर स्थानीय महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का कार्य आरंभ किया था। इसके बाद एस एच जी की सफलता के उपलक्ष में सरकार ने उनको मुर्गी पालन फार्म हाउस स्थापित करने के लिए सहयोग और सहायता प्रदान की। इस बार फिर से उसने परिवार के नेतृत्व की भूमिका करने से नकार दिया था, हालांकि उसके साथ एक दृढ़तापूर्ण संकल्प था कि कलुई देवी को केवल एस एच जी के स्तर पर ही नेतृत्व न दिया जाए बल्कि ग्रामीण विकास पर उठने वाले मुद्दों के हल के लिए सरकार के स्तर पर उनको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसको उन्होंने बहुत ही कुशलता से निस्पादन किया था। कलुई देवी ने 24 महिलाओं को प्रोत्साहित करके टी ए

आर ए अक्सर+ के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको साक्षर बनाया गया था, इस तरह से हम देखते हैं कि कलुई देवी लगातार गांव की गरीब व असहाय महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए घोर संघर्ष करती रही थी।

12.3 वित्तीय सशक्तीकरणः बेयरफुट कॉलेज (समुदाय–आधारित संगठन)

बेयर–फुट कॉलेज, एक समुदाय आधारित संगठन है जो वर्ष 1972 में तिलोनिया, राजस्थान में स्थापित किया गय है। इसके कुछ महत्वपूर्ण है जिसमें शामिल हैं (क) जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, (ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की मौजूदा परम्परागत कौशलों को उन्नत करना, (ग) मूल आधारिक सेवाओं के प्रावधानों के लिए संभावित जिम्मेदारियों के पालन करने के लिए समुदाय को योग्य बनाना, (ड़) न्याय और विधि शासन के लिए सार्वजनिक रूप से कानूनी सलाह[2] देना (राय और हारटीगन, 2008)। पिछले दो दशकों से बेयरफुट कॉलेज सौर ऊर्जा विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन इत्यादि में ग्रामीण निरक्षर और अर्ध निरक्षर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदत्त कराने में व्यस्त है। उदाहरण के लिए महिलाएं जो सौर विद्युतीकरण में प्रशिक्षित हो चुकी है उनके बेयर सौर इंजीनियर (वी एस ई) के नाम से जाना जाता है अथवा कहा जाता है। बेयर फुट कॉलेज के मिनीस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूवल एनर्जी, यूरोपियन यूनियन (ईयू) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) इत्यादि के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सौर–विद्युती मुक्त हाउस की संख्या 25951 है और कुल भारतीय बेयर फुट और इंजीनियर 624 हैं। अब

[2] सार्वजनिक वकालात या पक्ष समर्थन का अर्थ है सामाजिक मुद्दों के संबंध में समुचित सूचना तथा संसाधनों को उपलब्ध कराना, शिकायत दर्ज कराना सार्वजनिक महत्व इत्यादि के मामलों में लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

आइए हम कमला देवी, बी एस ई की प्रेरणादायक कहानी की आगामी पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप से करते हैं।

कमला देवी का जन्म एक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था। वित्तीय बाधाओं के कारण उसने अपनी शिक्षा रात्रि स्कूल में पूरी की थी और दिन में कार्य करती थी। सन् 1986 में अपने एक शिक्षण सत्र के दौरान देखा कि लैम्प मिट्टी के तेल से जलाने की जगह उसे सौर ऊर्जा का माध्यम से जलाया जा रहा है, उसे जानने के लिए उसमें काफी उत्साह और खोज का विषय था कि सौल लालटेन जलाने के पीछे कौनसा सिद्धांत हैं। हालांकि, विवाह होने के पश्चात वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई थी किन्तु ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा व अभिलाषा थी वह अभी समाप्त नहीं हुई थी। सन् 1997 में कमला देवी बेयर फुट सोलर इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयनित कर ली गई थी। यह कहना वृर्थ है कि उसकी इसके लिए बाधाओं का सामना न करना पड़ा हो, इसके साक्ष्य हैं। वास्तव में उसके पति और ससुर ने प्रशिक्षण लेने के लिए उसका समर्थन किया था। वह उस हर एक बाधा को पार करना चाहती थी जो उसके कठोर क्षय के दौरान सामने आता था। वह प्रातःकाल घर के सारे कार्यों का निपटा कर, प्रशिक्षण कार्यशाला में अपनी कक्षा में सम्मिलित हो जाती थी। अत्यंत कष्ट और कठिनाइयों को महसूस करते हुए भी रात्रि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल ही लेती थी। 6 से 8 महीने के प्रशिक्षण के पश्चात वह सोलर लैम्प की मरम्मत करना सीख गई थी और इसके साथ ही पालतू या अतिरिक्त पूर्जों के माध्यम से सोलर लैम्प तैयार करना भी जान गई थी। इसके अलावा इतनी व्यस्त होने के

बावजूद वह स्थानीय बच्चों और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के संबंध में लगातार बढ़ती रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिबाध्यताओं के साथ कमला देवी अपने गांव में एक स्वतंत्र सोलर पावर यूनिट का संचालन करती है। अपने पति की मृत्यु होने के पश्चात वह परिवार की एक मात्र कमाने वाली महिला रह गई और अपने दो किशोर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के सिर पर आ गई थी। कमला देवी का दृष्टिकोण यह था कि ''प्रत्येक बच्चे को विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करना और इतना शक्तिशाली बनाना की वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं और एक सार्थक और श्रेष्ठ जीवन जीने में अग्रणी बन जाएं'' (बशर, 2012)।

12.4 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित नशा–मुक्ति केंद्र

कृपा फाउंडेशन एक गैर–सरकारी संगठन है, यह सामाजिक न्याय एवं प्राधिकार मंत्रालय से संबद्ध है। यह मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्तियों और ह्यूमन ईम्मुनोडेफिसियन्सी वायरस (एचआईवी) से संक्रमित व्यक्तियों के सुधार के लिए कार्य करती है। इसका आरंभ सन् 1981 में हुआ था, यह एनजीओ अब 12 भारतीय राज्यों में कार्य कर रहा है। जब से बना है इसका प्रमुख मिशन मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित और एचआईवी से संक्रमित लोगों का इलाज और पुनर्वास केंद्रों का संचालन मुम्बई, गोवा, इम्फाल, कोहिमा तथा शिलांग में कार्य कर रहे हैं। इन सभी पुनर्वास केंद्रों का संचालन सामाजिक न्याय और प्राधिकार मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से चल रहा है। सन् 1995 में फांउडेशन ने सर्वेक्षण कराया था जिसमें मादक पदार्थों के दुरुपयोग और एचआईवी/एड्स के बीच संबंधों की पहचान की गई थी। इसके

पश्चात 1995 में उनका एक कमीशन बना दिया जो 24/7 एचआईवी/एआईडीएस हेल्पलाइन के नाम से कार्य करता है। उनकी वार्षिक रिपोर्ट (2017–18), के अनुसार हेल्पलाइन दुराबी और संतप्त पीड़ित लोग की सफलता से सहायता कर रही है। संगठन युवा और समुदाय के लिए नशा मुक्ति केंद्रों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसमें कार्य करने वालों के लिए भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मुमबई जिला एड्स कंट्रोल सोसाइटी (एचडीएसीएस) ने स्वास्थ्य क्षेत्र में टीचर्स/ट्रेनर्स की भूमिका और जिम्मेदारी पर संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था जो विशेष रूप से मेडिकल पेशेवरों के लिए था जो मादक द्रव्यों के व्यसनियों से संबंधित था तथा होम्योपेथिक एजूकेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यू इत्यादि पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा सूत्रपाद पुनर्वास चिकित्सा देखभाल के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

कृपा फाउंडेशन के समान ही, अनेक सिविल सोसाइटी संगठन हैं जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित लोग एचआईवी/एआईडीएस से संक्रमित लोगों के लिए कार्य करते हैं। हम आगामी पैराग्राफों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग पीड़ित व्यक्तियों और एचआईवी/एआईडीएस से संक्रमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के जीवन पर पड़े प्रभावों के संबंध में आइए उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं।

केस 1

प्रभा, एक विधवा और 5 बच्चों की माँ है तथा वह एचआईवी पॉजिटीव एवं व्यसनी है। समुदाय आधारित ड्रग्स पुनर्वास (सीबीडीआर) की स्कीम[3] की सहायता से वह विषाद व निराशा पर काबू पाने में सफल हो गई थी। उसने होरीजन ऑफ परोस्पेरिटी एंड एजुकेशन से (एचओपीई) से रूपये 18,000/– का ऋण लिया था। यह एक फाउंडेशन है जो मादक द्रव्यों दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को संकट से उभरने के लिए सूक्ष्म ऋण देता है। सूक्ष्म ऋण की सहायता से, प्रभा एक हाथ करघा और सूत्र खरीदने में समर्थ हुई। इसके कुछ दिनों पश्चात् थोड़ा–बहुत कमाने लगी और इसके पश्चात वह अपने 5 बच्चों में से तीन को आवासीय विद्यालय में दाखिल करा दिया जो गरीब बच्चों के लिए था तथा अन्य दो बच्चों को निकट के विद्यालय में दाखिल करवा दिया था। प्रभा ने अपने रसोई बगीचे से सब्जी भी बोने लगी थी जिससे उसे और उसके परिवार के विशेष सहायता प्राप्त हुई थी।

केस 2

रानी एक अन्य एचआईवी पॉजिटीव विधवा है जो सूक्ष्म ऋण होप के माध्यम से प्राप्त किया था, इस राशि से उसने एक चाय की दुकान आरम्भ की। इस दुकान की आय

[3] कॉम्यूनिटी वेसड ड्रग्स रिहबिलिटेशन, यह सम्पूर्ण व्यक्ति के पुनः स्वास्थ्य होने (डब्ल्यू पी आर) जोकि व्यक्तियों को नशा मुक्त अपराध मुक्त तथा लाभदार रोजगार प्राप्त करने की प्रत्याशा रखता है।

से वह अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिल कराने में सफल रही थी। इसके अतिरिक्त वह होप की एक सक्रीय सदस्य के रूप में भी कार्य करने लगी थी।

केस 3

समीर एक युवा मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का व्यसनी था और उसने 11 वर्ष की आयु से ही नशा करने लगा था। वह किशोर अवस्था में ही शराब एवं मादक द्रव्यों के दुरुपयोग करने से पीड़ित हो गया था। उसके माता–पिता ने अलग कर दिया था। दो दशकों के व्यसनी रहने के पश्चात उसने नशा मुक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित होने की इच्छा से नामांकन कराया था। नशा मुक्ति केंद्र सक्षम न होने के कारण समीर अपने व्यसन से मुक्त नहीं हो पाया था। अन्त में समीर ने एक समुचित अन्तक्षेप करने वाले सिने नामक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) में अपना नामांकन कराया था। पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के साथ रोजगार कौशल्यों का प्रशिक्षण देना भी एक हिस्से के रूप में अपनाया हुआ था। सिने ने रूपये 6300/– का ऋण देने के साथ ही उसे मुसकहरूप कृषि करने का प्रशिक्षण दिया ऋण राशि से उसने सिने के परिसर में ही मुसहरूम की खेती की यूनिट स्थापित थी। कुछ समय बीतने के पश्चात समीर ने अपनी यूनिट का विस्तार किया और अन्य क्लांइटों को इस व्यापार में प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था। जैसाकि यूनिट में बहुत ही अच्छी श्रेणी का मुसहरूम कर उत्पादन होने लगा था, इससे उसको अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद समीर ने अपनी यूनिट में मुसहरूम के उत्पादन के लिए और विस्तार कर दिया था।

केस 4

अनीकेत सवा, एक एनजीओ है, इसने सवेरा नामक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की। शराब के नशे और मादक द्रव्यों से छुटकार पाने की प्रक्रिया में, सवेरा ने कुछ पेशवरों का समूह स्थापित किया जो कि मूल कौशलों को सीखने के लिए प्रशिक्षण प्रदत्त करता था जैसे कि मोमबती बनाना, सिलाई का काम सिखाना इत्यादि। केंद्र का प्रशिक्षण यह महसूस कर सकता है कि ''यह सब साधारण गतिविधियाँ दिखाई देती है या लगती है, परन्तु उस व्यक्ति के लिए जो इस क्षेत्र में रहता है, उसके लिए यह बिलकुल ही अलग दृष्टिकोण है क्योंकि वह भूखमरी और जीवन यापन करने के लिए आय का क्या महत्व होता है''। मुकुल कुमार नामक एक व्यसन पीड़ित ने नशा मुक्ति केंद्र में टेलरिंग या वस्त्र सीने के कार्य के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने प्राप्त किए नए कौशलों के प्रयोग से मुकुल कुमार ने अपने इलाके में टेलर का आरंभ किया और वह अपने आपको अच्छी स्थिति स्थापित कर सका था। उसने सिलाई मशीन खरीदने के लिए संवेरा से ऋण प्राप्त किया और उस ऋण की किस्तों का भुगतान कर दिया था।

12.5 लैंगिक अल्संख्यकों के लिए सामाजिक न्यायः समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका

एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के दिशा में सरकार ने समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए कदम उठाया है। ये समुदाय आधारित संगठन स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए और कार्यकताओं की पहचान करते हैं तथा

सामाजिक मुद्दों को निश्चित करता है। सेवाएँ प्रदत्त करने के लिए चाहे वे नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करते हैं या आश्रय गृहों की व्यवस्था करते हैं या लाभार्थियों को कौशलों निर्माण का सहयोग करते है, इन सब कार्यों के लिए संगठन राज्य और गैर–राज्यकर्ताओं दोनों से ही अनुदान राशि प्राप्त करते हैं।

हार्टनी के अनुसार (2020) ''लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों का एक समूह है वे लैंगिक अभिविन्यास होते हैं, उनकी लैंगि पहचान या लैंगिक विशेषताएँ लोगों की बहु जनसंख्या से विशेष रूप से भिन्न होती हैं''। इस संबंध में लैंगिक अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित में सम्मिलित किया जाता हैः गे (यह पुरुष के प्रति पुरुष आकर्षित होता है) लेस बिन्सर स्त्री समलिंग कामुक्यता) (स्त्री के प्रति स्त्री का आकर्षण होना) बाइसेक्सुअल (उभयलिंगी) (यह स्त्री और पुरुष की ओर समान रूप से आकर्षित होता है) तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (वे लोग जो लिंग से भिन्न दिखाई देता है वे जन्म से होते हैं)। लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ प्रायः भेदभाव किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं और वे लोग एक प्रतिष्ठित जीवन जी नहीं पाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है चाहे वे किसी भी लिंग का अभिविन्यास करते हैं अथवा संबंध रहते हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी प्रकार को अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। इस भाग में आइए हम दो संगठनों के संबंध में चर्चा करेंगे जो लैंगिक अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अपना कार्य करते हैं।

12.5.1 लक्ष्य ट्रस्ट

लक्ष्य ट्रस्ट की स्थापन मनवेन्द्र सिंह गोहिजने की थी यह व्यक्ति राजवंशीय है जिसने सार्वजनिक रूप घोषणा की थी कि वह समलिंग कामी है (नारंग, 2011)। यदि हम गे समुदाय की स्थिति को देखते हैं तो यह बहुत ही कारूणिक और रोगजनक है और इस चारों और से कलंक लगा हुआ है, ऐसी स्थिति ने इनको सक्रीय कार्यकर्ता बना दिया है। गे के अधिकारों में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त ट्रस्ट लोसबिन, गे बाइसेक्युसल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) समुदायों में एचआईवी/एड्स से संक्रमित लोगों के इलाज और उसकी रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। क्रमांक रूप से लक्ष्य ट्रस्ट अपने आपको समुदाय आधारित संगठन के रूप में विकसित कर चुका है जोकि लिंग संबंधी उदारता, लिंग समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। इस प्रक्रिया में लक्ष्य ट्रस्ट चाहत है कि देश के अदृश्य वर्गों को सबल यानि कि सशक्त करना चाहता हैं। उनको मजबूत बनाना चाहता है। एक सार्वजनिक चेरीटेबल ट्रस्ट होने के नाते जिसका आधार की पृष्ठभूमि गुजरात है। इस तरह से यह स्वास्थ्य, समाज, आर्थिक, कानूनी, मनोवैज्ञानिक गे के आध्यात्मिक पक्षों की बाइसेक्यूअल तथा ट्रांसजेंडर जनसंख्या की संगठन वकालत करता है, इनका पक्ष समर्थन करता है। लक्ष्य ट्रस्ट को स्थानीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि एवं अन्य सहयोग प्रदान करता है।

ट्रस्ट एचआईवी/एड्स से संक्रमित से संबंधित लोगों की सेवा व्यापकता से विरतारित है, इसने बडोदरा, सूरत तथा राजकोट के 10,000 से अधिक संक्रमित लोगों के इलाज में व्यस्त है। समुदाय तक पहुंचाई गई सेवाओं का उद्देश्य है (क) कोनडोमस का वितरण और उनका प्रयोग कराना, (ख) लैंगिक संचारित संक्रमणों की घटनाओं को कम करना (एसटीआईएस) और लैंगिक संचारित रोग (एसटीडीएस), (ग) एसटीआईएस के इलाज को और अधिक संवृद्ध करना, (घ) एचआईवी से संक्रमित लोगों को सशक्त करना, (ड़) एचआईवी/एड्स संक्रमित तथा ट्रॉसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों को मुख्यधारा में प्रस्तुत करना, (च) ट्रांसजेंडर तथा एचआईवी/एड्स संक्रमित समुदायों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधानों को उन्नत करना है। नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन के वार्षिक एचआईवी तथा एसटीआई की निगरानी की कार्रवाई के अन्तर्गत लक्ष्य ट्रस्ट ने एक राष्ट्रीय निगरानी साइट या स्थल की स्थापना की है ताकि गे की जनसंख्या में एचआईवी की दर संख्या का पता लगाया जा सके।

लक्ष्य ट्रस्ट एलजीबीटी समुदाय को योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जैसे कि स्वयं सशक्तिकरण समुदाय को वास्तव में प्रथम लोक डाउन 2020 के दौरान महसूस किया गया या क्रियान्वित किया गया था। जब किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय के लोग बड़ौदा से लक्ष्य ट्रस्ट ने पासेज को सुरक्षित कर दिया गया था। पासेज को बड़ौदा की मलीन बस्तियों में दौरा करने का अवसर मिला, वहाँ देखा कि लोग चावल के साथ वीविल्स[4] को खा रहे हैं। उदाहरण के लिए, किन्नर समुदाय ने अपनी की गई बचत में से

[4]

40000 रूपये (सोने के जेवरों को गिरवी रख कर) भूखमरी से पीड़ित लोगों की भूख मिटाने के लिए आवश्यक भोजन सामग्री खरीदी और उस सामग्री को भूखे लोगों को भोजन के रूप में वितरीत की गई थी (मिश्रा, 2020)। वास्तव में लोक डाउन के दौरान शुभचिंतक तथा निस्वार्थ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एक संजाल का निर्माण किया यानि कि संगठन बनाया और वंचित तथा गरीब लोगों को भूल आवश्यक वस्तुएं और भोजन की आपूर्ति की उनकी सहायता की।

सामाजिक नयाय एवं प्राधिकार मंत्रालय ने लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से वर्ष 2020 में गरिमा गृह योजना को आरम्भ किया। इस स्कीम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रतिष्ठा पूर्ण एवं सुरक्षित आश्रय गृह की स्थापना की गई थी। इस स्कीम का ट्रांसजेंडर समुदाय ने अत्यधिक स्वागत किया क्योंकि अधिकतर यह लोग अपने परिवार से अलग रहते थे अथवा छोड़ चुके थे। इस स्कीम का मुख्य मिशन ''आश्रय, खाद्य पदार्थ, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन के सुविधाएँ, कौशल विकास के अवसर, योग, औषधियाँ/प्रार्थना करना, शारीरिक फिटनेस, पुस्तकालय, सुविधाएँ, कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन के लिए तकनीकी परामर्शद और शल्य क्रिया, ट्रांसफ्रेंडली संगठनों के साथ क्षमता निर्माण करना, इत्यादि की सुविधाएँ, उपलब्ध कराना तथा आपूर्ति करना है'' मंत्रालय का एक ही दृष्टिकोण है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में सुधार करना और उनकी गरिमा तथा प्रतिष्ठा को स्थापित करना है जिनकी लक्ष्य ट्रस्ट द्वारा पहचान की गई है, यही एक ऐसा समुदाय आधारित संगठन है जिसने प्रमुख परियोजना[5] में नामांकन

[5]

किया है। इस प्रमुख परियोजना में संपूर्ण भारतीय शहरों में 13 समुदाय आधारित संगठनों को चयन किया गया जोकि बडोदरा, नई दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर, मुम्बई के पुनर्वास के प्रत्येक केंद्र में 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आश्रय गृह उपलब्ध कराया गया है (पीआईबी, 2021)।

15.5.2 दि हमसफर ट्रस्ट

मुम्बई और इसके उप क्षेत्रों में एलजीबीटी की सेवा के उद्देश्य के साथ सन् 1994 में हमसफर ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। एलजीबीटी के मुद्दों के लिए हमसफर ट्रस्ट और इसके स्टॉफ सक्रीय याचिकाकर्ता रहे हैं जिन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। जैसे कि परिवार के सदस्यों के साथ संकटपूर्ण व्यवहार, छल–कपट, उत्पीड़न, गालियाँ, ब्लेकमेल, हिंसा इत्यादि मुद्दों को बहुत ही व्यवस्थित रूप से न्यायालय के समक्ष रखे हैं। ये एलजीबीटी के अधिकारों तथा हकों को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहे हैं। हमसफर ट्रस्ट ने विभिन्न पणधारियों के सहयोग से वकालत कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, कार्मिक, कानून लागू कराने वाली एजेंसियाँ, न्याय पालिका, विधान पालिका, राजनीतिक, सरकार की एजेंसियाँ, मीडिया तथा विधार्थियों समुदाय ने भाग लिया था। इस कार्याशाला का उद्देश्य नीति निर्धारकों व नीति निर्माताओं तथा एलजीबीटी के मुद्दों के संबंध में संबद्ध कार्य कताओं को उदार तथा संवेदनशील बनाने का प्रयास था। इसके अतिरिक्त कानूनी सहायता, संकट प्रबंधन,

समुदाय की गतिविधियां या सक्रीयता, तथा पोषण परामर्श इसके लक्षित समुदाय को प्रदत्त कराना था (दि हमसफर ट्रस्ट वेबसाइट)।

प्रश्नों एवं माता–पिता की चिन्ताओं व संबंधों, एलजीबीटी के परिवार सदस्यों, व्यक्तिगत शिकायतों को हल करने के लिए हमसफर परामर्शदाताओं तथा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का प्रत्यक्ष रूप से मिलकर समाधान का कार्य संपन्न करते है (दि हिन्दू, 2016)। ट्रस्ट ने एलजीबीटी के सिविल अधिकारों के लिए सन् 2020 में एक ऑनलाइन पेटीशन आरम्भ की थी। इसका मूल उद्देश्य समुदाय की शिकायतों का समाधान करना तथा कार्रवाई के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस याचिका में निम्नलिखित के सम्मिलित किया गया है जैसेकि (क) समान लिंगी के विवाह को मान्यता देना, (ख) गोद लेना तथा उत्तराधिकार का अधिकार एलजीबीटी के समुदाय के लिए कानूनी मान्यता दी जाए, (ग) निजी सम्पत्ति का अधिकार, निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करना और बीमा कराने इत्यादि की छूट व अधिकार दिया जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि लैंगिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय देने की भूमिका में हमसफर ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है।

12.6 जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्षः साक्ष्य (गैर–सरकारी संगठन)

जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष और सामाजिक न्याय एवं अनुसूचित जाति (एससी) के लिए समानता के उद्देश्य के साथ 'इवीडेंस' नामक एजीओ की वर्ष 2005 में स्थापना की गई थी। इवीडेंस का प्रमुख मिशन कानून और नीतियों का प्रभावी रूप से

कार्यान्वयन करना जोकि एससी और एसटी के अधिकारों सुरक्षा संरक्षित तथा उन्नत करना है अर्थात महिलाऐं तथ बच्चे सम्मिलित हैं। ये एससी और एसटी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की मांग करने के लिए मानव अधिकार संगठनों से संपर्क स्थापित किए गए हैं। संगठन ने अनेक हाशिए पर पड़े समुदायों का संस्थागत किया जिन्हें अभी तक अमानवीय स्थिति में रखा हुआ है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जबकि संवैधानिक संरक्षण व सुरक्षा उपलब्ध है (इवीडेंस वेबसाइट)। इसने ''अधिकार–आधारित दृष्टिकोण'' अपनाया है, जहां पर प्रत्येक मानव को अधिकारों के साथ एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है या अपनाया है, उसे मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त, अधिकार आधारित दृष्टिकोण चाहता है कि पद् दलित, कुचले हुए समुदाय की सुरक्षा, स्वतंत्रता, उनकी खुशहाली और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इवीडेंस को जब एससी और एसटी के विरूद्ध अत्याचारों की घटनाओं का पता चलता है, वह अपनी प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है। वर्ष 2003 का उदाहरण है, एक विवाहित जोड़े का हॉनर किलिंग के नाम पर हत्या कर दी गई, इवीडेंस ने हत्या के विरूद्ध कानूनी संघर्ष किया द्वितीय उदाहरण के समान मानवता साथियों के विरूद्ध इस प्रकार के अपराधों के संबंध में सार्वजनिक सोच, दृष्टिकोण व अवधारणा में परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं।

संस्थापक मि. काथीर के अनुसार पीड़ितों का 80 प्रतिशत घटनाएँ, महिलाओं से संबंद्ध होती है। सन् 2005 से जातिगत आधारित हॉनर किलिंग के सैंकड़ों केसों को इवीडेंस ने अपने हाथ में लिया है और मि. काथीर इंगित करते हैं कि ''प्रत्येक केस जाति के

विभिन्न आयामों को प्रकट करते हैं तथा इनको चुनौती दी गई है।'' (मुरली चरण, 2018)। दबे–कुचले समुदायों के विरूद्ध अत्याचारों के केस में पहली और आखरी इवीडेंस का कर्तव्य है कि वह पीड़िता संबंधित घटना के तथ्यों और दस्तावेजों को एकत्रित कर ताकि लाभार्थी पीड़ित/उत्तरजीवी और उनके परिवारों को न्यायालय में वाद दायर करने और न्याय प्राप्त करने आसानी रहे। द्वितीय इवीडेंस का अनेक राज्यों और मानव अधिकार संगठनों के साथ व्यर्थ विधि का पूरा संचयन स्थापित है जिससे संपर्क स्थापित करके तुरंत कार्यवाई की जाती है। तृतीय, मानव अधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों की घटनाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अतिरिक्त, इवीडेंस संगठन उत्पीड़न और अन्याय से पीड़ित और उत्तरजीवी को दुखों से उभरने के लिए उन्हें परामर्श तथा पुनर्वास की व्यवस्था कराने का प्रयास करता है।

गतिविधि

हम प्रायः देखते हैं कि लोग जब सड़क पर कार से यात्रा करते हैं तो हिजड़े कार में बैठे लोगों से पैसे मांगते हैं। हमें यह जानना चाहते हैं कि आप जब उनको देखते हैं तो इसके माध्यम से आपके मन में क्या परिवर्तन होता है, आपको कैसा महसूस होता है।

12.7 सारांश

इस इकाई में, आपने देखा है कि आक्रांत और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता किस प्रकार से पूरे देश में उनकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं। आप यह भी समझ गए होंगे कि अन्याय और आक्रांत के पीड़ित/उत्तरजीवी द्वारा किस प्रकार से अनेक तरहों से कष्टों एवं संघर्षों का सामना करते हैं। यद्यपि, यहां पर जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वे भौगोलिक स्तर पर अलग–अलग हो सकते हैं किन्तु आपने देखा है कि इन सब में कारण बिल्कुल एक जैसे समान है। यह मुद्दे समान रूप से सब पर लागू होते हैं, जैसेकि पितृसत्ताकता, उपेक्षा व प्रमाद जातिगत–उत्पीड़न, मानव अधिकारों हनन, बहिस्कृत करना इत्यादि तथा इन सब घटनाओं और कार्यों का वंचित, दुखित व पीड़ित समुदायों के अधिकारों और उनके हकों किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सबकी हमको जानकारी प्राप्त हुई है। जैसेकि हमने इस इकाई में चर्चा की है कि अनेक सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता किस प्रकार सराहनीय प्रयास करते हैं चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो जैसेकि साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास इत्यादि अथवा पीड़ित को एक गरिमाई तथा प्रतिष्ठापूर्ण जीने में किस प्रकार से सहयोग और सहायता देने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा व सराहना की गई है। यह समझ में आ गया है कि सरकार की ओर से सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की भूमिका को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता

है। वास्तव में उनकी भूमिका जैसे कि हमारे संविधान में लोकतंत्र को स्थापित करने के जो अर्थ है उसको सार्थक बनाने में इन सबकी अत्यंत ही आवश्यकता है।

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

Annual Report (2017-18). Retrieved from: https://kripafoundation.org/wpcontent/uploads/2019/03/Annual-Report-2017-2018-1.pdf

Barefoot College. Retrieved from: https://barefootcollegetilonia.org/lookingback/ Brara, Sarita. (2012). Lead kindly Light. Retrieved from: https://www.thehindu.com/features/metroplus/society/lead-kindly-light/article4044171.ece

Development Alternatives Group. Literacy Paved Way for Leadership. Retrieved from: https://www.devalt.org/Pdf/L2_SixThemePdfs/Story_For_Change_Kalui_Devi.pdf?Tid=1213

Evidence. Retrieved from: https://evidence.org.in/history/

Hartney, Elizabeth (2020). What Sexual Minority Means. Retrieved from: https://www.verywellmind.com/what-are-sexual-minorities-21876

Lakshya Trust. Retrieved from: http://www.lakshya-trust.org/who-we-are/ about-lakshya

Ministry of Social Justice and Empowerment. (2002). Developing Community Drug Rehabilitation and Workplace Prevention Programmes. Retrieved from: https://www.unodc.org/pdf/india/Partnerships%20808%20Report.pdf

Mishra, Jigyasa (2020). Despite Social Stigma, Gujarat's Transgenders Help 1,000 Families during COVID-19. Retrieved from: https://www.thebetterindia.com/227834/transgenders-coronavirus-lockdown-distributingessentials-hunger-survival-gujarat-inspiring-india/

Muralidharan, Kavitha (2018). How an organisation called Evidence is fighting against 'honour killings', by aiding victims in legal cases. Retrieved from: https://www.firstpost.com/living/how-an-organisation-called-evidence-isfighting-against-honour-killings-by-aiding-victims-in-legal-cases-4351323.html

Narang, Unnati. (2011). Meet Manvendar Singh Gohil: India's Gay Prince Activist. Retrieved from: https://www.thebetterindia.com/3727/interviewmanvendra-singh-gohil-india-gay-prince-activist/

PIB (2020). Shri Thaawarchand Gehlot E-Launches 'National Portal for Transgender Persons' and E-Inaugurates Garima Greh: A Shelter Home for Transgender Persons in Gujarat. Retrieved from: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1675629

Roy, Bunker and Hartigan, Jesse. (2008). Empowering the Rural Poor to Develop Themselves: The Barefoot Approach. Retrieved from: https://direct.mit.edu/itgg/article/3/2/67/15058/Empowering-the-Rural-Poor-to-Develop-Themselves

TARA Akshar. Retrieved from: https://taraakshar.org/abouttaraakshar

The Hindu (16th August, 2016). Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/On-I-Day-Humsafar-brings-out-LGBTmanual/ article14572703.ece

The Humsafar Trust. Retrieved from: https://humsafar.org/about-us/

The Times of India (5th July, 2020). Retrieved from: https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbais-humsafar-trustlaunches-an-online-petition-for-lgbtq-civil-rights/articleshow/76796851.cms.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 13 सामाजिक उद्यमीयता

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सामाजिक उद्यमीयता का विकास

13.3 सामाजिक उद्यमीयता की परिभाषा

13.4 सामाजिक उद्यमकर्ता की विशेषताएँ

13.5 सामाजिक उद्यमीयता के आयाम

13.6 भारतीय संदर्भ में

13.7 सामाजिक उद्यमीयता और सतत् विकास के लक्ष्य (एसडीजीएस)

13.8 सारांश

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

13.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- सामाजिक उद्यमीयता के विकास की चर्चा कर सकेंगे;
- सामाजिक उद्यमीयता की परिभाषा दे सकेंगे;

- भारतीय संदर्भें में सामाजिक उद्यमीयता का संक्षेप में वर्णन कर सकेंगे; और
- संयुक्त राष्ट्र संघ सतत् विकास के लक्ष्य को स्वीकार करने में सामाजिक उद्यमीयता की प्रासंगिकता का अनुमान लगा सकेंगे ।

13.1 प्रस्तावना

इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को निपटाना या सुलझाना है जैसेकि गरीबी, निरक्षरता, अस्वस्थ्यता, मानव अधिकारों का उल्लघंन, पारिस्थितिकी का नष्ट होना और भ्रष्ट चार इत्यादि को मिटाने, उसे नष्ट करने के लिए बहुपणधारियों के साथ विभिन्न संयोजनात्मक प्रक्रिया में सम्पूर्ण विश्व के नागरिक एक साथ जुटे हुए हैं, जैसे कि सरकारें निजी संस्थान, समुदाय आधारित संगठन, निधि राशि के संवर्धनकर्ता इत्यादि। इस इकाई में हम इस प्रकार की एक प्रक्रिया के संबंध में जिसमें सामाजिक उद्यमीयता के संबंध में चर्चा करेंगे। वास्तव में सामाजिक उद्यमीयता को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र तथा व्यावसायिक प्रयास करेंगे। हालांकि, ''सामाजिक उद्यमीयता'' जैसाकि यह नाम है निश्चित रूप से व्यापारिक उद्यम से पूर्णतया प्रभावित है जो उद्यमीयता के संवर्धन करने के लिए अन्य लोगों के अवसरों को नष्ट करके सामाजिक धन संपति को एकत्रित करना है, उसमें वृद्धि करना है। वास्तव में सामाजिक उद्यमी लोग सामाजिक समस्याओं के समाधान के संबंध में उनके बहुत ही कठोर मिशन है। वे नहीं चाहते है कि सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जाए। फिर भी इस मिशन के कार्यों को हम प्रयासरत हैं वो इसकी गंभीरता व संवेदनशीलता

को महसूस करे। इस लिए सामाजिक उद्यमीयों को तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वे अपने दृष्टिकोण व विचारों की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे।

इस संबंध में नोबल शांति पुरूस्कार, 2006 के विजेता मुहम्मद युनुस का दिया जा सकता है जिन्होंने सामाजिक उद्यमीयता के माध्यम से वंचित समुदायों के जीवन में अपूर्व परिवर्तन ला दिया था। उसने ग्रामीण क्षेत्रों रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराया, यह उन महिलाओं के लिए लघु व्यापार उद्यम के रूप में आरम्भ किया गया था। वास्तव में, जो लोग सामाजिक उद्यमीयता में शामिल है वे लोग अपने सशक्त दृष्टिकोणों और विचारों के माध्यम से व्यापक स्तर पर सामाजिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं और वे वंचित लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं अर्थात यह प्रक्रिया नगरों और देशों में चल रही है और कुछ मामलों में यह आंदोलन संपूर्ण विश्व में संचालित हो रहा है। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में यह कल्याणकारी योजना बांग्लादेश से आरम्भ हुई थी। वर्तमान में, यह ग्रामीण संस्थान अपनी तीव्रता और गहनता के कारण पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है, इसका संजाल विश्वव्यापी है, विशेषकर एशिया, सब–साहरा? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका (लगभग 40 देशों में) में विस्तारित हो चुका है, इस परिप्रेक्ष्य के लिए माइक्रो क्रेडिट का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आवाज़ बनाना है, इससे ये अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करती हैं और अपना आर्थिक स्तर के सम्पन्नता बनाने में सफल होती हैं, इस योजना के परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों को पढ़ाने के

लिए विद्यालयों में भेजने सक्षम हुई हैं वहीं पर वे अपने परिवार को खुशहाल व सम्पन्न बनाने में सफल रही हैं (हॉर्न, 2013)।

इस इकाई में, हम सामाजिक उद्यमीयता की संकल्पना तथा सामाजिक उद्यमकर्ताओं की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) में महसूस की गई या मानी गई सामाजिक उद्यमीयता की प्रासंगिकता पर भी चर्चा करेंगे।

13.2 सामाजिक उद्यमीयता का विकास

सामाजिक उद्यमीयता के क्रमिक विकास की चर्चा करने से पहले, आइए हम अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करते हैं। इस अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र – यह नागरिकों के सेवा मूलक कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है।

(ख) निजी क्षेत्र – इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है तथा इसके स्वामी व्यक्तिगत रूप से निजी लोगों के हाथों में होता है।

(ग) सामुदायिक अथवा तीसरा क्षेत्र – इसकी स्थापना का उद्देश्य संगठन द्वारा लाभ कमाना नहीं होता है तथा इस का दृष्टिकोण व लक्ष्य सामाजिक समस्याओं को

सुलझाने के लिए होता है जैसे कि सामाजिक उद्यमीयता इस तरह के संगठनों का स्वामित्व समाज के हाथों में होता है।

जब से अब तक तक सामाजिक उद्यमीयता का आविर्भाव हुआ है, यह तीसरे क्षेत्र में सक्रिय दृष्टिकोण रहा है, इसमें शामिल होने के लिए नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, तथा सामाजिक और पारिस्थितिकी चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का निदान करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। वास्तव में तीसरे क्षेत्र के संगठन विभिन्न स्तरों पर अपना कार्य निस्पादन कर रहे हैं जैसेकि स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार हुआ जिसका सीधा सा उद्देश्य समाज को समुन्नत और कल्याणकारी के रूप में निर्मित करना है। जहाँ तक भारत का संबंध है, लोगों के संस्थानों के संदर्भों के साथ, इसके दृष्टिकोण को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में स्पष्ट रूप से उसको विषय के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस योजना में यह उल्लेखित है कि गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या योजना, भूमि सुधार, समुचित भूमि को उपयोग, जलस्तर प्रबंधन, पशुपालन जैसे कार्यों की रचना और उनको संगठित करने वाली संस्थानों का गठन और उनको मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। तीसरे क्षेत्र के संगठनों में कुछ परमार्थ कार्यों से संबंधित संगठन भी कार्य कर रहे हैं। इसमें स्वैच्छिक और सामुदायिक संगठन, सामाजिक उद्यम/सामाजिक उद्यमीयता, सरकारी समितियाँ, थिंक टैंक इत्यादि, मिलकर कार्य सम्पन्न कर रहे हैं। बोर्नस्टीन (2010) के अनुसार सामाजिक उद्यमीयता एक महत्वपूर्ण परिघटना है जो कि वैश्विक स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के कारण

विकसित हुई है। प्रथम, मध्यम वर्ग तथा पूंजीगत धनराशि या सम्पदा में वैश्विक त्वरित विस्तार हुआ है, इसके परिणामस्वरूप सामाजिक उद्यमों में आशतीत वृद्धि हुई है। द्वितीय, असंख्य लोकतांत्रिक और सम–लोकतांत्रिक समाजों को गठन और विस्तार हुआ है जिसके कारण नागरिक सामाजिक और पारिस्थितिकी होने वाले अन्यायों के विरूद्ध स्वतंत्र रूप से संगठित होकर उसका समाधान निकालने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। वास्तव में, नागरिकों की सक्रियता और गतिशीलता में संवर्धन हुआ है और वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अपनी दखल देने या उसमें भागीदारी करने के लिए प्रयासरित हो गए हैं। तृतीय, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का असीम विस्तार होने के फलस्वरूप सार्वजनिक लोगों की जागरूकता में व्यापक संवर्धन होने से वैश्विक समस्याओं तथा उनका लोगों पर होने प्रभाव की बखूबी जान गए हैं, उसे समझ गए हैं। चतुर्थ, औपचारिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में बेहद वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों धन–दौलत से सम्पन्न हुए और व्यापक जागरूकता के सार वृद्धि ने आय जन को संवृद्ध बनाया है। अन्त में, कानून का शासन स्थापित होने और महिलाओं तथा वंचित समुदायों की व्यापक भागीदारी के लिए प्रावधानों का निर्माण व समान आवश्यकताओं और लक्ष्यों और निर्णयों ने उनके जीवन को परिवर्तित किया जिसके कारण वे सामाजिक उद्यमीयता को वैश्विक आंदोलन के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं। बोर्नस्टीन के मतानुसार (2007) ने मानते हैं कि समकालीन समय में ''स्वतंत्रता, समय, धन–सम्पदा, प्रकट करने, सामाजिक गतिशीलता में लोगों

की भागीदारी और अपनी सामाजिक समस्याओं को समाधान के लिए उठाना उनको प्रस्तुत करने में आत्म विश्वास के कारण उनको नष्ट ठोस मार्ग प्राप्त हुए हैं''।

13.3 सामाजिक उद्यमीयता की परिभाषा

सामाजिक उद्यमीयता एक नया क्षेत्र है तथा इस पर काम करने वाले या पेशेवर लोग तथा अकादमिक लोग अपनी अन्तर्दृष्टि से इस क्षेत्र के संबंध में मूल्यांकन और आकलन कर रहे हैं। आइए हम इस उभरते हुए क्षेत्र पर कुछेक परिप्रेक्ष्य के बारे देखने का प्रयास करते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं:

अल्बोर्ड, ब्रोउन तथा लेट्एस (2004) के अनुसार ''सामाजिक उद्यमीयता ने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के नवीनतम समाधानों का उत्पन्न किया है तथा विचारों की गतिशीलता, क्षमताएं, संसाधनों और सामाजिक आवश्यक व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। सतत् सामाजिक परिवर्तन के लिए नितान्त आवश्यक हैं''।

रोबिन्सस (2009) का कहना है कि सामाजिक उद्यमीयता एक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट सामाजिक समस्या तथा एक विशिष्ट समाधान ..... हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है''

बोर्नस्टीन एवं डेविस (2010) ने सामाजिक उद्यमीयता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको नागरिक निर्मित करते हैं अथवा सामाजिक समस्याओं के अग्रिम समाधान रूपान्तरण करके संस्थान करते हैं जैसे कि अनेक लोगों के जीवन

को बेहतर बनाने के लिए, इस दिशा में गरीबी, अस्वास्थ्य, निरक्षता, पर्यावरण का नष्ट होना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करना और भ्रष्टाचार के समाप्त करना है''।

उपर्युक्त दी गई परिभाषाओं से हम यह समझ गए हैं कि सामाजिक उद्यमीयता एक अनुक्रम का उपाय है जो सामाजिक समस्याओं की पहचान करते हुए उस पर अपना दबाव बनाती है और फिर नवीन उपायों के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालती है या समाधान प्रस्तुत करती है। इस प्रकार ये सामाजिक उद्यमीपता समाज के सशक्त बनाती है (विशेषकर वंचित समुदायों को) उनकी समस्याओं को प्रकट कर के निराकरण किया जाता है। यह ध्यान रहे कि सामाजिक उद्यमीयता परम्परागत उद्यमीयता से बिल्कुल अलग है जोकि सामाजिक उदगम के प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालना है जिनका हल नहीं हुआ है। इस तरह से परिप्रेक्ष्य के लिए जो परम्परागत उद्यमीयता है वे सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित नहीं हैं वे तो केवल अपना लाभ कमाने के उद्देश्य और बाह्य रखते हैं।

सामाजिक उद्यमीयता के अर्थ के समझने के पश्चात् आइए अब हम आगामी भाग में सामाजिक उद्यमीयता की विशेषताओं को समझने के प्रयास करते हैं।

13.4 सामाजिक उद्यमकर्ता की विशेषताएँ

डरूकर (1998) का मत है कि ''सामाजिक व उद्यमकर्ता समाज के कार्य निष्पादन की क्षमता में परिवतन लाता है''।

गरीगोरी जे डीस (1998), सामाजिक उद्यमीयता शिक्षा विशेषताओं के पिता का मत है कि सामाजिक उद्यमकर्ता की भूमिका समाज की समस्याओं के समाधान में गेम चेंजर यानि खेल के बदलने वाला होता है, जो निम्न प्रकार से है:

- सामाजिक मूल्यों को उत्पन्न करना और सतत् बनाए रखने के लिए इस मिशन के अपनाता है (यह केवल निजी मूल्य नहीं हैं);
- इस मिशन की सेवा में नर अवसरों की पहचान करना तथा उनको उपयोग में लाता है;
- सतत् नवीनीकरण की प्रक्रिया, उनको अपनाने तथा सीखने में वयस्त रहता है या लगा रहता है;
- मौजूदा वर्तमान संसाधनों के द्वारा असीमित सीमाओं से दृढ़ता से कार्य करना; और
- निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा और परिणाम प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी से उच्च स्तर पर उसका प्रदर्शन करना है।

ड्रेटॉन (2002) एवं हैम्मोद्र (2005) के अनुसार विशेषताओं निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है:

- संकटपूर्ण सामाजिक समस्या के समाधान के लिए नए विचारों का होना;
- रचनात्मक होना;

- एक उद्यमीता व्यक्तित्व का होना;
- विचार का व्यापक सामाजिक प्रभाव का दृष्टिकोण; और
- अविवादित नैतिक स्वरूप या प्रकृति का धारक होना चाहिए।

बोर्नस्टीन (1998) का कहना है कि एक सामाजिक उद्यमकर्ता में निम्नलिखित विशेषताएँ होना चाहिए:

- नवीन विचारों को प्रस्तुत करने के माध्यम से नई संभावनाओं को प्रस्तुत करना;
- सम्पूर्ण वास्तविकता के सहित सम्मिलित दृष्टिकोण;
- रचनात्मक एवं उच्च नैतिक समस्या समाधान कर्ता; और?
- सामाजिक परिवर्तन के उनके विचारों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता का होना।

मार्टीन और ओसबर्ग (2007) के विचार से एक सामाजिक उद्यम कर्ता वह होता है जिसका लक्ष्य वंचित उपेक्षित अथवा अधिकतम असुविधा भोगी जनसंख्या होना चाहिए तथा उसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर परिवर्तनात्मक लाभों को प्रदत्त कराने वाला होना चाहिए चाहे फिर वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो या फिर समाज का एक व्यापक हिस्सा हो।

करामेर (2005) का मत है कि सामाजिक उद्यमकर्ता की परिभाषा के अनुसार उसके कार्य निष्पादन में नया मार्ग या विचार खोजने की स्वभाविक क्षमता सहजता से समाहित होनी चाहिए।

उपर्युक्त परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक उद्यमकर्ता ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास समाज की सेवा करने के लिए एक महान दृष्टिकोण हो विशेषकर जरूरतबंद तथा उपेक्षित समुदाय के लोग हों। इस प्रक्रिया में उन लोगों को नैतिक बल तथा दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। चुनौतियां कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि बाजार से संसाधनों की आपूर्ति या फिर संसाधनों की अनउपलब्धता हो सकती है, ऐसी स्थिति में बाधाओं से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की क्षमता का होना अनिवाय होता है। वास्तव में, बिल ड्रेटोन के शब्दों में ''सामाजिक उद्यमकर्ता का विषय मछली देना नहीं है अथवा यह बताया भी नहीं होता कि मछली कैसी होती है। वे तब तरू शांत नहीं बैठेंगे जब तक वे मछली उद्योग स्थापित नहीं कर लेते हैं वे क्रांतिपूर्ण कार्य करते रहेंगे।''

13.5 सामाजिक उद्यमीयता के आयाम

प्रासज़ेकरी और नोवाक (2012) ने सामाजिक उद्यमीयता के पाँच आयाम की पहचान की है जिनके नाम हैः सामाजिक मिशन, सामाजिक नवीनीकरण, सामाजिक परिवर्तन

उद्यमीयता का उत्साह तथा व्यक्तित्व सम्मिलित हैं। आइए अब हम आगामी पैराग्राफों में आयामों को समझने का प्रयास करते हैं।

13.5.1 सामाजिक मिशन

सामाजिक उद्यमकर्ता का मिशन असुविधा भोगी समुदाय के लिए सकारात्मक भविष्य निर्माण करना है। वास्तव में सामाजिक मिशन की धारणा को समाज में मौजूदा व्याप्त कारणों की परिभाषा देना है या करना है। उदाहरण के लिए नोबल शांति पुरूस्कार प्राप्त मुहम्मद यूनुस को दिया जा सकता है, उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और पिरामीड के नींव से लेकर शिखर तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास का निर्माण किया। वास्तव में प्रो. यूनुस ने माइक्रो–क्रेडिट को मानव अधिकार और एक गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रभावी साधन के रूप में उसकी पैरवी की है। उन्होंने (i) गरीबों के आवश्यकता आधारित ऋण उपलब्ध कराना (ii) उनको माइक्रो–क्रेडिट मूल आधार के संबंध में शिक्षित किया, (iii) गरीबों को कम आय परिवारों के 1997 में ग्रामीण बैंक 827 का ऋण पर महिलाओं को उपलब्ध कराया था। ये महिलाएं बांग्लादेश टोकरी बनाने का कार्य करती थी और किसी किसी गारन्टी के इनको ऋण दिया गया था, इन महिलाओं ने अपने ऋण को न्यूनतम लाभ प्राप्ति से ऋण का भुगतान कर दिया गया। वर्तमान में यह ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनसंख के 92 प्रतिशत ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है (इनमें अधिकतर महिलाएं हैं) बांग्लादेश के इस ग्रामीण बैंक में 9 मिलियन से अधिक संख्या के सदस्य बैंक की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

13.5.2 सामाजिक नवीनीकरण

इसमें सामाजिक समस्याओं के लिए नवीन समाधानों के अभिकल्प तथा उनके क्रियान्वयन के सम्मिलित किया गया है, जिसमें वैयक्तिक रूप से और सामुदायिक रूप से स्वस्थ योगदान दिया गया है। मुगगन (2008) ने सामाजिक नवीनीकरण की एक व्यावसायिक परिभाषा प्रस्तुत की है जैसे कि ''नए विचार जो काम करते हैं'' को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, उसने अपने गाँव में रज़ो धर्म के समय महिलाओं को होने वाली दुदर्शा को देखा, जिसमें महिलाएँ अस्वस्थ्यकर नेपकीन या वस्त्रों का प्रयोग करती थी। अरूलाचलम युरूनांनथन यह तमिल नाडु के सामाजिक नवाचारक थे, इन्होंने इस समस्या पर गहन विचार किया और वर्ष 2004 में हल्के वजन यानि आसानी से उठाकर ले जाने वाली मशीन का आविष्कार किया जो कि सस्ते दामों पर अच्छी स्वास्थ्य नेपकीन का उत्पादन किया। इस बुनाई करने वाली जिसकी नवीनीकरण की एक प्रमुख विशेषता था। यह मशीन सार्वजनिक स्थानों में उपलब्ध हो सकती थी तथा सामान्य आपवाले लोगों की पहुंच के अन्दर थी। इस मशीन की उत्पादन क्षमता एक बार में 25 पेडों की थी और समय समय में एक पेड 1 कॉमन सा से एक समझ का काम पूरा हो जाता था। वर्ष 2009 में पाँचवा ग्रासउट नवीनीकरण पुरूस्कार इस लघु नेपकिन बनाने वाली मशीन के आविष्कार के नवाचर को मिला था। मुरूगांनथन के मॉडल को नेशनल इंनेवेशन अवार्ड नेशनल इंनोवशेक फाउंडेशन इण्डिया, 2009) को प्राप्त हुआ था।

13.5.3 सामाजिक परिवर्तन

सामाजिक उद्यमीयता में सामाजिमक परिवर्तन को बहुत ही रचनात्मक व सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है और माना जाता है इसमें प्रथम व्यवस्था परिवर्तन और द्वितीय व्यवस्था परिवर्तन सम्मिलित है। जबकि प्रथम व्यवस्थाक परिवर्तन में सामाजिक मुद्दों को निश्चित करने के लिए वैयक्तिक स्तर पर परिवर्तन के हेतु शामिल किया गया है और द्वितीय व्यवस्था परिवर्तन में सामाजिक व्यवस्था को समाहित किया जाता है जो वास्तव में, इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से परिवर्तन की यह श्रृंखला पूरी तरह से अत्यन्त व्यापक और सतत् बनी होती है। इसको सिद्ध करने के लिए आगे हम प्राज़कीर और नोवाक (2012) के मत का प्रस्तुत करते हैं कि ''यह बहुत ही कठिन विषय है कि हम सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक नवीनीकरण को अलग करके प्रस्तुत कर सके। ..... सामाजिक परिवर्तन एक चिंगारी है और सामाजिक परिवर्तन एक लम्बी अवधि की प्रक्रिया है जो इसके परिणामस्वरूप पैदा होती है और उसका यह प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक उद्यम के माध्यम से जयश्री उद्योग जिसके मालिक मुरूगांनथन ने सामाजिक परिवर्तन के पोषक बनकर हमारे समक्ष और सामाजिक परिवर्तन के योग्य बन गएः प्रथम निर्धन महिलाएं अपनी सुरक्षित रज़ोधर्म के संबंध में जागरूक बन गई थी, द्वितीय वे इस स्वच्छ रज़ोस्वला अवपोसक पैड के खरीदने में सक्षम हुई जिसे उपलब्ध कराया गया था। इस तरह से वे महिलाएँ रज़ोधर्म के समय एक स्वच्छ और स्वास्थ्य पैड का गरिमापूर्ण प्रयोग करने में समर्थ हो सकती थी। तृतीय, इसके साथ ही लगभग 21,000 वंचित व पददलित

महिलाओं को पूरे देश में रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुए थे (दि इकोनोमिक टाइम्स, 2017)।

इसके अतिरिक्त, उदाहरण यह है कि स्टडी हाउस एजुकेशन फाउंडेशन (एसएचईएफ) भारत में एक सामाजिक उद्यमीयता का उद्यम है, यह अत्यंत वंचित, पद्दलित बालिकों को शिक्षा, उपलब्ध कराती है। वर्ष 2017 में एसएचईएफ की संस्थापक श्री उर्वसी साहमी ने 900 से अधिक विद्यालयों से समायोजन किया और इसके परिणामस्वरूप 4 लाख से बालिकाओं के जीवन में परिवर्तन ला दिया था। उनका जीवन बदल दिया था। बालिकाओं की शिक्षा में विशिष्ट सहयोग देने के कारण श्रीमति साहनी को वर्ष 2017 में ''वर्ष का सामाजिक उद्यमकर्ता'' का पुरूस्कार से सम्मानित की गई थी (भारिच एन डी)। इस उदाहरण में, वंचित समूहों की बालिकाएँ सामाजिक उद्यमकर्ता की प्रमुख उपभोक्ता थीं। यदि यह सुविधा उपलब्ध न कराई गई होती तो और उनको समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त होती तो वे शिक्षा प्राप्त करने में आवश्यक धनराशि खर्च करने में असमर्थ होती। वास्तव में, सामाजिक उद्यमीयता को सामाजिक अन्याय से पीड़ित लोगों को सहायता सहयोग देने का एक महत्वपूर्ण साधन या उपाय के रूप में माना गया है जो वंचित लोग अपने उनके अपने दुर्भाग्य के परिवर्तन करने सशक्त नहीं होते हैं।

13.5.4 उद्यमीयकता का उत्साह

''इंटरपरिन्यिअट'' शब्द फ्रेंच ''इंटरपरिंडर'' शब्द स्रोत से लिया गया है, जिसका अन्य ''टू टेक इंटू वन्स ओवल हैंड्स अथवा ''वन हू अण्डरटेक, 'यानि की एक व्यक्ति अपने

हाथ में लेने वाला कार्य जो अपने हाथ में लिया गया कार्य होता है। वास्तव में ''इंटरपरिनअरशिप'' आज से दो शताब्दी पूर्व फ्रेंच अर्थशास्त्री जीनवैपटिस्ट ने इसको यह नाम दिया गया था। उनका यह विचार था कि एक उद्यमकर्ता निम्न उत्पादकता को उच्च उत्पादकता मैं परिवर्तन करने में सफल होता है वह इसके साथ ही आर्थिक स्रोतों में भी परिवर्तन करने में सफल होता है। वह महान उत्पादकता को पैदा करता है। प्रासकीर और नोबाक (2012) के अनुसार एक उद्यमकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ''एक महत्वपूर्ण परियोजना अथवा गतिविधि के अपने हाथ में लेता है।'' वास्तव में उद्यमकर्ता एक आजीविका या रोजगार उत्पन्न करने वाले के रूप में माना जाता है न कि एक रोजगार मांगने वाला व्यक्ति और इस प्रकार का व्यक्ति जो समाज में मूल्यों को जोड़ता है उनको स्थापित करता है। वह अन सुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए दृढ़ प्रतिमा का धनी होता है, जैसे कि गरीबी, खराब स्वास्थ्य इत्यादि। इसके साथ ही उसका दृष्टिकोण बहुत ही नवीन और नवाचारों से युक्त होता है। हम प्रोफेसर मुहम्मद युनुस और अरूणाचलाय मुरूगंथंम के मामलों को साक्ष्यों के रूप में देख सकते हैं। यह दोनों अपने–अपने दृष्टिकोणों में दृढ़ थे, वे समस्या के मूलकारणों से अवगत थे उन्होंने सतत् कार्यनीतियों को अपनाया एवं संसाधनों को गतिशीलता, वे संगठनों और अपने मार्किट को स्थापित किया, उनकी दृष्टि व दृष्टिकोण थे तथा उपर्युक्त कार्यों में तब तक लगे रहे जब तक व्यापक स्तर पर लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ।

13.5.5 व्यक्तित्व

सामाजिक उद्यमकर्ता अधिकतर जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं और वे समस्याओं को अलग–अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। वे अपने जोखिम वाले निर्णय के तब तक वापस नहीं लेते है जब तक वे अन्य लोगों की प्रवृत्तियों व्यवहारों के कार्यों में परिवर्तन नहीं कर देते हैं। सामान्यतः सामाजिक उद्यमकर्ता उन समस्याओं के हल करने में अपनी शक्ति को व्यय करते हैं जो समस्याएँ सुलझाने में बहुत कठिन और संकटपूर्ण होती हैं।

केस अध्ययन

निर्धन व्यक्तियों में रोकथाम वाले अन्धपन के उन्मूलन को ध्यान रखते हुए इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत डॉ. गोविन्दाप्पा वेंकटास्वामी ने वर्ष 1976 में अर्विन्द आई हॉस्पीटल, की मदुराई तमिलनाडु में स्थापन की। अस्पताल का नाम धार्मिक नेता श्री अर्विन्दों के नाम रखा गया था। अस्पताल का मिशन सस्ती दर पर गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के निश्चय के साथ अन्य गरीब लोगों के लिए भी बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, विकलांगता इत्यादि लोगों के लिए निशुल्क सेवाएँ उपलब्ध कराई गई थी।

अस्पताल आरम्भ करते समय इसमें केवल 11 पलंगों की व्यवस्था की गई थी हालांकि, इसमें समय के साथ तीव्र वृद्धि हुई और प्रतिवर्ष 400,000 रोगियों की शल्य चिकित्सा की जाने लगी और इनमें से अधिकतर गरीब लोग थे जिनकी शल्य चिकित्सा निशुल्क रूप से की गई थी। (कृष्णा 2015)। चार दशक अधिक समय के बाद भी अस्पताल ने सामाजिक व्यवहार या व्यापार के साथ जो मॉडल अपनाया था उसके साथ कोई

समझौता नहीं किया। तथा अन्धपन का उन्मूलन करने की समस्या रोगी की क्षमता यानि की उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार बिना किसी भेदभाव के सब का समान रूप से इलाज पूरा किया था। इस तरह से ही चिकित्सकों और सहयोगी स्टाफ की योग्यता, उनकी कार्यक्षमता गुणवत्ता पर विशेष नजर रखते हुए श्रेष्ठ सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती थी। ध्यान रहे नेत्र रोग चिकित्सा की सेवाएँ संख्या में विश्व की सबसे बड़ी उत्तम सेवाओं सम्मिलित रही थी। अर्विन्द अस्पताल स्व–निधि चिकित्सा प्रदाता मॉडल के अनुसार दी जाती थी, जबकि इसमें ''गैर–भुगतान'' वाले रोगियों की संख्या लगभग 50–60 प्रतिशत होती थी जिनका निशुल्क सम्पूर्ण इलाज किया जाता था और किसी गुणवत्ता के समझौता किए बिना 40–50 प्रतिशत भुगतान करने वालों की चिकित्सा की जाती थी। चिकित्सा की गुणवत्ता गरीब–अमीर रोगियों को समान रूप से एक जैसी उपलब्ध कराई जाती है।

कृष्णा (2015) के अनुसार अरविन्द, यू के स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा की जाने वाली शल्य चिकित्सा का 60 प्रतिशत का निष्पादन करता है परन्तु इसकी लागत कुल सैंकड़ों में आती है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और दिया जा सकता है कि अरविन्द में कैटरेक्ट की शल्य चिकित्सा की किया में लगभग यू एस 50 डॉलर से भी कम का खर्च आएगा जबकि संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) में इसका लगभग कुल खर्च यू एस 3,000 डॉलर होगा। अरविन्द के स्वास्थ्य देखभाल का मॉडल मुम्बई, कोलकाता और नेपाल में दोहरा मॉडल होगा। वास्तव में, भारत सरकार संपूर्ण देश में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है (चौधरी, 2012)।

अरविन्द का दोहरा मॉडल लैटिन अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया के सहित संपूर्ण विश्व के 300 अस्पतालों से अधिक की संख्या में फैला हुआ है (सोशल बिजनेस डिजाइन वेबसाइट)।

केस उदाहरण के अनुसार हम यह समझ सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से किए गए रोकथाम के योग्य अन्धापन की चिकित्सा का खर्च देय योग्य है अथवा यह संभवगत लागत है। तथापि अरविन्द सामाजिक बिजनेस मॉडल को हारवर्ड बिजमेस स्कूल के द्वारा सफलतापूर्वक केस अध्ययन को स्वीकार किया है।

13.6 भारतीय संदर्भ में

जब हम मानव विकास सूचक (एचडीआई) का अवलोकन करते हैं कि राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करते हैं तो जो इसकी मात्रा है, उसके अनुसार दुनिया 183 देशों में हमारा रैंक 131 है (रिपोर्ट, 2020) (इकोनोमिक टाइम्स, 2020)। इस तथ्य के आधार हमारे रैंक बहुत ही कम अथवा नीचे है जबकि विश्व के प्रमुख देख बहुत ही तीव्रता से अपना विकास कर रहे हैं और भारत अभी तक सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को ही सुलझाने में लगा हुआ है, जैसे कि गरीबी, निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी इत्यादि। वास्वत में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय देश के इस आर्थिक संवर्धन का लाभ लेने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या यह कह सकते हैं कि जो देश में विकास हो रहा है उसका लाभ उपेक्षितों तथा वंचितों तक नहीं पहुंचा है, उसमें हमारी व्यवस्था का दोष है।

देश के सभी नागरिकों के लिए सतत् आजीविका या रोजगार और कौशल कार्यबल के स्तर में संवर्धन हो इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने कौशल विकास उद्यमीयकता पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है। विशेषकर इस नीति में सक्रिय उद्यमीयकता की अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए ताकि धन और औपचारिक मजदूरी एवं रोजगार का सृजन किया जा सके। इस तरह से सरकार ने इस नीति में प्रावधान रखें हैं। वास्वत में, इस प्रकार की सामाजिक नीति की दखल से इसका पिरामिड की नींव से यानि की गरीब लोगों को सहायता देने के लिए साधन का रूप मान कर नीति को लागू कर सकते हैं। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बिना किसी जाति, धर्म, विकलांग लोगों, लिंग कर, ध्यान रखे बिना प्रत्येक व्यक्ति के सशक्त बनाने का निश्चय किया गया है तथा उनकी वास्तविक संभावनाओं को उपयोग करना है। उदाहरण के लिए नीति का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण कौशल व दक्षता प्रदान करना है, जैसेकि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों (एससी) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी), इत्यादि इस में सम्मिलित किए गए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार सामाजिक उद्यमकर्ताओं तथा नवाचार यानि के नवीनीकरण के कार्यकर्ताओं से संयोजन व सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है।

वास्तव में, सामाजिक समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से यह नीति सामाजिक उद्यमीयता और निम्न स्तर के नवाचारों व नवीनीकरण कार्यकर्ताओं की उन्नति करती

हैं। सामाजिक उद्यमीयता के माध्यम से यह नीति गरीब व्यक्तियों को निवेशक, बैंक इत्यादि तक की पहुंच या सुलझा कराने के लिए प्रयासरत है। अतः वंचित समुदायों को सक्रीय भागीदार बनाना चाहती है न असक्रिय प्राप्त करना। व्यापक स्तर पर सामाजिक उद्यमीयकता का पोषण करना और नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उद्यमता को उन्नत करने के प्रोत्साहित करना है और पारिस्थिति की व्यवस्था को गुंजायमान करना चाहती है। इनमें निम्नव्यवस्था को गुंजायमान करना चाहती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थायें के अपने यहाँ सामाजिक उद्यमीयता पर पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना (दूर शिक्षा सहित) ताकि युवाओं और नगारिकों की आंकाक्षाओं को पूरी करने के लिए और अधिक गतिशील स्थानों के उन्नत किया जा सके;
- सामाजिक उद्यम निधि को बढ़ाया जाए उसमें वृद्धि की जाए ताकि सामाजिक उद्यमकर्ता को क्रेडिट करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें;
- संपूर्ण देश में सामाजिक बिजनेस को उन्नत करना।

इस संदर्भ में सामाजिक उद्यमीयकता एक विकास की प्रक्रिया है जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, विशेषकर सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों के विभिन्न समाधान उपलब्ध कराने के माध्यम से वंचित समाज को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए दीनदयाल विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों के पुनर्वास योजना के

अन्तर्गत (डीडीआरएस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विभाग के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण आश्रय गृह, कार्यशाला, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय (पीडब्ल्यूडी) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों इत्यादि के लिए तृतीया क्षेत्र को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चर्चा से आप समझ सकते हैं कि सरकार मुक्त रूप से और सक्रीयता से गैर–राज्य कार्यकर्ताओं जैसेकि सामाजिक उद्यमकर्ताओं से संयोजन कर रही है।

13.7 सामाजिक उद्यमीयता और सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजीएस)

वैश्विक लक्ष्य या एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्ष 2015 में सार्वभौमिक रूप से आह्वान किया गया था जिसमें गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता, भूमंड की सुरक्षा तथा बहुस्तरीय भागीदारी के माध्यम से शांति और खुशहाली को उन्नत करना है। सामाजिक समस्याओं को एसडीजीएस द्वारा समाधान या निपटाना जैसे कि अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण में गिरावट इत्यादि तक में गरीबी के कारण प्राप्त न करना। संयुक्त राष्ट्र किवास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के अनुसार ''रचनात्मक को जानना कि किस प्रकार से प्रत्येक संदर्भ (यू एन डी पी) वेबसाइट में एसडीजीएस के द्वारा समाज को सभी प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कराया जाए। यह समझ लिया गया है कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सामाजिक उद्यमीयता एक अत्यंत ही प्रभावी संसाधन है। इसके साथ ही

यह भी समझा जा सकता है कि एसडीजीएस को समझने के लिए सामाजिक उद्यमीयता संभावनाओं से परिपूर्ण साधन है।

संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वह स्वयं ही उत्प्रेरक 2030 को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें वह सहयोग और सहायता प्रदत्त करेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों को प्रगति के लिए गतिशील और सामजिक नवाचारों या नवीनीकरण के कार्यकर्ताओं से संजाल स्थापित करके परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है (एसडीजीएस)। इसके साथ उत्प्रेरणा 2030 का विश्वास है कि वह एसडीजीएस की उपलब्धि के लिए सह–रचना और संरचनाओं में अपना सहयोग देगा। यह भूमंडलीय आन्दोलन वर्ष 2019 में आरम्भ हुआ था जिसमें, सामाजिक उद्यमकर्ता, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अन्तर मध्यस्थ, निधि दाता और अन्य सामाजिक परिवर्तक नवाचार शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य बहु स्तरों पर वैश्विक तथा स्थानीय पणधारियों के बीच सार्थक भागीदारी को स्थापित करना था। इनका एक और उद्देश्य था जिसमें संबंधों में सुधार करना और सामाजिक उद्यमकर्ताओं के बीच पारदर्शिता के द्वारा सहयोग और संयोजन करना है ताकि वे और अधिक परियोजना तथा भागीदारी गतिविधियों अधिक साझादारी कर सकेंगे ।

गतिविधि

निम्नलिखित लिंक का **अन्वेषण** कीजिए और आप अपने परिवार और मित्रों के साथ सामाजिक उद्यमकर्ताओं की कहानियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें: https://changecreator.com/8-famous-social-entrepreneurs-need-know/

13,8 सारांश

सामाजिक उद्यमीयता एक वैश्विका परिघटना है तथा सामाजिक उद्यमकर्ता पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये गरीबों द्वारा सामना की जाने वाला सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालते है उनका हल प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ सामाजिक उद्यमीयता गरीबों की संभावित आकांक्षाओं पर लगे ताले को खोजने के लिए चाबी उपलब्ध कराते हैं। सामाजिक उद्यमकर्ता अवरोधी परिवर्तनों से अंसतुष्ट हैं और इस लिए वे सामाजिक परिवर्तन के लिए नए अवसरों की पहचान करते रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से जो संगठन सामाजिक मुद्दों को सुलझाने के कार्य करते हैं उन पर ''लाभ के लिए ही'' और ''एनजीओ का लेबल लगा हुआ है। हालांकि वर्तमान में इनकी पहचान 'तृतीय क्षेत्र' के रूप में की गई है। सामाजिक उद्यमीयता वास्तव में यह व्यावसायिक/व्यवसाय तथा के रूप में स्थापित हो चुकी है और यह विकास की मुख्य धारा है, यह केवल विकसित देशों में ही नहीं है अपितु अब यह एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों में भी अपना विस्तार कर चुका है। वास्तव में सामाजिक उद्यमीयतावाद का उद्गम ने बहुआयामी शासन में मूल परिवर्तन प्रस्तुत किया है जैसे कि जहाँ पर सूचित और उद्यमीकर्ता के रूप में नागरिक हैं (तृतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं) वे सरकार

को सार्वजनिक सेवाऐं प्रदत्त करने के लिए सहयोग देते हैं उनके साथ संयोजन करते हैं।

13,9 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

Alvord, S. H., Brown, L. D., & Letts, C. W. (2004). Social entrepreneurship and societal transformation: An exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, 40(3).

Bharech, Anuja (n.d). 8 Amazing Social Entrepreneurs in India who are Changing the Face of Urban India. Retrieved from: https://digest.myhq.in/social-entrepreneurs-in-india/

Bornstein, D. (1998, January). Changing the World on a Shoestring. The Atlantic Monthly, 281: 34–39.

Bornstein, D. (2007). How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. New York: Oxford University Press.

Bornstein, D., & Davis, S. (2010). Social entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? New York: Oxford University Press.

British Council (October, 2015). Social Enterprise: An Overview of the Policy Framework in India. Retrieved from: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_policy_landscape_in_india_british_council.pdf

Catalyst2030. https://catalyst2030.net/

Chaudhary, Bhupinder (et.al). (2012). Right to Sight: A Management Case Study on Aravind Eye Hospitals,

http://www.zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2012/Jan/ZIJMR/36%20Bhupinder%20Chaudhary%20Right%20to%20Sight.pdf

Dees, J. G. (1998). The Meaning of Social Entrepreneurship. https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf

Drayton, W. (2002). The Citizen Sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business. California Management Review, 44(3)

Drucker, F. Peter. (1993). Innovation and Entrepreneurship. Harper Business: New York

Economic Diplomacy Division. (2017). 20 Mission Driven Social Impact Innovations. https://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/27933_Final_Coffee_Table_Book_2017.pdf

Hammonds, K. H. (2005, January 1). A Lever Long Enough to Move the World. Fast Company, 90. Retrieved from http://www.fastcompany.com/magazine/90/openashoka.html.

Horn, M. Denise. (2013). Democratic Governance and Social Entrepreneurship. Routledge: New York.

Kickull, Jill and Lyons, S. Thomas. (2012). Understanding Social Entrepreneurship. Routledge: New York

Kramer, M. R. (2005). Measuring innovation: Evaluation in the field of social entrepreneurship.

Krishnan, Aravind. (2015). https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/aravind-eye-care-system-mcdonaldization-of-eye-care/

Martin, R. L., & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social Innovation Review, Spring 2007: 29–39

Mulgan,G., Tucker, S., Ali R.,& Sanders B. (2008). Social innovation: What it is,why it matters and how it can be accelerated. Skoll Center for Social Entrepreneurship working paper. Retrieved from http://www.youngfoundation.org/files/images/03 07 What it is SAID .pdf.

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2015). https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entreprenurship%20Final.pdf

National Innovation Foundation – India. (2009). **Mini** Sanitary Napkin Making Machine. Retrieved from: http://nif.org.in/upload/innovation/5th/10-mini-sanitary-napkin-making.pdf

Praszkier, Ryszard and Nowak, Andrzej. (2012). Social Entrepreneurship Theory and Practice. Cambridge University Press: New York

Robinson, Jeffrey, Johanna Mair, and Kai Hockerts, editors. International Perspectives on Social Entrepreneurship, New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Social business design. Aravind Business Model Eradicating needless blindness in India. https://socialbusinessdesign.org/aravind-business-model-case-study/
The Skoll Foundation. Retrieved November 11, 2010, http://

www.foundationstrategy.com/documents/Measuring%20Innovation.pdf.

The Economic Times (27th April, 2017). Meet Arunachalam Muruganantham, Retrieved from: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/meet-arunachalam-muruganantham-the-man-who-wore-a-sanitary-pad-to-break-a-taboo/padma-shri-winner/slideshow/58340301.cms

The Economic Times (17th December, 2020). India ranks 131 in United Nations' Human Development Index https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-ranks-131-in-united-nations-human-development-index/articleshow/79763286.cms

UNDP.https://www.undp.org/sustainable-development goals?c_src=CENTRAL&c_src2=GSR

.....